UNIVERSITY OF ALLAHABAD
QUOT RAMI TOT ARBORES

CASTE AND POLITICS :
ROLE OF BACKWARD CASTE FROM 1967 TO 1997
(A CASE STUDY OF DISTRICT FAIZABAD)

जाति और राजनीति :
पिछड़ी जातियों की भूमिका 1967 से 1997 तक
(फैजाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी0 फिल्0
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक .
डा0 अनुराधा अग्रवाल
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

शोधकर्ता :
शिवानन्द सिंह
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

Dr Anuradha Kumar
Department of Political Science
Allahabad University
Allahabad

C/o Mr Krishna Chandra
6 Bank Road Allahabad 211 002
Ph (0532) 608167 644073

CERTIFICATE

This is to certify that Mr Shivanand Singh son of Mr Ram Awadh Singh has completed his research on the topic "Caste and Politics : Role of Backward Caste from 1967 to 1997" (A case study of District Faizabad) under my supervision.

This is an original piece of work and fulfill all the requirements of a D.Phil. thesis of Allahabad University.

Anuradha Agarwal

Anuradha Agarwal

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को मै अपनी माँ स्वर्गीय उर्मिला सिह को समर्पित करता हूँ जिनके प्रेरणा एव प्रोत्साहन के कारण ही मै इस दिशा मे अग्रसर हुआ। परन्तु मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड रहा है कि शोध प्रबन्ध के पूरा होने के पूर्व ही उनका देहावसान हो गया जिसकी क्षतिपूर्ति आजीवन कभी नही हो सकती।

इस शोध प्रबन्ध को पूरा करने के लिए मै अपने पिताजी ई0 श्री राम अवध सिह का भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके सतत मार्ग दर्शन और कार्य करने की प्रेरणा देने से ही यह अपने अतिम चरण मे पहुचा है।

मै अपने निर्देशक इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता डा0 अनुराधा कुमार का विशेष ऋणी हूँ जिनके स्नेहपूर्ण आलोचनाओ एव अदम्य कार्य क्षमता के बिना इस अध्ययन को पूरा नही किया जा सकता।

इस शोध कार्य के लिए अनुलब्ध शोध सामग्री प्रदान करने एव उदारतापूर्वक अपना मूल्यवान समय देने के लिए मै डा0 ओ0पी0 सिन्हा, अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग सी0एम0पी0 महाविद्यालय इलाहाबाद डा0 आर0वी0 वर्मा अध्यक्ष राजनीतिशास्त्र विभाग फिरोज गाधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राय बरेली को अपना आभार प्रकट करता हूँ।

इस अध्ययन कार्य मे प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मै अपने विभागाध्यक्ष डा0 आलोक पन्त, डा0 पकज कुमार एव अन्य विभागीय गुरूजनो के प्रति भी आभारी हूँ जिनके उदारतापूर्वक दिये गये सुझावो के आधार पर यह शोध वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर सका है।

इस अध्ययन कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मै अपने चाचा जी प्रोफेसर बच्चा सिह रसायन विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी और डा0 मदन मोहन सिह सहायक निदेशक केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र धनबाद तथा परिवार के सभी सदस्यो का भी आभार प्रकट करता हूँ।

मै शोध कार्य के लिए समय–समय पर प्रेरणा देने के लिए अपने मामा श्री एम0एन0 सिह और बडे भाई डा0 ओ0पी0 सिह को भी विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ।

इस शोध मे सहयोग प्रदान करने के लिए मै अपने जीजा डा0 शैलेन्द्र कुमार सिह डा0 सजय कुमार सिह और राजीव कुमार सिह एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद का भी आभारी हूँ।

इस शोध कार्य के लिए भौतिक सुविधाये जुटाने एव समय–समय पर मूल्यवान परामर्श देने के लिए मै अपनी बहनो किरन कचन कनक कविता और पत्नि रेनू का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

इस शोध कार्य मे विशेष सहयोग देने के लिए मै डा0 आर0आर0 सिह प्राचार्य हण्डिया पी0जी0 कालेज और अपने विभागाध्यक्ष डा0 के0डी0 सिह तथा विभाग के अन्य सहयोगी डा0 अजय सिह डा0 अर्चना सिन्हा एव डा0 जे0पी0 सिह के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ।

इस शोध प्रबन्ध देने के लिए मै अपने ममेरे भाई इ0 रामजीत सिह का भी आभारी हूँ जिन्होने अपने कम्प्यूटर से शोध सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करने मे सहायता किया और जिनके यहा दिल्ली मे रहकर मैने अपना कार्य पूरा किया।

मै अपने मित्र और मौसेरे भाई राणा अमर सिह और फैजाबाद के मित्रो राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय और चौधरी प्रकाश चन्द्र का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने न केवल इस शोध से सम्बन्धित सामग्री को एकत्र करने मे सहायता की बल्कि मेरे साथ पूरे

जनपद का भ्रमण कर प्रत्याशियो पार्टी पदाधिकारियो और मतदाताओ के साक्षात्कार के समय अपना पूरा सहयोग दिया।

मै अपने मित्र आशुतोष उपाध्याय अजय सिह राजीव नयन तिवारी और मधुसूदन सिह, राजीव शरण का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने समय–समय पर मुझे अपने कीमती समय मे से मुझे सहयोग दिया। मैं अपने उन समस्त मित्रो और शुभ चिन्तको का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने मुझे यह शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मै विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसघ अध्यक्ष श्री इन्दु प्रकाश सिह और वरिष्ठ सहयोगी अजय सिह एव डा0 हर्ष कुमार का भी आभार प्रकट करता हूँ।

मै पुस्तकालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय इलाहाबाद पुस्तकालय गोविद बल्लभ पत, सामाजिक विज्ञान शोध सन्स्थान इलाहाबाद केन्द्रीय पुस्तकालय बी0एच0यू0 वाराणसी का भी आभारी हूँ। जिनके यहा से शोध सामग्री मे सहायता प्राप्त हुयी।

मै विधान सभा सचिवालय, लखनऊ का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने शोध से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराई।

मैं फैजाबाद के जिला निर्वाचन कार्यालय जिला जनगणना कार्यालय जिला विकास अधिकारी कार्यालय जिला सहकारी सघ कार्यालय जिला पचायत राज अधिकारी जिला सूचना एव जनसम्पर्क विभाग सामाजिक एव आर्थिक सस्थान का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने अपने यहा से शोध से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध करायी जिसके अभाव मे यह शोध प्रबन्ध कभी भी पूरा नही हो सकता था।

मै जनमोर्चा के प्रधान कार्यालय फैजाबाद और उसके प्रधान सम्पादक का दिल से आभारी हूँ जिन्होने शोध से सम्बन्धित सामग्री के लिए जनमोर्चा का स्टाक रूम मेरे लिए खोलवा दिया था।

मै फैजाबाद ससदीय चुनाव 1998 मे भाग लेने वाले उन समस्त प्रत्याशियो का कृतज्ञ हूँ जिन्होने चुनाव के मध्य अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना साक्षात्कार दिया। साथ ही साथ मै पार्टियो के उन पदाधिकारियो का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने अपना साक्षात्कार दिया। यहा पर मै फैजाबाद के उन 85 मतदाताओ का आभारी हूँ जिन्हो शोध से सम्बन्धित प्रश्नो का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया और जिनके उत्तर पर ही यह शोध प्रबन्ध आधारित है।

अन्त मे मै नलनी कम्प्यूटर सेटर (मनमोहन पार्क) कटरा इलाहाबाद के चरन सिह को धन्यवाद देता हूँ जिन्होने इतने कम समय मे इस शोध प्रबन्ध को पूरा करने मे अपना पूरा योगदान दिया।

Shivanand Singh

दिनाक

शिवानन्द सिह

शोध प्रबन्ध का अध्यायीकरण

प्रस्तावना

अध्याय एक पिछडी जातियो की उत्पत्ति और उनसे सम्बन्धित सवैधानिक प्रावधान

अध्याय दो पिछडी जातियो की राजनीतिक भूमिका 1950 तक

अध्याय तीन उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति

अध्याय चार उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति

अध्याय पॉच फैजाबाद मे पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति (1998 1999 लोक सभा चुनावो के विशेष सदर्भ मे)

निष्कर्ष

सदर्भ ग्रन्थ सूची

सलग्नक

साक्षात्कार प्रश्नावली 1, 2, 3

साक्षात्कार सूची

*****

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत की वर्तमान सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक स्थिति एक सक्रमणकालीन समाज की जटिलताओ की अभिव्यक्ति है। इन्ही जटिलताओ मे से एक जटिलता भारत के राजनैतिक क्षितिज पर एक प्रबल सामाजिक–राजनैतिक शक्ति के रूप मे पिछडी जातियो का अभ्युदय है।

दक्षिण भारत मे पिछडी जातियो का अभ्युदय 19वी शताब्दी मे प्रारम्भ हुआ और धीरे–धीरे विकसित होते हुए 20वी शताब्दी के तृतीय दशक तक अपना आधार काफी मजबूत कर लिया था जबकि उत्तर भारत मे पिछडी जातियो का अभ्युदय सामान्यतया स्वतत्रता के पश्चात देखने को मिलता है और विशेष रूप से 1967 के पश्चात। इसके मुख्य कारणो का उल्लेख इस शोध प्रबन्ध मे आगे किया गया है।

हमारे सविधान निर्माताओ मे सामाजिक न्याय एव समता के सिद्धान्त पर आधारित एक समतावादी समाज की स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता थी। वे इस बात के प्रति सचेत थे कि आधुनिक युग मे सामाजिक अध्याय आर्थिक शोषण एव जाति व्यवस्था पर आधारित समाज सभ्य नही हो सकता। अत उन्होने जाति सम्प्रदाय धर्म प्रजाति वश लिग इत्यादि के भेदभाव से रहित सभी भारतीय नागरिको को समानता स्वतत्रता इत्यादि कई मूलाधिकारो एव वयस्क मताधिकार के साथ समाज के दुर्बल वर्गों पिछडी जातियो अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो को विशेष सवैधानिक सरक्षण प्रदान किया है। इस सवैधानिक सरक्षण लोकतान्त्रिकरण शिक्षा के व्यापक प्रसार इत्यादि परिवर्तन के उपकरणो ने सम्मिलित रूप से सदियो से शोषित एव उपेक्षित पिछडी जातियो मे एक नयी चेतना गतिशीलता एव अपने को उन्नत करने की अभिलाषा को जन्म दिया है जिसके फलस्वरूप ये जातिया देश की शासन सत्ता एव आर्थिक विकास के साधनो मे अपने न्यायोचित लाभाश की माग कर रहे है और इस प्रकार देश के

सत्तारूढ शासक वर्ग के अधिकार को चुनौती दे रहे है। पिछले दशक मे गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार मे हुए आरक्षण विरोधी आन्दोलन इस बात के सकेत है कि सत्तारूढ शासक वर्ग बहुत आसानी से अपने अधिकारो मे पिछडी जातियो की भागीदारी को स्वीकार करने को तैयार नही है पिछडी जातियो एव अग्रणी जातियो की इस राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता ने देश की राजनीतिक प्रक्रियाओ मे विभेद एव सघर्ष के नये तत्व सम्मिलित करके उसे एक नया आयाम दिया है जिसके अध्ययन की ओर राजनीतिशास्त्र वेत्ताओ एव समाजशास्त्रियो का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। वास्तव मे पिछडी जातियो का राजनीतिक अभ्युदय उसके प्रति समाज के अग्रणी जातियो की प्रतिक्रिया एव राज्य की शासन नीति एक माध्यम है जिसके द्वारा भारत मे समतावादी समाज स्थापित करने से सम्बन्धित समकालीन विवाद एव उसकी सामाज मे वास्तविकता को समझा जा सकता है।

एक सामाजिक राजनैतिक शक्ति के रूप मे पिछडी जातियो के अभ्युदय के कई आयाम है। अपनी समसत अत शक्ति के बावजूद पिछडी जातिया अभी तक अपरिभाषित एव अनियोजित है। इनके निरूपण के लिए जाति अथवा आर्थिक अवस्था मे किसे आधार बनाया जाये इसको लेकर देश मे एक बडा विवाद छिडा हुआ है जिसमेम प्रशासन न्यायपालिका बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक दल नेता एव सामान्य नागरिक सभी किसी न किसी रूप मे शामिल है परन्तु दुर्भाग्य कि इस सम्बन्ध मे अभी तक कोई मतैक्य स्थापित नही हो पाया है। इसी से जुडा हुआ प्रश्न उन सामाजिक ऐतिहासिक शक्तियो के विश्लेषण करने का है जिसके कारण अतीत मे आज के 'पिछडी जातिया' देश की मुख्य धारा से कटकर अलग हो गये थे, जिससे उनको समझ कर उनका निषेध किया जा सके।

पिछडी जातियो की अत शक्ति एव उनकी राजनीतिक मानसिकता को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि पिछडी जातिया अब किस प्रकार सगठित हो रही है और उनके सगठन का स्वरूप क्या है और उनकी वर्ग चेतना की दिशा क्या है।

इसको समझे बिना न तो पिछडी जातियो की वर्तमान राजनैतिक सवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत रहने के लिए अनुप्रेरित किया जा सकता है और न उन्हे इसके बाहर जाने से अलग ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे देश के राजनैतिक दलो एव उनके नेतृत्व का क्या चिन्तन है और वे क्या कर रहे है यह भी जानना आवश्यक है।

लोकतत्र मे जनता की सार्वभौमिकता को वास्तविकता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण निर्वाचन का है। अपनी जनसख्या के आधार पर पिछडी जातियो मे यह क्षमता है कि वे इस बात का निर्धारण कर सके कि देश का शासन सूत्र किसके हाथो मे रहेगा। दूसरे शब्दो मे देश की राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहारिक परिचालन मे पिछडी जातियो के निर्वाचन व्यवहार की एक अहम भूमिका है। इसीलिए भारत के लोकतत्र मे रूचि रखने वाले सभी लोगो के लिए पिछडी जातियो के मतदान व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है।

इस शोध प्रबन्ध के लिए फैजाबाद जिले का चयन क्यो कियागया इसका सक्षिप्त मे वर्णन करना अति आवश्यक होगा। वैसे तो सम्पूर्ण भारत मे विशेषकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलो मे पिछडी जातिया पायी जाती है परन्तु शोधार्थी के लिए यह सम्भव नही था कि वह सम्पूर्ण भारत या उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ मे पिछडी जातियो की राजनीतिक भूमिका कर सके। इसलिए एक जिले का चयन करना था। अध्ययन के लिए फैजाबाद जिले का ही चयन इसलिए किया गया कि फैजाबाद जिले मे पिछडी जातियो का राजनीतिक उत्थान स्वतत्रता के पूर्व ही हो गया था। यहा के पिछडी जाति के नेताओ ने स्वतत्रता आन्दोलन मे अपना सक्रिय योगदान दिया था। अवध किसान आन्दोलन मे भी इस जिले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वतत्रता पश्चात पिछडी जातियो के कल्याण के लिए जितने भी कार्य हुए या सगठनो का निर्माण किया गया उसमे यहा के नेताओ का बहुत बडा योगदान था जिसका वर्णन आगे शोध प्रबन्ध मे किया गया है। इसके अतिरिक्त महान समाजवादी चिन्तक डा0 राम मनोहर लोहिया इसी जिले के थे जिन्होने न केवल फैजाबाद वरन् सम्पूर्ण भारत मे पिछडी जातियो की भूमिका को

राजनीति मे बढाने का कार्य किया। एक अन्य समाजवादी विचारक आचार्य नरेन्द्र देव भी इसी जिले के रहने वाले पिछडी जातियो का राजनीतिक अभ्युदय 1967 के पश्चात तो पूरे प्रदेश मे देखने को मिलता है परन्तु फैजाबाद मे यह प्रभाव कुछ ज्यादा ही दृष्टिगोचर होता है। अत इन समस्त कारणो ने शोध कार्य के लिए फैजाबाद जिले का चयन करने के लिए प्रेरित किया जिसके कारण इस जिले का चयन शोध कार्य के लिये किया गया।

अन्त मे भारत के राजनीतिक व्यवस्था के परिपालन मे पिछडी जातियो की भूमिका रचनात्मक होगी अथवा ध्वसात्मक सुधारवादी होगी अथवा क्रातिकारी यह बहुत अधिक पिछडी जातियो के अभिजन एव नेतृत्व के चिन्तन पिछडी जातियो के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एव सही दिशा निर्देशन की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। अत भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानो के लिए पिछडी जातियो के अभिजनो एव नेतृत्व के स्वरूप का ज्ञान होना भी आवश्यक है।

पिछडी जातियो के अभ्युदय से सम्बन्धित उपर्युक्त पहलुओ एव प्रश्नो को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य पिछडी जातियो की प्रकृति उसके कारको एव भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सन्दर्भ मे उनके स्वाभाविक परिणामो की विवेचना करना है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पिछडी जातियो से सम्बन्धित राजनीतिक प्रक्रियाओ का अध्ययन है जिसके सूक्ष्म विश्लेषण एव विषय को सीमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का चयन किया गया है जहा पिछडी जातियो का आन्दोलन विकासावस्था मे होने के कारण शोध विषय की दृष्टि से अत्यधिक उपर्युक्त समझा गया।

अध्याय-एक

पिछड़ी जातियों की उत्पत्ति और उनसे सम्बन्धित सवैंधानिक प्रावधान

पिछडी जातियो की उत्पत्ति और उनसे सम्बन्धित प्रावधान

इस अध्याय मे मुख्य रूप से दर्शाया गया है कि भारत मे जाति प्रथा की स्थिति जाति व्यवस्था का स्वरूप जाति शब्द का अर्थ विद्वानो द्वारा जाति व्यवस्था मे दी गयी परिभाषाये, जाति और वर्ग मे अन्तर भारतीय समाज मे वर्ण–व्यवस्था का स्थान और महत्व वर्ण व्यवस्था का गठन तत्व जाति तथा वर्ण मे अन्तर इत्यादि है। इसके अतिरिक्त पिछडी जातियो का निर्धारण किस प्रकार और किन परिस्थितियो मे किया गया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे जातिवाद की भूमिका अत्यत प्राचीनकाल से ही काफी प्रभावशाली रही है। अत इसके सम्बन्ध मे विद्वानो द्वारा समय–समय पर विचार व्यक्त किया जाता रहा है परन्तु यहा सिर्फ उन्ही के विचारो को दृष्टिपात किया गया है जो कि पिछडी जातियो से ही सम्बन्धित है। जैसे–ज्योतिबा फूले डा0 राम मनोहर लोहिया और कर्पुरी ठाकुर। सविधान सभा मे पिछडी जातियो के सन्दर्भ मे हुए वाद विवाद और भारतीय सविधान मे पिछडी जातियो के लिए उपबन्धो को भी रेखाकित किया गया है। 1953 मे पिछडा वर्ग आयोग के निर्णयो को भी सम्मिलित किया गया है। जिसमे यह दिखाया गया है कि किस प्रकार इस आयोग ने पिछडी जातियो का निर्धारण किया। इस प्रकार पिछडी जातियो से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तो का विवरण देने की चेष्टा की गई है।

भारत मे जति प्रथा

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था सस्तारण पर आधारित होती है अर्थात प्रत्येक समाज मे लोगो की सामाजिक स्थिति लोगो की श्रेष्ठता इत्यादि निम्नता पर आधारित होती है। लोग किसी से उच्च तो किसी से निम्न होते है। इस सामाजिक सस्तरण के अन्तर्गत लोगो के कार्य, उनकी सामाजिक भूमिकाये तथा दूसरो की तुलना मे उनकी सामाजिक

स्थिति निर्धारित कर दी जाती है जिसके कारण लोग विभिन्न वर्गो मे बट जाते है–जिनमे समान स्थिति वाले कार्यों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण होता है। भारतीय सामाजिक सगठन की यह मौलिक एव विचित्र विशेषता है कि इसमे सस्तरण के निर्धारण मे आर्थिक एव जातिगत तत्वो की शिक्षा से अधिक महत्व प्राप्त होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो ससार मे कही अन्यत्र देखने को नही मिलती है। यह अपनी तरह की विचित्र सस्था है। भारतीय समाज मे इस व्यवस्था की जडे इतनी गहरी हैं कि इसने भारतीय मुसलमानो इसाइयो तथा अन्य धर्मो के लोगो को भी प्रभावित किया है। प्रारम्भ मे यह इतनी जटिल नही थी जितनी कि आज है। कालान्तर मे जातियो और उपजातियो की सख्या मे वृद्धि के कारण यह और भी जटिल होती गयी।[1] प्रत्येक सामाजिक स्तर मे निषेध प्रतिबन्ध कठोरता एव जटिलताए होती है। कालक्रम से उभरने वाली विभिन्न प्रवृत्तियो ने जाति व्यवस्था को अत्यत विस्तृत किया। परिणामत भारतीय समाज अनगिनत जातियो मे बट गया। जाति व्यवस्था से व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन क्रम बध जाता है। उसकी शिक्षा विवाह खान–पान पारस्परिक सम्बन्ध व्यवसाय इत्यादि जातीय योगदान से ही प्रवर्तित एव स्थिर होती है।[2]

जाति व्यवस्था का स्वरूप

जाति एक ऐसी सस्था है जिसकी उत्पत्ति बडी जटिल है और वह भी इतनी जटिल कि इसे क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रखना होगा अर्थात इसका सामान्यीकरण करके इसे सम्पूर्ण भारत के सन्दर्भ मे परिभाषित नही किया जा सकता। यद्यपि कि ऐसी सामाजिक सस्थाये अन्यत्र भी मिलती है जिनका कोई न कोई जाति से मिलता–जुलता है और कुद सस्थाये तो ऐसी भी है जिनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध जाति से है। तथापि जाति अपने सम्पूर्ण अर्थों मे अर्थात जाति को हम जिस रूप मे भारत मे देखते हैं वह भारत की अपनी वस्तु है। भारत मे जाति व्यवस्था जितनी जटिल सुव्यवस्थित और दृढ

---

1 हिरेन्द्र प्रताप सिह–भारतीय सामाजिक संस्थाये मिश्रा ट्रेडिग कार्पोरेशन वाराणसी वर्षा– 1999 पृष्ठ– 93
2 ओकार नाथ द्विवेदी – भारतीय संस्कृति एव सभ्यता इलाहाबाद वर्ष 1991 पृष्ठ 131

है उसकी मिसाल विश्व के किसी अन्य भाग मेम देखने को नही मिलेगी। यदि यह एक सरल सस्था होती तो इसका विस्तार और अधिक क्षेत्रो मे भी होता।[1] किन्तु चूकि यह एक नितात जटिल सस्था है अत कोई जाति एक सीमित क्षेत्र मे ही मिलती है जिसमे उसके उन सभी तत्वो का एक सुदीर्घ अवधि मे विकास हुआ।[2]

जाति व्यवस्था का स्वरूप

जाति एक ऐसी सस्था है जिसकी उत्पत्ति बडी जटिल है और वह भी इतनी जटिल कि इसे हर इलाके मे सीमित रखना होगा। और इसमे कोई शक नही कि इसी वजह से यह सिर्फ भारत मे मिलती है। यद्यपि ऐसी सामाजिक सस्थाये आयत भी मिलती हैं जिनका कोई न कोई पक्ष जाति से मिलता–जुलता है और कुछ सस्थाये तो ऐसी भी है जिनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध जिस अप मे भारत मे देखते है वह भारत की अपनी वस्तु है भारत मे जाति–व्यवस्था जितनी जटिल सुव्यवस्थित और अढ है उसकी मिसाल विश्व के किसी भी भाग मे नही मिलेगी। यदि यह एक सरल सस्था होती तो इसका विस्तार और अधिक क्षेत्र मे होता। कितु यह नितात एक जटिल सस्था है अत कोई जाति एक सीमित क्षेत्र मे ही मिलती है जिसमे उनके सभी तत्वो का एक सुदीर्ध अवधि मे विकास हुआ। सभवत महतव की बात यह है कि जिन भोगौलिक सीमाओ मे जाति व्यवस्था मिलती है वह ऐसी रही है कि उसने दूसरे भागो से निरतर या आसान–सचार व्यवस्था के मार्ग मे काफी अवरोध पैदा किये है।[3]

'जाति' शब्द का अर्थ

जाति शब्द की व्युत्पत्ति सस्कृति की जन धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ है प्रजाति जन्म अथवा भेद से लिया जाता है। अग्रेजी मे जाति शव्द के लिए

---

1 जे0एच0 हटन (अनुवादक मगल सिह)–भारत में जाति प्रथा मोती लाल बनारसी दास दिल्ली–7 वर्ष 1983 पृ0 45
2 वही पृ0 45 46
3 जे0 एच0 हटन–भारत में जाति प्रथा मोतीलाल बनारसीदास–दिल्ली–7 (वर्ष–1983) पृष्ठ 45,46

काष्ट शव्द का व्यवहार विमा जाता है। यह काष्ट शव्द पूर्तगाली शव्द काष्ट से बना है जिसका अर्थ मस्ल प्रजाति और जन्म है। इसके साथ ही काष्ट को लेटिन शव्द कास्टस से भी व्युत्पन्न माना जाता है। वस्तुत इसका सम्बन्ध प्रजातीय अथवा जन्मगत आधार पर स्थित अवस्था से माना जाता है। आधुनिक समाज शास्त्रियो ने भारतीय जाति व्यवस्था पर विभिन्न दृष्टिकोणो से विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि जन्म से प्रभावित और वर्णगत ढाचे पर आधारित ऐसी प्रथा है जिसमे आवहृता भी है और गतिशीलता भी।[1]

'जाति' की प्रमुख परिभाषाये

हरबर्ट रिजले – जाति परिवारो या परिवारो के समूहो का एक सकलन है जिकसा कि सामान्य नाम है जो एक काल्पानिक पूर्वज मानव या देवता से एक सामान्य वश परम्परा का दावा करते है एक ही परम्परागत व्यवसाय करने पर बल देते है और एक सजातीय समूह के अपने उनके द्वारा मान्य होते है जो अपना मत व्यक्त करने के योग्य होते है। [2]

ई०ब्लण्ट – एक जाति एक अन्तर्विवाही समूह या अन्तर्विवाही समूहो का सकलन है जिसका एक सामान्य नाम है जिसकी सदस्यता वशानुगत है जो अपने सदस्यो पर सामाजिक सहवास के सम्बध मे कुछ प्रतिबध लगाती है, एक सामान्य और परम्परागत पेशे को करती है या सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्यतया एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है। [3]

---

1 डा0 जयशकर मिश्रा –प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास हिन्दी कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली– (वर्ष)–1992 पृष्ठ– 148 149

2 जे0 एच0 हटन–भारत जाति प्रथा मोतीलाल बनारसीदास–दिल्ली–7 वर्ष–1983 पृष्ठ 46

3 हिरेन्द्र प्रताप सिह – भारतीय सामाजिक सस्थायें मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन वाराणसी वर्ष 1999 पृ0 9

एस० बी० केतकर –'जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताये है।

1 जाति की सदस्यता उन व्यक्तियो तक ही सीमित है जो उस जाति के विशेष सदस्यो से पैदा हुए है और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति जाति मे आते है।

2 जिसके सदस्य एक अविछिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिये जाते है।[1]

जाति की उपरोक्त परिभाषाओ के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति मुख्यत जन्म के आधार पर सामाजिक सस्तरण और खण्ड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने–पीले विवाह व्यवसाय और सामाजिक सहवासो के सम्बन्ध मे कुछ या अनेक प्रतिबधो को अपने ऊपर लागू करती है। इस सम्बन्ध मे यह स्मणीय है कि यह व्यवस्था गतिशील है और इसके प्रतिबध भी अतिम नही है। अर्थात् नियम कानून और प्रतिबन्धो मे समय के साथ–साथ परिवर्तन होता आया है।[2]

जाति और वर्ग मे अन्तर

भारत मे इस प्रकार के वर्ग प्राचीनकाल से रहे है। वैदिक काल मे द्विजो का उच्च वर्ग और शूद्रो का निम्न वर्ग था। परवर्तीकाल मे भू–स्वामियो अथवा सामतो और किसानो का तथा श्रेष्ठियो और श्रमिको का ऐसा ही विभिन्न वर्ग था। समपत्तिशाली वर्ग सामतो अथवा श्रेष्ठियो से सम्बधित था और व्यवसाय के माध्यम से अनेक वर्गो का विकास हुआ और इनका सस्तरण विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर निर्भर रहा है।[3]

---

1 एच०एच० रिजले –ट्राइवस एण्ड कास्ट्रस आफ बगाल एथ्नोग्राफिक ग्लासरी कलकत्ता–वर्ष– 1891 पृष्ठ सख्या –47
2 वही पृष्ठ सख्या 48
3 डा० जयशकर मिश्र –प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली– (वर्ष–1992) पृष्ठ– 161

1 जाति जन्म पर आधारित है वर्ग नही। जाति प्रथा मे एक व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होता है जिसमे उसने जन्म लिया है जबकि वर्ग का आधार शिक्षा सम्पत्ति एव व्यवसाय इत्यादि होने के कारण इनमे व्यक्ति जिन्हे प्राप्त कर लेता है उसी के आधार पर उसकी वर्ग सदस्यता का निर्धारण होता है।[1]

2 जाति एक वन्द सस्था है जबकि वर्ग मे खुलापन पाया जाता है। चूकि जाति का आधार जन्म है अतएव उसकी सदस्यता जीवन पर्यन्त होती है जबकि वर्ग का आधार शिक्षा व्यवसाय सम्पत्ति इत्यादि होने के कारण वर्ग बदला जा सकता है।[2]

3 जाति अर्न्तविवाही है वर्ग नही। प्रत्येक जाति मे यह निश्चित नियम होने है कि अपनी ही जाति या उपजाति मे विवाह होगा किन्तु वर्ग व्यवसथा के अन्तर्गत विवाह सम्बन्धी कोई निश्चित नियम नही होता है कि एक वग्र का सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यो के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित नही कर सकता।[3]

4 जाति मे खान–पान पर प्रतिबध है वर्ग मे नही। प्रत्येक जाति के खान–पान सम्बधी नियम होत है। सदस्य यह जानते है कि किन–किन जातियो के यहा कच्चा व पक्का भोजन पानी ग्रहण कर सकते है और किसके यहा नही। पर वर्ग व्यवस्था मे इस प्रकार का कोई स्पष्ट नियम नही होता है। एक वर्ग का सदस्य अपनी इच्छानुसार दूसरे वर्ग के सदस्य के साथ खा और पी सकता है।[4]

5 जाति मे पेशे निश्चित है वर्ग मे नही। जाति प्रथा मे ब्राह्मण को पूजा–पाठ अध्ययन का काम क्षत्रिय को शासन प्रबन्ध वैश्य को व्यापार वाणिज्य तथा शुद्रो का सेवा करने का निर्देश है। परन्तु वर्ग व्यवस्था मे किसी भी वर्ग का कोई

---

1 हिरेन्द्र प्रताप सिह –भारतीय सामाजिक सस्थाये मिश्रा हेडिग कारपॉरेशन वाराणसी वर्ष–1999 पृष्ठ–101
2 वही पृष्ठ–101
3 वही पृष्ठ–101
4 वही पृष्ठ–101 102

निश्चित पेशा नही होता है। सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पेशे को अपना सकते है।[1]

6 जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित होने के कारण बदली नही जा सकती अत जाति व्यवस्था स्थिर सगठन है जबकि वर्ग व्यवसाी समाज की सामाजिक एव राजनीतिक परिस्थितियो के अनुसार बदली जा सकती है। सामन्त दास भू–स्वामी जोतदार पूजीपति श्रमिक इत्यादि के रूप मे समय–समय पर अनेक वर्ग अस्तित्व मे आते रहते है।[2]

7 वर्ग की अपेक्षा जातियो का सस्तरण अधिक निश्चित एव स्पष्ट है। जाति व्यवस्था मे एक जाति से दूसरी जाति के बीज सामाजिक दूरी निश्चित होती। कौन सी जाति किससे या ऊची या नीची है। यह स्पष्ट है। किन्तु वर्ग व्यवस्था मे एक सस्तरण होते हुए भी सस्तरण के नियम कठोर नही है।[3]

भारतीय समाज मे वर्ण व्यवस्था का स्थान और महत्व

वर्ण व्यवस्था भारत मे वर्ग व्यवस्था से पूर्व था और जाति वर्ग व्यवस्था का ही एक अग है।

भारत के सामाजिक इतिहास मे वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है जो सामाजिक विभाजन के रूप मे वैदिक काल से आज तक उत्तर से दक्षिण तक निरतर प्रवाहमान है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय समाज का वर्णो मे विभाजन किया गया था। इसका प्रधान आधार रग भेद अथवा प्रजातीय धारणा ही थी। वैसे आर्यो ने इस विभाजन के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी रखी थी कि कोई भी व्यक्ति कार्य पद्धति रूचि ओर मन स्थिति के अनुसार वर्ण परिवर्तन कर सकता था किन्तु ऐसी परिकल्पना व्यवहार

---

1 हिरेन्द्र प्रताप सिह –भारतीय सामाजिक सस्थाये मिश्रा हेडिग कारपॉरेशन वाराणसी वर्ष–1999 पृष्ठ–102
2 वही पृष्ठ–102
3 वही पृष्ठ–102

मे कम ही थी तथा उत्तर वैदिक काल के परवर्ती युग तक आते–आते वर्ण व्यवस्था का यह लचीलापन समाप्त हो गया और उसमे अत्यधिक कठोरता आ गयी।[1]

वर्ण व्यवस्था का गठन तत्व

वस्तुत वर्ण व्यवस्था जातिगत वर्ग तथा सामाजिक सरचना से सम्बद्ध है जिसमे वर्ण सम्बधी व्यवस्था और धर्म दोनो सम्मिलित है। वर्ण के अर्न्तगत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणो के अनुरूप स्थान मिलता हे। समाज मे व्यक्ति का प्रभाव और महत्व वर्ण के आधार पर निश्चित होता है। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत कर्म का प्रधान स्थान हे तथा प्रतयेक वर्ण का अपना विशिष्ट कर्तव्य है। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक वर्ण की वृतियो के अनुरूप आचार सम्मत गुणात्मक कर्म है जो धर्म सम्मत समाज की विधायक वृत्ति है। इन्हे नियम और कर्तव्य के अन्तर्गत वर्णगत धर्म माना गया जो वर्णो के नैतिक कर्तव्य भी कहे गये वर्णो के कर्तव्य समाज मे वर्ण धर्म के नाम से जाने गये।[2]

वर्ण व्यवस्था मे दो प्रधान तत्व निहित है एक तो भेदपरक ऊँच–नीच की भावना और दूसरे सभी वर्णो के लिए निर्धारित कर्म। इन्ही दो तत्वो को लेकर वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बना।

जाति तथा वर्ण

प्राय जाति और वर्ण इन दो अवधारणाओ को लोग एक समझ लेते है और एकही अर्थ मे इन दोनो का प्रयोग भी करते है परन्तु वास्तव मे ये दोनो अवधारणाये एक दूसरे से भिन्न है। वर्ण शब्द का अर्थ तीन प्रकार से लिया जाता है। **प्रथम**–वरण या चुनाव करना **द्वितीय**–रग **तृतीय**–वृत्तिय के अनुरूप। वह विद्वान जो भारतीय जाति प्रथा की उत्पत्ति मे प्रजातीय सिद्धात को मानते हैं वर्ण शब्द को रग के अर्थ मे ही प्रयोग

---

1 ओंकारनाथ द्विवेदी–भारतीय सस्कृति एव सभ्यता प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद वर्ष–1991 पृष्ठ स0–115
2 डा0 जयशकर मिश्रा–प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष– 1992 पृष्ठ– 50 51

करते है। उत्पत्ति की दृष्टि से वर्ण शब्द वृ वरण या वरी धातु से बना है जिसका अर्थ है वरण या चुनाव करना। सावय दर्शन मे वर्ण शब्द को एक विशेष प्रकार के रग से सम्बन्धित कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ण का एक विशेष रग माना गया है।[1]

अत कहा जा सकता है कि वर्ण व्यस्था सामाजिक स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अन्तर्गत समाज का चारो वर्गों के रूप मे कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहा गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एव सामाजिक दायित्वो से है अत वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यों व कर्तव्यो को विभिन्न समूहो मे विभाजित करने की वह व्यवस्था है जिसका आधार प्राकृतिक स्वभाव व गुण है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की सामाजिक व्यवस्था का ही दूसरा नाम है।[2]

पिछडी जातियो का निर्धारण

साधारणत पिछडे हुए वर्गो शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो एव अन्य पिछडे हुए वर्गो सबके लिए किया जाता है किन्तु अनुसूचित जनजातियो एव अनुसूचित जातियो की अलग से सूची रहने के कारण अन्य पिछडे वर्गो का तात्पर्य सामान्यतया पिछडी जातियो से ही लिया जाता है।[3]

चूकि सविधान मे पिछडी जातियो के नाम से कोई सवैधानिक उपबन्ध नही किया गया है और यह पिछडी जातिया सामान्यता पिछडे वर्ग के अतर्गत ही वर्गीकृत और परिभाषित की जाती है अत पिछडा वर्ग कब अस्तित्व मे आता है और इसको वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने मे क्या–क्या परेशानिया उठानी पडी उसका यहा वर्णन करना अनिवार्य होगा।

---

1 हिरेन्द्र प्रताप सिह–भारतीय सामाजिक सस्थाये मिश्रा ट्रेडिग कारपोरेशन वाराणसी वर्ष 1999 पृष्ठ 27

2 डा0 जयशकर मिश्र–प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली वर्ष–1992 पृष्ठ–50–51

3 उत्तर–प्रदेश शासना देश सख्या 13 14/XX 11/–781–1959 दिनाक 17 दिसम्बर 1958 (उत्तर प्रदेश सरकार)

पिछडे वर्ग शब्द को सविधान मे परिभाषित नही किया है। इसलिए इसके अर्थ के सम्बन्ध मे अत्यधिक सम्भ्राति है। सवैधानिक प्रलेखो मे इस शब्द का प्रयोग मताधिकार समिति साउथवरो के कार्यक्षेत्र के विवरण मे पाते है जिसमे समिति को साम्प्रदायिक निर्वाचन के आधार पर पिछडे हुए वर्गों को मताधिकार देने और इन समुदायो को परिषदो मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके इसके सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए कहा गया था। 22 फरवरी 1919 को साउथवरो समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे उसने नामाकन को विधि द्वारा दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की सस्तुति की। साउथवरो समिति का यह प्रतिवेदन लार्ड चेम्सफोर्ड समिति को प्रस्तुत किया गया जिसने भारत सचिव को दलित वर्गों के लिए कुछ सीटे आरक्षित करने का सुझाव दिया।[1]

मताधिकार समिति की सस्तुतियो एव सरकार की घोषित नीति के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1919 का प्रारूप तैयार किया गया। इस विधेयक को लार्ड सभा एव कामन सभा के सयुक्त समिति को विचारार्थ भेजा गया। सयुक्त समिति ने न केवल मताधिकार समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया वरन कौसिल और सरकारी सेवाओ मे दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को और बढाए जाने का भी सुझाव दिया। साथ ही सयुक्त समिति ने दलित वर्गों एव पिछडे वर्गों के शैक्षणिक प्रगति पर भी बल दिया।[2]

इसके पश्चात् भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होकर लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमो मे सम्राट ने प्रान्तो के राज्यपालो को उन वर्गों के सामाजिक कलयाण पर विशेष ध्यान की बात कही जो अपनी सख्या की या शैक्षणिक या भौतिक लाभो की कमी या अन्य किसी कारण सरकार द्वारा दी गयी सुरक्षा पर निर्भर है और जो अपने कल्याण के लिए सामूहिक राजनैतिक क्रियाओ पर पूरी तरह निर्भर नही रह सकते है।[3]

---

1 एल0जी0 हैनूवर–कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट भाग–1 1975 पृ0–56
2 भारत सरकार का 1919 का एक्ट–पृष्ठ–57
3 वही पृ0 57

इस निर्देश के अनुसार प्रान्तीय राज्यपालो ने अपने–अपने प्रान्त मे पिछडे वर्गों की सूची तैयार करवाई जिनके तीन भाग थे। प्रथम भाग मे जिन जातियो जनजातियो एव समूहो का नाम शामिल किया गया था उन्हे दलित वर्गों द्वितीय भाग मे शामिल जनजातियो एव प्रजातियो को आदिवासी जनजातियो एव तीसरे भाग मे उल्लिखित जातियो जनजातियो एव समूहो को अन्य पिछडे हुए समुदायो का नाम दिया गया था।[1] इस प्रकार 1919 मे भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के साथ दलित वर्गों और पिछडे वर्गों शब्द को सरकारी एव सवैधानिक मान्यता मिली। इस प्रकार पिछडी जातिया भी स्पष्ट रूप से 1919 मे परिभाषित की गई।[2]

प्रान्तीय स्तर पर पिछडे हुए वर्ग शब्द को प्रयोग 1919 से भी पहले किया जाने लगा था। मद्रास प्रेसीडेन्सी मे लार्ड हावार्ट के गवर्नर काल (मई 1872 से अप्रैल 1875) मे मुस्लिम लोगो के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया था क्योकि सरकारी आकडो के अनुसार हिन्दुओ की तुलना मे मुसलमान शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए थे और उच्चतर सेवाओ मे उनका प्रतिनिधित्व कम था।[3] 19वी शताब्दी के अन्तिम वर्षों मे पिछडे हुए वर्गों मे मुसलमानो के अतिरिक्त वे भी समुदाय शामिल कर लिए गए जो सामान्य रूप से अशिक्षित एव दीन थे जिसके कारण प्राथमिक पाठशालाओ मे पढने वाले इस वर्ग के विद्यार्थियो को सरकारी अनुदान की आवश्यकता थी। शिक्षा विभाग के निर्देश को यह अधिकार दिया गया था कि वे पिछडे हुए वर्गों की सूची मे शामिल जातियो के समकक्ष व्यवसाय या पेशा करने वाली अन्य जातियो को भी इस सूची मे शामिल कर सकते थे। परिणाम स्वरूप पिछडे हुए वर्गों की सूची जिसमे 1895 मे केवल 39 जातिया शामिल थी बढकर 1913 मे 113 और 1920 मे 128 तक पहुच गयी थी।[4]

---

1 वही पृ0 57
2 एल0जी0 हैनूवर पृ0 57
3 एस0 सरस्वती–मद्रास राज्य में अल्प सख्यक प्रकाशक–इम्पेक्स इण्डिया–दिल्ली–1974 पृ0 107
4 वही पृ0 108–109

इसी मध्य 1916 मे गैर ब्राह्मण मेनीफेस्टो के प्रकाशन के साथ इस प्रेसीडेन्सी मे गैर ब्राह्मण आदोलन का जन्म हुआ। गैर ब्राह्मणो मे ब्राह्मण के अतिरिक्त इस प्रात के सभी समुदाय शामिल थे। इस आदोलन के फलस्वरूप 1920 के निर्वाचन के पश्चात गैर ब्राह्मणो का राजनैतिक दल जस्टिस पार्टी सत्तारूढ हुई। जस्टिस पार्टी के शासन मे वही जातिया लाभान्वित हुयी जो गैर ब्राह्मण समुदाय मे अग्रणी थे।[1] फलस्वरूप गैर ब्राह्मणो मे शामिल अन्य जातियो एव समुदायो मे असतोष फैल गया और उन्होने अपने हितो की रक्षा के लिए 1933 मे बैकवर्ड क्लासेज लीग की स्थापना की।[2] तत्पश्चात् राजनैतिक क्षेत्रो मे पिछडे हुए वर्ग शब्द का प्रयोग उन जातियो/समुदायो के लिए किया जाने लगा जो कि न केवल ब्राह्मणो से वरन् गैर ब्राह्मणो मे भी शेष की अपेक्षा पिछडे थे। पिछडे हुए गैर ब्राह्मणो ने सार्वजनिक सेवाओ मे अपने लिए नियताश निर्धारित किए जाने की माग की जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1947 मे प्रत्येक 14 सीटो मे 2 सीटे पिछडे हुए गैर ब्राह्मणो के लिए निर्धारित की गई और इस उद्देश्य से 165 जातियो/समुदायो की एक हिन्दू गैर ब्राह्मण पिछडे वर्गों की सूची बनायी गयी।[3]

मैसूर रियासत मे मैसूर के राजा ने 1918 मे राज्य के मुख्य न्यायाधीश लेसली मिलर की अध्यक्षता मे एक समिति बनाई जिसकी सस्तुतियो के अनुसार 1921 मे मैसूर रियासत मे पिछडे हुए वर्गों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधाए देने का आदेश दिया। पिछडे हुए वर्गों के अन्तर्गत ब्राह्मणो एग्लो इण्डियन एव यूरोपियन के अतिरिक्त सभी समुदाय शामिल माने गये थे।[4]

मैसूर के रियासत के समान बम्बई प्रेसीडेसी मे भी एक सरकारी प्रस्ताव मे ब्राह्मणो प्रभु मारवाडी, पारसी बनिया और इसाइयो के अतिरिक्त अन्य सभी के पिछडे

---

1 वही पृ0–118–119
2 वही पृ0–119
3 वही पृ0–119–124
4 एल0जी0 हैनूवर–पृ0 58

हुए वर्ग घोषित किया गया था और उन्हे सरकारी सेवाओ मे आरक्षण प्रदान किया गया था।[1]

1930 मे स्टार्ट समिति बम्बई ने सुझाव दिया कि अछूत जातियो के लिए दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए और पिछडे हुए वर्ग शब्द का प्रयोग इससे व्यापक समूह के लिए होना चाहिए जिसमे दलित वर्गों के अतिरिक्त पहाडद्यी जनजातिया, आदिम जनजातिया खाना बदोस जातिया तथा अन्य पिछडे हुए वर्ग शामिल होने चाहिए।[2]

1920 मे यूनाइटेड प्राविन्सेज डिप्रेस्ड क्लासेज लीग का नाम बदलकर उसके स्थान पर यूनाइटेड प्राविन्सेज हिन्दू बैकवर्ड क्लासेज लीग की स्थापना हुयी क्योकि पिछडी हुयी परन्तु गैर अछूत हिन्दू जातियो के लोग डिप्रेस्ड क्लासेज लीग मे शामिल होने मे हिचकिचा रहे थे। बैकवर्ड क्लासेज लीग के एक सस्थापक और यूनाइटेड प्राविन्सेज के एक प्रमुख पिछडे वर्गों के कार्यकर्ता शिवदयाल चौरसिया के अनुसार इनजातियो के लोग यह समझ रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लासेज लीग मे शामिल होने से वह चमार हो जाएगे। इस लीग ने साइमन कमीशन को एक स्मृति पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमे उसने सभी पिछडी हुयी हिन्दू जातियो के लिए हिन्दू पिछडे हुए शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था।[3]

पिछडी हुयी परन्तु गैर अछूत हिन्दू जातियो के लोग डिप्रेस्ट क्लासेज लीग मे शामिल होने मे हिचकिचा रहे थे। बैकवर्ड क्लासेज लीग के एक सस्थापक और यूनाइटेड प्राविन्सेज के एक प्रमुख पिछडे वर्गों के कार्यकर्ता शिवदयाल चौरसिया के अनुसार इन जातियो के लोग यह समझ रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लासेज लीग मे शामिल होने से वह चमार हो जायेगे। इस लीग ने साइमन कमीशन को एक स्मृति पत्र भी

---

1 बाम्बे सरकार के वित्त विभाग का प्रस्ताव 10 2610 5 फरवरी 1925 आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नयी दिल्ली 1984 पृ0 156

2 स्टार्ट समिति का प्रतिवेदन बाम्बे 1930 मार्क ग्लेन्टर पृ0 157

3 वही पृ0 157

प्रस्तुत किया था जिसमे उसने सभी पिछडी हुयी हिन्दू जातियो के लिए हिन्दु पिछडे हुए शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था।[1]

ट्रावनकोर रियासत मे 1937 मे दायित्व वर्ग मे शब्द के स्थान मे पिछडे हुए समुदाय शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गत उन सभी जातियो/समुदायो को शामिल किया गया जो कि शैक्षणिक एव आर्थिक दृष्टि से पिछडी हुयी थी।[2]

जाति व्यवस्था पर विद्वानो के महत्वपूर्ण विचार

जाति व्यवस्था प्राचीनकाल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है। अत विद्वानो द्वारा समय–समय पर विचार व्यक्त किया जाता रहा है परन्तु आधुनिक भारत मे जाति व्यवस्था की विसगताओ पर विद्वानो द्वारा तीव्र रोष प्रकट किया गया। आधुनिक भारत के जनक राजाराम मोहन राय से लेकर आज तक इस पर विचार व्यक्त किया जा रहा है। परन्तु यहा उन्ही विद्वानो के विचारो का अध्ययन किया जा रहा है जिसका पिछडी जातियो के ऊपर गहरा प्रभाव पडा है। दयानन्द सरस्वती विवेकानन्द बाल गगाधर तिलक महात्मा गाधी ज्योतिबा फूले भीम राव अम्बेडकर डा0 राम मनोहर लोहिया और कर्पुरी ठाकुर द्वारा इस व्यवस्था पर प्रमुख रूप से अपना दृष्टिकोण रखा गया है परन्तु यहा पर केवल ज्योतिबा फूले डा0 लोहिया और कर्पुरी ठाकुर के विचारो का ही वर्णन किया जा रहा है।

ज्योतिबा फूले का जाति व्यवस्था पर विचार

ज्योतिबा फूले के विचारो का अध्याय दो मे वर्णन किया गया है अत यहा पर अत्यत सक्षिप्त ढग से उसका उल्लेख किया जा रहा है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र मे एक पिछडी जाति परिवार मे पैदा हुये थे और निरतर जाति व्यवस्था की विषमताओ के प्रति सघर्ष करते रहे। उनका मानना था कि भारत मे जाति प्रथा की बुराइयो को जब तक

---

1 वही पृ0 157
2 स्टार्टे समिति का प्रतिवेदन–बाम्बे–1930 मार्क ग्लेन्टर पृ0 158

दूर नही किया जाता तब तक भारत का सर्वांगीण विकास नही हो सकता है। उनके ऊपर जाति व्यवस्था के दोषो का गहरा असर पडा था। ऊची जाति के विरोध के कारण ही वह अपने पैतृक घर से पत्नी सहित इसलिए निकाल दिये गये थे क्योकि वह निम्नजातियो और स्त्रियो के लिए पाठशाला चला रहे थे। उन्होने काग्रेस का भी इस आधार पर विरोध किया कि वह तब तक राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का अधिकार नही रखती है जब तक कि वह निम्न और पिछडी जातियो की ओर ध्यान नही देती।[1]

डा० राम मनोहर लोहिया का जाति व्यवस्था पर विचार डा0 राममनोहर लोहिया वर्ग सघर्ष को उतना महत्व नही देते थे जितना कि वह जातिवाद को भारतीय समाज के विकास मे सबसे बडा बाधक मानते थे। जातिवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण विश्लेषात्मक है। उनके अनुसारमूल समस्या तो जाति की है और जाति उन्मूलन की बात इतनी आसान नही है। जाति' और वर्ग के परस्पर सम्बन्धो की चर्चा करते हुए उन्होने स्पष्ट सिद्ध किया कि कैसे वर्ग का अजस्तरण जाति मे और जाति का अजस्तरण वर्ग मे होता है।[2]

डा0 लोहिया ने जातियो को एक आकाक्षाहीन और जड वर्ग माना है। यह जातिया हजारो वर्षों से विकृत धर्मान्तरण के आधार पर अन्धी यथास्थितिवादी परम्परा और वश कुल की श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर विभिन्न श्रेणियो मे विभक्त है। यही श्रेणिया ऊची नीची मध्यम अन्त्यज के माप मे जातिया बन गयी है। भारत की सारी वर्ग चेतना जाति चेतना बन जाती है। सिद्धात इन जातियो को पुन वर्ग मे बदल जाना चाहिए किन्तु नितात उपेक्षित होने पर भी जाति वर्ग के रूप मे बदल ही नही पाती। डा0 लोहिया भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे जड जाति–चेतना को वर्ग मे बदलना चाहते है। अर्थात यदि जाति व्यवस्था मे किसी प्रकार की आर्थिक और राजनैतिक आकाक्षा भर दी

---

1 बी0एल0 ग्रोवर व यशपाल–आधुनिक भारत का इतिहास एस0चन्द्र एण्ड क0 लि0 नयी दिल्ली 1995 पृ0 400

2 लक्ष्मीकात वर्मा–समाजवादी दर्शन और डा0 लोहिया पृ0 78–79 प्रकाशक निदेशक सूचना एव जनसपर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

जाए और वह उसके तहत गतिशील हो जाए तो यह वर्ग का रूप ले लेगी। इसी प्रकार जब किसी भी देश और जाति के कुछ सक्रिय वर्गो को निष्क्रिय बनाकर मुख्य धारा से वचित कर दिया जाता है तो वह देश या वर्ग अछूत के समान हो जाता है। यह अछूतपन ही धीरे–धीरे जाति का रूप ले लेता है। इन नयी प्रकार की जातियो मे वर्ग की चेतना समाप्त हो जाती है और निरतर आर्थिक ठहराव और अवसर के अभाव मे यह जाति का रूप ले लेती है। जाति वर्ग और अछूतपन तीनो जब जडता की प्रक्रिया मे निरतर रह लेती है तो वे उस समाज को भी जड बना देती हे। इन्ही आधारो पर डा0 लोहिया ने भारतीय समाज का विश्लेषण किया है।[1]

डा0 लोहिया का यह दृढ मत था कि भारतीय जाति व्यवस्था केवल वर्णाश्रम से नही बनी है। उसके पीछे ऐतिहासिक गति की वबुता भी है। इसलिए केवल वर्ग उन्मूलन का नारा देने से जाति वर्ग मे नही बदलेगी। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय समाज की सरचना मे इन अर्न्त विरोधो का विश्लेषण किया जाए और वर्ग उन्मूलन के पहले जातिगत– सामाजिक जकडव–दियो को तोडा जाए। डा0 लोहिया के अनुसार जाति प्रथा हर उस समाज मे विकसित हो सकती है जिसमे राजनैतिक पार्टी, व्यवस्थापरक वर्ग और पेशेवर–वर्ग सबके सब सुद्धिण–पूर्ण निश्चित होते है और अपनी श्रेष्ठता के बल पर शेष जनता को उनकी अपनी श्रेणियो से निकलकर आगे–आगे पर रोक लगा देते है।[2]

डा0 लोहिया ने जाति प्रथा के विरूद्ध पूरा राजनेतिक अभियान प्रारम्भ किया। वर्ग उन्मूलन के सन्दर्भ मे उन्होने जाति–प्रथा की जो व्याख्या प्रस्तुत की उसमे जाति प्रथा की जकडबन्दी नष्ट करने के लिए समता और राजनैतिक अधिकार को प्रथम स्थान दिया। उन्होने स्पष्ट कहा कि वह जाति व्यवस्था मे केवल सुधार नही चाहते वह इसका विनाश चाहते है। इस विनाश के लिए वह एक सामाजिक उथल–पुथल एक क्राति

---

1 वही– पृष्ठ–79–80
2 वही– पृष्ठ–80–81

लाना चाहते है ताकि देश की 90 प्रतिशत जनता (इसमे हरिजन शूद्र भगी पिछडे वर्ग के लोग मुसलमान औरते शामिल है) राजनीति मे अधिकारिक रूप से खुलकर भाग ले सके। लोहिया जी सुधार के समर्थक होते हुए सुधार और अधिकार की लडाई मे भेद करते थे। सुधार से अधिकार की लडाई को ज्यादा महत्व देते थे। वैचारिक स्तर पर डा0 लोहिया की यह निश्चित धारणा थी कि जाति–प्रथा को समाप्त करने के लिए गरीबी हटाना आवश्यक है 'और गरीबी हटाने के लिए जाति प्रथा को तोडना आवश्यक है क्योकि जाति प्रथा और गरीबी दोनो एक दूसरे को पनपाते हे और बढाते है। जाति प्रथा है तो समाज का बहुत बडा हिस्सा गरीब रहेगा और यदि गरीबी रहती है तो किसी न किसी रूप मे जाति व्यवस्था भी रहेगी। उनका यह विश्वास था कि जाति प्रथा परिवर्तन के विरूद्ध तो है ही साथ ही साथ यह जडता की भी पोषक है। भारतीय जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गाधी तक ने प्रयत्न किए किन्तु उसको विनष्ट नही कर सके क्योकि धर्म के आडम्बर मे जाति प्रथा गरीबी और रूढिवादिता पनपते है। धर्म के द्वारा भी इसको मिटाना कठिन है। सामाजिक विषमताए इसी जाति प्रथा और जातिवाद से पैदा होती है। इसलिए धार्मिक और वैचारिक स्तर पर जहा डा0 लोलिया जाति प्रथा पर एक नए प्रकार का शास्त्रार्थ चलाना चाहते थे वही सामाजिक स्तर पर व्यवहार मे कुछ नया कार्यक्रम भी देना चाहते थे। दर्शन के स्तर पर जातिवाद पर बहस करते रहिए पर कर्म के स्तर पर जाति प्रथा को तोडिए उन्होने जाति–तोडो आदोलन का आरम्भ इसी दृष्टि से किया था। व्यवहार और कार्य के स्तर पर जब जाति–तोडो आदोलन चलता रहेगा तो एकेडेमिक बहस के स्तर पर जातिवाद अपने आप टूटने लगेगा।[1]

जाति प्रथा का प्रभाव राजनैतिक जीवन पर कितना गहरा है इसका भी उन्होने गहरा विश्लेषण किया था। उनके अनुसार देश के राजनैतिक आदोलन मे समाज का एक बडा भाग न तो आगे आ पाता है और न ही खुलकर हिस्सा ले पाता। वह इस बात पर दुखी होते थे कि यह 90 प्रतिशत लोग इतने डरे और सहमे रहते है कि यह खुलकर किसी भी प्रकार का आत्म निर्णय नही ले पाते। वह इस बात से भी दुखी थे

---

1 वही पृ0 83 84 85

कि यह वर्ग इतना भयभीत और आतकित रहता है कि इस सारे राजनैतिक अधिकार दे भी दिए जाए तो भी वह उनका स्वतत्र प्रयोग करने मे असमर्थ रहता है। डॉ0 लोहिया की मूल समस्या यह थी कि यह 90 प्रतिशत अपने राजनीतिक अधिकारो का दुरूपयोग कैसे करे। कैसे इस जन समूह का प्रतिनिधित्व देश के राजनैतिक सस्थानो मे हो। इनके मौन पगु और भयग्रस्त होने से देश की राजनीति मे विषमता फैल रही है देश के 10 प्रतिशत सम्पन्न वर्ग का कब्जा समस्त आर्थिक एव राजनीतिक सस्थानो पर निरतर बढता जा रहा है और शेष 90 प्रतिशत दबा सहमा डरा जीवन व्यतीत कर रहा है।[1]

डा0 लोहिया ने इतने बडे जनसमूह को भयमुक्त कराने के लिए विशेष अवसर का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। उनका मत था कि जहा–जहा राजनैतिक अधिकारो का प्रयोग होता है वहा–वहा समानता के अधिकार को त्याग कर इन पिछडे वर्गों को विशेष अवसर देना चाहिए उनकी कल्पना थी कि लोकसभा और विधानसभाओ मे इस विशेष अवसर के सहारे दि हरिजन मुसलमान पिछडी जातिया आदिवासी और औरते पहुच जाएगी तो इन सस्थानो का चरित्र बदल जाएगा। इसी के साथ वह वयस्क मताधिकार के समर्थक थे। वह इस अधिकार के लिए 25 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष तक लाने के समर्थक थे जो 61वे सवैधानिक सशोधन द्वारा 1959 मे कर भी दिया गया। वयस्क मत के प्रयोग करने के लिए वह सभी राजनीतिक पार्टियो को विशेष रूप से शिक्षित करना चाहते थे। इसी के साथ वह चाहते थे हर क्षेत्र मे प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। इन तीनो सिद्धातो को ईमानदारी से लागू किए जाने से इस वर्ग मे आत्म विश्वास आ जाएगा। धीरे–धीरे इनकी जडता राजनीतिक जागरूकता मे बदलेगी। छाई हुयी गहरी निराशा और आतक का विनाश होगा। वह वर्तमान राजनैतिक स्थिति मे जो लाभ ऊची जाति वाले उठाते है उसका मूल कारण यह बताते है कि पिछडा और उपेक्षित वर्ग अपने अधिकार का प्रयोग नही कर पा रहा है। आज राजनीति मे जो परिवर्तन आया है। वह डा0 साहब के इसी आदोलन का परिणाम है। काफी हद तक आज यह वर्ग जागरूक हो गया है। इसी का परिणाम है कि आज मतदान के समय उच्च वर्ग के लोग हर तरह से इस बात का प्रयत्न करते है कि यह वर्ग घर से बाहर

---

1 वही पृ0 87

मतदान करने के लिए घर से बाहर निकल ही न पाए और भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था मे प्राय इस तरह की बाते सुनाई देती रहती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अब मतदान की व्यवस्था इनकी बस्तियो मे ही करने लगा है।[1]

परन्तु डा0 लोहिया कहते है कि यह राजनैतिक सघर्ष यही नही समाप्त होगा। मान लीजिए विशेष अवसर का सिद्धान्त चुनाव के स्तर पर मान लिया जाए तो इससे पूरी बात नही होगी। यह तो तभी सम्पूर्ण क्राति मे सहायक होगी जब विशेष अवसर और आरक्षण सरक्षण के प्रयोग नौकरियो और शिक्षा सस्थानो मे लागू हो। हजारो वर्षों से पिछडा कहा जाने वाला वर्ग जब शिक्षित होकर जब लोक सभाओ और विधानसभाओ मे आत्म विश्वास के साथ पहुचेगा तब परिवर्तन की कुछ झलक मिलेगी उस समय हमारे सस्थानो की तस्वीर दूसरी होगी।[2]

जाति व्यवस्था के सम्बन्ध मे कर्पूरी ठाकुर के विचार

एक समाजवादी होने के कारण कर्पूरी ठाकुर ने जाति प्रथा का सदैव विरोध किया लेकिन यह भी सत्य है कि उन्होने राजनैतिक बाध्यता के कारण प्रारम्भ मे इसे अधिक प्रसारित नही किया। उच्च जाति के लोगो ने ही उन्हे राजनीति मे अपना समर्थन देकर आगे बढाया तथा उनका हर प्रकार से समर्थन किया। लेकिन कुछ लोगो का यह मानना है कि डा0 लोहिया के निकट आने एव स0सो0पा0 बनने के बाद उनमे जातिय भावना बढी। रामानन्द तिवारी और उनके मध्य बढने वाले मतभेद का एक मुख्य कारण यह भी था। 1967 मे मत्रिमण्डल के निर्माण मे भी पार्टी के कुछ अन्दरूनी लोगो का मानना था कि कर्पूरी ठाकुर ने कम ही सही लेकिन जातिगत भावना के आधार पर काम किया। वस्तुत वह अपने आप को उत्तर भारत का अन्नादुराई बनाना चाहते थे। जाति प्रथा के प्रति उनके मन मे एक प्रकार से विद्रोह की भावना थी लेकिन उनकी राजनीतिक सूझ–बूझ तथा पद पाने की अभिलाषा ने इस कट्टरता को कम किया। एक बार जब वह मुख्यमत्री थे, कुछ लोगो ने जो शायद उच्च वर्ग के थे उनके खिलाफ नारे

---

1 वही पृ0 88
2 वही पृ0 88

लगाने प्रारम्भ किये और कुछ गालिया भी दी। इस पर जब पुलिस के लोगो ने उनके पक्ष मे हस्तक्षेप करना चाहा तब उन्होने जो कहा वह काफी महत्वपूर्ण है। उनके कथनानुसार गाली सुनना हमारे जैसे छोटे कौम के लोगो को बचपन से आदत है ये लोग वश परम्परागत गाली देना सीखते आए है जिससे गाली देने की आदत इन्हे है। [1]

जाति प्रथा और वर्ग को खत्म करने के सवाल पर उनका विचार था कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हम अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देगे। जाति प्रथा को तोडना आसान नही है जबकि जाति–प्रथा को तोडने की चर्चा बडी आसानी से की जाती है। हमने अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए नौकरियो मे बहाल करने और आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था की है।[2]

इस प्रकार गाधी की सामाजिक चितनधारा स्पष्ट रूप से कर्पूरी ठाकुर को प्रभावित करती है। गाधी विषमता का मूल कारण सामाजिक पहलू को ही पहले मानते थे आर्थिक को बाद मे। आजाद भारत मे जो समाजवादी चितनी की प्रक्रिया चली उसमे अधिकाश लोगो का ध्यान आर्थिक पहलू पर ही गया सामाजिक पर कम। सामाजिक देयता के लिए आर्थिक विषमता को ही मूल कारण मानते थे। फलस्वरूप उनके चितन का अधिकाश हिस्सा आर्थिक वैषम्य की स्थिति को न्यूनतम करने पर केन्द्रित रही। इस चिन्तन के प्रतिफल इन समाजवादी चितको को भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मूल मे अर्न्तनिहित जो सामाजिक विषमता पर आधारित हिरि–रिचल चेन पर जिस जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ और जिसके कारण पूरी आर्थिक प्रक्रिया मे एक जडता आ गयी। उस जडता के परिणाम स्वरूप जिस आतरिक उपनिवेशवाद का निर्माण हुआ सभवत वही भारतीय जाति व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुई। इसकी तरफ इन चितको का ध्यान नही जा सका और वे इसी प्रक्रिया मे गाधी के हरिजन–उद्धार' का आदोलन और सम्पूर्ण समाज को राजनीति तौर पर चैतन्य बनाने के लिए जिस अनशन रूपी हथियार का इस्तेमाल किया वह भी उन्हे नही भाया। परन्तु इन समाजवादी नेताओ के

---

1 दिनमान–9–15 अप्रैल 1978 पृ0–22 हिन्दुस्तान टाइम्स सण्डे मैग्जीन नई दिल्ली मार्च 20 1988 पृ0–6 हवलदार त्रिपाठी सहृदय 'कर्पूरी ठाकुर एक अधूरा वर्ण चित्र' अभिनदन पृ0 60

2 दिनमान 9–15 अप्रैल 1978 पृ0 22

चितन धारा से हटकर भी समाजवादी आदोलन मे एक निरतर प्रवाहमान और समानान्तर धारा भी चल रही थी जिसकी असफल अगुवायी डा0 राम मनोहर लोलिया और कर्पूरी ठाकुर ने किया। कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत चितन के आधार पर समाज के एक बडे वर्ग मे लोहिया के साथ कर्पूरी ठाकुर ने उनका साथ दिया। राजनीतिक चेतना जगाकर कर्पूरी ठाकुर ने उस धारा मे एक सकारात्मक रास्ता दिखाया। उत्तर प्रदेश मे जातिगत विषमता की जउत्र? इतनी गहरी है कि उन्हे उखाड फेकना इतना आसान नही होगा। उत्तर प्रदेश मे जातिवाद का नाम सुनते ही सिहरन होती है। इसकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारण रहा है। उत्तर प्रदेश मे ही नही वरन सभी हिन्दी प्रदेशो मे पिछले आठ सौ वर्षों से सामन्तवाद हाबी है। मुगलशासन मे यह सामतवाद मजबूत ही हुआ था। आजादी के बाद भी इस सामतवादी जकडन को दूर करने का प्रयत्न नही किया गया। देश की राजनीति पर हिन्दी प्रदेशो के नेता तो हाबी रहे परन्तु उन्होने अपने प्रदेशो के लोगो को शैक्षिक रूप से जानबूझकर पिछडा ही रखा। पिछडा रखने मे उनका निहित स्वार्थ था। उ0प्र0 बिहार के बाद आर्थिक रूप से सबसे पिछडा प्रदेश है देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ उत्तर प्रदेश का सापेक्षिक पिछडापन बढता गया। यहा की तीन चौथाई आबादी अभी भी कृषि पर आधारित है। सेवा क्षेत्र का विकास पिछडेपन की इस अवस्था मे बहुत अधिक हुआ है। समाज के कमजोर वर्ग के लोग सामाजिक सरप्लस के मुख्य उत्पादक है लेकिन इसके बावजूद वह आर्थिक एव सामाजिक अन्याय के शिकार है। सामाजिक उत्पादन का तीन चौथाइ ऊपरी वर्गों के लोगो के पास चला जाता है और बाकी बचा एक चौथाई उन लोगो के पास रह जाता है जो वास्तव मे उत्पादक है। जिस प्रकार विकसित और विकासशील देशो मे उत्तर तथा दक्षिण की विषमता है ठीक उसी तरह यहा भी उत्तर दक्षिण विभाजन है। सरचना ऐसी है कि लोगो की ऊपर की ओर गति बहुत सीमित है। ऐसी सरचना द्वारा स्थापित सम्बन्ध सामाजिक हिसा का माहौल तैयार करते है जो आज के उत्तर प्रदेश मे देखने को मिलता है।[1]

---

1 मधुलिमा में स्वतत्रता आदोलन की विचार धारा प्रकाशक–पलवन प्रकाश दिल्ली 1983 पृ0 143–144

पिछडी जातियो के सम्बन्ध मे सवैधानिक प्रावधान

सविधान सभा मे विचार

जब सविधान सभा ने अपना कार्य प्रारम्भ किया तो पिछडे हुए वर्ग और पिछडी हुयी जातिया शब्दो का काफी प्रचलन हो चुका था यद्यपि कि उसका अभी भी कोई निश्चित अर्थ नही बन पाया था। सामान्यतया यह शब्द दो अर्थों मे प्रयुक्त किया जाता था। व्यापक अर्थ मे पिछडे हुए वर्गो के अन्तर्गत दलित वर्ग अनुसूचित जनजातियो और अन्य सभी पिछडे हुए हिन्दू समुदाय शामिल समझे जाते थे। सीमित अर्थ मे पिछडे हुए वर्गों का तात्पर्य उन हिन्दू पिछडी हुयी जातियो से था जो स्पर्श योग्य होने के कारण दलित वर्गों से उच्च स्तर की समझी जाती थी। दलित वर्गों से इनकी भिन्नता स्थापित करने के लिए इन्हे अन्य पिछडे हुए वर्ग भी कहा जाता था।[1]

इस पृष्ठभूमि मे जब भारत के सविधान निर्माताओ ने सविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया तो उनके सामने दो मुख्य प्रश्न थे। एक तरफ वह भारत मे सदियो से व्याप्त असमानता का अन्त करके जाति प्रजाति धर्म लिग आदि के भेदभाव से मुक्त समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे दूसरी तरफ वह इस बात के लिए भी सचेत थे कि भारतीय समाज मे एक ऐसा वर्ग है जो सदियो से पिछडा हुआ है और उसके उत्थान के लिए विशेष सवैधानिक सरक्षण आवश्यक है।[2]

13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सविधानसभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया और जो आगे चलकर सविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उस प्रस्ताव की धारा 5 एव 6 मे कहा गया कि 'यह सविधान सभा भारत के लिए भविष्य मे शासन हेतु एक सविधान का

---

1 शिवदयाल चौरसिया के साथ एक साक्षात्कार फरवरी 1984

2 वी0 शिवारा भारतीय सविधान के निर्माण के कुछ चयनित कागजात V II प्रकाशक–इण्डियन इस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नयी दिल्ली 1968 पृ0 34

निर्माण करेगी जिसके द्वारा भारत के सभी लोगो को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा एव अवसर की समानता तथा विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगी और जिसके द्वारा अल्पसख्यक वर्गों पिछडे हुए और जनजाति दोनो तथा दलित और अन्य पिछडे हुए वर्गों को समुचित सरक्षण दिए जाएगे।[1]

इस प्रकार सविधान निर्माण के प्रारम्भ मे ही इस प्रस्ताव द्वारा दलित वर्गों के साथ अन्य पिछडे हुए वर्गों के अस्तित्व एव उनके लिए विशेष सरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था।

अल्पसख्यक वर्गों के लिए सलाहकारिणी समिति के निर्वाचन के अवसर पर बोलते हुए प0 गोविन्द बल्लभ पत ने कहा था अपने देश मे हमे दलित वर्गों अनुसूचित जातियो एव पिछडे हुए वर्गों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमे यथाशक्ति उनको सामान्य स्तर पर लाने के प्रयास करना होगा। यह जितना अधिक उनके हित मे उतना ही हमारे हित के लिए भी आवश्यक है कि हमारे और उनके बीच का अन्तर कम हो।[2]

सविधान सभा के मूलाधिकार उपसमिति द्वारा मूलाधिकारो के सम्बन्ध मे तैयार किए गए प्रारूप मे समानता के अधिकारो के अन्तर्गत कहा गया था कि –

धर्म प्रजाति रग जाति भाषा और लिग की भिन्नता के बावजूद सवव्यक्ति समान हैं सबको समान अधिकार प्राप्त है और सभी के समान कर्तव्य हैं।

सभी नागरिको को राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक एव सास्कृतिक सभी क्षेत्रो मे समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।

छूतछात का भेदभाव समाप्त किया जाता है और छूआछूत का भेद करना विधि के द्वारा दण्डनीय अपराध है। सभी व्यक्तियो की विधि द्वारा लगाई गयी सीमाओ के अन्तर्गत, धर्म, प्रजाति रग जातिया, भाषा के भेदभाव के बिना सभी सार्वजनिक स्थनो के सम्बन्ध मे समान सुविधाओ के प्रयोग का अधिकार है।

---

1 वही पृ0–86 और प0–९१–९६
2 वही– पृष्ठ– 296

सभी नागरिको को सार्वजनिक नौकरियो सम्मान और शक्ति के सभी पेशे व्यवसाय और आजीविका तथा विधि के अनुकूल मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध मे समान अवसर का अधिकार है।[1]

मूलाधिकार सलाहकारिणी समिति ने इस प्रारूप पर विचार करने के उपरान्त अपनी अन्तरिम रिर्पोट प्रस्तुत की। इस रिर्पोट मे सार्वजनिक सेवाओ से आरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। इस रिर्पोट के अनुच्छेद 5 मे कहा गया था कि सभी नागरिको को सार्वजनिक सेवाओ मे भर्ती होने और किसी भी पेशे व्यवसाय या आजीविका को करने का समान अवसर प्राप्त होगा परन्तु यह प्रविधान राज्य द्वारा उन वर्गों के हित मे जिनका राज्य की दृष्टि मे सार्वजनिक सेवाओ मे प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है। आरक्षण के लिए प्राविधान करने मे बाधक नही होगा।[2]

बहुत विचार विमर्श एव परिवर्तन के पश्चात प्रारूप सविधान मे समानता के अधिकार के सम्बन्ध मे अक्टूबर 1947 मे जो प्राविधान रखे गए थे उनका आशय निम्न प्रकार था।

समानता का अधिकार अनुच्छेद 1 राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म प्रजाति जाति लिग या इनमे से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नही करेगा। किसी भी नागरिक पर धर्म प्रजाति जाति या लिग या इसमे से किसी भी एक आधार पर दूकानो सार्वजनिक रेस्टोरेण्टो होटलो या सार्वजनिक मनोरजन के स्थानो मे जाने या पूर्णत अथवा अशत राज्य द्वारा पोषित कुओ तालाबो सडको और सार्वजनिक उपयोग के स्थानो के सम्बन्ध मे किसी अयोग्यता या प्रतिबध की दशा नही लगायी जायेगी।

परन्तु उपर्युक्त प्राविधानो के बावजूद राज्य को स्त्रियो एव बच्चो के हित मे विशेष प्राविधान बनाने का अधिकार होगा।

---

1 वी0 शिवारा–भारतीय सविधान के निर्माण के कुछ चयनित कागजात–V॥ इण्डियन इस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नयी दिल्ली 1968 पृ0 34

2 वही Vol III पृ0 7–8

(1) राज्य के अन्तर्गत सभी नागरिको को सभी सेवाओ मे अवसर की समानता प्राप्त होगी।

(2) किसी भी नागरिक को धर्म प्रजाति, जाति लिग वश या जन्म स्थान के या इसमे से किसी एक के आधार पर राज्याधिन किसी पद के लिए अयोग्य नही ठहराया जाएगा।

(3) ऊपर लिखे गए प्राविधानो के बावजूद नागरिको के किसी विशेष वर्ग के पक्ष मे जिनका राज्य की दृष्टि मे राज्य की सेवाओ मे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है नियुक्तियो अथवा पदो मे आरक्षण करने मे बाधा नही होगी।

सविधान प्रारूप समिति मे प्रारूप सविधान के समानता से सबधित उपबन्धो मे सिवा एक परिवर्तन के और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही किया गया। परिवर्तन यह था कि अनुच्छेद 12 की धारा (3) मे समिति ने नागरिको के वर्ग के पहले पिछडा हुआ शब्द जोड दिया। इस प्रकार यह धारा जो अब अनुच्छेद 10 (3) हो गयी इस प्रकार वार्णित हो गयी।

यह अनुच्छेद वाक्य के नागरिको के पिछडे हुए वर्ग के लिए जिनका राज्य की दृष्टि से राज्याधीन सेवाओ मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है। नियुक्तियो या पदो मे आरक्षण करने मे बाधा नही उपस्थिति करेगा।[1]

जब इस अनुच्छेद पर जो वर्तमान सविधान क अनुच्छेद 16 (4) है सविधान सभा मे विचार हो रहा था तब सदस्यो मे इसके सम्बन्ध मे अत्यधिक मतभेद दिखाई दिया। उडीसा के लोकनाथ मिश्र की राय थी कि इस अनुच्छेद को बिल्कुल हटा देना चाहिए क्योकि इससे पिछडेपन और अयोग्यता को प्रोत्साहन मिलेगा उत्तर प्रदेश के सेठ दामोदर स्वरूप ने भी इसको समाप्त कर देने का अनुरोध किया क्योकि यह न केवल सिद्धान्त मे दोष पूर्ण था, इससे जातिवाद और पक्षपात को भी बढावा मिलने की सम्भावना थी,

---

1 वहीं– P 521

क्योकि किसी भी समुदाय के पिछडेपन को मापने के लिए समुचित मापदण्ड निर्धारित करना कठिन था। उनकी राय थी कि पिछडे (हुए वर्गों के) पिछडी हुयी जातियो शैक्षणिक सुविधाए दी जानी चाहिए परन्तु पदो पर नियुक्तिया केवल योग्यता के आधार पर ही की जान चाहिए। बहुत से सदस्य पिछडे वर्ग शब्द की व्यापकता से चिन्तित थे। इसके विपरीत बहुत से सदस्य जिसमे कई स्वय अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित जन जातियो के थे इसको बनाए रखने के पक्ष मे थे और उनमे से कुछ सदस्यो ने इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दो को जोड देने का भी सुझाव दिया।[1]

प्रारूप सविधान का एक दूसरा अनुच्छेद जिसका सम्बन्ध पिछडे हुए वर्गों (पिछडी जातियो) से था वह अनुच्छेद 37 था। इस अनुच्छेद का आशय यह था कि राज्य दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियो एव जनजातियो के शैक्षणिक एव आर्थिक हितो के सवर्द्धन की विशेष चेष्टा करेगा और उन्हे सब प्रकार के सामाजिक अन्याय एव शोषण से बचायेगा। 23 नवम्बर 1948 को जब इस अनुच्छेद पर विचार हो रहा था तब हुकुम सिह ने चिता व्यक्त करते हुए यह कहा था कि दुर्बल वर्गों को कही परिभाषित नही किया गया था और इसलिए केवल अनुसूचित जातिया एव अनुसूचित जनजातिया ही इस अनुच्छेद का केन्द्र विन्दु ही रह जाएगी। उन्होने यह सुझाव दिया कि अनुसूचित जातिया एव अनुसूचित जनजातियो के स्थान मे पिछडे हुए समुदाय चाहे वह किसी भी धर्म या वर्ग के हो जोड दिया जाये। अन्त मे यह अनुच्छेद वर्तमान सविधान के अनुच्छेद 46 के रूप मे परिवर्तित हो गया।[2]

सविधान के उपबध

सविधान के लागू होने के पश्चात् कठिनाइया उपस्थित हो गई और उच्चतम न्यायालय ने चम्पारन दोराइ राजन के वाद मे मद्रास सरकार के साम्प्रदायिक आदेश को जिसके द्वारा शैक्षणिक सस्थाओ मे विभिन्न सस्थाओ मे विभिन्न समुदायो के लिए स्थान

---

1 वही–पृष्ठ–673
2 वही–पृष्ठ–679

आरक्षण की व्यवस्था थी अवैध घोषित कर दिया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी सेवाओ के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र मे भेदभाव पूर्ण व्यवहार निषिद्ध हो गया। इस निर्णय के कारण दक्षिण भारत मे बहुत अधिक असतोष फैल गया। अत भारत सरकार ने सविधान के प्रथम सशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 मे एक नया अनुच्छेद (4) जोडने का प्रस्ताव रखा जो अन्त मे ससद द्वारा पारित हो गया जो वर्तमान सविधान का अनुच्छेद 15(4) है। पडित नेहरू ने कहा कि अनुच्छेद 340 मे 'सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडा हुआ शब्द प्रयुक्त है और इसी कारण यही शब्द अनुच्छेद 15(4) मे भी प्रयुक्त किए गए हैं। के0 टी0 शाह ने पिछड़ी हुए वर्गों के पहले आर्थिक शब्द जोडने का प्रस्ताव रखा था परन्तु पण्डित नेहरू ने उसे स्वीकार नही किया।[1]

इस प्रकार, वर्तमान सविधान के निम्नलिखित उपबन्ध है जो पिछडे हुए वर्गों की (पिछडी हुयी जातियो) राजनीति के परिचालन के लिए सवैधानिक रूपरेखा या सरचना प्रस्तुत करते है।

अनुच्छेद 15(1) मे कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म मूल वश जाति लिग जन्म स्थान या इनमे से किसी एक के आधार पर भारत के किसी नागरिक के विरूद्ध जीवन के किसी क्षेत्र मे भेदभाव नही किया जाएगा।

अनुच्छेद 15(2) किसी भी नागरिक को केवल धम मूल वश जाति लिग अथवा जन्म स्थान के आधार पर दूकानो सार्वजनिक भोजनालयो होटलो व सार्वजनिक मनोरजन के स्थलो मे प्रवेश अथवा उन कूओ तालाबो स्थान घाटो सडको व सार्वजनिक आराम गृहो के उपभोग के निमित जो पूर्ण अथवा आर्थिक रूप से राजकोष से पोषित अथवा साधारण जनता के उपभोग के लिए समपिर्तत है किसी भी प्रकार से किसी नियोगिता उत्तरदायित्व, प्रतिबध अथवा शर्तों द्वारा वाह्य किए जाने का निषेध करता है।

---

1 वहीं–पृष्ठ–553

अनुच्छेद 15(1) तथा अनुच्छेद 14 मे समाहित समता के सामान्य सिद्धान्त के विशेष प्रवर्तन का उपबध करता है। यदि कोई विधि अनुच्छेद 15(1) की निषिद्ध रेखा के भीतर आती है तो अनुच्छेद 14 की सहायता से एव युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धान्त द्वारा उसे वैध नही माना जा सकता, अनुच्छेद 14 एव 15 का सम्मिलित प्रभाव यह नही है कि राज्य असामान्यता उत्पन्न करने वाली विधि का निर्माण नही कर सकता परन्तु यदि वह कोई ऐसी विधि बनाता है तो उसे उत्पन्न होने वाली समानता किसी युक्तियुक्त आधार पर अवस्थित होनी चाहिए।[1]

अनुच्छेद 15(3) एव 15(4) 15(1) और 15(2) के अपवाद है अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य द्वारा महिलाओ और बच्चो के लिए विशेष उपबध बनाए जाने पर कोई विशेष वाधा नही होगी।

अनुच्छेद 15(4) का यह अपवाद राज्य को शैक्षणिक सस्थाओ मे सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों को विशेष सुविधाए या सीटो का आरक्षण करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) मे कहा गया कि अनुच्छेद 16(1) 16(2) और 16(3) का कोई भी उपबध राज्य को नागरिको के किसी भी पिछडे वर्ग के पक्ष मे जिसका कि राज्य की सेवाओ मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है नियुक्तियो अथवा पदो मे आरक्षण की व्यवस्था करने मे वाधित नही होगा।[2]

समानता के अधिकार व उसके अपवादो के अतिरिक्त अनुच्छेद 37 मे कहा गया है कि इस भाग (राज्य के नीति निर्देशक तत्व मे लिए गए उपबन्ध न्यायालय मे वाद योग्य नही है परन्तु इसमे जो सिद्धान्त नियमित किए गए है। वे देश के शासन के मूलाधार है और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि द्वारा इन सिद्धान्तो को लागू करे।[3]

---

1 वही–पृष्ठ–555
2 ससदीय वार्तालाप–Vol XII, XIII Part II- Col 9830
3 डी0डी0 वसु– भारत का सविधान एक पश्चिम पृष्ठ–143 प्रकाशक– प्रेटिस हाल आफ इण्डिया प्रावेट लिमिटेड नयी दिल्ली–1996

अनुच्छेद 340 (1) द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारत राज्य क्षेत्र मे सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों (पिछडी हुयी जातियो) की दशाओ एव जिन कठिनाइयो के अधीन वे श्रम करते है उनकी जाच के लिए उन कठिनाइयो को दूर करने और इस हेतु केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा दिये गये अनुमान और इससे सम्बन्धित सस्तुतिया देने हेतु राष्ट्रपति जिन व्यक्तियो की उपयुक्त समझे उनका एक आयोग नियुक्त करने का आदेश देगे और इस आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश मे उस काम विधि का भी निर्धारण कर दिया जाएगा जिस पर कि आयोग अमल करेगा।

अनुच्छेद 340(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग उन मामलो की जाच करेगा जो सको सौपे गए है और इस दौरान पाए गए तथ्यो को और अपनी सस्तुतियो की देते हुए राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 340(3) राष्ट्रपति इस रिर्पोट की एक प्रति एव उस रिर्पोट की सस्तुतियो के सम्बन्ध मे उठाए गये कदमो का विवरण ससद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखने का व्यवस्था करेगे।

ऊपर लिखे गए सवैधानिक उपबधो मे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए कौन है इसको परिभाषित नही किया गया है परन्तु न्यायपालिका को इस सम्बन्ध मे यह अधिकार है कि वह यह निर्धारण करे कि सुसगत है अथवा नही।

पिछडी जातियो एव वर्गो के निर्धारण से सम्बन्धित प्रमुख वाद

विभिन्न राज्यो द्वारा निर्धारित पिछडे वर्गों की सूचियो को लेकर उच्च न्यायालयो मे एव उच्चतम न्यायालय मे कई वाद निर्णित हो चुके हैं जिनके निर्णयो द्वारा पिछडे वर्गों के निर्दिष्ट करने के लिए मापदण्ड स्थापित करने मे सहायता मिलती है। उनमे से कुछ वाद अत्यधिक उल्लेखनीय है।

एम०आर० बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963)–1958 से ही मैसूर (वर्तमान कर्नाटक) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करता आ रहा है। 1962 मे राज्य सरकार ने इजीनियरिंग मेडिकल और अन्य टेकनिकल सस्थाओ मे पिछडे हुए वर्गों के लिए 68 प्रतिशत सीटे आरक्षित करने का आदेश जारी किया जिसके कारण केवल 32 प्रतिशत सीटे ही योग्यता के आधार पर भर्ती के लिए शेष रह गयी। इसलिए एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज्य मे इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि जिन पिछडे हुए वर्गों को सम्बन्धित आदेश द्वारा सुविधा दी गयी थी उन्हे जातियो एव समुदायो के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था।

इसलिए इस वाद मे यह प्रश्न उठा कि सामाजिक एव शैक्षणिक पिछडापन के निर्धारण के लिए कौन–कौन से मापदण्ड प्रयोग किए गए है तथ्य यह कि क्या जाति सामाजिक पिछडेपन की मापने का उचित मापदण्ड है या नही। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय मे यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 15 (4) मे नागरिको के वर्ग की बात कही गयी है न कि जाति की। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते समय कि नागरिको का कोई वर्ग पिछडा हुआ है। अथवा नही जाति की दृष्टि मे रखना बहुत अप्रासगिक नही हो सकता है। यदि पिछडेपन का आधार जाति को माना जाएगा तो यह बहुत से मामलो मे न केवल तर्क सगत नही होगा वरन इससे जातिवाद की बुराई की स्थायित्व भी मिलेगा। दूसरे जाति का मापदण्ड समाज के उन भागो पर नही लागू हो सकेगा जिनमे हिन्दू समाज की भाति जाति प्रथा नही पायी जाती है। सामाजिक पिछडेपन को मापने ?मे व्यवसाय व निवास स्थान का भी महत्व है। मैसूर सरकार के आदेश मे सबसे बडी बुराई यह थी कि इसमे पिछडा पन केवल जाति पर ही आधारित था अन्य हेतुओ पर नही। अत ऐसा आदेश अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत स्वीकृत नही है–दूसरा यह कि राज्य ने शैक्षणिक पिछडेपन के लिए जो मापदण्ड स्वीकार किया था, वह यह था कि उस समुदाय मे एक हजार नागरिको के हिसाब से

छात्र सख्या कितनी थी। सम्पूर्ण राज्य मे यह औसत प्रति एक हजार पर 69 था। जिन जातियो/समुदायो का शैक्षणिक औसत इससे नीचे था उनको शैक्षणिक रूप से पिछडा हुआ माना गया था। न्यायालय की राय थी कि यदि शैक्षणिक पिछडेपन के निर्धारण के लिए इस मापदण्ड को तर्क युक्त एव स्वीकृत मान भी लिया जाए तो भी इस मापदण्ड को सही ढग से लागू नही किया गया था। सारे राज्य की औसत से अगर कोई समुदाय काफी नीचा हो तो उसको पिछडा वर्ग माना जा सकता है परन्तु ऐसा समुदाय नही जो उस औसत के समीप है।

इस वाद मे न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश मे मैसूर सरकार ने 26 जुलाई 1963 की एक आदेश द्वारा पिछडे हुए वर्गों को पुन परिभाषित किया और उनके लिए 30 प्रतिशत सीटे आरक्षित की। इस आदेश द्वारा आर्थिक दशा और व्यवसाय को पिछडेपन का आधार निर्धारित किया गया था। जिस परिवार की वार्षिक आय 12000 रुपये या इससे अधिक और जिसका व्यवसाय कृषि लघु व्यापार और इस प्रकार की सेवा हो जिसमे शारीरिक श्रम का उपयोग हो उसे सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ माना गया था। इस आदेश मे जाति को आधार नही माना गया था।[1]

चित्र लेखा बनाम मैसूर राज्य (1964)–एम0आर0 बालाजी बनाम मैसूर राज्य के बाद के आदेश मे जाति को आधार नही माना गया था और इसी आधार पर इसको चित्र लेखा बनाम मैसूर राज्य के वाद मे चुनौती दी गई। इसमे न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वर्ग और जाति पर्यायवाची नही है और सविधान निर्माताओ का आशय पिछडे हुए वर्गों से था न कि पिछडी जातियो से। यह निर्धारित करने मे कि कोई व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय पिछडा हुआ है अथवा नही जाति सुसगत हो सकती है परन्तु जाति न तो एक मात्र और न प्रबल मापदण्ड हो सकती है।[2]

---

[1] एम0 आर0 बालाजी, बनाम मैसूर राज्य ए0आई0 आर0 1963 एस0सी0 949
[2] चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, ए0आई0आर0–1964 एस00सी0 1823

पी0 राजेन्द्र विरुद्ध मद्रास राज्य के उल्लेखनीय वाद मे दिये गये निर्णय मे उच्चतम न्यायालय द्वारा चित्र लेखा के बाद मे दिये गये निर्णय मे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है।

पी० राजेन्द्रन बनाम मद्रास राज्य वाद (1968)– इस वाद मे न्यायालय को मद्रास राज्य द्वारा मद्रास राज्य के एम0बी0बी0एस0 प्रवेशार्थियो हेतु प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए बनाये गये नियमो विशेषकर नियम 5 की वैधता पर विचार करना था। नियम 5 के अनुसार सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों के लिए कुछ सीटो का आरक्षण किया गया था और इस हेतु सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों की एक सूची बनायी गयी थी। इस वाद मे इस सूची की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह सूची एकमात्र जाति पर आधारित थी। इसमे न्यायालय ने कहा कि–

जाति भी नागरिको का एक वर्ग है और यदि कोई समुची जाति ही सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडी हुयी है तो इस जाति के लिए इस आधार पर वह अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडा हुआ वर्ग है।[1]

राजेन्द्र के वाद मे दिये गये इस निर्णय का प्रभाव यह पडा कि जाति पर आधारित सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों की सूची वैध माने जाने लगी।

आन्ध्र प्रदेश बनाम सागर वाद (1968)– इस वाद मे न्यायालय ने पुन जाति पर आधारित आन्ध्र प्रदेश राज्य की सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए वर्गों की सूची को अवैध घोषित कर दिया परन्तु वह इसलिए कि राज्य सरकार इस बात का पर्याप्त प्रमाण नही दे सकती थी कि पिछडे वर्गों की सूची एक मात्र जाति पर आधारित नही थी वरन अन्य साखान तथ्यो को भी ध्यान मे रखा गया था।[2]

---

1 पी0 राजेन्द्र बनाम मद्रास राज्य ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 1012
2 आन्ध्र प्रदेश बनाम सागर वाद ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 1379

आन्ध्र प्रदेश बनाम बलराम (1972)– इस वाद मे न्यायालय के समक्ष युवा प्रश्न यह था कि क्या जाति के आधार पर पिछडे वर्गों का वर्गिकरण अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत वैध है। सागर के वाद मे दिये गये निर्णय के पश्चात आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने एक पिछडा वर्ग आयोग स्थापित किया था जिसने सामान्य द्ररिद्रता व्यवसाय जाति एव शैक्षणिक पिछडापन के मापदण्ड के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात 92 पिछडी जातियो की एक सूची तैयार की थी। इस आयोग की रिर्पोट के आधार पर राज्य सरकार ने इस सूची मे उल्लिखित जातियो के लिए राज्य के मेडिकल कालेजा मे 25 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। इस वाद मे राज्य के उच्च न्यायालय मे इसी घोषणा की वैधता को चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय ने पिछडे वर्गो की इस सूची को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया था कि यह जाति पर आधारित थी। राज्य सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे अपील की। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करते हुए आन्ध्र प्रदेश पिछडा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई सूची को इस आधार पर वैध स्वीकार किया कि यदि कोई समूची जाति ही सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडी हुयी है तो जाति के नाम से उसका उल्लेख किया जाना अनुच्छेद 15 (4) का अतिक्रमण नही है।[1]

प्रदीप टडन बनाम उत्तर प्रदेश (1975)–उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कालेजो मे कुल 758 स्थान थे जिसमे 26 सीटे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामाकित प्रवेशार्थियो के लिए आरक्षित भी शेष 732 स्थानो मे 51 प्रतिशत सीटे खुली भर्ती के लिए उपलब्ध थी। सुभाष चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश के वाद मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहाडी क्षेत्रो उत्तरा खण्ड एव ग्रामीण क्षेत्रो के उम्मीदवारो के लिए किये गये आरक्षण को इस आधार पर वैध घोषित किया था कि इन क्षेत्रो के निवासी सामाकि एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए है। प्रदीप टडन बनाम उत्तर प्रदेश के बाद मे इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय

मे अपील की गई। इस अपील के निर्णय मे मुख्य न्यायाधीश रे ने पहाडी क्षेत्रो एव उत्तर खण्ड के उम्मीदवारो के लिए किये गये आरक्षण को वैध माना क्यो कि सचार के साधनो तकनीकी विकास एव शैक्षणिक सस्थाओ मे कमी के कारण इन क्षेत्रो के निवासी गरीब एव अशिक्षित थे परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो के उम्मीदवारो के लिए किये गये आरक्षण को मुख्य न्यायाधीश ने वैध मानना अस्वीकार कर दिया क्योकि उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे रहती है। और उसमे से सभी सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए नही है। जनसख्या स्वय मे एक वर्ग नही हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करना किसी समूह को वर्ग नही बना सकता है।[1]

छोटे लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य–इस वाद मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे पुन यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि कोई समूची जाति पिछडी हुई नही है तो पिछडे वर्गों की सूची मे उसका शामिल किया जाना वैध है अथवा नही। नागरिको के पिछडे हुये वर्गों का क्या क्षेत्र और विस्तार है? और पिछडे हुए वर्गों के निर्धारण के लिए कौन से मापदण्ड अपनाये जाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1977 मे सरकारी आदेश द्वारा पिछडे हुए वर्गों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षित किये। इस आदेश मे 36 हिन्दू और 21 मुस्लिम पिछडी हुई जातियो के नाम थे। 1978 मे राज्य की व्यवसायिक सेवाओ मे 150 अस्थायी पदो मे 27 पद अनुसूचित जातियो के लिए 3 पद अनुसूचित जनजातियो के लिए 8 स्वतत्रता सेनानियो के लिए 12 सेना के विकलाग अधिकारियो के लिए और 23 पिछडे हुए वर्गों के लिए आरक्षिज्ञत किये गये थे।? छोटे लाल और कुछ अन्य एडवोकेटो ने जो इस परीक्षा मे शामिल हुए थे, इस आधार पर नियम को चुनौती दी कि इस आदेश से जिन हिन्दू जातियो का नाम शामील है उनमे से कुछ जैसे अहीर कुरमी जातिया सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडी हुयी नही है। इन जातियो मे बहुत से लोग उच्च शिक्षा

---

1 प्रवीप टडन बनाम उत्तर प्रवेश ए0आई0आर0 1975 एस0सी0 563

प्राप्त और उच्च पदो पर आसीन है या उच्च व्यवसाय मे लगे है। इसलिए इन जातियो को पिछडा हुआ नही माना जा सकता है और उनको पिछडे हुए वर्गों की सूची मे रखने का कोई आधार नही है।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय मे बालाजी के वाद मे अपनाये गये प्रतिज्ञाति को दुहराया कि पिछडे हुए वर्गों की सूची मे शामिल होने के लिए पूरी जाति को सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडा हुआ होना चाहिए। इस आधार पर पिछडा हुआ वर्ग की राज्य द्वारा प्रचारित सूची को न्यायालय ने स्वीकार नही किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि व्यक्तियो के लिए यह असम्भव है कि वे आकडो का सकलन करे। यह काम सरकार ही कर सकती है। अत याचिका मे उठायी गयी युक्ति को असत्य सिद्ध करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार है।[1]

उपर्युक्त दिये गये निर्णयो के प्रकाश मे हम पिछडे वर्गों के निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो को निम्न प्रकार से रख सकते है।

1 अनुच्छेद 15 (4) मे अनुसूचित जातियो और जनजातियो को सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वर्गों के साथ रखने और अनुच्छेद 338 (3) मे दिये गये इस प्रावधान के कारण कि अनुसूचित जातियो एव जनजातियो के अतर्गत वे पिछडे वर्ग भी सम्मिलित समझे जाएगे जिन्हे अनुच्छेद 340 (1) के अन्तर्गत स्थापित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा निर्धारित करेगे से पता चलता है कि पिछडेपन के मामले मे पिछडे वर्ग अनुसूचित जातियो एव अनुसूचित जनजातियो के समकक्ष है।

---

1 छोटे लाल बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1979 इलाहाबाद 135

2 पिछडे वर्ग की अवधारणा इस अर्थ मे नही की जानी चाहिए कि कोई वर्ग जो समुदाय के सबसे अग्रणी वर्ग की तुलना मे पिछडा हुआ है वह इसमे अवश्य शामिल किया जाएगा।

3 सविधान मे सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्ग का उल्लेख है अत पिछडे वर्ग के निर्धारण के लिए पिछडापन सामाजिक और शैक्षणिक दोनो होना चाहिए केवल सामाजिक या केवल शैक्षणिक नही।

4 पिछडे वर्ग का तात्यपर्य पिछडे वर्ग से है पिछडी जातियो से नही। वर्ग और जाति पर्यायवाची नही है वास्तव मे बहुत से समुदाय है जिनमे जातिया नही है।

5 पिछडेपन का निर्धारण करने मे जाति एक सुसगत तत्व हो सकती है परन्तु वह एक मात्र प्रवल तत्व नही हो सकती।

6 सामाजिक पिछडापन अधिकतर गरीबी का परिणाम है। पिछडे पन का निर्धारण करने मे गरीबी एव जाति दोनो ही सुसगत है।

7 केवल जाति पर आधारित पिछडे वर्गों का वर्गीकरण जिसमे पिछडेपन के लिए उत्तरदायी अन्य तत्वो पर विचार नही किया गया है अनुच्छेद 15 (4) के अतर्गत विचारणीय नही है। कुछ जातिया अवश्य ऐसी है जिनमे सभी लोग सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए है।

8 कुछ व्यवसाय जो निम्न या अपवित्र समझे जाते है। पिछडे वर्गों के सामाजिक पिछडेपन के कारक हो सकते है। इसी प्रकार निवास स्थान भी पिछडेपन का एक कारक हो सकते है।

9 एकमात्र जाति, समुदाय प्रजाति धर्म लिग, ववश, जन्म स्थान या निवास स्थान पर आधारित मापदण्ड पिछडेपन का निर्धारक नही माना जा

काका कालेकर पिछडा वर्ग आयोग के अनुसार पिछडे वर्गो का निर्धारण

सविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत 29 जनवरी, 1953 को राष्ट्रपति ने एक आदेश द्वारा एक पिछडा वर्ग आयोग की नियुक्ति की घोषणाकी। इस आयोग अध्यक्ष काका कालेकर थे इसलिए इस आयोग को काका कालेकर आयोग भी कहा जाता है।

इस आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये थे।

1 उन मापदण्डो या निर्धारको का निश्चय करना जिनके आधार पर अनुसूचित जातियो या जनजातियो के अतिरिक्त अन्य सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों का निर्धारण किया जा सके।

2 उक्त मापदण्डो के स्थान पर अन्य पिछडे वर्गों की सूची तैयार करना।

3 सभी सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों की दशा एव उन कठिनाइयो की जाच करना जिनमे ये वर्ग कार्य करते है तथा इन कठिनाइयो को दूर करने एव उनकी दशा को समुन्नत करने के सम्बन्ध मे सुझाव देना।

4 इस उद्देश्य से केन्द्र एव राज्यो द्वारा दिये जाने वाले अनुदानो और उनसे सम्बन्धित दशाओ का निर्धारण करना।

5 उपर्युक्त सभी के आधार पर तथ्यो का विश्लेषण करते हुए और उचित सुझावो को देते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना।

इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित कर दी। रिपोट्र के प्रारम्भ मे पिछडा हुआ और गैर पिछडा हुआ के अन्तर को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया गया था।[1]

1 स्त्रियॉ

2 ग्रामीण क्षेत्रो के निवासी

---

1 पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–भारत सरकार–1956 भाग–1 P XIV XV

3 अपने हाथो से श्रम करके जीविका अर्जित करने वाले लोग

4 वे लोग जो धूप और खुले मे काम करते है

5 भूमिहीन श्रमिक

6 अकुशल श्रमिक

7 अपर्याप्त पूजी अथवा पूजीविहीन

8 लिपिक

9 व्यक्तिगत सेवा मे निम्न श्रेणी मे काम करने वाले नौकर एव नौकरानिया

10 निर्धन अशिक्षित माता–पिता की सन्ताने जिनकी न कोई महात्वाकाक्षा है और न कोई दृष्टि है।

11 साधन विहीन

12 दुर्गम और पिछडे हुए क्षेत्र के निवासी

13 अशिक्षित

14 आधुनिक युग और इसमे आत्म विकास की सुविधाओ को समझने की योग्यता रखने मे समर्थ

15 जादू, अध विश्वास और भाग्य मे विश्वास रखने वाले लोग।

इसके अतिरिक्त गैर पिछडे हुए लोगो के निर्धारण के लिए आयोग ने निमनलिखित तथ्वो को आधार बनाया।

1 पुरूष

2 नगरीय क्षेत्रो के निवासी

3 जिनका कार्य शारीरिक श्रम करने वालो का निरीक्षण करना है।

4 वे लोग जो सफेद कालर वाले लोगो के समान छाया मे काम करते है।

5 भू–स्वामी

6 कुशल श्रमिक एव उच्च श्रेणी के दस्तकार

7 पर्याप्त पूजी सम्पन्न

8 विद्वतजन

9 उच्च स्तर की सरकारी सेवा मे लगे हुए पदाधिकारी

10 शिक्षित माता–पिता अथवा अभिभावको की सन्ताने जिनमे आत्म विश्वास और सस्कृति हो।

11 पयाप्त आय और साधन सम्पन्न

12 आधुनि सभ्यता की सुख सुविधा के उपकरण का उपभोग करने वाले पर्याप्त शिक्षा प्राप्त।

13 पर्याप्त शिक्षा प्राप्त।

14 आधुनिक दशाओ और अवसरो का लाभ उठाने मे सक्षम।

15 विज्ञान और कार्य कारण सम्बन्ध मे विश्वास रखने वाले लोग।

अन्त मे उपलब्ध आकडो के आधार पर आयोग ने सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखने का सुझाव दिया।[1]

1 हिन्दू समाज की परम्परागत जाति श्रेणीबद्धता मे निम्न सामाजिक स्थान।

2 जाति अथवा समुदाय के बडे भाग मे सामान्य शैक्षणिक प्रगति का अभाव।

3 सरकारी सेवाओ मे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा प्रतिनिधित्व का पूरा अभाव।

---

1 पिछडे वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–भारत सरकार–1956 भाग–1 पृष्ठ 47

4 व्यापार व्यवसाय एव उद्योग मे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

उपर्युक्त चार मापदण्डो के आधार पर आयोग ने पूरे देश के लिए 2399 पिछडी हुई जातियो की सूची तैयार की। इसमे से 837 की सर्वाधिक पिछडा हुआ माना गया।

इन पिछडे हुए वर्गों के उत्थान के लिए आयोग ने बहुत से सुझाव दिये जिनमे निम्नलिखित मुख्य है।

1 पिछडे हुए वर्गों के योग्यता सम्पन्न विद्यार्थियो के लिए टेक्निकल एव व्यवसायिक सस्थाओ मे 70 प्रतिशत आरक्षण।

2 अन्य पिछडे वर्गों के लिए सरकारी सेवाओ एव स्थानीय सस्थाओ मे निम्नानुपात मे स्थानो का आरक्षण।

प्रथम श्रेणी – 25 प्रतिशत

द्वितीय श्रेणी – $33^1/_3$ प्रतिशत

तृतीय एव चतुर्थ श्रेणी – 40 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त आयोग ने पिछडे हुए वर्गों के उत्थान के लिए व्यापक भूमि सुधार ग्रामीण व्यवस्था का पुनर्संगठन भू–दान आन्दोलन पशु–पालन डेयरी उद्योग भिन्न–भिन्न प्रकार के लघु उद्योग प्रौढ शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य एव ग्रामीण क्षेत्रो मे पेय जल की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध मे विस्तृत सुधारो का सुझाव दिया।[1]

आयोग की रिपोर्ट सर्वसम्मत नही थी। आयोग के तीन सदस्यो ने जाति को पिछडेपन के साथ जोडने का विरोध किया था। ये लोग जाति के आधार पर आरक्षण के विरूद्ध थे। इसके विपरीत एस0डी0 चौरसिया जाति को पिछडापन का आधार मानने के कटटर समर्थक थे।[2] ऐसी स्थिति मे आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर ने यद्यपि रिपोर्ट

---

1 वही–भाग–I पृ0 125
2 पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन –भारत सरकार–1956 भाग–III

मे अपना विरोध प्रगट नही किया तथापि राष्ट्रपति को प्रेषित अपने पत्र मे उन्होने जाति को पिछडेपन का आधार बनाने और जाति के आधार पर आरक्षण के सिद्धान्त की कटु आलोचना की। इस पत्र के कतिपय उद्धरण निम्न है।

इस विश्वास के साथ कि हिन्दुओ की उच्च जातियो को निम्न वर्गों के प्रति उन्होने जो उपेक्षा दिखाई है उस गलती का दण्ड भरना है। मै इस बात की सिफारिश करने के लिए तैयार था कि एक मात्र पिछडे हुए वर्गों को ही सब विशेष सहायता दी जाये और उच्च वर्गों के निधन एव योग्य को भी इस सहायता से वचित रखा जाये। मेरी आखे जाति के आधार पर पिछडेपन को दूर करने के खतरे के प्रति तब खुली जब मुझे पता चला कि इसका मुस्लिम एव इसाइयो के ऊपर बडा ही अस्वास्थकर प्रभाव पडेगा।

यह एक बहुत बडा धक्का था और इससे मै इस निष्कर्ष पर पहुचा कि जिस दवा का हम लोग सुझाव दे रहे है वह रोग से भी अधिक खतरनाक है ।

मै किसी भी समुदाय के लिए सरकारी सेवाओ मे आरक्षण के विरूद्ध हूँ क्योकि ये सेवाये सेवा करने वालो के लाभ के लिए नही बल्कि पूरे समाज की सेवा के लिये है।

मेरा विश्वास है कि प्रथम एव द्वितीय श्रेणी की सेवाओ मे पिछडे हुए वर्गों की नैतिक एव भौतिक दोनो रूपो मे अधिक लाभ होगा। यदि वे नियुक्तियो मे एक निश्चित प्रतिशत के आरक्षण की माग न करे बल्कि पिछडे हुए वर्गों को प्राथमिकता देने के लिए प्रशासन की न्याय बुद्धि पर निर्भर रहे।[1]

आयोग के अध्यक्ष की उपर्युक्त उक्तियो ने आयोग की रिपोर्ट का लगभग खात्मा कर दिया। रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात 30 सितम्बर 1956 को सरकार ने इसे ससद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ सलग्न अपने पत्र मे सरकार ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि आयोग की रिपोर्ट सर्वसम्मत नही थी और यह कि

---

1 वही भाग–I P-XIV-XV

इसमे 2399 समुदायो को पिछडा हुआ घोषित किया गया था जिसमे केवल 930 की सख्या 115 करोड थी। यदि इसमे 7 करोड (1957 की जनसख्या के आधार पर) अनुसूचित जातियो एव जनजातियो को भी जोड लिया जाये तो यह सख्या इतनी अधिक हो जायेगी कि जो वास्तव मे जरूरत मद हे उनको कठिनाई से कोई सहायता उपलब्ध हो जायेगी और इससे अनुच्छेद 340 मे उल्लिखित आशय भी पूरा नही हो सकेगा।[1]

इस बात को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने सामाजिक एव शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों के निर्धारण के लिये आगे और अधिक जाच करवाने का निश्चय किया ताकि इस आयोग की रिपोर्ट मे जो कमिया रह गई थी वे दूर की जा सके।

इसके पश्चात सरकार के आदेशानुसार उप रजिस्ट्रार जनरल ने व्यवसाय के आधार पर पिछडेपन के निर्धारण करने के उद्देश्य से एक पाइलट सर्वे किया। परन्तु इससे भी पिछडेपन के निर्धारण के सम्बन्ध मे कोई समुचित समाधान नही निकला। इसके पश्चात् 7 अप्रैल 1959 को राज्यो के प्रतिनिधियो के एक सम्मेलन मे इस पर विचार हुआ। पुन गृह मत्रालय द्वारा राज्यो के पदाधिकारियो की एक बैठक मे इस पर विचार हुआ परन्तु कोई मतैक्य स्थापित नही हो सका।[2]

ऐसी स्थिति मे गृह मत्रालय ने राज्य सरकारो को पिछडेपन को परिभाषित करने के लिए अपना–अपना मापदण्ड निर्धारित करने का निर्देश दिया। यह सुझाव भी दिया गया कि जाति की अपेक्षा आर्थिक मापदण्ड रखना अधिक उचित होगा।[3]

इस निर्देश के अनुसार विभिन्न राज्यो ने अपने यहा पिछडा वर्ग आयोग स्थापित करके पिछडा वर्ग का निर्धारण करने और उनके उत्थान के लिए प्रयास किया। 1980 तक 10 राज्यो ने अपने–अपने राज्य के लिए पिछडा वर्ग आयोग सगठित किये और उनके सुझावो को क्रियान्वित करने का प्रयास किया।[4]

---

1 गृह मत्रालय का 1956 मे ज्ञापन।
2 पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार 1956 vol I XIV IV वही vol I p-47 वही vol I p 125 वही vol III
3 वही पृष्ठ–2
4 Galanter-Competing equalities Oxford University Press, Delhi-1984 P 174

1950–60 के दशक मे अन्य पिछडे वर्गों पर (विशेष कर शिक्षा के क्षेत्र मे) राज्य सरकारी द्वारा व्यय मे काफी वृद्धि हुई। 1957 मे भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारो को यह निर्देश दिया कि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का लाभ अन्य पिछडे हुए वर्गों को भी प्रदान करे और जब तक उनकी अन्य पिछडे हुए वर्गों की सूची तैयार नही हो जाती तब तक इस उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई सूची का ही प्रयोग करे।[1] भारत सरकार ने राज्य सरकारो से यह भी अनुरोध किया कि वे शिक्षण सस्थाओ मे अनुसूचित जातियो एव जनजातियो के लिए आरक्षित स्थानो मे जो स्थान रिक्त हो उन पर अन्य पिछडे वर्गों के विद्यार्थियो की भर्ती करे।[2]

1960–70 के दशक के प्रारम्भ मे सामान्य भावना जाति के आधार पर अन्य पिछडे वर्गों के निर्धारण के विरूद्ध थी। 1960 मे रामकृष्ण सिह बनाम मैसूर राज्य के वाद मे दिये गये निर्णय का भी बहुत स्वागत किया गया।[3]

रामकृष्ण सिह बनाम मैसूर राज्य –14 मई 1559 और 22 जुलाई 1959 को मैसूर सरकार ने व्यवसायिक विद्यालयो मे प्रवेश के सन्दर्भ मे पिछडी जाति के लिए आरक्षण के सन्दर्भ मे दो आदेश जारी किये। 22 जुलाई, 1959 को अपने द्वारा पारित आदेश को पिछडी जाति की सूची को प्रतिशतता के आधार पर अलग–अलग वर्ग को आरक्षित स्थानो को निर्धारित कर दिया। अलग–अलग वर्गों मे विभाजित करने के बावजूद पिछडी जातियो के वर्ग के लिए आरक्षित स्थान भरे नही जा सके क्योकि वह निर्धारित योग्यता नही रखते थे परन्तु मैसूर सरकार का यह निर्णय वहा के उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया।[4]

---

1 वही – पृ0 174
2 भारत सरकार के गृह मत्रालय का पत्र न0 10/41/57–SCT(iv) 30 जुलाई 1957
3 रामकृष्ण सिंह बनाम मैसूर राज्य ए0आई0आर0 1960 मैसूर–338
4 द टाइम्स आफ इण्डिया–मैसूर न्यूज लेटर–सितम्बर 23 1956

1961 मे भारत सरकार के गृह मत्रालय ने राज्य सरकारो को सूचित किया कि केन्द्र सरकार का अन्य पिछडे वर्गों की सूची बनाने का कोई इरादा नही है। सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि जाति के आधार पर पिछडे हुए वर्गों का निर्धारण करना उचित नही है। यह भी अनुभव किया जाने लगा कि जाति के आधार पर पिछडे वर्गों की सहायता देने की नीति राष्ट्रीय एकीकरण मे बाधक सिद्ध हो रही है।[1]

1963 मे बालाजी बनाम मैसूर राज्य के वाद मे दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने भी पिछडे वर्गों के निर्धारण मे जाति के साथ आर्थिक एव अन्य तत्वो को शामिल किये जाने पर बल देकर इस प्रवृत्ति को बढावा दिया।[2]

नवम्बर 1965 मे जब पिछडा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग) के प्रतिवेदन पर विचार हुआ तक सरकारी प्रवक्ता ने पुन जाति/धर्म पर आधारित अन्य पिछडे वर्गों के निर्धारण की नीति का विरोध किया और इसे सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध बताया। सरकार की राय मे जाति पर आधारित अन्य पिछडे वर्गों का निर्धारण सविधान के विरूद्ध था। इससे जातिवाद को बढावा मिलता था और इससे स्वय पिछडे वर्गों मे निहित स्वार्थ एव असहाय होने की भावना को प्रश्रय मिलता था। केन्द्र ने आर्थिक मापदण्डो का समर्थन किया।[3]

सरकार की इस नीति के बावजूद पिछडे वर्ग सघ जाति के आधार पर पिछडे हुए वर्गों के निर्धारण काका कालेलकर आयोग की सस्तुतियो के क्रियान्वयन तथा पिछडे हुए वर्गों के लिए एक अलग से मत्रालय की माग करते रहे।[4]

---

1 भारत सरकार के गृह मत्रालय के प्रमुख सचिव का पत्र–14 अगस्त 1961 भारत सरकार का गजट 1960–61 पृ0 366

2 बालाजी बनाम मैसूर राज्य ए0आई0आर0 1963, एस0सी0 949

3 लोक सभा वाद–विवाद–(तीसरी सीरिज) भा–48 न0 16 3973–3976 नवम्बर 25 1965

4 अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेला का प्रस्ताव नयी दिल्ली–मार्च 1966

सितम्बर 1973 मे बगलौर मे विधिवेत्ताओ की एक गोष्ठी हुयी। जिसमे न्यायमूर्ति के0 सुब्बाराव न्यायमूर्ति के0एस0 हेगडे न्यायमूर्ति के0आर0 गोपी बल्लभ आयगर सहित कई विधि वेत्ताओ ने इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की। न्यायमूर्ति के0 सुव्वाराव एव न्यायमूर्ति आयगर को छोडकर अधिकाश वक्ताओ ने जाति के आधार पर पिछडे वर्गों के निर्धारण का जोरदार समर्थन किया।[1]

1975 जे0एल0जी0 ह्वानूर की अध्यक्षता मे स्थापित कर्नाटक पिछडावर्ग आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ जिसमे ऐतिहासिक वैधानिक सवैधानिक एव अन्य तथ्यो के आधार पर बडे विद्वतापूर्ण ढग से इस बात का समर्थन किया गया था कि सविधान के अनुच्छेद 15(4) मे नागरिको के वर्ग' का तात्पर्य प्रजाति एव जाति पर आधारित मनुष्यो के समूह से है। इस आयोग ने कर्नाटक मे पिछडे वर्गों के सामाजिक पिछडावन के निर्धारण के लिये सामाजिक प्रतिष्ठा को मापदण्ड माना था।[2]

1974 मे प्रकाशित तमिलनाडु पिछडा वर्ग आयोग (अध्यक्ष ए0एन0 सत्यनाथ) ने भी पिछडे वर्गों के लिए जाति का मापदण्ड अपनाया।[3]

1977–78 मे उत्तर प्रदेश एव विहार मे जनता पार्टी की सरकारो द्वारा पिछडे वर्गों के लिए राज्याधीन सेवाओ मे आरक्षण की घोषणा की गई और इस हेतु पिछडे वर्गों की जो सूची बनाई वह जाति पर आधारित थी। इन घोषणाओ के फलस्वरूप पिछडे वर्गों के निर्धारण का मापदण्ड जाति हो या आर्थिक व्यवस्था यह प्रश्न पुन विचारणीय हो गया।[4]

---

1 कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग–कर्नाटक सरकार 1975 पृ0–108
2 कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कर्नाटक सरकार गजट vol IV part I 1975 p 83 अध्यक्ष एल0जी0 हैनूवर।
3 पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार 1974 पृ0 –3
4 पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट बिहार सरकार अध्यक्ष मुंगेरीलाल आज वाराणसी 17 मार्च 1978

मण्डल आयोग

दिसम्बर 1978 मे केन्द्र मे सत्तारूढ होने पर जनता पार्टी की मत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति ने वी0पी0 मडल की अध्यक्षता मे एक पिछडा वर्ग आयोग गठित किया इस आयोग ने 31 दिसम्बर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रेषित किया। इस रिपोर्ट मे आयोग ने पिछडे वर्गों के निर्धारण के लिए जाति को आधार बनाने की सस्तुति की। मण्डल आयोग की इस सस्तुति ने देश मे एक बार पुन राष्ट्र स्तर पर यह विवाद खडा कर दिया कि पिछडे वर्गों का निर्धारण जाति के आधार पर हो या आर्थिक अवस्था के आधार पर।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट को अध्याय 3 मे विस्तार रूप से लिखा गया है।

अत स्पष्ट है कि पिछडे हुए वर्गों के निर्धारण के लिए जाति अथवा आर्थिक अवस्था किसको मापदण्ड बनाया जाये आदि प्रश्नो को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है और पिछडे हुए वर्गों की कोई निश्चित परिभाषा नही बन पायी है। वैधानिक उद्देश्यो के लिए प्रत्येक राज्य मे उस राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई पिछडे वर्गों की सूची मे शामिल जातियो/समुदायो/समूहो को पिछडा वर्ग माना जा रहा है बशर्ते कि चुनौती की स्थिति मे न्यायपालिका ने उसे स्वीकार कर लिया है।

साधारणत पिछडे वर्गों शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो एव अन्य पिछडे हुए वर्गों सबके लिए किया जाता है। किन्तु अनुसूचित जातियो एव अनुसूचित जनजातियो की अलग से कोई सूची रहने के कारण अन्य पिछडे हुए वर्गों" को केवल 'पिछडे हुए वर्गों के नाम से भी पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश के शासनादेश मे उन्हे केवल 'पिछडा वर्ग कहा गया है।[1]

---

1 उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश सख्या–1314/XXI/–781 17 दिसम्बर 1958

उत्तर प्रदेश राज्य की पिछडे हुए वर्गों की सूची के जाति/समुदाय पर आधारित होने के कारण प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे पिछडे हुए वर्गों एव पिछडी हुई जातियो/समुदायो को समानार्थक एव पर्यायवाची के रूप मे प्रयुक्त किया गया है।

आज पिछडे वर्ग के अन्तर्गत जो जातिया शामिल समझी जाती है वे जातिया/समुदाय है जो हिन्दू वर्ण व्यवस्था मे शूद्र वर्ण की थी और सामाजिक स्तरीकरण मे मध्यम और निम्नस्तर पर थी।

अत निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यह अध्याय पूर्णरूपेण पिछडी जातियो के उत्पत्ति विकास और उनके निर्धारण से सम्बधित है। पिछडी जातियो के विकास के ऐतिहासिक सिहावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पिछडी जातिया अपने वर्तमान स्वरूप मे प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का अग नही थी वरन् सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तनशीलता का द्योतक है। वास्तव मे पिछडी जातिया प्राचीन भारत मे व्याप्त वर्ण व्यवस्था के चौथे वर्ग अर्थात शूद्र वर्ग से असतित्व मे आती है। शूद्र वर्ग की ही कुछ मेहनतकश जातिया सामाजिक मान्यता के आधार पर शूद्र वर्ग से ऊपर उठती गईं और कालान्तर मे पिछडी जातियो' के रूप मे परिभाषित की गई। परन्तु इनका निर्धारण इतना आसान नही है और न ही इनके निर्धारण मे किसी एक कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वरन् इनके वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने मे बहुत से कारको ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्याय–दो

पिछड़ी जातियों की राजनीति
भूमिका : 1950 तक

पिछडी जातियो की राजनीतिक भूमिका 1950 तक

पिछडी जातियो मे जो राजनीतिक और सामाजिक विकास और गतिशीलता देखा जा रहा है वह शताब्दियो के कडे सघर्ष का परिणाम है तथा इसके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी रहे है। इस शोध प्रबन्ध के अध्याय दो मे इन्ही कारको का उल्लेख किया गया है। पिछडी जातियो के उत्थान और विकास मे अग्रेजो की आर्थिक नीतिया और उसका भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पिछडी जातियो की स्थिति परिवर्तन मे सस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण का योगदान 19वी और 20वी शताब्दी के सामाजिक सुधार आन्दोलन और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव पिछडी जातियो के आन्दोलन जैसे–सत्यशोधक समाज का आन्दोलन जस्टिस पार्टी आन्दोलन आत्म सम्मान आदोलन उत्तर भारत मे पिछडी जातियो के आन्दोलन कृषक आन्दोलन और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव, जातिगत आन्दोलन और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त स्वतत्रता पश्चात जब देश मे जमीदारी उन्मूलन लागू किया गया तथा लोकतत्रीय शासन प्रणाली और वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया तो इन व्यवस्थाओ का भी पिछडी जातियो ने अपने सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता मे भरपूर उपयोग किया।

अग्रेजो की आर्थिक नीतिया और उसका भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव

भारत की अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक जीवन को किसी भी विजेता ने इतना अधिक प्रभावित नही किया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने किया। अग्रेजो से पूर्व जो भी विजेता भारत आये थे वह केवल राजनीतिक दृष्टि से वश परिवर्तन ही किये और उन्होने आर्थिक व्यवस्था के सामाजिक गठन व सम्बन्धो को पूर्णतया परपरागत भारतीय व्यवस्था के अनुकूल ही रहने दिया। साथ ही वे स्वय भी

हिन्दुस्तान मे अपने आपको समायोजित कर लिया। क्योकि वे एक जैसे बर्बर विजेता थे जिन पर उच्चतर सस्कृति ने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अग्रेज ऐसे पहले विजेता थे जिन्होने पारपरिक समाज को तोडकर प्राचीन उद्योगो को तो समाप्त किया ही साथ ही साथ प्रारम्भिक समाज मे जो कुछ व्यवस्था थी उसे भी समाप्त कर दिया। अग्रेज भारत मे सामती व्यवस्था को समाप्त कर और पूजीवादी व्यवस्था की स्थापना करके आधुनिक युग मे परिवर्तित करना चाहते थे। नयी भौतिक वादी व्यवस्था के अनुरूप ही वह अपने यहा सामाजिक आर्थिक एव नैतिक मापदण्डो की स्थापना कर चुके थे। निश्चय ही भारतीय सभ्यता सस्कृति व सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो उनके आगमन के समय पुरातन समाज मे जी रही थी उनकी तुलना मे निम्नतर थी। पूँजीवादी राष्ट्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एव सास्कृतिक दृष्टि से सामती जनजीवन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है वह उन्नत उत्पादन तकनीक पर आधारित होता है। चूँकि भारतीय समाज मे कृषि और उत्पादन मे पिछडी जातिया अधिकाशत सम्मिलित थी। अत ब्रिटिश साम्राज्य की इन नीतियो का व्यापक प्रभाव भी इन्ही जातियो पर पडा।[1]

अग्रेजो के आने पूर्व भारतीय ग्राम आत्मनिर्भर थे और प्राचीन ग्राम समुदाय मे खेती और दस्तकारी साथ–साथ चलती थी। भारतीय ग्रामो मे आत्मनिर्भरता का अर्थ पूर्ण पृथकता नही थी वरन् इसका अर्थ केवल यह था कि गाव के लोग सामान्यता अपने उपयोग के लिए बहुत कम वस्तुए या सेवाए दूसरे गावो या शहरो से मगाते थे। गॉव के उत्पादन का मुख्य भाग राज्य के लगान के रूप मे दिया जाता था और उसका एक अश बाहर शहरो मे बेचने के लिए भेजा जाता था। डा0 इरफान हवीब के शब्दो मे इन गावो मे आत्मनिर्भरता और मुद्रा अर्थव्यवस्था के लक्षण एक साथ मौजूद थे।[2]

---

1 सत्याराय–भारत मे उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली (1990) पृष्ठ–37
2 आर0 एल0 शुक्ला–आधुनिक भारत का इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली वर्ष–1990 पृष्ठ– 41 42

सामाजिक विभाजन जाति प्रधान था अर्थ प्रधान नही। ग्रामीण स्तर पर सामाजिक भेदभाव थे लेकिन आर्थिक भेदभाव नही थे। क्योकि सभी प्रकार के कारीगर गाव मे रहते थे। भारतीय ग्रामो की विशिष्टता यह थी कि अधिकाश कारीगर सारे गाव के सेवक होते थे। शहरो मे भी राजकीय सामत कारीगर कलाकार इत्यादि रहते थे। आधुनिक वर्ग (जैसे–बडे–बडे पूजीपति व्यापारी दलाल पेशेवर लोग बुद्धिजीवी इत्यादि) थे तो लेकिन इनकी सख्या बहुत कम थी। गावो की सतुलित व्यवस्था के कारण शहर का औद्योगिक और वाणिज्य वर्ग अपने व्यापारिक कार्यों का बहुत अधिक विकास नही कर पाये। इसलिए यह वर्ग आर्थिक क्षेत्र मे एक शक्ति के रूप मे नही उभर सके। फलत भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर रही। शेवलकर के शब्दो मे गावो की अवोध दृढता और मध्यम वर्ग की राजनीतिक कमजोरी के कारण भारतीय अर्थतत्र का विकास अवरूद्ध रहा और पूजीवादी व्यवस्था का अपने आप विकास होना असभव हो गया।[1]

किसानो मे भी दो श्रेणियो के किसानो का उल्लेख मिलता है।

1 **खुदकाश्त वर्ग**–इसमे वह किसान आते थे जिन्हे भूमि पर स्थायी रूप से रहने का अधिकार प्राप्त था चाहे उन्हे भूमि पर स्वामित्व न भी प्राप्त हो।

2 **पैकाश्त वर्ग**–इस वर्ग को भूमि जोतने का स्थायी अधिकार प्राप्त था पर उन्हे भूमि पर स्वामित्व या दखल–सम्बन्धी किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही था।[2]

जब अग्रेज व्यापारियो ने भारत मे प्रवेश किया तब भारत मे भूमि का ढाचा परम्परा स्वरूप पर ही आधारित था। अपनी सूझ–बूझ से अग्रेजो को यह समझते देर नही लगी कि मुगल सम्राट का नियत्रण काफी ढीला पडता जा रहा था। मुगलो मराठो तथा अफगानो के आपसी सघर्ष का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत मे अपने पैर काफी मजबूत कर लिये। मुगल सम्राट का नियत्रण ढीला पडने के [illegible]

---

1 सत्यराज–भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद पृष्ठ – 39
2 आर० एल० शुक्ला– आधुनिक भारत का इतिहास पृष्ठ–42

अग्रेजी भारतीय गवर्नरो ने ये अधिकार अपने हाथ मे ले लिये। कम्पनी ने यह अधिकार बगाल के गवर्नर आजिम–उश–शान से 1979 मे कलकत्ता गोविन्दपुर और सुलानही के इलाके मे प्राप्त किये। कम्पनी अपने इस अधिकारो के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए उत्सुक थी और 1757 मे प्लासी के युद्ध के बाद कम्पनी ने 24 परगनो की जमीदारी प्राप्त कर ली।[1]

अभी तक कम्पनी यह राजस्व बगा के दीवान द्वारा ही प्राप्त करती थी। वारेन हेस्टिग्ज ने कलकत्ता प्रेसीडेसी का गवर्नर बनने के बाद ये सभी अधिकार डिप्टी नवाब से छीन लिये और इस तरह 1772 से भू–राजस्व एकत्रित करने और उसकी अदायगी के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने की दिशा मे परीक्षण और भूल सुधार की एक ऐसी पद्धति का आरभ हुआ जिसके सदर्भ मे अनेक प्रश्न उठाये गये और उन पर काफी विवाद भी हुआ। भारत मे भूमि का स्वामी किसे माना जाए और भूमि की पैदावार मे सरकार का हिस्सा क्या हो? मुगलकाल के जमीदार भूमि के स्वामी है या वह सिर्फ विचौलिए भर हैं इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठ खडे हुए।[2]

वारेन हेस्टिग्ज का मत था कि समस्त भूमि सरकार की है और जमीदार केवल विचौलिये मात्र है। उसने केवल उन्ही जमीदारो के अस्तित्व को स्वीकार किया जिसमे उस जमीदार से मिलने वाली बोली के बराबर भूराजस्व कम्पनी को देने की सामर्थ थी। 1772 मे उसने पाच वर्षीय बन्दोबस्त लागू किया। इसका अर्थ था कि प्रत्येक जमीदारो पर मालगुजारी 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दी जाए। और मालगुजारी वसूल करने का कार्य या ठेका उसी व्यक्ति को दिया जाए जो उसकी सर्वाधिक बोली ला सके। इस प्रकार पुराने जमीदारो को नये जमीदारो के स्तर पर ही रखा या ताकि भू–राजस्व के रूप मे अधिक से अधिक पैसा प्राप्त हो सके। इस प्रणाली की सबसे गहरी चोट खेतिहरो किसानो के ऊपर ही पडी। क्योकि अतत अधिक कर निर्धारण और नये

---

1 आर0 एल0 शुक्ला – आधुनिक भारत का इतिहास पृष्ठ–43
2 वही– पृष्ठ– 43 44

जमीदारो के शोषण के शिकार सबसे ज्यादा वही हुए। **डॉ० ताराचन्द्र** के अनुसार इसका परिणाम हुआ कि किसानो द्वारा रैयतो का पूर्ण निष्कासन और दमन कर्तव्यच्युत जमीदार फरार होते किसान और काम से भागते हुए रैयत। यह भारत के ग्रामीण सगठनो मे पहली दरार थी।[1]

अग्रेजो की दूसरी महत्वपूर्ण नीति महलवाडी पद्धति थी। इस पद्धति के अनुसार भूमिकर की इकाई कृषक का खेत नही अपितु ग्राम अथवा महल (जागीर का एक भाग) होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा भी सम्मिलित रूप से होती थी जिसको भागीदारो का समूह कहते थे। ये लोग सम्मिलित रूप से भूमिकर देने के लिए उत्तरदायी होते थे यद्यपि कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को सभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था।[2]

उत्तर पश्चिमी प्रात तथा अवध (यू०पी०) मे भूमिकर व्यवस्था –उत्तर पश्चिमी प्रात तथा अवध जिसे आजकल उत्तर–प्रदेश कहा जाता है अग्रेजो के अधीन भिन्न भिन्न समय पर आया। 1801 मे अवध के नवाब ने कम्पनी को इलाहाबाद तथा उसके आस–पास के प्रदेश जिन्हे अभ्यार्पित जिले कहते थे दे दिये। द्वितीय आग्ल–मराठा युद्ध के पश्चात कम्पनी ने गगा तथा यमुना के मध्य का प्रदेश विजित कर लिया। इन जिलो को विजित प्रात कहा जाता था। अतिम आग्ल–मराठा युद्ध के पश्चात लार्ड हेस्टिग्ज ने उत्तरी भारत मे और अधिक क्षेत्र प्राप्त कर लिया। प्रस्तुत है अग्रेजो की कुछ भू–नीतिया जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित की।[3]

---

1 वही– पृष्ठ– 44
2 वी0 एल0 ग्रोवर – यशपाल – आधुनिक भारत का इतिहास एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0–नयी दिल्ली वर्ष– 1995 पृष्ठ–240 241
3 वही– पृष्ठ– 241

1822 का रेग्यूलेशन–आयुक्तो के बोर्ड के सचिव होल्ट मैकेजी के पत्र मे उत्तरी भारत मे ग्राम सभाओ की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा यह सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए तथा प्रत्येक ग्राम से भूमिकर प्रधान अथवा कर अमीन द्वारा सग्रह करने की व्यवस्था की जाए।[1]

1822 के रेग्यूलेशन–7 द्वारा इस सुझाव को कानूनी रूप दे दिया गया। भूमि कर भू–भाटक का 30 प्रतिशत निश्चित किया गया जो जमीदारो को देना पडता था। प्रदेशो मे जहा जमीदार नही होते थे तथा भूमि ग्राम समाज की सम्मिलित रूप से होती थी। 95 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया। परन्तु सरकार की माग अधिक होने के कारण तथा सग्रहण मे अधिक दृढता होने के कारण यह व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी।[2]

1833 का रेग्यूलेशन 9 तथा मार्टिन बर्ड की भूमिकर व्यवस्था–विलियम बैटिक की सरकार ने 1892 के योजना की पूर्णरूपेपण समीक्षा की तथा यह निष्कर्ष निकाला कि इस योजना से लोगो को बहुत कठिनाई हुयी है तथा यह अपनी कठोरता के कारण ही टूट गयी। बहुत सोच–विचार के पश्चात ही 1833 का रेग्यूलेशन पारित किया गया। जिसके द्वारा भूमि की उपज तथा भू–भाटक का अनुमान लगाने की पद्यति सरल बना ली गयी। भिन्न–भिन्न प्रकार की भूमि के लिए छिन्न–भिन्न औसत भाटक नियुक्त किया गया।[3]

रैयतवाडी पद्धति–अग्रेजो की तीसरी महत्वपूर्ण नीति जो भू–राजस्व से सबधित थी वह थी रैयतवाडी पद्यति। इस पद्यति के अनुसार प्रत्येक पजीकृत भूमिभार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वह ही राज्य सरकार को भूमिकर देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि का अनुभाटकन गिरवी रखने तथा बेचने की अनुमति

---

1 वही– पृष्ठ– 241
2 वही– पृष्ठ– 241
3 वी0 एल0 ग्रोवर + यशपाल–आधुनिक भारत का इतिहास एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 नयी दिल्ली वर्ष– 1995 पृष्ठ– 24–242

थी। वह अपनी भूमि से उस समय तक वचित नही किया जा सकता था जब तक वह समय पर भूमि कर देता रहे।[1]

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना –ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भूमिकर पद्धतियो का विशेषकर अत्यधिक कर तथा नवीन प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गयी। ग्राम पचायतो के मुख्य कार्य भूमि व्यवस्था तथा न्यायिक कार्य समाप्त हो चुके थे तथा ग्रामो मे भूमि का महत्व बढ गया। इस नयी भू–व्यवस्था से भूमि तथा कृषक दोनो ही चलनशील हो गये जिसके फलस्वरूप ग्रामो मे साहूकार एव अन्यत्रवासी भूमिपति वर्ग उत्पन्न हुए।[2]

उन्नीसवी शताब्दी के राष्ट्रवादी विचारको का बार–बार यही कहना था कि सरकार की भू–राजस्व की माग रैयतवाडी तथा जमीदारी व्यवस्था दोनो मे अत्यधिक है। भू–राजस्व समय–समय पर न देने की अवस्था मे सरकार जमीदारो तथा रैयतवाडो की भूमि जब्त कर लेती थी और इसे पुन नगरवासी व्यापारियो तथा सहेवाजो को बेच देती थी। ये नये लोग जो प्राय खेतिहर नही होते थे केवल अधिकाधिक किराये की चिन्ता करते थे और स्वय भी सहेवाजो को ही किराया सग्रह करने का कार्य सौप देते थे।[3]

समाज मे जमीदार तथा साहूकार जिनकी ग्राम निवासियो को अब अधिक आवश्यकता होने लगी थी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गये। अब ग्रामीण श्रमिक वर्ग जिसमे छोटे–छोटे किसान गुजारे तथा भूमिहिन किसान सम्मिलित थे उनकी सख्या बढ गयी। सहकारिता के स्थान पर आपसी प्रतिद्वद्विता तथा व्यक्तिवाद को बढावा मिला तथा पूजीवाद के पूर्वाकाक्षित तत्व उत्पन्न हो गये। अब उत्पादन के साधन जिनमे धन की आवश्यकता होती थी मुद्रा अर्थव्यवस्था कृषिका वाणिज्यकरण सचार अवस्था मे सुधार

---

1 वही – पृष्ठ– 242
2 वही – पृष्ठ 244–245
3 वही – पृष्ठ 245

तथा विश्व की मण्डियो के साथ सम्पर्क इन सभी तत्वो ने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को तथा भारतीय कृषि को एक नया रूप दिया।[1]

भू-राजस्व नीतियो का आर्थिक एव सामाजिक दुष्परिणाम

ब्रिटिश शासन की भू–राजस्व प्रणाली का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पडा। ब्रिटिश शासन द्वारा इन व्यवस्थाओ के माध्यम से बनाये गये भूस्वामी केवल प्राप्त करने वाले दूरस्थ व्यवसायी थे और उन्होने विदेशी राजनीतिक शक्ति के एजेन्ट की भूमिका निभाई। सरकार को भू–राजस्व की एक निश्चित रकम नियमित रूप से अदा करने की गारटी देकर उन्होने राजनीतिक रूप से असहाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसानो को यथासम्भव लूटने का अधिकार खरीद लिया था। इन व्यवस्थाओ के दबाव मे ग्रामीण समुदाय का पुराना राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक वर्ग और भूमि सम्पन्न कुलीन वर्ग का प्राधान्य हो गया। दूसरी ओर ग्रामीण समुदाय के और ग्राम्य क्षेत्रो मे प्रतिद्वद्विता के परिणाम स्वरूप वेदखल किसानो ग्रामीण दस्तकारो और ग्रामीण मजदूरो कृषक जनसख्या के साथ आय के परम्परागत साधनो से विहिन हो गये।[2]

ग्रामीण समुदायो का विघटन और भारतीय मध्यवर्ग का अभ्युदय

ब्रिटिश शासन द्वारा भारत मे स्थापित की गयी भू–राजस्व प्रणाली ने उस प्राचीन सामाजिक ढाचे को ध्वस्त कर दिया जिसमे किसान लोग सदियो से रहते आये थे। उन समस्त सामाजिक सूत्रो को तोड डाला गया जो ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों को आपस मे जोडे हुए थे। सयुक्त परिवार व्यवस्था और पचायतो को भारी धक्का लगा। सहयोग का स्थान प्रतियोगिता ने ले लिया। गाव के सामूहिक जीवन का स्थान अत व्यक्तिवाद ने ले लिया। कृषि उत्पादन से ग्रामीण जनता की आवश्यकताए पुरी करने के

---

1 वही – पृष्ठ 245
2 वी0के0 अग्निहोत्री–भारतीय एलाइड पब्लिशर्स नयी दिल्ली–वर्ष–1999 पृ0 83

स्थान पर उसे बाहरी बाजार की आवश्यकताओ के अनुकूल बनाया जाने लगा। गावो को विदेशी आयात के लिए खोले जाने से ग्रामीण दस्तकारियो और उद्योगो को भारी क्षति पहुची। ग्रामीण दस्तकारो की परपरागत प्रतिष्ठा और उनकी वस्तुओ का बाजार नष्ट हो गया और अब वह औद्योगिक कामकारो से मजदूर बन गये। कार्ल मार्क्स के अनुसार सम्पत्ति सम्बन्धो मे परिवर्तन आने से क्राति आयी ।[1]

पिछडी जातियो की स्थिति मे परिवर्तन मे सस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का योगदान सस्कृतिकरण

आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत विस्तृत और जटिल है और उसको ठीक से समझने के लिए आर्थिक सामाजिक और सास्कृतिक इतिहास कानून राजनीति शिक्षा धर्म जनतात्रिकी और समाज विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रो के बहुत से अध्येयताओ के दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता होती है। इनमे आर्थिक नीतिया सामाजिक और धार्मिक सुधार आदोलन तथा सस्कृतिकरण एव पश्चिमीकरण, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जिन दो प्रक्रियाओ का सकेत करती है उनमे से सस्कृतिकरण भारतीय इतिहास मे निरतर गतिमान रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण उन परिवर्तनो की ओर सकेत करता है जिनका भारतीय समाज मे समावेश अग्रेजी राज मे हुआ और जो कुछ क्षेत्रो मे अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत मे भी हो रहे है। सस्कृतिकरण से भिन्न पश्चिमीकरण भारतीय आवादी के किसी विशेष अश तक सीमित नही है और उसका महत्व उससे प्रभावित होने वालो की सख्या और प्रभावित होने के प्रकार दोनो ही दृष्टियो से लगातार बढ रहा है।[2]

नि सदेह जाति इस अर्थ मे एक भारत व्यापी घटना है कि हर स्थान पर ऐसे आनुवाशिक अन्तर्गामी समूह पाये जाते है जिनका सोपान बना हुआ है और इनमे से प्रत्येक समूह का एक या दो धधो से पारम्परिक सम्बन्ध होता है। हर स्थान पर ब्राह्मण

---

1 वही–पृष्ठ– 83

2 एम0एन0 श्रीनिवास– आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन–दिल्ली वर्ष–1987 पृष्ठ–17

हैं, अछूत हैं, और किसान, दस्तकार, व्यापारी तथा सेवक जातियां हैं। जातियों के बीच सम्बन्ध अनिवार्यतः अपवितत्रता और पवितत्रता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। संसार, कर्म, धर्म जैसे कुछ एक हिन्दू धर्मशास्त्रीय, प्रत्यय, जाति प्रथायें बने हुये है पर यह ज्ञात नहीं है कि इन अवधारणाओं का मान सर्वव्यापी है अथवा सोपान की केवल कुछ ही श्रेणियों तक सीमित है। यह उस क्षेत्र की संस्कृतिकरण की मात्रा पर निर्भर है।[1]

पर कुछ सार्वभौतिक विशेषताओं की उपस्थिति के कारण हमें महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्ताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल यही नहीं कि कुछ जांतिया जैसें भड़–भूजा, कहार, और वाटोद अथवा चारण, देश के कुछ ही भागों में पाये जाते हैं या कि कुछ धन्धों पर आधारित जातियों की स्थिति देश के हर भाग में अलग–अलग है वरन यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जाति मुख्यतः एक प्रादेशिक व्यवस्था के रूप में मौजूद और कार्यशील है। एक छोटे प्रदेश के भीतर भी एक जाति साधारणतः केवल कुछ एक जातियों के साथ पारस्परिक व्यवहार रखती है, सबके साथ नहीं। इसके अतिरिक्त औसत किसान के लिए अन्य भाषायी क्षेत्रों में जातियों के नाम सवर्था अपरिचित होते हैं। उनका अर्थ वर्ण के आंतककारी ढाचें में रखने पर ही समझ में आता है।[2]

वर्ण आदर्श में किसी जाति श्रेणी के स्थान के बारें में कोई सन्देह नहीं होता। किन्तु पदक्रम में स्थान का निश्चित होना जाति मात्र की विशेषता नहीं है। वास्तव में, जाति व्यवस्था के दोनों छोर भी उतने अचल नहीं है जितने बताये जाते हैं। कुछ ब्राह्मण समूहों को इतना नीचा माना जाता है कि हरिजन तक उनके हाथ का खाना नहीं खाते हैं।[3]

सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई 'नीच' हिन्दू जातियाँ कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः 'द्विज' जाति की दिशा में अपने

---

1. एम0एन0 श्रीनिवास– आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन–दिल्ली, वर्ष–1987, पृष्ठ–18.
2. वही पृष्ठ–19.
3. एम0एन0 श्रीनिवास– आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन–पृष्ठ–19.

रीति–रिवाज कर्मकाण्ड विचार–धारा और जीवन पध्दति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तनो के बाद वह जाति परम्परा से स्थानीय समाज द्वारा सोपान मे जो स्थान उसे मिला हुआ है उससे उचे स्थान का दावा करने लगती है। साधारणत बहुत दिनो तक वरन् वास्तव मे एक दो पीढियो तक दावा किये जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कभी–कभी कोई जाति ऐसे स्थान की माग करने लगती है जो उसके सोपानीय पडोसी मानने को तैयार नही होते। केवल मतामत के क्षेत्र मे नही वरन् सस्थागत व्यवहार के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र मे भी होना सम्भव है। इस भाति मैसूर मे हरिजन जातिया दस्तकारो (लुहारो सुनारो) इत्यादि के हाथ का बना खाना और पीने का पानी नही स्वीकार करती जो निश्चय ही स्पृश्य जातियो मे है और इसलिए हरिजनो से श्रेष्ठतर है चाहे उनका विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का दावा भले ही न स्वीकार किया जाए। इसी तरह किसान (ओकालिग) और अन्य जैसे भडरिये (कुमत्र) मार्क ब्राह्मणो का जो निश्चित ही ब्राह्मणो मे शूमार होते है बना हुआ खाना और पानी नही स्वीकार करते।[1]

वर्ण–आदर्श और वर्तमान स्थानीय सोपान के बीच सहमति का अभाव शूद्रो के विषय मे और भी अधिक स्पष्ट है। न केवल यह श्रेणि स्थानीय क्षत्रिय और वैश्य जातियो की भरती के लिए उर्वर क्षेत्र रही है जैसा कि के0 एन0 पणिक्कर ने कहा है वरन् उसका सास्कृतिक और सरचनात्मक विस्तार इतना बडा है कि स्वय श्रेणि ही लगभग निरर्थक हो जाती है। उसमे यदि एक छोर पर प्रभुता सम्पन्न भू–स्वामी विकास जातियॉ है जिनका स्थानीय वैश्यो और ब्राह्मणो के ऊपर शासन और अधिकार है तो दूसरे छोर पर गरीब प्राय अछूत समूह हैं जो अपवित्रता रेखा के ठीक ऊपर जीवित हैं। इसी श्रेणि मे बहुत सी दस्तकार और सेवक जातिया भी है जैसे सुनार, लुहार, बढई कुम्हार, तेली वसोर, जुलाहे नाई धोबी, कहार, भडभूजे ताडी चुआनेवाले गडरिये शूकरपाल इत्यादि।[2]

---

1 वहीं–पृष्ठ–21
2 वहीं–पृष्ठ–24

इसी प्रकार यह सम्भव है कि शूद्रो की इस व्यापक श्रेणि मे कुछ जातियो की जीवन शैली का अत्याधिक सस्कृतिकरण हुआ है और कुछ का अल्पतम। पर सस्कृतिकरण हुआ हो या न हुआ हो और किसान प्रभुजातिया ही अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करती है। पोलक और सिगर ने कहा है कि वे ही क्षत्रिय और अन्य आदर्शों का माध्यम बनती है। [1]

भारत के विभिन्न भागो मे देहाती जीवन की एक विशेषता है प्रभुता सम्पन्न भू–स्वामी जातियो की उपस्थिति। प्रभुता सम्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि उस जाति का उपलब्ध स्थानीय कृषि योग्य भूमि मे से बडे अश पर स्वामित्व हो। उसकी सदस्य सभा यथेष्ट हो और स्थानीय सोपान मे उसे उच्च स्थान प्राप्त हो। जब किसी जाति मे प्रभुता के ये सभी गुण विद्यमान हो तो कहा जा सकता है कि उसे असदिग्ध प्रभुता प्राप्त है। कभी–कभी किसी गाव मे एक से अधिक जाति की प्रभुता होती है और कालातर मे प्रभुता एक जाति से दूसरी जाति के पास पहुच जाती है। यह कभी–कभी अग्रेज पूर्व युग मे भी होता था और 20वी शताब्दी मे तो देहाती समाजिक परिवर्तन का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है।[2] भारत मे स्वतत्रता पश्चात ग्रामो मे स्थानान्तरण अब एक आम बात हो गयी है इसी स्थानातरण का लाभउठाकर पिछडी जातिया अपना आधारमजबूत कर रही हैं।

पिछले लगभग 80 वर्ष मे प्रभुता पर असर डालने वाले नये तत्व प्रकट हुए हैं। पश्चिमी शिक्षा प्रशासन मे नौकरिया और आमदनी के शहरी साधन, सब गावो मे विशेष जाति समूहो की प्रतिष्ठा और सत्ता बढाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से बालिग मताधिकार' और 'पचायतीराज के प्रारम्भ से नीच जातियो, विशेषकर हरिजनो को जिनके लिए गाव से लगाकर ससद तक सभी निर्वाचित सस्थाओ मे स्थान सुरक्षित है आत्म सम्मान और शक्ति का नया रूप प्राप्त हुआ है। इन परविर्तनो के

---

1 वहीं–पृष्ठ–24
2 वहीं–पृष्ठ–24

दीर्घकलीन प्रभाव सभवत और भी अधिक महत्वपूर्ण है विशेषकर उन क्षेत्रो मे जहा पिछडी जातिया इतनी सख्या मे मौजूद है कि स्थानीय शक्ति का पलडा किसी न किसी दिशा मे झूका सके। पारम्परिक व्यवस्था मे किसी ऊची जाति के थोडे से लोगो का यदि कृषि योग्य भूमि के बडे अश पर स्वामित्व हो और उन्हे उच्च कर्मकाण्डीय स्थान भी प्राप्त हो तो वे सारे गाव पर अधिकार चला सकते है। किन्तु अब ग्रामीण भारत के बहुत से भागो मे सत्ता सख्या की दृष्टि से बडी भू–स्वामी किसान जातियो के हाथो मे पहुच गयी है। और कुछ ऐसे गावो को छोडकर जहा हरिजन बहुसख्यक है या पिछडी जाति बहुसख्यक है और अपने लिए उपलब्ध शिक्षा के तथा नये अवसरो का लाभ भी उठा रहे हैं। अभी वह कुछ समय तक उन्ही के पास रहेगी।[1]

प्रभुता स्थापित होने मे भू–स्वामित्व बडा निर्णायक तत्व है। आमतौर पर भारत के देहातो मे भूमि के स्वामित्व का रूप ऐसा है कि कृषि योग्य भूमि का अधिकाश भाग अपेक्षतया थोडे से बडे–बडे भू–स्वामियो के हाथो मे केन्द्रित है। जबकि बहुसख्यक बडे–बडे भू–स्वामी गाव की शेष आबादी के ऊपर बहुत ज्यादा हुकुम चलाते हैं और तेजी से आबादी बढने के कारण हालत और भी सशक्त होती जा रही है।[2]

विलियम रो के अनुसार जब 1936 मे पूर्वी उत्तर प्रदेश मे सेनापुर गाव के नोनियो ने सामूहिक रूप से यज्ञोपवतीत पहना तो कुछ क्षत्रिय जमीदारो ने नोनियो की पिटाई की उनके यज्ञोपवतीत तोडकर फेक दिये और इस जाति के ऊपर जुर्मानाकर दिया। परन्तु जब कुछ वर्षों बाद नोनियो ने पुन यज्ञोपवतीत पहनना आरभ किया तो अब उसका कोई विरोध नही किया गया। उनके पहले प्रयास मे सीधी–सीधी सार्वजनिक चुनौती थी। पर दूसरी बार नोनियो ने यज्ञोपवतीत चुपचाप और वैयक्तिक रूप मे पहनना शुरू किया।[1]

---

1 वहीं–पृष्ठ–24 25
2 वहीं–पृष्ठ–25
1 एम0एन0 श्रीनिवास– आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन दिल्ली वर्ष– 1987 पृष्ठ–27

1921 की भारतीय जनगणना रिर्पोट से पता चलता है कि जब उत्तर भारत के अहिरो ने अपने आपको क्षत्रिय कहने और यज्ञोपवतीत पहनने का निश्चय किया तो उनके कार्य से प्रभुता सम्पन्न उच्च जातियो मे बडा रोष फैला था। उदाहरण के लिए उत्तर बिहार मे उच्च जातियो राजपूतो और भूमिहार ब्राह्मणो ने अहिरो को द्विजो के चिन्ह धारण करने से रोका था जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच मारपीट हुयी थी। जे0एच0 हटन ने भारत के दक्षिणी छोर पर रामनाड जिले की एक प्रभुजाति कल्ल और हरिजनो के बीच अपनी पुस्तक मे ऐसे ही सघर्ष का वर्णन किया है।

ग्रामीण भारत के अधिकाश भागो मे ऐसी भू–स्वामी किसान जातिया मौजूद है जिन्हे या तो असदिग्ध प्रभुता प्राप्त है या वह शूद्र क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणो मे से किसी अन्य जाति के साथ प्रभुता मे साक्षीयार है। स्वाधीन भारत मे जो परिवर्तन हुए है वह सामान्यत ऐसे है जिनसे किसान जातियो की शक्ति और प्रतिष्ठा बढी है और आमतौर पर राजपूत और ब्राह्मण जैसी उच्च जातियो को गिराकर बढी है।[1]

ग्रामीण भारत का ऐसा नक्शा बनाया जा सकता है जिसमे प्रत्येक गाव की प्रभुता सम्पन्न जातिया दिखाई गयी है। ऐसे व्यवस्थित नक्शे के अभाव मे कुछ एक अधिक प्रभु–जातियो के नाम यहा लिये जा सकते है। पश्चिमी बगाल के कुछ भागो मे सदगोप गुजरात मे पाटीदार और राजपूत महाराष्ट्र मे मराठा आन्ध्र मे कम्भ और रेडडी मैसूर मे ओक्कलिगन और लिगायत मद्रास मे वेल्लास, गाउडर और कल्लट और केरल मे रायट सिरियाई इसाई और इजवन' प्रभु जातिया हैं। देहातो मे रहने वाले बहुसख्यक लोगो के लिए और कभी–कभी ब्राह्मणो के लिए भी प्रभु जातिया ही आदर्श प्रस्तुत करती है जहा उनकी जीवन पद्धति मे किसी हद तक सस्कृतिकरण हो चुका है। जैसे उदाहरण के लिए पाटीदारो, लिगायतो और कुछ वेल्लालो मे हो चुका है। वहा जिस क्षेत्र के ऊपर

---

1 वही पृष्ठ–27

उनकी प्रभुता का प्रसार है उसकी सस्कृति मे परिवर्तन होने लगता है। पाटीदारो का पिछले 100वर्षों मे अधिक सस्कृतिकरण हुआ है।[1]

सस्कृतिकरण के ब्राह्मणीय और कुल मिलाकर शूद्रतावादी आदर्श को सर्वोपरि प्रधानता प्राप्त रही है और मदीरा सेवी तथा मासाहारी क्षत्रिय तथा अन्य समूह भी अन्य आदर्शों से इसकी श्रेष्ठता निश्चित रूप से स्वीकार करते रहे है। इस भाति सामिष भोजियो मे मछली खाने वाले अपने आपको भेड–बकरी का मास खाने वाले भेड–बकरी का मास खाने वाले मुर्गी या सूअर का मास खाने वालो से श्रेष्ठ समझते है। जो स्वय गोमास खाने वालो को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखते है। सभी मासाहारी परपरा से मदिरा सेवी नही होते वह भी राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रो को छोडकर।[2]

अग्रेज पूर्व भारत मे सामाजिक गतिशीलता का एक शक्तिशाली स्रोत राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता मे था। यह अस्थिरता भारत के किसी एक भाग तक सीमित न थी। वरन् हर जगह व्यवस्था की एक विशेषता थी। वह सामाजिक गतिशीलता की एकमात्र तो नही परन्तु एक महत्वपूर्ण राह अवश्य थी। किन्तु राजसत्ता हथियाने के लिए यह आवश्यक था कि किसी जाति की अथवा उसकी स्थानीय प्रशाखा की सैनिक परपरा हो सत्ता मूलक शक्ति हो और हो सके तो बहुत सी कृषि योग्य भूमि पर उसका स्वामित्व हो। एक बार राजसत्ता हथिया लेने के बाद उसके लिए अपने कर्मकाण्ड और जीवन शैली का सस्कृतिकरण करना और क्षत्रिय होने का दावा करना आवश्यक था। उसे ऐसे ब्राह्मणो को आश्रय देना पडता था जो कर्मकाण्ड अवसरो पर उसकी पुरोहिताई करे और समूह के क्षत्रिय होने के दावे के समर्थन मे उपर्युक्त कल्प कथाए प्रस्तुत करे।[3]

यह गतिशीलता सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था से ही नही उत्पन्न होता है वरन् इसके साथ ही साथ इसमे उत्पादन के साधन भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

---

1 वही–पृष्ठ–32
2 वही–पृष्ठ–36
3 वही–पृष्ठ–41

अग्रेजो से पूर्व भारत मे आबादी की अधिकता की समस्या न थी। उदाहरण के लिए **'किग्सले डेविस'** ने कहा है कि भारत की आबादी 1600 से 1800 के बीच स्थिर रही और 1800 मे वह 125 करोड थी।[1] देश के बहुत से भागो मे ऐसी भूमि मौजूद थी जिसे थोडे से प्रयत्न से खेती के योग्य बनाया जा सकता था। इसका अर्थ था कि काश्तकारो और खेतिहर मजदूरो को अपने भू–स्वामी मालिको के साथ सम्बन्धो मे एक सुविधा प्राप्त थी। अगर मालिक अत्यधिक अत्याचारी और निर्दयी हो तो काश्तकार अन्य क्षेत्र मे जाकर नये खेत जोतने लगते अथवा अन्य मालिक के साथ काम करने लगते। मजदूरो और अन्य आश्रितो के भाग जाने का भय वास्तविक था और उससे मालिको पर कुछ अकुश रहता था। खेती के लिए विशेषकर ऐसी खेती के लिए जिसमे सिचाई आवश्यक हो कृषि चक्र के बुवाई रोपनी निराई कटाई और ढुलाई जैसे कामो मे एक साथ और बहुत से मजदूरो की आवश्यकता पडती है। किसी परिवार के पास जितनी ज्यादा भूमि हो उतनी ही ज्यादा मजदूरो की आवश्यकता होगी। और साधारण परिस्थितियो मे भी वह सारा काम परिवार के लोगो से पूरा नही कर सकता।[2]

खेती योग्य कम बसी हुयी भूमि के जिस पर नयी बस्तियॉ ही नही वरन नए प्रादेशिक समाजो की स्थापना की गुजाईश थी सुलभ होने से स्थानीय योद्धाओ द्वारा अपने अधीन किसान गावो से अतिरिक्त उपज के रूप मे वसूल किये जाने वाले कर की मात्रा तथा अन्य प्रकार की मनमानी पर कुछ रोक लगी। मध्ययूगीन सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप के विषय मे अधिकाश उपलब्ध साक्ष्य यह सूचित करता है कि पूर्ववर्ती काल मे व्यक्तिगत गतिशीलता के लिए पर्याप्त अवसर था।[3]

---

1 वही–पृष्ठ–48
2 वही–पृष्ठ–48 49
3 वही–पृष्ठ–49

पश्चिमीकरण

पश्चिमीकरण मे न केवल नयी सस्थाओ का समावेश होता है वरन पुरानी सस्थाओ मे भी मूलभूत परिवर्तन हो जाते है। जैसे कि यद्यपि विद्यालय भारत मे अग्रेजो के आने के बहुत पहले से मौजूद थे पर वह अग्रेजो के आने के बहुत पहले से मौजूद थे पर वह अग्रेजो द्वारा स्थापित स्कूलो से भिन्न थे यदि केवल दो ही महत्वपूणर्स भिन्नताओ का उल्लेख किया जाए तो –(1) प्राचीन विद्यालय केवल उच्च जातियो के बच्चो तक ही सीमित थे (2) यह प्राचीन भारतीय विद्यालय पारपरिक ज्ञानो का प्रचार और प्रसार करते थे। इस प्रकार **एम०एन० श्रीनिवासन** के शब्दो मे 150 वर्षो का अग्रेजी सरकार का शासन व्यवस्था और उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण सुधार ही पश्चिमीकरण है जिसके माध्यम से परपरागत रूढियो का परित्याग कर आधुनिक ज्ञान–विज्ञान और तार्किकता से परिपूर्ण सभ्यता और व्यवस्था को स्वीकार करना है। [1]

अग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और सस्कृति मे बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए। यह काल भारतीय इतिहास के पिछले सभी कालो से भिन्न था क्योकि अग्रेज अपने साथ नई औद्योगिक सस्थाए ज्ञान–विज्ञान और मूल्य लेकर आये थे। नई औद्योगिकी और उसके कारण सचार साधनो मे होने वाली क्राति की सहायता से अग्रेजो ने देश का ऐसा एकीकरण किया जैसा पहले भारतीय इतिहास मे कभी नही हुआ था। अग्रेजी राज की स्थापना से स्थानीय इकाइया सदैव के लिए समाप्त हो गई जो व्यक्तियो तथा समूहो के लिए सामाजि गतिशीलता का महत्वपूर्ण साधन थी।[2]

19वी शताब्दी मे अग्रेजो ने धीरे–धीरे भूमिका सर्वेक्षण करके राजस्व निर्धारित किया आधुनिक अधिकारीतत्र सेना और पुलिस की स्थापना की अदालते स्थापित करके कानून की सहिताए बनायी, सचार साधनो रेल डाक और तार, सडको और नहरो

---

1 एम0एन0 श्रीनिवासन–आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकशन दिल्ली वर्ष 1987 पृ0 53

2 एम0एन0 श्रीनिवास– आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन दिल्ली वर्ष–1987 पृष्ठ–52

का विकास किया स्कूलो और कालेजो की स्थापना की और इन सबके द्वारा एक आधुनिक राज्य की नीव डाली। अग्रेज अपने साथ–साथ छापे खाने भी लाये और इसने भारतीय जीवन और चितन मे जो गम्भीर तथा बहुविध परिवर्तन उत्पन्न किये वह भारत के आधुनिकीकरण मे अत्याधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक स्पष्ट परिणाम यह था कि स्कूलो के साथ–साथ पुस्तको और पत्रिकाओ ने आधुनिक एव पारपरिक ज्ञान को बहुसख्यक भारतीयो तक पहुचा दिया और ज्ञान अब कुछ एक पुश्तैनी समूहो का विशेषाधिकार नही रहा। समाचार पत्रो से देश के दूर से दूर भाग मे लोगो को यह अनुभव होने लगा कि वे सामान्य सूत्रो मे बधे है और वाह्य जगत मे होने वाली घटनाए उनके जीवन पर अच्छी या बुरी अवश्य प्रभाव डालती है।[1] 150वर्षों के अग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और सस्कृति मे होने वाले परिवर्तनो के लिए सामान्यत पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह शब्द औद्योगिक सस्थाए विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरो पर होने वाले परिवर्तनो को आत्मसात करता है। किसी पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन सम्पर्क के फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश मे होने वाले परिवर्तनो के विश्लेषण मे ऐसे ही शब्द प्रयुक्त किये जाते है। जब निहित वस्तुओ के साथ–साथ उनसे उद्भूत प्रक्रियाए अत्यधिक जटिल हो तो यह आशा करना यर्थाथवादी नही कि किसी सरल एक आयामी और सर्वथा स्पष्ट अवधारणा से उनकी पूर्ण व्याख्या हो सकेगी।[2]

अवधारणा के स्तर पर पश्चिमीकरण और उसकी समस्त सहवर्ती दो अन्य प्रक्रियाओ औद्योगिकरण और नगरीकरण के बीच अन्तर करना आवश्यक है। एक ओर तो औद्योगिकरण पूरे विश्व मे भी विद्यमान थे यद्यपि वह पश्चिम मे औद्योगिक क्राति से बनने वाले नगरो से महत्वपूर्ण बातो मे भिन्न थे। पहला तो उन्हे सहारे के लिए बडी देहाती आबादी की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण प्राचीन और मध्ययुगीन देश

---

1 वही–पृष्ठ–52
2 वही–पृष्ठ–52

कुछ–कुछ बडे–बडे नगरो के बावजूद मुख्यत कृषि प्रधानदेश ही बने रहे। फिर यद्यपि औद्योगिक क्राति के परिणाम स्वरूप नगरीकरण की गति बढ गयी और अत्यधिक नगर क्षेत्र आमतौर अत्यधिक उद्योग प्रधान क्षेत्र भी होते है फिर भी नगरीकरण औद्योगिकरण का मामूली कार्यमात्र नही है। भारत जैसे देश मे देहाती क्षेत्रो मे रहने वाले ऐसे समूह मिल जाएगे जिनकी जीवन शैली का बहुत से नगर क्षेत्रो या समूहो की अपेक्षा अधिक पश्चिमीकरण हो चुका है। ऐसे समूह उन क्षेत्रो मे मिलेगे जहॉ चाय काफी आदि के बगान है या व्यवसायिक फसले उगाई जाती है अथवा जिनसे भारतीय सेना के लिए जवान भर्ती करने की परपरा रही है।[1] पश्चिमीकरण के परिणामस्वरूप न केवल नयी सस्था और (उदाहरण के लिए समाचार पत्र चुनाव इसाई धर्म प्रचारक) का समावेश होता है वरन पुरानी सस्थाओ मे भी मूलभूत परिवर्तन हो जाते है। इस भाति यद्यपि विद्यालय भारत मे अग्रेजो के आने के बहुत पहले से मौजूद थे पर वह अग्रेजो द्वारा स्थापित स्कूलो से भिन्न थे। केवल दो ही महत्वपूर्ण भिन्नताओ का जिक्र करे तो पूराने विद्यालय उच्च जातियो के बच्चो तक ही सीमित थे और अधिकतर पारपरिक ज्ञान का ही प्रसार करते थे। सेना सरकारी नौकरी (सिविल सर्विस) और न्यायालय जैसी सस्थाए भी ऐसे ही प्रभावित हुयी थी।[2]

पश्चिमीकरण मे कुछ मूल्यगत अधिमान्यताए निहित थी। एक सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जिसमे कई अन्य मूल्य सम्मिलित है वह है जिसे मोटे तौर पर मानवतावाद कहा जा सकता है, जिससे अभिप्राय है जाति आर्थिक स्थिति धर्म आयु और लिग भेद के बिना मनुष्य मात्र की भलाई के लिए कर्मठ भावना। समानतावाद और लौकिकरण दोनो ही मानवतावाद मे निहित है। 19वी शताब्दी के पूर्वाध मे अग्रेजो द्वारा किये गये बहुत से सुधारो की जड़ मे मानवतावाद ही था। अग्रेजी दीवानी कानून, दण्ड कानून और क्रियाविधि कानून, लागू करने से वे असमानताए खत्म हो गई जो हिन्दू और इस्लामी

---

1 वही–पृष्ठ–53
2 वही–पृष्ठ–53

न्यायशास्त्र का अग थी। उदाहरण के लिए अग्रेज पूर्ण हिन्दू कानून मे दण्ड अपराधी और उससे आहत व्यक्ति की जाति के अनुसार बदलता रहता था। इस्लामी कानून मे गैर मुस्लिमो की साक्षी स्वीकृत न होती थी और हिन्दू तथा मुसलमान दोनो ही अपनी सहिताओ को दैवीय मानते थे।[1]

ओमेले के अनुसार अग्रेज कानून व्यवस्था लागू करने के दो क्रातिकारी परिणाम हुए। समानता के सिद्धान्त की स्थापना और निश्चित अधिकारो की चेतना की सृष्टि। अधिकारो की चेतना धीमे बढने वाला पौधा था क्योकि निम्न वर्गों की अत्यधिक दीनता उन्हे समानता कानूनो की व्यवस्था से लाभ उठाने और कानूनी कारवाई द्वारा अपने अधिकारो की मनवाने से रोकती थी। किन्तु न केवल अपनी अत्यधिक दीनता के कारण बल्कि अपनी अशिक्षा और गरीबी और न्याय व्यवस्था की जटिलता भारीपन खर्चिलेपन और धीमी गति के कारण भी अधिकाश गाव–वासियो के लिए भी यह बहुत ही कठिन था कि अपने अधिकारो को मनवाने और अपनी शिकायते दूर कराने के लिए वह अदालतो का सहारा ले। स्पीअर ने ठीक ही कहा कि अदालते जनता के लिए ऐसे मशीन मे सिक्का डालने के समान थी जिसकी कार्य प्रणाली आदमी को समझ मे न आती थी और जिससे न्याय के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के निकल आने की सम्भावना थी। एकता के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हुयी दास प्रथा के अन्त मे और कम से कम सिद्धान्त की दृष्टि से धर्म नस्ल और जाति के 'भेदभाव के बिना सबके लिए नये स्कूलो और कालेजो के खुलने मे। सिद्धान्त मे नये आर्थिक अवसर भी सबके लिए थे यद्यपि परपरा से बडे–बडे नगरो और तटवर्ती क्षेत्रो मे रहने वाले लोगो को दूसरो की अपेक्षा कही अधिक सुविधाए थी।[2]

सुधारो और अग्रेज न्याय व्यवस्था लागू होने मे यह निहित था कि उन रीति–रिवाजो को बदला जाए या समाप्त किया जाए जो धर्म का अग माने जाते थे।

---

1 वही–पृष्ठ–54

2 एम0एन0 श्रीनिवास– आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन दिल्ली वर्ष–1987 पृष्ठ–54

इसका अर्थ था कि धार्मिक रिवाजो को बनाये रखने के लिए उनका तर्क बुद्धि और मानवता की कसौटी पर सतोषजनक सिद्ध होना आवश्यक था। अग्रेजी राज की प्रगति के साथ तर्क बुद्धि और मानवता अधिकाधिक व्यपाक गहरे और सशक्त होते गये।[1]

मानवता के परिणामस्वरूप अकाल का सामना करने महामारियो को रोकने और स्कूल अस्पताल तथा अनाथालय स्थापित करने के लिए प्रशासनात्मक उपाय किये गये। मानववादी कार्यों मे विशेषकर भारतीय समाज के उन अशो को जिन्हे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी हरिजनो स्त्रियो अनाथो और जनजातियो को शिक्षा और चिकित्सा के साधन उपलब्ध कराने मे इसाई धर्म प्रचारको ने उल्लेखनीय योगदान किया। जाति स्पृश्यता स्त्रियो की हीनस्थिति बाल–विवाह और बहु–विवाह जैसी हिन्दू प्रथाओ की उनक आलोचना थे कम महत्वपूर्ण न थी। अग्रेजपाश्चात्य त्रिव आलोचनाओ के परिणामस्वरूप हिन्दू धर्म की सैद्धातिक और सस्थागत दोनो स्तरो पर फिर से व्याखा हुयी और जाति और अश्पृश्यता के प्रति हिन्दू–उच्च वर्गों का दृष्टिकोण बदलने मे एक महत्वपूर्ण तत्व निम्न जातियो का मुसलमान था इसाई बनाना भी था।[2]

इस प्रकार पश्चिमीकरण का भी पिछडी जातियो की स्थिति परिवर्तन मे महत्वपूर्ण योगदान रहा क्योकि अग्रेजो के द्वारा लायी गयी नयी शिक्षा पद्धति और नये स्कूल–कालेजो के खोले जाने के कारण यह जातिया अपने अधिकारो के प्रति अधिक जागयक हुयी। दूसरे पश्चिमीकरण की दो प्रमुख अवधाराणाओ औद्योगीकरण और नगरीकरण के द्वारा भी इनकी स्थिति मे बदलाव आया और जिन पिछडी जातियो के पास खेती योग्य भूमि नही थी वह जीविकोपार्जन के लिए शहरो की ओर अग्रसर हुए और आधुनिक सुख सुविधा का भरपूर लाभ उठाया।

---

1 वही–पृष्ठ–54
2 वही–पृष्ठ–55

सामाजिक सुधार आन्दोलन और पिछडी जातियो पर उसका प्रभाव

भारत मे 18वी और 19वी शताब्दी मे चलाये गये सामाजिक सुधार आदोलन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव परिलक्षित है। जिसका श्रेय भारतीय समाज सुधारको के साथ–साथ अग्रेजी शासन प्रणाली को माना जाता है। क्योकि अग्रेज पूर्व भारतीय समाज मे अनेक प्रकार की बुराईया व्याप्त थी–जैसे कि छुआछूत जाति प्रथा वर्ग सघर्ष सती प्रथा बाल–विवाह विधवा विवाह पर प्रतिबध बहुपत्नी प्रथा नरबलि प्रथा इत्यादि सामाजिक कुरीतिया भारतीय सामाजिक व्यवस्था को खोखला कर चुकी थी और जब तक इन बुराइयो को दूर कर नही दिया जाता तब तक कोई भी समाज सर्वांगीण विकास नही कर सकता है। इन बुराइयो को दूर करने मे कई लोगो ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राममोहन राय स्वामी विवेकानन्द रवीन्द्रनाथ टैगोर उनके पिता द्वारिका नाथ टैगोर केशव चन्द्र सेन ईश्वरचद विद्यासागर इत्यादि बगाल मे स्वामी दयानन्द सरस्वती मूलत उत्तर भारत मे जस्टिस रानाडे ज्योतिबाफूले नरायन गुरू और डा0 अम्बेडकर ने दक्षिण भारत मे समाज सुधार का नेतृत्व किया था। इसके अतिरिक्त जब गाधी जी का भारतीय राजनीति मे पर्दापण हुआ तो उन्होने भी स्वतत्रता आदोलन के साथ–साथ समाज सुधार का विस्तृत कार्यक्रम चलाया था जिसका देश पर सार्थक प्रभाव पडा। उपरोक्त सामाजिक समस्याओ मे जाति प्रथा छुआछूत और वर्ग सघर्ष तत्कालीन भारत की प्रमुख समस्या थी जिसका सर्वाधिक प्रभाव पिछडी जातियो पर ही पडता था।[1]

19वी शताब्दी के धार्मिक एव सामाजिक सुधार आदोलन का भारत के इतिहास मे विशेष स्थान है। इसके बहुमुखी स्वरूप और व्यापकता की दृष्टि से इस आदोलन को सघर्षपूर्ण आधुनिक इतिहास मे ही एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। इस

---

1 आर0एल0 शुक्ल–आधुनिक भारत का इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली 1987 दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

आदोलन ने भारत की तत्कालीन जडता को समाप्त किया और देश के जनजीवन को झकझोर दिया। इसने जहा एक ओर धार्मिक और सामाजिक सुधारो का आह्वान किया वही दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियो के मन मे आत्म सम्मान और आत्म गौरव की भावना जगाने की कोशिश की। धार्मिक उपदेशो के साथ–साथ आदोलन के नेताओ ने स्वतत्रता और समानता का भी उपदेश दिया। भारत के समसामायिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे इस स्वतत्रता का अर्थ मात्र बौद्धिक चितन की स्वतत्रता से ही नही वरन् असमानता शोषण और अत्याचार से मुक्ति से भी था। इस दृष्टि से यह आदोलन इतिहास की एक विडबना और आधुनिक युग का एक बडा विरोधाभास था।[1]

भारत पर जैसे–जैसे अग्रेजी प्रभुत्व बढता गया शोषण की गति तेज होती गई और देश का आर्थिक आधार हिलने लगा। इसका भारत के सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव पडा। नये शासन मे लोक कल्याणकारी तत्वो का अभाव था, अत देश की स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रयत्न नही हुआ। ऐसी हालत मे आर्थिक विपन्नता के साथ सामाजिक कुरीतिया भेदभाव एव धार्मिक अधविश्वास बढते गये। परिणाम यह हुआ कि 18वी शताब्दी के समाप्त होते–होते भारत दरिद्रता तथा पिछडेपन की अतिम सीमा तक पहुच गया। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियो मे भी कुछ ऐतिहासिक शक्तिया थी जिनसे भविष्य मे महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले थे। पहली शक्ति–पश्चिम की आधुनिक सस्कृति के भारत पर प्रभाव से अवतरित हुयी। जबकि दूसरी शक्ति का जन्म इस सम्पर्क के खिलाफ भारतीय जनता की प्रतिक्रिया से हुआ। बहुत हद तक इन दोनो शक्तियो के सम्मिलित प्रभाव से 19वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे भारत के सामाजिक एव सास्कृतिक जीवन मे एक ऐसे आदोलन का श्री गणेश हुआ और सम्पूर्ण भारत मे एक ऐसी जागृति आ गयी जिसे कुछ विद्वानो ने भारतीय पुनर्जागरण के नाम से पुकारा है। इस जागरण

---

1 वही पृ0 227

के कई अन्य कारण भी थे। भारत पर अग्रेजो की विजय ने भारतीय समाज की कमजोरियो को स्पष्ट कर दिया। अत कुछ विचारशील और बुद्धिमान भारतीयो ने देश की दुर्दशा पिछडेपन और विदेशियो के समक्ष अपनी पराजय के कारणो की खोजबीन शुरू की तथा देश के उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगे। वैसे अधिकाश भारतीय अभी–भी परम्परागत विचारो रीति रिवाजो एव सस्थाओ मे विश्वास जमाए बैठे थे लेकिन उनमे से कुछ ने सम्पर्क मे आते ही पश्चिम के नये विचारो एव ज्ञान के महत्व को स्वीकारा। पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान बुद्धिवाद के सिद्धात और मानवतावाद का इन प्रबुद्ध भारतीयो पर अच्छा प्रभाव पडा। वे इस नए ज्ञान और सिद्धातो की सहायता से अपने समाज की भलाई मे लग गये। इसमे समाज के विभिन्न वर्गों को अपना निजी हित भी नजर आया। नए सामाजिक वर्ग पाश्चात्य विचारो एव ज्ञान को इसलिए अपनाना चाहते थे ताकि उनसे देश का आधुनिकीकरण हो और इन विभिन्न सामाजिक वर्गों की स्वार्थ सिद्धि हो सके। धीरे–धीरे शेष भारतीयो पर भी इन पाश्चात्य विचारो का प्रभाव पडा क्योकि भारतीय यह उत्तरोत्तर महसूस करते गये कि पश्चिमी विचार केवल पश्चिमी समाज के लिए ही नही वरन् भारत सहित सम्पूर्ण मानव जाति के लिए भी उपयोगी थे। इस तरह बौद्धिक स्तर पर भारतीय आस्था एव दृष्टिकोण मे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और धर्म तथा समाज के क्षेत्र मे सुधार का कार्य शुरू हो गया।[1]

अग्रेज व्यापारियो के साथ–साथ इसाई पादरी एव धर्म प्रचारक भी भारत आये थे। अग्रेजी शासन की स्थापना के बाद उनकी गतिविधिया जोर पकडती गई। अन्य कारणो के अलावा उन्होने दो ऐसे काम किये जिनसे भारतीय पुनर्जागरण को काफी बल मिला। पहला–उनके प्रयत्नो से देश मे अग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ जिससे पाश्चात्य ज्ञान एव विचार भारतीयो तक पहुचने लगे और उनमे जागरण की चितनधारा फूटने लगी। दूसरे–जब ईसाई मिशनरियो ने भारतीयो को ईसाई बनाना शुरू किया तो इसके

---

1 वही पृ0 228

विरूद्ध हिन्दुओ की तीखी प्रतिक्रिया हुयी और कुछ हिन्दू अपने धर्म के रक्षा के प्रयत्न मे जुट गये। लेकिन वह जानते थे कि ईसाई हिन्दुओ की किन कमजोरियो का फायदा उठा रहे है। जात–पात अध विश्वास और निरर्थक आडबरो के परिणामस्वरूप उस समय हिन्दू धर्म एव समाज निष्क्रिय और शक्तिहीन हो गया था तथा हिन्दू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओ के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा था। अत हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए उसमे सुधार आवश्यक प्रतीत होने लगा। भारतीय सुधारको को इसाई मिशनरियो की धर्म प्रचार प्रणाली से भी प्रेरणा मिली। यही कारण था कि 19वी शताब्दी के धर्म सुधार का काम इसाई मिशनो की तरह ही सगठनो के माध्यम से शुरू हुआ।[1]

पुनर्जागरण लाने मे उन कतिपय यूरोपीय विद्वानो का भी हाथ था जो भारत की प्राचीन सास्कृतिक उपलब्धियो से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि भारत का वह गौरवमय अतीत पुन वापस आ जाए और भारत का सामाजिक एव सास्कृतिक विकास हो। इन व्यक्तियो ने भारतीय इतिहास दर्शन धर्म और साहित्य का अध्ययन किया तथा भारत की प्राचीन उपलब्धियो को प्रकाश मे लाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। इससे भारतीयो मे आत्मगौरव एव आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुयी। ऐसे यूरोपीय विद्वानो मे विलियम जोन्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भारतीय साहित्य एव परपरा के अध्ययन के अलावा उनकी भारत को सबसे बडी देन थी 1784 मे कलकत्ता मे एशियाटिक सोसायटी' की स्थापना। इस सोसायटी के विद्वानो ने यह खोज निकाला कि प्राचीनकाल मे भारत ने एक ऐसे महान सभ्यता को जन्म दिया था जो ससार की महानतम सभ्यताओ मे से एक थी। इस सोसाटी के प्रयत्नो से भारत के प्राचीन एव मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन मे भारतीयो एव विदेशियो दोनो की रूचि बढी और भारतीयो का पुनर्जागरण के लिए भरपूर प्रेरणा मिली। इन सभी आतरिक एव वाह्य कारणो से भारत का जो

---

1 वही पृ0 229

सामाजिक एव धार्मिक पुनर्जागरण प्रारम्भ हुआ उसका पिछडी जातियो पर विशेष प्रभाव पडा।[1]

भारत मे यह सामाजिक सुधार आदोलन लगभग सभी क्षेत्रो मे चला। बगाल से प्रारभ होकर यह अभियान मध्य भारत और दक्षिण भारत होते हुए उत्तर–भारत मे फैला। उत्तर भारत मे इस आदोलन का आरभ आर्य समाज के प्रयत्नो से प्रारभ हुआ। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानद सरस्वती ने 1875 मे बाम्बे मे की थी। परन्तु कुछ समय बाद आर्य समाज का मुख्यालय बाम्बे से स्थानातरित कर लाहौर कर दिया गया। आर्य समाजियो ने जाति–प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया और सामाजिक समानता एव एकता को अपना आदर्श माना। चूकि आर्य समाज जाति प्रभा का विरोध करता था अत उसने उच्च एव निम्न दोनो वर्गों के हिन्दुओ को एक दूसरे के करीब तथा समान स्तर पर लाने की कोशिश की। इस काम का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योकि तब सरकार भी इस प्रकार के कार्य करने से अपने आपको बचाती थी क्योकि इससे ऊची जाति से आने वाले सरकार के समर्थको के नाराज होने का खतरा था।[2]

दयानन्द का मानना था कि मनुष्य का वर्ण उसकी मानसिक प्रवृत्तियो गुणो तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित किया जाए। यह विचार जन्म पर आधारित व्यवस्था पर गहरा आघात था। इसके अतिरिक्त वर्ण के सम्बन्ध मे उनकी कसौटी सचमुच लोकतात्रिक थी। दयानन्द का मत था कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धान्त अनेक सामाजिक तथा व्यवसायिक सघर्षों का समाधान कर सकता है। इस प्रकार भारत के सामाजिक जीवन मे दयानन्द का लोकतात्रिक आदर्शवाद जन्म के स्थान पर योग्यता को देने मे व्यक्त हुआ। व्यवसायिक स्तरो के आधार पर सगठित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन प्लेटो और अरविन्द ने भी किया था। दयानन्द

---

1 वही पृ0 230
2 वही पृ0 242

का निश्चित और असदिग्ध मत था कि मनुष्य अपने विकास के अनुकूल साधनो और विधियो के चयन मे स्वतत्र है। किन्तु समाज से सम्बधित कार्यों के विषय मे वह पराधीन है। यह भेद हमे जे0एस0 मिल के आत्म सम्बधी तथा पर सम्बधी कार्यों के अन्तर का स्मरण दिलाता है। दयानन्द ने आर्य समाज के नवे और दसवे नियम मे यह निर्धारित किया कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सतुष्ट नही रहना चाहिए वरन् सबकी उन्नति मे अपनी उन्नति समझनी चाहिए तथा प्रत्येक को अपने वैयक्तिक स्वतत्रता और विकास को ध्यान मे रखना चाहिए जिससे अत मे वह सार्व लौकिक कल्याण का परिवर्धन कर सके अथवा दूसरे शब्दो मे सार्वजनिक हित के परिवर्धन के लिए अपने को अनुशासित और विकसित कर सके।[1]

भारत मे जाति प्रथा कई तरह के सामाजिक–आर्थिक शोषण का हथियार बनी हुयी थी। सस्कार और कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था समाज को ऊचे और निचले तबको मे बाट रखने और लोगो के अलग–अलग सामाजिक दर्जो को बरकरार रखने के लिए पोषित की जा रही थी। इसने समाज को इतने टुकडो मे बाट रखा था कि उसमे गतिशीलता ही नही रह गयी थी समाज जैसे जड हो गया था और इसकी सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी छुआछूत जिसके चलते शूद्र को आदमी का दर्जा भी नही हासिल था।[2]

अत समाज को जड बना देने वाली इस जाति व्यवस्था के खिलाफ सघर्ष छेड़ा गया। जाति व्यवस्था न सिफ नैतिक रूप से एक घीनौनी व्यवस्था थी, बल्कि इससे ज्यादा चिता की बात यह थी कि इसने लोगो मे देश प्रेम की भावना को खत्म कर दिया था और लोकतात्रिक विचारो के विकास मे यह सबसे बडी बाधा बनी हुयी थी। राम मोहन राय ने वैचारिक धरातल पर इसके खिलाफ पहल की, हालाकि उन्होने इसके

---

1 डा0 वी0पी0 वर्मा–आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन लक्ष्मी नरायण अग्रवाल आगरा–IV वर्ष 1989 पृ0 38 39
2 विपिन चन्द्र–भारत का स्वतत्रता सघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 1996 पृ0 48

खिलाफ कोई सक्रिय सघर्ष नही आरभ किया। बहरहाल जाति–व्यवस्था के विरोध की यह आवाज 19वी सदी का अत आते–आते तेज हो गयी। रानाडे दयानद और विवेकानन्द ने भी तत्कालीन जाति व्यवस्था का विरोध किया। जहा सुधारवादी आम तौर पर इस व्यवस्था के पूरी तरह खात्मे के पक्ष मे थे दयानद चतुवर्ण को बनाए रखने के समर्थक थे। जाति व्यवस्था का सबसे सशक्त विरोध निचली जातियो के बीच से उभरे आदोलनो ने किया। ज्योतिवा फुले और नारायण गुरू इस व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। नारायण गुरू ने ही यह आह्वान किया था कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर।'[1]

---

1 वही पृष्ठ 51

पिछडी जातियो के आन्दोलन

समाज सुधार आन्दोलन मे सत्यशोधक समाज की भूमिका

सामाजिक सुधार आन्दोलनो मे सत्यशोधक समाज और उसके सस्थापक ज्योतिराव फूले का नाम बडे ही सम्मान से लिया जाता है। पश्चिमी भारत मे ज्योतिराव फूले ने निम्न जातियो के लिए कडा सघर्ष किया था। श्री फूले माली कुल मे जन्म लिये थे और उनके पूर्वज पेशवाओ को पुष्प मालाये इत्यादि उपलब्ध कराते थे इसलिए उनके नाम के आगे फूले शब्द जुड गया।

ब्राह्मणो की क्रूरता की घटनाओ ने ज्योतिबा का समस्त दृष्टिकोण ही बदल दिया। एक ब्राह्मण ने उन्हे इसलिए फटकारा तथा उनका अपमान किया क्योकि उनहोने अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी मेम शामिल होने की धृष्टता की थी। ब्राह्मणो द्वारा उनका इसलिए भी विरोध किया गया कि वह निम्न जातियो और स्त्रियो के लिए पाठशाला चलाते थे परन्तु तीव्र विरोध के कारण ही उनके पिता गोविन्द राव ने ज्योतिबा तथा उनकी पत्नी को वशानुगत गृह से बाहर कर दिया।[1]

इन घटनाओ का ज्योतिबा के जीवन पर गहरा प्रभाव पडा और अब वह स्पष्ट रूप से समझने लगे थे कि ब्राह्मण लोग धर्म की आड लेकर पिछडी जातियो और अनुसूचित जातियो पर अत्याचार करते है तथा उन्हे अपना दास बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। काग्रेस की भी आलोचना करते हुए उन्होने कहा कि काग्रेस उस समय तक राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का अधिकारी नही है जब तक कि वह निम्न तथा पिछडी हुयी जातियो के हितो की तरफ ध्यान नही देती।"[2]

---

1 बी0एल0 ग्रोवर + यशपाल आधुनिक भारत का इतिहास एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 नयी दिल्ली वर्ष 1995 पृ0 स0 400

2 वही पृष्ठ 400

ब्राह्मण विरोधी आन्दोलनो का पहला विगुल महाराष्ट्र मे 1870 के दशक मे आरम्भ हुआ और इसे आरम्भ करने वाले ज्योतिबा फूले ही थे। उनके द्वारा इस सम्बन्ध मे एक पुस्तक लिखी गयी जिसका नाम गुलामगीरी था। उन्होने एक सगठन भी स्थापित किया जो 'सत्यशोधक समाज के नाम से जाना जाता है। इस सगठन का लक्ष्य था ब्राह्मणो एव उनके अवसरवादी शास्त्रो से निम्न जातियो की रक्षा करना। एक शिक्षित माली जाति के एक सदस्य द्वारा आरम्भ किये गये इस आदोलन ने मराठा किसानो के जाति समूहो मे अपनी जडे जमा ली।[1]

1919–21 मे सत्यशोधक समाज के ग्रामीण आदोलनकारियो ने सतारा जिले मे जमीदार और महाजन विरोधी आदोलन चलाया जिससे तीस गाव प्रभावित हुए थे और इसमे हिसक झडपे भी हुयी थी। इस प्रकार यह सगठन ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन के साथ–साथ जमीदारी और महाजनी व्यवस्था का भी विरोध कर रहा था।[2] ज्योतिबा फूले द्वारा आरभ किया गया यह ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन न केवल महाराष्ट्र मे पिछडी जातियो और अनुसूचित जातियो को जागृत किया वरन इसका प्रभाव क्रमश सम्पूर्ण दक्षिण भारत और उत्तर भारत मे भी फैलता गया।

20वी शताब्दी के प्रारभ मे अत्यत प्रभावकारी आदोलनो मे मध्यवर्ती जातियो के आदोलन प्रमुख रहे है। ये भारत के दक्षिण–पश्चिम मे अधिक प्रबल रहे। ऐसा इस कारण था क्योकि इन जातियो मे सामान्यतया भू–स्वामी या समृद्ध किसान वर्ग सम्मिलित था। ये शिक्षा तथा शहरीकरण की दृष्टि से काफी विकसित थे अत इनसे ऐसे विशिष्ट अभिजात्य वर्ग का उदय हुआ जिनका अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव था विशेषकर मद्रास तथा महाराष्ट्र मे नौकरियो एव सामान्य सस्कृतिक जीवन पर ब्राह्मणो के छोटे से विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व था इससे वहा उदीयमान मध्यवर्ती जातियो की शिकायते बढ गयी थी। 20वी शताब्दी के प्रथम चरण मे उत्तर एव पूर्वी भारत मे बिहार के कुर्मियो एव यादवो

---

1 सुमित सरकार आधुनिक भारत राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0 नयी दिल्ली 1973 पृ0 स0 79
2 वही पृ0 सं0 281

गुजरात के कोलियो पश्चिम बगाल के कैव्रतो राजस्थान एव हरियाणा के जाटो उडीसा के तेलियो तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च वर्गीय कायस्थो ने भी सस्कृतिकरण का मार्ग अपनाया। इस प्रकार उदाहरणार्थ मिदनापुर (बगाल) के सम्पन्न कैव्रतो ने स्वय को महिष कहना प्रारभ कर दिया तथा 1897 मे जाति निर्धारिणी सभा तथा केन्द्रीय महिष समिति का समारम्भ किया जिसने राष्ट्रीय आदोलन के दौर मे बगाल मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तथापि दक्षिण एव पश्चिम के मध्यवर्ती जाति विरोधी विशिष्ट वर्गों ने ब्राह्मणो की श्रेष्ठता एव प्रभुत्व को चुनौती देना प्रारभ किया कि मद्रास प्रेसीडेसी मे ब्राह्मणो की जनसख्या 32 प्रतिशत थी किन्तु 1870 से 1918 के मध्य मद्रास विश्वविद्यालय के स्नातको मे लगभग 70 प्रतिशत स्नातक 1912 मे जिला मुसिफो के पद पर नियुक्त लगभग 726 प्रतिशत लोग इसी अभिजात्य वर्ग से आये थे और इनमे से अनेक अन्यत्रवासी भू–स्वामी थे। शिक्षित तमिल बेल्लाल, तमिल रेडडी एव कम्मा और मलयाली नायर स्वय को अपने प्रदेशो का मूल निवासी मानते थे और ब्राह्मणो की विशिष्ट समूह मानने के स्थान पर उन्हे जातिय रूप से भिन्न स्वदेशी मानते थे जो उत्तरी सस्कृति के सरक्षक थे। अन्य प्रकार के अनेक तनावो की भाति ब्रिटिश सामाज्यवादियो ने इस वास्तविक असतोष एव शिकायतो का लाभ उठाकर जातिय चेतना एव ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा को बढावा देने के लिए उपयोग किया। कैम्ब्रिज विचाराधारा के इतिहासकारो ने इन आदोलनो के अर्ध–अभिजात्य एव क्रियात्मक स्वरूप पर बल दिया है। इस प्रकार 1915–16 मे सी0एन0 मुदालियर डा0 टी0 एम0 नायर और पी0 त्यागराज चेटिटयार द्वारा स्थापित जस्टिस आदोलन इन्ही नवोदित अभिजात्य वर्गों के क्रियात्मक हितो का प्रतिनिधित्व करता था।[1]

यह वर्ग ब्राह्मणो के प्रभुत्व वाले राजनीतिक, शैक्षिक एव व्यवसाय केन्द्रीत व्यवस्था मे प्रवेश पाना चाहते थे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होने ब्राह्मणवाद

---

1 वी0 के0 अग्निहोत्री– भारतीय इतिहास इलाइड पब्लिशर्स नयी दिल्ली–1999 पृष्ठ–166

का विरोध तथा ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन दोनो कार्य किये। 20 दिसम्बर 1926 के गैर व्राह्मण घोषणापत्र के द्वारा उन्होने इसे स्पष्ट भी कर दिया। उनके आदोलन को इस बात से भी बल मिला कि जस्टिस आदोलन के नेता उस अभिजात्य समूह के लोग थे जो जमीदारो तथा व्यापारियो पर वित्तिय सहायता के लिए आश्रित थे। माण्टेग्यू चेक्सफोर्ड सुधारो के बाद जस्टिस पार्टी ने चुनाव लडा और ब्रिटिश दृष्टि से मद्रास मे वैध शासन को सफल बनाया तथापि बाद मे यह पार्टी अपने तथाकथित विशिष्ट स्वरूप के कारण इतिहास के अन्धकार मे विलिन हो गयी। इसी प्रकार के समकालीन व्राह्मण विरोध आदोलन मैसूर राज्य के वोक्क लिगो एव लिगायतो मे तथा त्रावाकारे राज्य के नायरो के विरोधी विशिष्ट वर्गों मे भी उभरा। तथापि त्रावणकोर राज्य के नायरो मे रामकृष्ण पिल्लई जैसे नेताओ मे व्राह्मण विरोधी भावनाओ के साथ–साथ देश भक्ति और उग्र सुधारवादी तत्व भी प्रबल थे। यह व्राह्मण विरोधी आदोलन इस विशिष्ट वर्ग के सिद्धातहीन गुटो तक ही सीमित नही थे। व्राह्मणो के प्रभुत्व के विरूद्ध उनकी शिकायते पर्याप्त रूप से सही भी थी। जिसकी पुष्टि सितम्बर 1917 मे राष्ट्रवाद समर्थक मद्रास प्रेसीडेसी एसोसिएशन नामक सगठन की उस भाग से होती है, जिसमे इसने भी पृथक निर्वाचक मण्डल की माग की।[1]

जस्टिस पार्टी आन्दोलन

20 नवम्बर 1916 को देश के सबसे पुराने एव सबसे अधिक समय तक स्थायी रहने वाले व्राह्मण विरोधी द्रविड़ विरोधी आदोलन का उस समय जन्म हुआ, जब मद्रास के कुछ गैर व्राह्मण प्रमुख नागरिको के एक समूह जैसे– कि डा0 टी0 एम0 नायर, सर पिति त्यागराज चेटिटयार और पानगल के राजा ने एक साथ मिलकर दक्षिण भारत उदारवादी सघ' की स्थापना की। उनकी सयुक्त घोषणा जिसे गैर व्राह्मण पत्र घोषणा कहा गया मे सरकारी नौकरियो मे, गैर व्राह्मणो के लिए आरक्षण की माग थी। इस

I वहीं– पृष्ठ– 166 167

दक्षिण भारत उदारवादी सघ ने जस्टिस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिसके नाम पर इस सघ को जस्टिस पार्टी पुकारा जाने लगा। 1920 मे जब 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत मद्रास विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित हुए तो जस्टिस पार्टी ने सक्रिय रूप से चुनाव लडा। चूकि असहयोग आदोलन के कारण काग्रेस ने इन चुनावो का वहिष्कार कर दिया था अत जस्टिस पार्टी इस चुनाव मे विजयी रही। समकालीन मद्रास प्रेसीडेसी मे काग्रेस पर ब्राह्मणो एव अन्य उच्च जातियो के नेताओ के प्रभुत्व के विरूद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जस्टि पार्टी को काफी हद तक लोकप्रियता प्राप्त हुयी। ब्रिटिश शासको ने काग्रेस के विरूद्ध जस्टिस पार्टी का ढाल एव तलवार के रूप मे उपयोग किया क्योकि उस समय अधिकाश शिक्षित ब्राह्मण एव उच्च जातियो के लोग काग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे थे। जस्टिस पार्टी को गैर ब्राह्मणो सहित विभिन्न समूहो के लोगो को 1930 मे सरकारी अध्यादेश पारित करके सरकारी नौकरियो मे आरक्षण प्रदान करने सहित अनेक परिवर्तनो को लाने का श्रेय प्राप्त है।[1]

आत्म सम्मान आदोलन

ब्राह्मण विरोधी आदोलन मे ई0वी0रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार के सम्मिलित हो जाने से तेजी आई और यह अधिक उग्र हो उठा। नायकर ने असहयोग आदोलन मे सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1924 मे काग्रेस से अलग होकर तथा जस्टिस पार्टी से अलग होकर इन्होने जस्टिस पार्टी के विशिष्ट वर्ग के लिए ब्राह्मण विरोधी जाति–विरोधी, जनवादी और मूल सुधारवादी विकल्प तैयार किया। वह काग्रेस मे रह चुके थे तथा सामाजिक न्याय एव गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर मतभेद के कारण 1924 मे पार्टी छोडने से पूर्व वह एक बार तमिलनाडू काग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। काग्रेस छोडने के बाद पेरियार ने 1925 मे आत्म सम्मान आदोलन प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण समुदाय मे जागृत पैदा करना था। उनके पुत्र कुडिअरसू और

---

1 वी0 के0 अग्निहोत्री – भारतीय इतिहास एलाइड पब्लिशर्स लि0, नयी दिल्ली वर्ष– 1999 पृष्ठ–

आदोलन दोनो ने ही ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह करने बलात मदिर मे प्रवेश करने तथा मनुस्मृति की प्रतिया जलाने के साथ–साथ कभी–कभी पूर्ण नास्तिकवाद का समर्थन किया। वास्तव मे उन्होने दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडू मे सभी गैर ब्राह्मणो को इस आदोलन के झडे के नीचे लाने का सक्रिय प्रयास किया। 1937 के बाद जब जस्टिस पार्टी का दायित्व पेरियार के कन्धो पर आया तो उन्होने चुनावी राजनीति से अलग होकर गैर–ब्राह्मणवादी आदोलन की भूमिका को सुधारवादी भूमिका तक ही सीमित रखने का विचार किया। तद्नुसार 1944 मे सेलम सम्मेलन मे जस्टिस पार्टी का पुन नामकरण द्रविडार कडगम कर दिया गया और नाम के परिवर्तन के साथ ही इसकी कार्य दिशा पुन परिभाषित की गयी। पेरियार ने मुस्लिम लीग के पृथक राज्य के सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए पृथक द्रविडनाडू की धारणा पर चर्चा प्रारम्भ कर दी। इस समय तक पेरियार ने द्रविड भूमि पर आर्यों के तथाकाथित आक्रमण के सिद्धान्त को भी लोकप्रिय बना दिया था। मूलत द्रविड कडगम के आदोलन के कारण ही सविधान मे पहला सशोधन किया गया था। इसमे सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग को रियायते प्रदान करने का प्रावधान शामिल था। इसके कुछ समय बाद ही प्रश्न उठ खडा हुआ कि क्या द्रविड कडगम को एक सामाजिक आदोलन की भूमिका तक ही सीमित रखना चाहिए।[1]

उत्तर भारत के पिछडी जातियो के आन्दोलन

यद्यपि उत्तर भारत मे भी ऐसे अतिवादी और विशुद्ध निम्नवर्गीय आदोलन विद्यमान थे फिर भी यह अधिकाश रूप मे कृषि से सबधित स्थानीय और गैर विशिष्ट वर्गों के मध्यवर्ती जातियो के आदोलन थे। राजस्थान के अनेक राजवाडो मे ऐसे आदोलन 1920 के दशक से ही देखने को मिलते हैं। इनमे कृषक वर्गों की शिकायतो के रूप मे प्रमुख जमीदारो के लिए बेगार करने अथवा बलात, मजदूरी करने सें मना करना शामिल था।

---

1 वहीं–पृष्ठ–167 168

जाट यहा की अत्यन्त महत्वपूर्ण मध्यवर्ती जाति थी जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया।

1910–20 के दशक मे बिहार के यादव तथा कुर्मियो ने बेगार प्रथा का विरोध किया। उन्होने सामूहिक रूप से जमीदारो का बेगारी करने से इकार कर दिया। उनके द्वारा लगाये गये करो का भी विरोध किया। यादवो ने जमीदारो उच्च जाति के भू–स्वामियो के लिए रियायती दरो पर गाय का गोबर, पशु दही और दूध बेचने से भी इकार कर दिया। पारम्परिक कानूनो का पालन करने से मना कर देने के कारण उच्च और पिछडी जातियो के बीच सघर्ष छिड गया। मई 1925 की बिहार की सरकारी रिर्पोट मे अपनी जातियो की सामाजिक स्थिति मे सुधार लाने के लिए मुगेर पटना दरभगा तथा मुज्जफरपुर जिलो के ग्वालो अथवा यादवो का उल्लेख किया गया है। इन्होने जनेऊ धारण करने वाले तथा भू–स्वामियो के लिए अब तक किये शारीरिक श्रम और मजदूरी के काम को आगे करने से मनाकर दिया। वाद मे यादवो ने अखिल भारतीय स्तर के सघ का गठन किया।[1] जिसका वर्णन अध्याय चार मे किया गया है।

1920 के दशक मे निम्नजातियो के उत्थान के लिए शासक वर्ग के ही एक सदस्य तथा कोल्हापुर के शाहू महाराज ने दक्षिण भारत मे अत्यधिक क्रातिकारी सुधार कार्य किये। व्राह्मणो की निरोधक सत्ता को भग करने के लिए उन्होने निम्न जातियो की दशा को सुधारने और उन्नत करने के भाव से वैदिक सस्कारो और कर्मकाण्डो को सम्पन्न करने के लिए गैर–ब्राह्मणो को प्रशिक्षित किया। वाद मे इन सामाजिक सुधारो को आगे बढाने के लिए उन्होने आर्य समाज को आमत्रित किया और अपनी राज्य की प्रशासनिक सेवा के पचास प्रतिशत पदो को गैर–ब्राह्मणो के लिए आरक्षित कर दिया। उन्होने दलितो के लिए विद्यालयो की भी स्थापना की। महाराज के सुधार कार्य स्पष्ट रूप मे ब्रिटिश राजभक्ति से प्रेरित तथा राजनीतिक रूप से फूट डालने वाले थे। उन्होने

---

1 वी0 के0 अग्निहोत्री – भारतीय इतिहास एलाइड पब्लिशर्स लि0 नयी दिल्ली वर्ष– 1999 पृष्ठ–168

अग्रेजो का साथ दिया जो कोल्हापुर को तिलक के नेतृत्व वाले चित्तपावन ब्राह्मण राष्ट्रवादियो के विरूद्ध भडकाना चाहते थे। इसी प्रका 1919 के बाद महाराष्ट्र मे भास्करराव जाधव की गैर–ब्राह्मण पार्टी काग्रेस की त्रिव विरोधी हो गयी। मराठी जनभाषा का उपयोग करने वाले एक दूसरी अतिवादी ग्रामीण लहर भी चली जिसने साहूकारो तथा ब्राह्मणो के विरूद्ध बहुजन समाज का समर्थन करने का प्रयत्न किया। उन्होने जाति प्रथा के भीतर अपनी उच्चास्थिति का दावा न करके जाति प्रथा पर ही प्रहार किया। 1919–21 मे सतारा जिले मे सत्यशोधक समाज के नेतृत्व मे जमीदार विरोधी एव साहूकार विरोधी विद्रोह उठ खडा हुआ। इसका तीस गोवो पर प्रभाव पडा। महाराष्ट्र काग्रेस अतत 1924 तक सतारा की महाराष्ट्र के राष्ट्रवादियो का गढ बनाकर इस प्रवृत्ति को अन्तर्मीन करने मे सफल हुयी। भारत छोडो आदोलन के दौरान समानातर सरकारे भी रही। इनमे से कुछ 1945 तक सक्रिय रही।[1]

पिछडी जातियो के आदोलनो के इस सक्षिप्त सिद्धावलोकन से स्पष्ट होता है कि इनमे विभेदकारी सास्कृतिक तथा अतिवादी परपराये सुधार प्रवृत्तिया सम्मिलित थी। इनकी स्थापना और सचालन मद्रास मे जस्टिस पार्टी बिहार के यादवो अथवा महाराष्ट्र के मालियो की तरह उनके ग्रामीण निम्न वर्गों द्वारा किया गया। दक्षिण और पश्चिम भारत मे सास्कृतिक एव शैक्षिक क्षेत्रो के साथ–साथ व्यवसायो और सरकारी नौकरियो मे ब्राह्मणे के एकाधिकार के कारण जो आदोलन यहा प्रारभ हुए थे, पूर्वी एव उत्तर भारत की अपेक्षा कही अधिक ब्राह्मण विरोधी थे। लेकिन जातिवादी भावनाओ की अत्यधिक अभिव्यक्ति के कारण इन आदोलनो का रूप जातिवादी और राजनीतिक हो गया था। इसी कारण जातिगत जागरूकता और जातीय राजनीति का उदय हुआ।[2]

---

1 वही–पृष्ठ–168
2 वही–पृष्ठ–167 168

जातिगत और सामाजिक सुधार आकलनो का पिछडी जातियो पर प्रभाव

कृषक सघर्ष और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव

भारत मे अग्रेजी राज्य की एक प्रमुख भाग या नीति भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था और चुकि इस वर्ष अर्थ व्यवस्था पर सर्वाधिक निर्भर पिछडी जातिया ही थी अत इन जातियो पर कृषि व्यवस्था का प्रभाव पडना स्वाभाविक था। प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढाचे के अधीन क्रमश रखी गयी। नवीन भू–व्यवस्था ने नये प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिये। ग्रामीण भारत मे नेय प्रकार के सामाजिक वर्ग उभरे। जीवन यापन के आय साधन कम होने के कारण देश मे भूमि पर बोडा अधिक बढ गया और उसका भुला भी बढ गया। सरकारी कर तथा जमीदारो का भाग अधिक होने के कारण कृषक साहुकारो तथा व्यापारियो के चगुल मे फस गये। अनुपस्थित भू–स्वामीत्व परजीवी बिचौलिए लोभी साहुकार इन सभी ने मिलकर कृषक को अधिकाधिक निर्धनता के ढाचे मे ढकेलते गये। अत कृषको को विदेशी ही नही अपितु स्थानीय शोषण कारियो तथा पूजीपतियो से भी निपटना था।[1]

19 वी शताब्दी मे कृषको भी अशाति विरोधी विद्रोहो तथा प्रतिरोधो मे प्रकट हुयी जिनका मुख्य उद्देश्य सामतशाही बधनो को तोडना अथवा ढीला करना था। उन्होने भूमि मारक बढाने बदेखली तथा साहुकारो की ब्याज खोरी के विरूद्ध विरोध प्रकट यिका। उनकी भागो मे मौअसी अथवा दखिलकार अधिकार और भाटक के रूप मे अन्न के स्थान पर धन का निश्चित करना था। वर्ग जाग्रति की अनुपस्थति मे अथवा कृषको के सुव्यवस्थित सगठन न होने के कारण कृषको के विद्रोहो ने राजनैतिक रूप घारण नही किया। परन्तु 20वी शताब्दी मे वर्ग जागृति आभी तथा किसान सभाओ की

---

1 बी0एल0 मोवर+आधुनिक भारत का इतिहास एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 नयी दिल्ली (वर्ष 1995) पृष्ठ–487

स्थापना हुयी। स्वतत्रता प्रगति के पूर्व के दशक मे किसान सभाए अधिकाधिक बामपथी राजनीतिक दलो जैसा कि काग्रेस समाजवादी दल तथा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के प्रभाव मे आयी।[1]

किसान आदोलन वैसे तो पूरे भारत वर्ष मे समय–समय पर अग्रेजी शासन के अन्तर्गत चलाये जाते रहे पर यहा मुख्य रूप से उ0प्र0 किसान सघर्ष का वर्णन किया जाएगा। 1856 मे अवध पर अग्रेजी हुकूमत के कब्जे के बाद पूरे प्रात मे तालुकेदारो और बडे जमीदारो ने किसानो पर अपनी पकड मजबूत बना ली और किसानो का बेइतहा शोषण करने लगे। पहले तालूकेदारो की लगान का केवल एक हिस्सा ही मिलता था पर अब वे जमीन के आला मालिक हो गये। और मनमाना लगान वसूलने लगे जब उनकी इच्छा करती नजराने की दर बढा देते और जब जिसे चाहते उसे बेदखल कर देते। इस तरह काश्तकार अखताओ रो की मर्जी पर जीने लगे इनकी जिदगी जिमीदारो तथा इनके लठैतो के रहमो करम पर गुजरने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महगाई की मार झेल रहे काश्तकारो की अब तो रीढ ही टूट गयी। शोषण और जुल्म भी इतहा ने काश्तकारो को उस मजिल तक ढकेल दिया गया जहा वह बगावत की पुकार का इतजार करने लगे।[2]

अवध मे होमरूल लीग आदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होने किसानो को सगठित करना शुरू किया। सगठन को नाम दिया गया किसान सभा गौरी शकर मिश्र इन्द्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालविय के प्रयासो से फरवरी 1918 मे उ0प्र0 किसान सभा का गठन हुआ था। इस सगठन ने किसानो को बडे पैमाने पर किसानो को सगठित यिका। इससे पहले भी इन्द्र नरायण द्विवेदी ने किसानो की ओर से सरकार को एक याचिका भी थी जिसमे माग की गयी थी कि नयी सवैधानिक व्यवस्था

---

[1] वहीं– पृष्ठ– 487

2 विपिन चन्द्र–भारत का स्वतत्रता संघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–वर्ष (1993)

मे किसानो के हितो का भी ध्यान रखा जाय। उस समय नये सविधान की बात जोरो पर चल रही थी।[1]

उ0प्र0 किसान सभा ने थोडे ही समय मे अपने को स्थापित कर लिया। जून 1919 तक प्रात भी 173 तहसीलो मे इसकी 450 शाखाए गठित कर ली गयी। फतेहपुर इलाहाबाद मैनपुरी बनारस कानपुर, जालौन बलिया रायबरेली एटा और गोरखपुर जिलामे मे किसान सीा की अनेक बैठके हुयी। किसान सभा ने किसानो को किस हद तक जागतक बनाया इसका पता इसी बात से चलता है कि सितग्बर1918 मे दिल्ली मे काग्रेस अधिवेशन मे बहुत बडी सभा मे उ0प्र0 के किसानो ने भाग लिया। अगले साल अम्रतसर काग्रेस अधिवेशन मे भी उ0प्र0 के किसानो की सभा अत्यधिक थी। इस अधिवेशन मे किसानो का व्यवहार काफी उग्र था। इसमे किसानो ने कुसिर्या और मेज तोड डाले। अधिवेशन के अध्यक्ष मोती लाल नेहरू इस घटना से अत्यत क्षुब्ध हुए और इसकी कडी शब्दो मे निदा की।[2]

1919 के अतिम दिनो मे किसानो का सगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ की एक जागीर मे नाई धोबीवद' सामाजिक वहिष्कार सगठित कारवाई की पहली घटना थी। 1920 की ग्रीष्म ऋतु से एक ओर जहा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधिया जोर पकडने लगी वही अवध की तालुकेदारी मे ग्राम पचायतो के नेतृत्व मे किसान बैठको का सिलसिला प्रारभ हो गया। झिगरी सिह और दुर्गपाल सिह ने इसमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन जल्द ही इस आदोलन मे एक नया चेहरा उभरा बाबा रामचन्द्र जिन्होने आदोलन की बागडोर ही नही सभाली बल्कि उसे और मजबूत और सघर्षशील बनाया उनमे सगठन की अद्भुत क्षमता थी।[3]

---

1 वही – पृष्ठ 146
2 वही – पृष्ठ 146
3 वही – पृष्ठ 146

आदोलन लगातार बढता ही जा रहा था। गौरी शकर मिहत जवाहर लाला नेहरू माताबदल पाडे बाबा राम चन्द्र देवनरायन पाडेय और केदारनाथ के प्रयासो के फलस्वरूप अक्टूबर 1930 तक किसान सभाए इस नये किसान सगठन मे शामिल हो गई। अवध किसान सभा ने किसानो से बेदखली जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील भी की और इसे न मानने वालो का बहिष्कार करने की अपील की गई किसानो से कहा गया कि वह अपने विवादो का निपटारा पचायतो के माध्यम से करे। 20 आदेश सितम्बर को अवध किसान सभा की अयोध्या मे एक विशाल रैली हुयी जिसमे लगभग एक लाख किसानो ने भाग लिया। इस रैली मे बाबा राम चन्द्र रस्सी मे वही हुए आये। जिसका उद्देश्य था किसानो की वास्तविक स्थिति का आभास कराना किसानप सभा आयोलन भी सबसे बडी विशेषता यह थी कि इसमे उची उमरे पिछडी जातियो दोनो के ही किसानो की वास्तविक स्थिति का आभास कराना किसान सभा आदोलन की सबसे बडि विशेषता यह थी कि इसमे उची और पिछडी जातियो दोनो के हि किसान सम्मालित थे। इस प्रकार इन किसान आदोलनो से पिछडी जातियो की स्थिति निरतन परिवर्तित होती जा रही थी।[1]

जनवरी के आरभ मे किसान सघर्ष मे बदलाव आया। किसानो की गतिविधियो के प्रमुख केन्द्र थे रायबरेली फैजाबाद और सुल्तानपुर, बाजारो मकानो खेत खलिहानो की लूटपाट और पुलिस से जब तक सघर्ष ही किसानो की मुख्यगति विधिया थी। इनमे कुछ बारदाते अफवाहो के कारण हुयी। जैसे मुशीगज और खरहिया बाजार (रायबरेली) मे किसानो नेताओ की गिरफतारी की अफवाह फैलते ही लूटमार मच गया। शेष बारदाते या सघर्ष तालुकेदारो के शोषण के खिलाफ किसानो के छिपुट सघर्ष थे। इनमे बहुत सी घटनाओ मे किसान सभा के किसी बडे नेता ने नही वरन स्थानीय लोगो ने पल भी की जिसमे साधु धार्मिक हस्तिया और दाम वचित भूस्वामी शामिल थे।[2]

---

1 विपिन चन्द्रा–भारत का स्वतन्त्रता सघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यालय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–वर्ष (1993) पृष्ठ– 147

2 वही – पृष्ठ 148

इस तरह के छिटपुट सघर्ष को दबाना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नही था। कई बार सघर्ष पर उतारू किसानो पर गोलिया चलायी गयी नेताओ और कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे चलाये गये और फरवरी मार्च मे एक दो बरदातो को छोडकर जनवरी मे ही यह आदोलन समाप्त हो गया। मार्च मे कई जिलो मे देशद्रोही बैठक अधिनियम लागू कर दिया गया जिससे राजनीतिक गतिविधिया ठप पड गयी। राष्ट्रवादी नेता अदालतो मे किसानो की ओर से लडते रहे। इसी बीच सरकार ने अवध मालगुजारी (सशोधन) अधिनियम पारित कर दिया गया इससे किसानो को कोई विशेष राहत तो नही मिली लेकिन उनके मन मे उम्मीदे अवश्य जगी।[1]

लेकिन साल के अत तक किसानो का असतोष एक बार पुन उभर कर सामने आने लगा। इस बार गतिविधियो के केन्द्र थे हरदोई बहराइच और सीतापुर। किसानो के असतोष को आदोलन का रूप दिया काग्रेस के खिलाफत आदोलन के नेताओ ने और इसे नाम दिया गया एक आदोलन। किसानी की मुख्य (समस्याए) शिकायते लगान मे बढोत्तरी और उपज के रूप मे लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानो से 50 प्रतिशत अधिक लगान वसूला जा रहा था। जमीदारो के गुर्गे ठेकेदार जो लगान वसुलते थे वह किसानो पर तरह–तरह के जुल्म ढा रहे थे।[2]

एक बैठके शुरू होने से पहले सभा स्थल नपर एक गड्ढा खोदकर उसमे पानी भरा जाता। इसे गगा माना जाता और एक पूजारी वहा सभी किसानो को गा की सौंगध खिलाता कि वे निर्धारित लगान नही देगे बेदखल किये जाने पर जमीन नही छोडेगे, जबरि मजदूरी नही करेगे, अपराधियो को मदद नही देगे और पचायत के फैसलो को स्वीकार करेगे। एक आदोलन ने थोडे ही समय मे अपनी अलग जडे जमा ली। आदोलन का नेतृत्व पिछडी जातियो के मदारी पासी व अन्य नेताओ के हाथ से

---

1 वही – पृष्ठ 148

2 विपिन चन्द्रा – भारत का स्वतत्रता सघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली वर्ष–1993 पृष्ठ–148

चला गया–ऐसे लोगो के हाथ मे जो काग्रेस और खिलाफत नेताओ के अनुशासित और अहिसक आदोलन के सिद्धात के प्रति पूरी तरह प्रतिवद्ध नही थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रावहवायी नेता आदोलन से अलग–थलग पड गये और आदोलन ने एक दूसरी राह पकड ली। चौरी–चौरा काण्ड के बाद जब गाधी जी ने असहयोग आदोलन वापस ले लिया तब भी किसानो का यह आदोलन चलता ही रहा। यह आदोलन पहले के किसान सभा आदोलन से एक प्रकार से भिन्न था। किसान आदोलन मूलत काश्तकारो का आदोलन था। इसके जमीदार नही थे पर एक आदोलन मे छोटे–मोटे जमीदार भी शामील थे, ऐसे जमीदार जो बढे हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। लेकिन सरकार ने दमन के बल पर मार्च 1922 के आते–आते इस आदोलन को भी समाप्त कर दिया।[1]

कृषक आदोलन और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव

भारत मे अग्रेजी राज्य का एक प्रमुख अग या नीति भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था और चूकि इस कृषि अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक निर्भर पिछडी जातिया ही थी अत इन जातियो पर कृषि व्यवस्था का प्रभाव पडना स्वाभाविक ही था। प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढाचे के अधीन क्रमश छूटती गयी। ग्रामीण भारत मे नये प्रकार के सामाजिक वर्ग उभरे। जीवनयापन के अन्य साधन कम होने के कारण देश मे भूमि पर बोझ अधिक बढ गया और उसका मूल्य भी बढ गया। सरकारी कर तथा जमीदारो का भाग अधिक होने के कारण कृषक साहूकारो तथा व्यापारियो के चगुल मे फस गये। अनुपस्थित भू–स्वामित्व परजीवी बिचौलिए, लोभी साहूकार इन सभी ने मिलकर कृषक को अधिकाधिक निर्धनता के ढाचे मे ढकेलते गये। इस प्रकार कृषको को अब विदेशी ही नही अपितु स्थानीय शोषणकारियो तथा पूजीपतियो से भी निपटना था। अत अब किसानो मे एक नये प्रकार की जागृति और जन आन्दोलन की माग जोर

---

1 वहीं – पृष्ठ – 148–149

पकडने लगी और यह किसान अपने अधिकारो के प्रति अधिक जागरूक हो गये और इन आदोलनो के परिणामस्वरूप हुए समझौतो और साक्षियो मे इन कृषको को काफी लाभ भी मिला। चूकि इन कृषक जातियो मे सर्वाधिक जातिया पिछडे वर्गों से ही थी अत इसका लाभ भी सर्वाधिक उन्हे ही मिला।[1]

19वी शताब्दी कृषको की अशाति विरोधो विद्रोहो तथा प्रतिरोधो के रूप मे प्रकट हुयी। जिसमे उन्होने बेदखली तथा साहूकारो की ब्याजखोरी के विरूद्ध विरोध प्रकट किया। उनकी भागो मे मौअसी अथवा दखिलकार अधिकार और जोतक के रूप मे अन्न के स्थान पर धन को निश्चित करना था। वर्ग जागृति की अनुपस्थिति मे अथवा कृषको के सुव्यवस्थित सगठन न होने के कारण कृषको के विद्रोहो ने राजनैतिक रूप धारण नही किया। परन्तु 20वी शताब्दी मे वर्ग जागृति आयी तथा किसान सभाओ की स्थापना हुयी। स्वतत्रता प्राप्ति के पूर्व दशक मे किसान सभाए अधिकाधिक काग्रेस समाजवादी दल तथा बामपथी विचारो के प्रभाव मे आयी।[2]

किसान आदोलन वैसे तो पूरे भारत वर्ष मे समय–समय पर अग्रेजी शासन के अन्तर्गत चलाये जाते रहे पर यहा मुख्य रूप से उ0प्र0 किसान सघर्ष का वर्णन किया जाएगा। इसमे भी विशेष रूप से अवध क्षेत्र का क्योक शोध प्रबध का जिला फैजाबाद इसी क्षेत्र मे स्थित है।

1856 मे अवध पर अग्रेजी हुकूमत के कब्जे के बाद पूरे प्रात मे तालुकेदारो बडे जमीदारो ने किसानो पर अपनी पकड मजबूत बना ली और किसानो का बेइतहा शोषण करने लगे। पहले तालुकेदारो को लगान का केवल एक हिस्सा ही मिलता था पर अब वे जमीन के आला मालिक हो गये और मनमाना लगान वसूलने लगे जब उनकी इच्छा होती नजराने की दर बढा देते और जब जिसे चाहते उसे बेदखल कर देते। इस तरह काश्तकार अब तालुकेदारो की मर्जी पर जीने लगे। इनकी जिदगी जमीदारो तथा इनके

---

1 बी0एल0 ग्रोवर–आधुनिक भारत का इतिहास एस0चन्दग्र एण्ड कम्पनी लि0, नयी दिल्ली–1995 पृ0स0 487
2 वही पृ0 स0 487–488

लठैतो के रहमो करम पर गुजरने लगी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद महगाई की मार झेल रहे काश्तकारो की अब तो रीढ ही टूट गयी। शोषण और जुल्म की इम्तहा ने काश्तकारो को उस मजिल तक ढकेल दिया जहा वह बगावत की पुकार का इतजार करने लगे।[1]

देश का सामाजिक–आर्थिक माहौल काफी तेजी से बदल रहा था वर्गीय तनाव तीखे हो चले थे। किसानो मे असतोष की लहर दौड रही थी। सन् 1917 मे कुछ किसानो ने अपनी वर्गीय मागो को प्राप्त करने के लिए किसान सगठन बनाने के बारे मे सोचा। प्रतापगढ जिले की यही तहसील के एक छोटे से गाव अरे मे झीगुरी सिह और सहदेव सिह ने पहली किसान सभा बनाई। इस सभा ने किसानो के असतोष को हवा दी अपनी मागो को स्वर देने के लिए जन–आदोलन सगठित किये और तालुकेदारो की निरकुशता से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के उपाय किये।[2]

अवध मे होमरूल लीग आदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होने किसानो को सगठित करना शुरू किया। गौरी शकर मिश्र इन्द्रनरायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासो से फरवरी 1918 मे उ0प्र0 किसान सभा का गठन हुआ था। इस सगठन ने किसानो को बडे पैमाने पर सगठित किया। इससे पहले भी इन्द्र नरायण द्विवेदी ने किसानो की ओर से सरकार से एक याचिका भी की थी जिसमे यह माग की गयी थी कि नयी सवैधानिक व्यवस्था मे किसानो के हितो का ध्यान भी रखा जाए।[3]

उ0प्र0 किसान सभा ने थोडे ही समय मे अपने को स्थापित कर लिया। जून 1919 तक प्रात की 173 तहसीलो मे इसकी 450 शाखाए गठित कर ली गयी। फतेहपुर इलाहाबाद मैनपुरी बनारस, कानपुर, जालौन बलिया रायबरेली, एटा और गोरखपुर

---

1 विपिन चन्द्रा–भारत का स्वतत्रता सघर्ष–हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–1993 पृ0 145

2 कपिल कुमार (अनुवादक असम जैदी)–किसान विद्रोह काग्रेस और अग्रेजी राज 1866–1982 मनोहर प्रकाशन नयी दिल्ली–1991

3 विपिन चन्द्रा–देखें पृ0 146

जिलो मे किसान सभा की अनेक बैठके हुयी। किसान सभा ने किसानो को किस हद तक जागरूक बनाया। इसका पता इसी बात से चलता है कि सितम्बर 1918 मे दिल्ली मे काग्रेस अधिवेशन मे बडी सख्या मे उ0प्र0 के किसानो ने भाग लिया। अगले साल जागृत काग्रेस अधिवेशन मे भी उ0प्र0 किसन सभा के सदस्यो की सख्या अधिक थी।[1]

किसानो का आदोलन लगातार बढता ही जा रहा था। गौरीशकर मिश्र जवाहर लाल नेहरू माताबदल पाण्डेय बाबा राम चन्द्र देवनरायन पाण्डेये और केदारनाथ के प्रयासो के फलस्वरूप अक्टूबर 1930 तक किसान सभाए इस नये किसान सगठन मे शामिल हो गयी। अवध किसान सभा ने किसानो से बेदखली जमीन न जोतने और बेगार न करने की भी अपील की और इसे न मानने वालो का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। किसानो से कहा गया कि वह सरकारी आदालनो का बहिष्कार करे और अपने विवादो का निपटारा ग्राम पचायतो के माध्यम से ही करे। 20 सितम्बर को अवध किसान सभा की अयोध्या मे एक विशाल रैली हुयी जिसमे लगभग एक लाख किसानो ने भाग लिया। किसान सभा आदोलन की सबसे बडी विशेषता यह थी कि इसमे ऊची और पिछडी जातियो दोनो के ही किसानो की वास्तविक स्थिति को आभास कराया। किसान आदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इसमे उच्च और पिछडी दोनो ही वर्गों की किसान जातिया सम्मिलित थी। इस प्रकार इन किसान आदोलनो से पिछडी जातियो की स्थिति निरतर परिवर्तित हो रही थी क्योकि वह अपने हितो के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे थे।[2]

किसानो की गतिविधियो के प्रमुख केन्द्र थे प्रतापगढ रायबरेली फैजाबाद और सुल्तानपुर।[3] राय बरेली जिले मे शोषित किसानो द्वारा बडे पैमाने पर जुझारू गतिविधियो मे हिस्सा लेने के साथ ही अवध के किसान आन्दोलन ने वर्ग सघर्ष का रूप ले लिया।

---

1 देखें–विपिन चन्द्रा–पृ0 146
2 वही–पृ0 147
3 वहीं पृ0 148

अवध मे किसानो के विद्रोह के साथ नये वर्ष की शुरूआत हुयी। डलमझ तहसील के किसानो ने हजारो के जत्थे बना लिये और घूम–घूम कर तालुकेदारो की फसलो को बर्वाद करना शुरू कर दिया। आदोलन के मुख्य सगठनकर्ता बाबा राम चन्द्र बाराबकी मे किसानो को सगठित कर रहे थे जबकि शहरी राजनीतिज्ञ काग्रेस के कार्यक्रमो को अमल मे ला रहे थे और किसानो को सामजस्य और शाति की सीख दे रहे थे।[1] किसानो की गतिविधियो का मुख्य केन्द्र बाजारो मकानो खेतो खलिहानो की लूटपाट और पुलिस से जब तक सघर्ष ही होता था। इनमे कुछ बारदाते अफवाहो के कारण हुयी। जैसे मुशीगज और खरहिया बाजार (राय बरेली) मे किसानो और नेताओ की गिरफ्तारी की अफवाह फैलते ही लूटमार मच गया। शेष वारदाते या सघर्ष तालुकेदारो के शोषण के खिलाफ किसानो के छिटपुट सघर्ष थे। इनमे बहुत सी घटनाओ मे किसान सभा के किसी बडे नेता ने नही वरन् स्थानीय लोगो ने पहल की जिसमे साधू, धार्मिक हस्तिया और दाम वचित भूस्वामी शामिल थे।[2]

इस तरह के छिटपुट सघर्ष को दबाना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम न था। कई बार सघर्ष पर तउरू किसानो पर गोलिया चलायी गयी। नेताओ और कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे चलाये गये और फरवरी मार्च मे एक दो वारदातो को छोडकर जनवरी मे ही यह आदोलन समाप्त हो गया। मार्च मे कई जिलो मे देशद्रोही बैठको के खिलाफ अधिनियम लागू कर दिया गया जिससे राजनीतिक गतिविधिया ठप पड गईं। राष्ट्रवादी नेता किसानो की ओर से लड़ते रहे। इसी बीच सरकार ने अवध मालगुजारी (सशोधन) अधिनियम पारित कर दिया। इससे किसानो को विशेष राहत तो नही मिली परन्तु उनके मन मे उम्मीदे अवश्य जगी।[3]

---

1 देखें–कपिल कुमार–किसान विद्रोह काग्रेस और अग्रेजी राज पृ0–135
2 विपिन चन्द्रा–भारत का स्वतत्रता सघर्ष पृ0 148
3 वही–पृष्ठ 148

लेकिन साल के अत तक किसानो का असतोष एक बार पुन उभरकर सामने आने लगा। इस बार गतिविधियो के केन्द्र थे हरदोई बहराइच और सीतापुर। किसानो के असतोष को आदोलन का रूप दिया। काग्रेस के खिलाफत आदोलन के नेताओ ने और इसे नाम दिया गया गया एका आन्दोलन। किसानो की मुख्य समस्याये लगान मे बढोत्तरी और उपज के रूप मे लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानो से 50 प्रतिशत से अधिक लगान वसूला जा रहा था। जमीदारी के गुर्गे ठेकेदार जो लगान वसूलते थे वह किसानो पर तरह–तरह के जुल्म ढाह रहे थे।[1]

एका आन्दोलन ने थोडे ही समय मे अपनी अलग जडे जमा ली। आन्दोलन का नेतृत्व पिछडी जातियो के मदारी पासी व अन्य नेताओ के हाथ से चला गया। ऐसे लोगो के हाथ मे जो काग्रेस और खिलाफत नेताओ के अनुशासित और अहिसक आन्दोलन के सिद्धात के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नही थे इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रवादी नेता आदोलन से अलग हो गये और आन्दोलन ने एक दूसरी राह पकड ली। चौरी–चौरी काण्ड के बाद जब गाधी जी ने असहयोग आदोलन वापस ले लिया तब भी यह किसानो का आदोलन चलता ही रहा। यह आन्दोलन पहले के किसान सभा आदोलन से एक प्रकार से भिन्न था। किसान आदोलन मुलत काश्तकारो का आदोलन था। एका आदोलन मे छोटे–मोटे जमीदार भी शामिल थे ऐसे जमीदार जो बढे हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे लेकिन सरकार ने दमन के बल पर मार्च 1922 के आते–आते इस आदोलन को भी समाप्त कर दिया।[2]

---

1 विपिन चन्द्रा–भारत का स्वतत्रता सघर्ष पृ0 148
2 वही पृष्ठ–148–149

फैजाबाद में किसान आन्दोलन

अवध किसान आन्दोलन का पूरा प्रभाव फैजाबाद जिले पर भी पड़ा। सामंती उत्पीड़न से सर्वाधिक पीड़ित इस जिले के भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। ये अवध के इसी जिले में सबसे बड़ी तादात में पाये जाते थे। इनकी कुल संख्या 88,296 थी। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में खासी गिरावट आयी थी। 1873 में औसत मजदूरी 4 रूपये प्रतिमाह थी जिसममें 1903 तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुयी थी।[1]

अवध में खेतिहर मजदूरों के हालत सबसे दर्दनाक थे। सन् 1873–1903 के दौरान कीमतों में बढ़ोत्तरी हुयी थी पर उनकी मजदूरी में 2 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। पड़ोसी प्रांत आगरा में भी बढ़ोत्तरी हुयी थी लेकिन अवध भारत का अकेला प्रांत था जहां मजदूरी में गिरावट देखी गयी। जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।[2]

खेतिहर मजदूरों की औसत मासिक मजदूरी में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
(रूपया और एक रूपया के दशमलव में)

प्रांत	बढ़ोत्तरी का प्रतिशत 1873-1903
बंगाल	39.3
आसाम	40.6
संयुक्त प्रांत, आगरा	22.7
अवध	2.0
पंजाब	49.4
मद्रास	9.8
बम्बई	11.6
मध्य प्रांत	12.5
वर्मा	8.5
पूरे भारत का औसत	20.6

1. कपिल कुमार–किसान विद्रोह कांग्रेस और अंग्रेजी राज, अवध, 1866–1922, मनोहर प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1991, पृ0 148.
2. वही, पृ0 56.

फैजाबाद के शोषित किसानो मे काफी हद तक किसान सभाओ द्वारा जागृति आयी जो इनकी मागो के लिए सघर्ष करती थी। देव नरायन पाडेय ने हलवाहो को इसके लिए तैयार किया कि वह मजदूरी की पुरानी दरो पर जमीदारो का काम न करे और उन्होने अन्तत हलवाहो से हडत्रताल करवा ही दी। हडताल के नतीजे के तौर पर उन्हे आर्थिक परेशानी उठानी पडी। शीघ्र ही हताशा के गर्त मे डूबे मजदूरो ने अपने उत्पीडिको के खिलाफ बगावत कर दी। सबसे पहले अकबरपुर और टाडा तहसील मे किसान विद्रोह शुरू किया गया। 12 जनवरी को डकारा गाव के जमीदार के घर को लूट लिया गया। भूमिहीन मजदूरो की एक विशाल भीड 13 और 14 जनवरी को बसखारी और जहागीरगज क्षेत्र के अन्दर आने वाले बनिये सुनारो जमीदारो और सम्पन्न जोतदारो को लूटती रही। भीड मे शामिल पुरूषो की सख्या 1000 से 5000 तक थी और इनके पीछे महिलाओ का एक हुजूम भी चलता था जो लूट का माल ढोते थे। 15 जनवरी को हथियारबन्द पुलिस आने के बाद ही यह सत्र बद हो गया।[1]

22 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद पहुचे उन्होने अशात क्षेत्र का दौरा किया और किसानो को शात रहने की सलाह दी, हिसा की निदा की और असहयोग का उपदेश दिया। उन्होने अशाति के लिए जमीदारो की आपसी दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया। 27 जनवरी को अकबरपुर पुलिस सर्किल के गुहुआना गाव मे 30 000 से 40 000 की सख्या मे किसान जमा हुये। इस सभा मे काग्रेसी छाये हुए थे और जवाहर लाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस सभा ने काफी प्रस्ताव पारित किया जिसमे मुख्य रूप से लूटपाट' की निन्दा की गई थी लूट के शिकार लोगो से हमदर्दी जाहिर की गई लूटपाट की घटनाओ के लिए एक समिति गठित करने की माग की और किसानो से कहा कि वह असहयोग आन्दोलन मे शामिल हो।[2]

---

1 वही पृ0 149
2 वहीं पृ0 151

29 जनवरी को बसखारी मे स्थानीय किसान नेताओ द्वारा आयोजित एक मीटिग की खबर लाने गये पुलिस के दो आदमियो को अपमानित किया गया था। जब तक डिप्टी कमिश्नर वहा पहुचे तब तक 13 लोग गिरफ्तार किये जा चुके थे। उसने वहा कई दस्तावेज जब्त किये। इन दस्तावेजो से किसान आन्दोलन के लक्ष्यो उद्देश्यो और काम करने के तौर–तरीको का पता चलता है। जब्तशुदा दस्तावेजो मे से एक ऐसा था जिनमे समानातर प्रशासन इत्यादि के लिए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन साहल और दरोगा जैसे अधिकारियो की सूची दी गयी है। परेशान अधिकारियो को इस बात का पता न चल सका कि यह सूची जिले के किसी विशेष क्षेत्र के लिए है या सम्पूर्ण जिले के लिए।[1]

सूरज प्रसाद उर्फ छोटा रामचन्द्र के नेतृत्व मे आने वाले किसान उभार का चिरत्र ज्यादा क्रातिकारी था। वह 1918 से ही फैजाबद और सुल्तानपुर जिले मे सक्रिय था। अक्टूबर 1920 से उसकी गतिविधिया मुख्यत तालुकेदार और सरकार के खिलाफ केन्द्रित हो गयी। कुछ समय पश्चात उसने एक सभा की स्थापना की और खुद को उस इलाके का शासक घोषित किया जिसकी सीमाए निर्धारित कर उसे झण्डो से सजा दिया गया। उसने अपने क्षेत्र मे पुलिस के प्रवेश पर पाबदी लगायी गश्त पर आये एक पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। लगान–अदायगी से सम्बन्धित आज्ञप्ति जारी की और तमाम जमीदारी अधिकारो का खात्मा कर दिया। सरकारी कर्मचारियो और पेशनयाफ्ता लोगो पर जुर्माना बाध दिया। उसकी सभाओ मे हजारो किसान नियमित रूप से आने लगे। उसके समर्थको मे मुख्यत पिछडी और नीची जाति के ही लोग थे। तालुकेदारी फरमानो से बेदखल किये गये काश्तकारो को छोटे रामचन्द्र द्वारा दुबारा उनकी जमीनो पर कब्जा दिलाया गया।[2]

---

1 वही पृ0 152–153
2 वही पृ0 153 व 155

29 जनवरी को सूरज प्रसाद के साथ–साथ 17 और लोगो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की खबर बिजली की तरह चारो तरफ फैल गयी और शीघ्र ही हजारो किसान गोसाइगज रेलवे स्टेशन पर जमा हो गये। किसानो को अनुमान था कि सूरज प्रसाद यही होगे। किसान रेलवे लाइन पर बैठ गये जिससे रेलगाडियो का आना जाना बद हो गया पुलिस और किसानो के बीच जमकर सघर्ष हुआ और गोली चलने पर ही किसान वहा से हटे। गिरफ्तारी के समय सूरज प्रसाद के खिलाफ कोइ खास आरोप नही था। काग्रेसियो द्वारा बदनाम करने की तमाम कोशिशो के बावजूद उस क्षेत्र मे सूरज प्रसाद का प्रभाव सर्वोपरि बना रहा।[1]

फैजाबाद का किसान विद्रोह समाप्त हो गया लेकिन सरकार की व्यग्रता बरकरार रही। बटलर ने फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले मे एक सैन्य टुकडी से मार्च करवाया। वह ग्रामीण जनता द्वारा अग्रेजी राज के होने और उसे गम्भीरता से लिये जाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व मे यह टुकडी मार्च कर रही थी जिसमेम एक स्क्वाड्रन भारतीय घुडसवार फौज ब्रिटिश पैदल सेना की दो कम्पनी और तोपचियो का एक सेक्शन शामिल था। सैन्य दल की उपस्थिति से जमीदारो को नैतिक बल मिला। सरकार का अपने पक्ष मे होने का उन्हे यकीन हुआ। अब उन्हे अपने काश्तकारो के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाने का मौका मिला। अगर किसान बतौर हरजाने के रक्षा शुल्क जमीदारो को देता था तो काफी कृपा–भाव दिखाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे मे वापस ले लिये जाते थे। इस तरह जमीदारो ने काफी पैसा बनाया। इस पूरे मामले मे अधिकारियो का रवैया अटल इसाफ का न होकर बदला चुकाने वाला था। अप्रैल 1921 तक फैजाबाद जेल मे 'खेतिहर अशाति" से सम्बन्धित विचाराधीन कैदियो की सख्या 442 थी। जेल मे तीन लोगो की मृत्यु हो गयी। दो को निमोनिया और एक को रक्ताघात हो गया। ये मौते कैदियो के स्वास्थ की ठीक

---

1 वही पृ0 154

ढग से देखभाल नही किये जाने के कारण हुयी क्योकि गिरफ्तारी के समय मरने वालो का स्वास्थ्य काफी अच्छा था।[1]

किसान आन्दोलन मे बाबा रामचन्द्र की भूमिका

बाबा रामचन्द्र का वास्तविक नाम श्रीधर बलवन्त जोधपुरकर था और वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गाव मे सन 1864 मे हुआ था। सनृ 1905 तक वह दिहाडी मजदूर कुली और फेरीवाले का काम करते रहे। 1905 मे ही वह अनुबधित गिरमिटिया मजदूर के रूप मे कार्य करने के लिए फिजी चले गये। वही उन्होने खुद को छिपाने के लिए अपना नाम बदलकर रामचन्द्र रख लिया क्योकि महाराष्ट्रीय ब्राह्मणो को अग्रेज शक की निगाह से देखते थे। अपने फिजी प्रवास (1905–1916) के दौरान रामचन्द्र अनुबधित मजदूरो की मुक्ति के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन मे काफी सक्रिय रहे। सरकारी कागजातो मे बाबा रामचन्द्र की चर्चा फिजी के एक सफल आन्दोलनकर्ता के रूप मे की गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फिजी से वापस भारत आ गये। 1917–18 के मध्य वह प्रतापगढ और जौनपुर जिले मे घूम–घूम कर धार्मिक प्रवचन देते रहे। अपने धार्मिक कार्यों के दौरान ही वह अवध के किसानो के दमनीय स्थिति से परिचित हुए। आरभ मे वह जमीदारो और काश्तकारो के बीच आपसी सहयोग को बढाने के लिए कार्य किया।[2]

बाबा रामचन्द्र ने यह महसूस किया कि अवध के देहातो मे 'राम भक्ति की परम्परा जनमानस मे काफी गहरी है और इसका उपयोग उन्होने[3] किसानो मे जागृति फैलाने के लिए करने का तय किया। किसानो की समस्याओ से सम्बधित सैकडो पर्चे उन्होने साफ–सुथरी हस्तलिपि मे लिखे। पर्चे के ऊपर सीताराम लिखा होता था और रामायण के प्रसग होते थे।[4] बाबा रामचन्द्र अग्रेजो व तालुकेदारो की तुलना निरन्तर

---

1 वही पृ0 155–156
2 कपिल कुमार–किसान विद्रोह काग्रेस और अग्रेजी राज अवध–1886–1922 मनोहर प्रकाश नयी दिल्ली 1991 पृ0 89
3 वही पृ0 89
4 वही पृ0 89

देवताओ के कुटिल चरित्र से करता है और इस प्रकार साम्राज्यवाद व उसके सहयोगियो के एक ऐसी भाषा मे परिभाषित करता है जिसे किसान सुगमता से समझ सकते है। जैसे–अग्रेज इन्द्र की भाति सर्वोच्च शासक थे साम्राज्यवादी हितो की रक्षा के लिए मनमानी करते थे और उन पर कोई अकुश नही था।[1] यातायात और सचार के आधुनिक साधनो के अभाव वाले इस इलाके मे रामचन्द्र ने अपने कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए स्वदेशी तौर–तरीको का अविश्वास किया। सभा मे भाग लेने के लिए दूर–दराज के इलाको से आने वाले किसानो के रहने–खाने का इतजाम के सभा स्थल के पास–पडोस के गावो के किसानो की सहायता से करते थे। इससे न सिर्फ किसान–सभा की विशाल रैलिया आयोजित करने मे सहायता मिला वरन् किसानो को आपस मे मिलने–जुलने और अपनी समान समस्याओ पर सलाह–मशविरा करने का भी अवसर मिला।[2]

बाबा रामचन्द्र की इच्छा आन्दोलन को व्यापक बनाने की थी और इसीलिए उन्होने लोगो को महात्मा गाधी और अन्य शिक्षित शहरी नेताओ को इसमे शामिल करने की सलाह दी। उन्होने चम्पारण का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे गाधी के हस्तक्षेप से वहा के किसानो को निलही की आतकशाही से छुटकारा मिला। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए उन्होने जून–1920 के आरम्भ मे यही से इलाहाबाद तक की लगभग 70 किमी0 की दूरी सप्तमी पवित्र स्नान के लिए पैदल मार्च आयोजित किया जिसमे करीब 500 किसान शामिल थे।[3] इस प्रकार बाबा रामचन्द्र अपने सघर्षशील स्वभाव सादा–जीवन और पिछडो दलितो मजदूरो शोषितो तथा अस्पृश्यो के लिए कुछ करने की चाह के कारण जल्द ही सम्पूर्ण अवध क्षेत्र मे लोकप्रिय हो गये और उन्होने किसान आन्दोलन को एक नयी दिशा प्रदान की तथा किसानो को निर्भिक बनाया। अपने इस प्रयास मे उन्हे काफी हद तक सफलता भी मिली।

---

1 वही पृ0 91
2 वही पृ0 93–94
3 वही पृ0 95

जातिगत आदोलन और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव

20वी सदी के आरभिक दशको का एक महत्वपूर्ण लक्षण था जाति सभाओ समितियो एव आदोलनो का फैलाव। ऐसे सगठन मुख्यत मझोली जातियो के पर्याप्त छोटे शिक्षित समूहो द्वारा सगठित किये जाते थे। व्यवसाय अथवा नौकरियो की होड मे देर से शामिल होने वाले इन लोगो को लगता था कि इस क्षेत्र मे पहले से स्थापित ब्राह्मणो एव अन्य उच्च जातियो के विरूद्ध सघर्ष की दृष्टि से एकत्रित होने के लिए जाति एक उपयोगी साधन हो सकती है। सर्वप्रथम ब्राह्मण एव अन्य उच्च जातिया ही अग्रेजी शिक्षा से लाभान्वित हुयी थी। कैम्ब्रिज सम्प्रदाय के इतिहासकारो का इस गुट वादी पक्ष पर बल देना अपेक्षित नही है किन्तु सामाजशास्त्रियो की प्रवृत्ति इस जातिगत आदोलन को सस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा कुछेक जातियो की उर्ध्वगामी गतिशीलता से जोडने की रही है। कभी–कभी वे इनका परपरा एव आधुनिकता के बीच एक महत्वपूर्ण कडी भी मानते है। महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण आदोलन से सबधित एक ताजा अध्ययन मे गेल ओम्वेदत ने एक तीसरा ही दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वे जातिगत सघर्ष सामाजिक आर्थिक एव वर्गीय तनावो की विकृत कितु महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थे। यह दृष्टिकोण सस्कृतिकरण की धारणा को अत्यत सकीण मानता है क्योकि इससे महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज अथवा तमिलनाडु के आत्म सम्मान आदोलन जैसे जुझारू और लोकप्रिय जाति विरोधी आदोलनो की व्याख्या नही की जा सकती।[1]

यद्यपि बगाल जैसे प्रदेशो मे जातिगत समितियो का होना विरल बात नही थी तथापि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र मे इन समितियो ने कही अधिक सामाजिक और राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया था। इन क्षेत्रो मे ब्राह्मणो का स्पष्ट आधिपत्य था और जातिगत कट्टरता भी कही अधिक थी। दक्षिणी तमिलनाडु मे नाडारो को अछूत माना

---

1 सुमित सरकार–आधुनिक भारत राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0 नयी दिल्ली–1992–93 पृ0 187 188

जाता था। 19वी सदी के अत मे रामनाड जिले के कस्बो मे इस जाति के समृद्ध व्यापारियो का एक समूह उभरा जो शैक्षिक एव समाज–कल्याण की गतिविधिया चलाने के लिए धन एकत्रित करता था अपने आपको क्षत्रिय कहता था और ऊची जाति के रीति रिवाजो और आचार व्यवहार का अनुकरण करता था। 1910 मे इस समूह ने नाडार महाजन सगम की स्थापना थी। सस्कृतिकरण की बात यहा समीचीन लगती है कितु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस उर्ध्ववागी गतिशीलता ने तिम्मनेववेली के नीची जाति के गछवाहो को शायद ही प्रभावित किया हो। उन्हे अभी तक उनके पुराने जाति नाम शनार द्वारा ही सबोधित किया जाता था। जबकि रामनाड जिले मे रहने वाले उन्ही के अधिक सफलतम भाई बन्धुनो ने नाडार कहने का अधिकार प्राप्त कर लिया था।[1]

राजनीतिक दृष्टि से कही अधिक महत्वपूर्ण था जास्टिस आदोलन। इसकी स्थापना मद्रास मे 1915–16 मे मझोली जाति की ओर से सी0एन0 मुदलियार टी0एम0 नायर और पी0 त्यागराज चेटटी ने की थी। इनमे अनेक समृद्ध भूस्वामी और व्यापारी थे और जिन्हे शिक्षा सेना एव राजनीति के क्षेत्रो मे ब्राह्मणो का वर्चस्व देखकर इर्ष्या होती थी। ब्राह्मण मद्रास प्रेसीडेन्सी की जनसख्या का केवल 3 2% थे लेकिन 1912 मे 55% एस0डी0एम0 और 72 6% जिला मुसिफ पदो पर ब्राह्मण ही थे। बडे जमीदार भी ब्राह्मण ही थे। विशेषकर तजावुर मे और कृषक वर्ग के प्रति उच्च जातियो के निषेध एव शहरो मे व्यवसाय करने के कारण ये ब्राह्मण जमीदार प्राय अपनी जमीदारी से बाहर ही रहते थे।[2] 1918 मे मैसूर रियासत के 65% राजपत्रित पदो पर ब्राह्मण समुदाय के लोगो का अधिकार था। ये मुख्यत शहरी थे और कुल जनसख्या मे इनका भाग मात्र 3 8% ही था। जबकि वोक्कलिगा और लिगायत समुदाय मुख्यत ग्रामीण समूह थे। 1905–06 मे एक लिगायत एजूकेशन फड एसोशिएशन एव वोक्कालिग सघ की स्थापना हुयी। 1917 मे सी0आर0 रेडडी ने जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे और मैसूर महाराजा

---

1 वही पृ0 188
2 वही पृ0 188–89

कालेज मे प्राध्यापक थे ब्राह्मण विरोधी मच पर रियासत के सर्वप्रथम राजनीति सगठन प्रजा मित्र मण्डली की स्थापना की। लेकिन ये सगठन मात्र शहरी व्यवसायिक गुट बनकर रह गये जो केवल वैयक्तिक सम्पर्क के बल पर ही दरबार की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते थे।[1] त्रावणकोर रियासत के नबूदरी ब्राह्मणो का छोटा सा वर्ग विशाल कर मुक्त जेनमी जागीरो पर आश्रित था और शिक्षा एव नौकरियो की स्पर्धा से प्राय अलग रहता था। किन्तु गैर मलयाली ब्राह्मणो को रियासत मे विशेष सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और 1891 मे उनके पास उतने ही प्रशासनिक पद थे जितने एक स्थानीय नागरो के पास जो एक प्रमुख जाति थी और जिनकी सख्या 28 000 गैर मलयाली ब्राह्मणो की तुलना मे पाच लाख थी। 1901 मे त्रावनकोर मे शहरी साक्षरता 36% थी जो कलकत्ता की तुलना मे कही बहुत अधिक थी। नायरो ने यह अनुभव किया कि गैर मलमाली ब्राह्मण उनकी उपेक्षा कर रहे है। साथ ही उन्हे सीरियाई इसाइयो से और एझावाओ की प्रगति से भी खतरा प्रतीत हुआ। नायरो की अनेक आतरिक समस्याए भी थी उनकी पारपरिक मातृसत्तात्मक/सयुक्त परिवार की प्रथा तरावार के सम्बन्ध मे प्रयुक्त किया जाने लगा। यह आधुनिक समय की आर्थिक परिस्थितियो के लिए अधिकाधिक अनुपयुक्त होती जा रही है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ नायर समाज के अनेक रीति रिवाज लज्जाजनक प्रतीत होने लगे थे।[2]

इस सबके परिणामस्वरूप लगभग एक साथ ही अनेक प्रवृत्तिया उभरी समाज सुधार ब्राह्मण विरोधी भावनाए राष्ट्रवाद और यहा तक कि आमूल परिवर्तन के तत्व भी। इस प्रकार केरल के प्रथम आधुनिक उपन्यास चन्द्रसेनकृत इदूलेखा (1889) मे नबूदरी ब्राह्मणो के सामाजिक प्रभुत्व एव तरावाद प्रथा के कारण मानी प्रेम पर लगाई जाने वाली वदिशो पर हमला किया गया है। 1891 के मलयाली मेमोरियल का सगठन करने मे रामन पिल्लई अग्रणी थे जिसने सरकारी नौकरियो मे ब्राह्मणो के प्रभुत्व की आलोचना

---

1 वही पृ0 189–90
2 वही पृ0 190

की थी। यद्यपि इसमे कुछ ईसाई और एझवा भी थे तथापि यह मुख्य रूप से नायरो का ही आयोजन था। 1890 के दशक के अत तक रामन पिल्लई का समूह सरकारी अभिजन मे पूरी तरह सम्मिलित हो चुका था लेकिन 1900 के पश्चात के रामकृष्ण पिल्लई और पदमनाम पिल्लई के रूप मे एक अधिक सशक्त नायर नेतृत्व उभरकर सामने आया। पदमनाम पिल्लई ने 1914 मे नायर सर्विस सोसायटी की स्थापना की जो आज भी जीवित है। इससे जातिगत आकाक्षाओ के साथ कुछ आतरिक समाज सुधार प्रयासो को भी स्थान दिया गया था। राजदरवार के प्रति इसके आक्रमण रवैये एव राजनीतिक अधिकारो की माग के फलस्वरूप रामकृष्ण पिल्लई को त्रावनकोर से निष्कासित कर दिया गया। टी एम नायर के जस्टिस आदोलन से भी रामकृष्ण पिल्लई के कुछ सम्बन्ध रहे थे किन्तु 1916 मे अपनी असमाजिक मृत्यु के दो वर्ष पूर्व वे मलयालम मे कार्ल मार्क्स की पहली जीवनी भी प्रकाशित करा चुके थे।[1]

इस प्रकार की बहुमुखी गतिविधिया केवल नायर समुदाय तक ही सीमित नही थी। एझवा लोगो मे भी जागृत आ रही थी। ये लोग पारपरिक रूप से नीची जाति के माने जाते थे और नारियल की खेती करते थे। एझवा जागरण धार्मिक नेता श्री नारायण गुरू एव उनके आऊ विपुरम मदिर के इर्द–गिर्द–केन्द्रीत था। 1902–03 मे श्री नारायण गुरू प्रथम एझवा स्नातक डा0 पल्पू और महान मलयाली कवि एन कुमारन आशान ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। आरभ मे जातिगत समीतियो के माध्यम से समाज–सुधार का प्रयास शीघ्र ही आमूल परिवर्तनवाद मे परिणत हो गया और यह बात केरल के जीवन मे बार–बार दिखाई देने वाला लक्षण हो गई। ई0एम0एस0 नबूदरी पाद ने भी अपने राजनीतिक जीवन का आरभ 1920 के दशक मे नबूदरी वेलफेम एशोसिएशन के कार्यकर्ता के रूप मे किया था।[2]

---

1 पृष्ठ – 190–191
2 पृष्ठ – 192

जातिगत आदोलन मे सबसे रोचक था महाराष्ट्र का सत्यशोधक समाज जिसमे मेल आवेदन के शोध के अनुसार दो प्रवृत्तिया थी। इनमे से पहली प्रवृत्ति मद्रास के जस्टिस आदोलन से बहुत मिलती–जुलती थी और मुख्य रूप से कोल्हापुर के शासक शाहू के सरक्षण पर आश्रित थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कुछ चुने हुए लोगो के लिए अधिक नौकरिया एव राजनीतिक अनुग्रह प्राप्त करना। किन्तु एक अन्य अधिक जनोन्मुख एव जुझारू प्रवृत्ति भी थी जो बहुजन समाज की ओर से सेट जी भटजी के विरुद्ध प्रचार करती थी। मुकुदराव पाटील के नेतृत्व मे इस समाज ने महाराष्ट्र दक्कन एव विदर्भ नागपुर के क्षेत्र मे अपना एक अनुठा स्थान बना लिया था। **रावपाटील** ने 1910 से अपने पुश्तैनी गाव तारवाडी से सत्यशोधक समाज का मुख पत्र 'दिनामित्र निकालना प्रारभ किया था। इस आदोलन का जनवादी लक्षण इसी बात से स्पष्ट है कि सत्यशोधक समाज का लगभग समस्त साहित्य मराठी मे है। अग्रेजी मे नही। समाज की 1917 की वार्षिक सभा मे 49 शाखाओ से रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी जो 14 जिलो मे फैली हुयी थी और इनमे से कम से कम 30 स्थानीय इकाइया 2 000 से भी कम जनसख्या वाले गावो मे स्थित थी। इस स्तर पर प्रमुख स्वर जातिगत दमन एव शोषण को अस्वीकार करने का था वर्तमान व्यवस्था मे ही ऊची हैसियत पाने के लिए सस्कृतिकण का नही। नि सदेह इस समजा का आधार मुख्यत समृद्ध किसान वर्ग था किन्तु इस समय ऊची जातियो के महाजनो एव भू–स्वामियो के विरुद्ध किसान मात्र के साझे हित थे। सत्यशोधक समाज ने ग्रामीण क्षेत्रो मे अपना सदेह पहुचाने के लिए पारपरिक लोक नाटय या तमाशे का अपने ही ढग से प्रयोग किया। 'सतारा मे जहा ऐसी तमाशा टोलिया सर्वाधिक सक्रिय थी 1919 मे स्थानीय सत्यशोधक नेताओ के नेतृत्व मे एक किसान विद्रोह भी उठ खडा हुआ।[1]

---

1 पृष्ठ – 193

जमींदारी उन्मूलन और उसका पिछडी जातियो पर प्रभाव

जमीदारी प्रथा अग्रेजी राज्य की देन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब किसानो मे जागृति आयी तो उन्होने जमीदारी प्रथा को दमन अक्षमता एव भ्रष्टाचार के रूप मे देखा। यह असतोष ही किसान आदोलन का मुख्य कारण बना। किसान आदोलन के कारण ही 1921 ई0 मे अवधरेन्ट सशोधन अधिनियम तथा 1926 मे आगरा का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। और यह अनुभव किया गया कि जमीदार वर्ग की समाप्ति के बिना कृषको की परिस्थितियो मे महत्वपूर्ण सुधार करना असभव है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 1935 ई0 मे लखनऊ अधिवेशन मे राज्य मे जमीदारी उन्मूलन का सिद्धात स्वीकार किया। 1937 मे जब प्रथम काग्रेस मत्रिमण्डल बना तो इसने भूमि सुधार कार्य अपने हाथ मे लिया और यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1946 मे विधान मण्डल के चुनाव मे काग्रेस ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र मे महत्वपूर्ण स्थान दिया था। फलस्वरूप जब काग्रेस ने अपना मत्रीमण्डल गठित किया तो जमीदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्यवाही की। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रभाव देने के लिए सरकार ने एक समीति की नियुक्ति की। यह समीति यूपी जमीदारी उन्मूलन समिति के नाम से जानी जाती है जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमत्री प0 गोविन्द बल्लभपत और उपाध्यक्ष श्री हुकुम सिह थे।[1]

इस अधिनियम मे पारित अन्य तत्वो के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी था कि भूमि के अधिक जमाव पर प्रतिबध हो। चन्द व्यक्तियो के पास भूमि को एकत्रित होने से रोकने के लिए अधिनियम मे यह प्रावधान किया गया था कि भविष्य मे भी कोई परिवार दान या विक्रय द्वारा ऐसी जोत न प्राप्त कर सकेगा जो अपनी जोत मिलाकर उत्तर प्रदेश मे कुल $12^1/_2$ एकड से अधिक हो। इसका उद्देश्य यह था कि एक परिवार के पास केवल उतनी ही भूमि होनी चाहिए। जितनी पर परिवार उचित प्रकार से

---

1 आर0 आर0 मौर्य– उत्तर प्रदेश भूमि विधिया – सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद–1980 पृष्ठ–19–20

खेती–बारी कर सके। जिन किसानो के पास पहले से ही $12^{1/2}$ एकड या उससे अधिक भूमि है वह बनी रहेगी और उनके ऊपर केवल यह नियत्रण है कि वह भविष्य मे और भूमि नही प्राप्त कर सकेगा। इस प्राविधान के उल्लघन मे किया गया। हस्तारण शून्य होगा तथा भूमि उत्तर प्रदेश राज्य मे सब भारो से रहित होकर निहित हो जाएगी। यह प्रावधान की धारा 153 मे वर्णित था।[1]

24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी–विनाश एव भूमि व्यवस्था विधेयक को स्वीकृत देने के साथ ही यह अधिनियम पास हो गया और 26 जनवरी 1951 को यह उत्तर प्रदेश असाधारण गजट मे प्रकाशित हो गया और इसी दिन से यह अधिनियम भूमि विधि का एक आवश्यक अग बन गया। अधिनियम की धारा 4 के अतर्गत राज्य सरकार ने 1 जुलाई 1952 को उ0प्र0 गजट मे अधिसूचना प्रकाशित की और उसी दिन निहित होने का दिनाक कहते है।[2]

भूमि विधि की यह नीति रही है कि जो व्यक्ति भूमि मे खेती करता है वह उसे धारण करे। अधिनियम मे यह नीति पूर्णतया सुरक्षित है। जो व्यक्ति जिस भूमि पर खेती करता है वह उसे धारण करता है उसे उस भूमि का स्वामी बना दिया गया या उसे सुरक्षा प्रदान की गई। जमीदारो के अधिकतर काश्तकार उ0प्र0 मे कुर्मी लोध यादव, जाट कोइरी इत्यादि पिछडी जातिया ही थी। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एव भूमि व्यवस्था विधेयक का सर्वाधिक लाभ इन पिछडी जातियो को ही प्राप्त हुआ। इस बदलाव मे कई महत्वपूर्ण सामाजिक सास्कृतिक आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हुआ जिनमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण था कि पिछडी जातियो का राजनीतिक सत्ता मे भागीदार बनाना राष्ट्र की मजबूती मे एक निर्णायक कारण माना जाने लगा। कोई भी जाति वर्ग या समाज जब आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली हो गया तो उसने अपनी

---

1 पृष्ठ – 28
2 पृष्ठ – 20–21

सामाजिक स्थिति को भी उच्च जातियो के लगभग समान बना लिया और उनकी सास्कृतिक स्थिति भी लगभग परिवर्तित होती गयी। चूकि यह जातिया जनसख्या मे सर्वाधिक थी अत स्वाभाविक था कि इनका प्रभाव राजनीति मे अवश्य पडता। इनकी अधिकता का ही फायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति मे पिछडी जातियो के नेता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने लगे। डा0 राम मनोहर लोहिया पहले से ही इन जातियो के मध्य जागरूकता पैदा करने मे लगे थे उनके बाद प्रदेश की राजनीति मे चौधरी चरण सिह ने इसके लिए त्रिव आदोलन चलाया। इसके बाद तो इन जातियो मे अनेक नेता हो गये जो न केवल इन जातियो का नेतृत्व किया वरन प्रदेश का भी नेतृत्व किया इन नेताओ मे रामनरेश यादव मुलायम सिह यादव, कल्याण सिह अजीत सिह इत्यादि प्रमुख है। प्रदेश के बाहर भी इन जातियो के नेताओ ने जैसे कर्पूरी ठाकूर चौधरी देवी लाल रामनिवास मिश्रा तथा इन्द्रजीत गुप्ता ने महत्वपूर्ण कार्य किया।[1]

लोकतत्र और वयस्क मताधिकार का पिछडी जातियो पर प्रभाव

26 नवम्बर 1949 को भारतीय सविधान सभा द्वारा जिस सविधान को अगीकृत अधिनियमित और आत्मार्णित किया गया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय सविधान ने राजनीतिक सत्ता का अतिम स्रोत जनता को स्वीकार किया है।[2]

सविधान की प्रस्तावना मे प्रयुक्त गणराज्य राष्ट्र इस बात का द्योतक है कि देश का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होगा ब्रिटेन की तरह आनुवशिक नही।[3]

जनता की सप्रभुता का परिचय सविधान की कुछ अन्य धाराओ मे भी मिलता है। सविधान के अनुच्छेद 326 मे यह कहा गया है कि लोकसभा और राज्यो की विधान सभाओ के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति,

---

1 उपेन्द्रनाथ प्रसाद – जातिवादी हिसा की गिरफ्त में बिहार–नवभारत टाइम्स–1 मार्च 1992
2 एस0 एम0 सइद – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था– सुलभ प्रकाशन–लखनऊ वर्ष –1992 पृष्ठ – 6
3 डा0 एस0सी0 सिघल–भारतीय राष्ट्रीय आदोलन एव भारतीय गणतत्र का सविधान। लक्ष्मी नरायण अग्रवाल–आगरा वर्ष – 2002 पृष्ठ – 160

जो भारत का नागरिक है और जो ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमण्डल द्वारा बनायी गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त सविधान या समुचित विधानमण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन अन्यथा निरहित नही कर दिया जाता है ऐसे किसी निर्वाचन मे मतदाता के रूप मे पजीकृत होने का हकदार होगा।[1]

सविधान के द्वारा अग्रेजी ढग की ससदीय अथवा मत्रि मण्डलीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है सयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अध्यात्मक सरकार नही अग्रेजी शासन व्यवस्था मे सम्राट (राजा या रानी) केवल आनुष्ठानिक राज्याध्यक्ष होता है जो महान शक्तिया उसके नाम से प्रस्तुत की जाती है? उसे उपलब्ध नही है। यह सब शक्तिया क्राउन नामी काल्पनिक सत्ता मे सैद्धातिक रूप से निहित है और यह सभी शक्तिया व्यवहार मे कैबिनेट अथवा मत्रिमण्डल के द्वारा प्रयुक्त होती है। भारत मे राष्ट्रपति का वही स्थान है जो ब्रिटेन मे क्राउन अथवा सम्राट का है वह सवैधानिक व आनुष्ठानिक राज्याध्यक्ष है जो ससदीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक अग है।[2]

सविधान के अनुसार कार्यकारिणी अर्थात मत्रिमण्डल जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगा और कार्यकारिणी का दूसरा अग अर्थात राष्ट्रपति भी ससद के समक्ष इस अर्थ मे उत्तरदायी है कि कुछ निश्चित परिस्थितियो मे ससद महाभियोग द्वारा उसे हटा सकती है। जनसाधारण को अपनी सत्ता का समान रूप से प्रयोग करने का अवसर देने के लिए सविधान ने माताधिकार तथा निर्वाचन मे खडे होने के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी या किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित नही किया है क्यो कि सविधान निमात्री सभा के ही एक सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार मताधिकार के लिए इस प्रकार की योग्यताओ का निर्धारित किया जाना वास्तव मे जनतत्र का निषेध होगा।[3]

भारतीय सविधान की प्रस्तावना मे 'लोकतत्रात्मक गणराज्य का जो चित्र है वह लोकतत्र, राजनैतिक और सामाजिक दोनो ही दृष्टकोण से है दूसरे शब्दो मे न केवल

---

1 भारत का सविधान--सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद वर्ष --1990 पृष्ठ--126
2 एम0 वी0 पाचली0--भारतीय सविधान एक परिचय विकास पब्लिशिग हाउस प्रा0 लि0 दिल्ली
3 एस0एम0 सईद--वही पृष्ठ --7

शासन मे लोकतत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतत्रात्मक होगा जिसमे न्याय स्वतत्रता समता और वधुता की भावना होगी।[1]

सविधान निर्माता और प्रारूप समीति के अध्यक्ष डा0 भीमराव अम्बेडकर ने भी सविधान सभा मे यह कहा था कि ससदीय शासन प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट से है। सविधान निर्माताओ ने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की पद्यति को अपनाने का निर्णय किया जिसमे प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान के समान अधिकार तुरत प्राप्त हो।[2] सविधान की इस व्यवस्था का लाभ उठाकर पिछडी जातिया उत्तरप्रदेश मे अपना राजनीतिक स्तर बढाने मे प्रयत्नशील हैं। जिसमे वह दक्षिण भारत मे प्रारम्भ से ही सफल रही है जबकि उत्तर भारत मे 67 से सफलता की ओर अग्रसर हैं।

---

1 डी0डी0 वसु–भारत का सविधान एक परिचय प्रेटिगस हाल ऑफ इण्डिया प्रा0 लि0 नयी दिल्ली वर्ष 1996 पृष्ठ–23

2 एस एम सईद–वही पृष्ठ– 7

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति

उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की आर्थिक, सामाजिक एव शैक्षणिक स्थिति

उत्तर प्रदेश मे सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए वर्गो या पिछडी हुई जातियो जिन्हे अन्य पिछडे हुए वर्ग या सामान्यतया पिछडे हुए वर्ग कहा जाता है से तात्पर्य उन 37 हिन्दू जातियो और 21 मुस्लिम समुदायो से है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेश सख्या 1314–26–781–58 दिनाक 17 सितम्बर 1958 द्वारा पिछडी जातिया घोषित किया था।[1] वर्तमान शोध प्रबन्ध के उद्देश्य से भी इन्ही को पिछडा हुआ माना गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी इस राज्य मे पिछडी जातिया है जिन्हे सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर मान्यता प्रदान की जाती रही है। जैसे–जिसका विस्तृत वर्णन इस अध्याय मे आगे किया गया है।

पिछडी जातियो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अब प्रश्न उठता है कि यह पिछडी हुई जातिया कौन है? और यह अन्य समुदायो की अपेक्षा पिछडी हुई क्यो है और इनके पिछडेपन के लिए कौन–कौन से कारक उत्तरदायी है।

इतिहास के पृष्ठो मे झाकने से पता चलता है कि आज जिन्हे पिछडा हुआ समझा जाता है उनमे कई ऐसे समुदाय है जो या तो इस प्रदेश के आदिवासी रहे है या ऐसे ट्राईबल समूह है जो भारत के बाहर से या भारत के ही अन्य भागो से आकर यहा बसे और अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित किये। इनमे से कई जनजातिया अत्यधिक शौर्यपूर्ण एव सभ्य थी।

आज के उत्तर प्रदेश मे पिछड़ी हुई जातियो की सूची मे शामिल एक जाति

---

1 उत्तर प्रदेश शासनादेश सख्या–1314/xxii 781–1958 17 सितम्बर 1958

भर नाम की है जिन्हे राजभर भी कहा जाता है। इस जाति के लोग आजकल मुख्यतया बनारस गोरखपुर एव फैजाबाद डिवीजन के जिलो मे पाये जाते है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से इनकी स्थिति हिन्दू वर्ण व्यवस्था के निम्न स्तर पर समझी जाने वाली चमार जाति के समकक्ष है। चमार जाति के समान भर जाति के लोग भी भूमिहीन कृषक मजदूर है और उन्ही के समान अस्पर्श योग्य समझे जाते है परन्तु चमार अनुसूचित जाति के है। जबकि भर पिछडी हुई जाति मे आते है। सिन्धू घाटी की सभ्यता के काल मे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भू–भाग पर भर सीदूरी चेरू आदि मुडा भाषा–भाषियो का राज्य था। ऋग वेद मे जिन सौ नगरो एव किलो का उल्लेख किया गया है वह सब इन्ही जातियो के बनवाये हुए थे।[1]

आज के बलिया गाजीपुर और फैजाबाद के जिलो मे इनकी सभ्यता के ध्वसावशेष तालाबो किलो बाधो इत्यादि के रूप मे बिखरे हुए मिलते है।[2]

पूर्वांचल के गरहा बलिया लखनेश्वर और कोपाचीट परगनो मे **भर** और **चेरू** लोगो का तथा देवगाव और सैदपुर परगना मे कोइरी लोगो का प्रभुत्व था। इसी तरह फैजाबाद जिले मे कुर्मी लोगो का प्रधान्य था।[3] शेरिंग के अनुसार आधुनिक अवध के भू–भाग पर भी भर लोगो का प्रधान्य था।[4] अर्थात मुसलमानो के आक्रमण के समय पश्चिम मे अवध से लेकर पूर्व मे बिहार तक और दक्षिण मे छोटा नागपुर बुदेलखण्ड और सागर तक के क्षेत्र पर भर जाति का शासन था।[5] इसी प्रकार गाजीपुर जिले के सम्बन्ध मे बिल्टन ओल्डहय ने लिखा है कि बनारस अवध और बिहार की जनजातियो की सैकडो परम्पराओ के आधार पर यह स्थापित हो गया है कि मध्य गगा की घाटी पहले गैर–आर्य मूल जातियो के स्वामित्व मे थी। यह साक्ष्य इस बात से भी प्रमाणित हो जाता हे कि आज भी शाहाबाद मे भर लोग अपने विस्तृत राज्य क्षेत्र के कुछ भाग को

---

1 वैडेन पॉवेल – द इण्डियन विलेज कमन्यूटी इन इण्डियन हिस्ट्री न0 3 कॉसमो पब्लिकेशन दिल्ली 1975 पृ0106
2 मीनाक्षी सिह– लोअर गगा–घाघरा दोआब ए स्टडी इज रूरल सेटेलमेंट तारा बुक एजेन्सी दिल्ली 1983 पृ0 47
3 वही पृ0 47
4 एम0ए0 शियरिंग– द भर ट्राइब जर्नल आफ रॉयल एसियाटिक सोसाटी आफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड 1871 पृ0 376
5 देखें वैडेन पॉवेल– पृ0 106

बचा रखने मे समर्थ हो पाये हैं। मिरजापुर जिले की सीमा पर विन्ध्य पर्वत के विस्तृत भू–भाग पर कोइण्डा तालुका मे भर लोगो का एक कुनबा है जिसका मुखिया रामवदन सिह अत्यधिक सम्पत्तिशाली और प्रभावकारी व्यक्ति है।[1]

चीनी यात्री फाहयान एव ह्वेनसाग के विवरणो से पता चलता है कि 5वी और 7वी शताब्दी ईसा पश्चात सरयूपार के मैदानी भाग जगलो से घिरे हुये थे। श्रावस्ती का प्राचीन नगर ध्वस्त हो गया था और वहा केवल दो सौ परिवार थे। इसी प्रकार कपिलवस्तु एव कुशीनगर के गणतत्र भी नष्ट हो गये थे। अधिकाश क्षेत्र मे पूर्ण अव्यवस्था की दशा थी और इस भाग मे भर चेरू सोइरी थारू इत्यादि जनजातियो ने पुन अपना राज्य स्थापित कर लिया था।[2] इसके बाद जब 11वी और 12वी शताब्दी मे इस क्षेत्र पर राजपूतो के विभिन्न गोत्रो/कुनबो का आक्रमण प्रारम्भ हुआ तब भर सिडरी आदि जनजातियो को इनकी अधीनता स्वीकार करनी पडी। राजपूतो के विभिन्न कुलो ने पूरी भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करके इन जनजातियो को दास वृत्ति करने के लिए विवश कर दिया। रामलोचन सिह के अनुसार कालान्तर मे इन्ही जनजातियो से कोइरी कुरमी कुनबी जातिया उत्पन्न हुयी जो आज बहुत ही अच्छी कृषक जातिया मानी जाती है और यह जातिया फैजाबाद जिले की राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावशाली जातिया है।[3]

आज की उत्तर प्रदेश की पिछडी हुई जातियो मे एक जाति **अहीर** है। अहीर जनजाति के लोग भारत के आदिवासी थे या बाहर से आये थे यह विवादास्पद है। स्वय अहीरो मे यह विश्वास प्रचलित है कि वे भारत के आदिवासी हैं। महाभारत काल मे वह भारत के एक बडे भू–भाग पर शासन करते थे। उसके बाद के काल मे भी वे गुजरात से लेकर बगाल तक के शासक थे? सेन्ट्रल प्राविन्सेज के तत्कालीन (1865) जिलाधीश

---

1 वही पृ0 07

2 एआर0पी0 सिह इवोलूशन आफ क्लान टेरिटोरियल यूनिट इन मिडिल गंगा वैली नेशनल ज्योग्राफिकल आफ इण्डिया वाल्यूम vol XX Part I March 1974, p 3

3 वही 6

कारमाइकेल ने अहीरो के सम्बन्ध मे लिखा है कि यह बहुत ही बडा और शक्तिशाली मानव समूह है जो हासी और हिसार जिले से 700 वर्ष पूर्व वहा के शासक द्वारा भगाये जाने पर पहले गगा यमुना के दोआब मे बसा पर बाद मे फिर वहा से भी भगाये जाने पर विवश होकर रूहेल खण्ड मे बस गया जहा जगल एव चारागाह उनके पशुओ के चरने के लिए उपयुक्त स्थान थे।[1]

1865 की जनगणना के समय बरेली के जिलाधीश द्वारा प्रेषित विवरण के अनुसार बरेली जिला को पहले टप्पा अहिरान कहा जाता था क्योकि यहा मुख्यत अहीरो का निवास था जो कि स्थानीय राजा के पशुओ को चराने के लिए रखे गये थे। दिल्ली के सिहासन पर तैमूर के आधिपत्य के पश्चात जब अहिरो ने तैमूर आधिपत्य को मानना अस्वीकार कर दिया तो दिल्ली के बादशाह ने अपने सामन्ती राजा खडग सिह और राजा हरि सिह को इनको दबाने के लिए भेजा जिसमे अहीरो की हार हुयी और उन्हे विजित बना लिया गया।[2]

इसी प्रकार 1865 की जनगणना रिपोर्ट मे शाहजहापुर के जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि इस जिले के सबसे प्राचीन निवासी गूजर अहीर बजारा और जाट है परन्तु जब **चन्देल** और **कथेपा** राजपूत जनजाति ने अपने को इन जिलो मे स्थापित किया तब उन्होने इनको विजित करके इनको भगा दिया। बाद मे वह स्वय सिधु पार से आने वाले मुसलमानो द्वारा पराजित हुए।[3]

इसी प्रकार बरेली जिले के सम्बन्ध मे मिस्टर मोइन्स ने लिखा है कि इस भू–भाग मे पायी जाने वाली राजपूतो की सभी जातियो ने यह स्वीकार किया है कि जब वे यहा आयी तो यहा पहले से बसने वाले निवासी अहीर भूमिहार या भील थे।[4]

---

1 भारत की जनगण्ना उ0प0 सीमा प्रान्त 1865 गर्वनमेंट प्रेस इलाहाबाद 1865 पृ0 45
2 वही पृ0 48
3 वही पृ0 36
4 देखें वेडैन पॉवेल पृ0 126 127

1865 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी उत्तर–प्रदेश मे विशेषकर मैनपुरी जिले मे अहीर बडे भू–स्वामी थे।[1] 1865 मे झासी मे सबसे अधिक गावो मे भू–स्वामित्व अहीरो का था।[2] जालौन जिले मे भी कई बडे अहीर जमीदार थे।[3]

अहीरो के समान ही गूजर लोध किसन और गडेरिया जनजातिया हैं। क्रूक महोदय जाट अहीर एव गूजर को एक ही प्रजाति की मानते है जिन्हे भिन्न–भिन्न समय पर भारत मे प्रवेश किया।[4] राजपूतो एव मुसलमानो के आक्रमणो के फलस्वरूप विजित होकर ये जातिया सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा मे निम्न समझी जाने लगी। इनका मुख्य पेशा कृषि और पशु पालन रह गया जिसमे कि वे आज भी सलग्न हे। इसी श्रेणी और सामाजिक स्तर की पिछडी हुयी जातियो मे शामिल जाति कुरमी कुनबी और माली/सैनी है जो बडी मेहनती और कुशल कृषक जातिया है।

7वी ईसवी पश्चात से लेकर 16वी ईसवी पश्चात् तक राजपूतो के विभिन्न स्रोतो/कुनबो ने इस प्रदेश के विभिन्न भागो पर आक्रमण करके यहा रहने वाली जातियो/जन जातियो को विजित करके इस भू–भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।[5]

पिछडी जातियो की आर्थिक स्थिति-स्वतत्रता पूर्व

ब्रिटिश सरकार की स्थापना के पश्चात 1795 के रेगुलेशन के अनुसार बनारस डिवीजन मे स्थाई बन्दोबस्त किया गया। शेष भाग मे अस्थायी बन्दोबस्त किया गया। इन बन्दोबस्तो के अन्तर्गत भी पूर्वी उत्तर प्रदेश मे अधिकाश भूमि का स्वामित्व उच्च जातियो अधिकतर राजूपूतो ब्राह्मणो एव भूमिहारो के हाथ मे ही रहा जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट होता है।[6] (देखिए सारिणी 3 1)

---

1 भारत की जनगणना उ0प0 सीमा प्रान्त 1865 पृ0 99
2 वही पृ0 99
3 वही पृ0 97
4 डब्ल्यू क्रूक रेस आफ नार्दन इण्डिया, काशमिक पब्लिकेशन दिल्ली 1973 पृ0 114 115
5 देखे आर0पी0 सिह पृ0 12
6 R P singh OP cit p 14

तालिका 3 1

1885 मे जातिवार भूमि–स्वामित्व

जिला	राजपूत	ब्राह्मण	भूमिहार	बनिया	मुसलमान
गाजीपुर	26	12	26	3	13
बलिया	74	7	8	2	2
जौनपुर	39	15	–	4	29
बनारस	37	–	34	13	8
आजमगढ	35	11	15	–	23
गोरखपुर	22	26	10	–	7
बस्ती	31	33	4	–	8
फैजाबाद	44	23	–	–	22
सुलतानपुर	76	–	–	–	17
प्रतापगढ	83	7	–	–	6

यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राविसियल बैकिग इन्क्वायरी कमेटी (1930) की रिपोर्ट मे दिये गये निमनलिखित तालिका 3 2 मे दिखाए गए आकड़ो से उस समय की कुछ प्रमुख जातियो के भूमि स्वामित्व एव उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पडता है।[1]

तालिका 3 2

1907-08 से 1925-26 मे जातिवार भूमि सम्बन्धी लाभ एव हानि

जाति/जाति समूह का नाम	क्षेत्रफल (हजार एकड निकाला गया है)		
	1907–08	1925–26	अन्तर
राजपूत	16 341	16,230	– 111
मुस्लिम	8 963	8,532	– 431
ब्राह्मण भूमिहार, वागा	8,095	8 366	+ 291
अन्य कृषक जातिया	3,762	3,909	+ 147
गैर कृषक जातिया	6 948	7 602	+ 654

1 ई0ए0एच0 ब्लन्ट दी कास्ट सिस्टम आफ नार्दन इण्डिया एस0 चन्द कं0 लि0 दिल्ली 1961 पृ0 268 270

अन्य कृषक जातियो मे **अहर, अहीर, विशनोई, गूजर, जाट** और **कुरमी** थे। गैर कृषक जातियो मे **गोसाई, कलवार, काहू, कायस्थ, खगी, मारवाडी, साध** और **वैश्य** थे। राजपूतो द्वारा बेची गयी भूमि अधिकतर ब्राह्मण और **कुरमी** लोगो ने खरीदी थी।

इस कमेटी की रिपोर्ट के निम्न आकडो के अनुसार उच्च जातियो मे निम्न जातियो की अपेक्षा कर्ज की मात्रा अधिक थी। निम्न श्रेणी की जातियो मे कर्ज की मात्रा इतनी अधिक नही थी।[1]

यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राविसियल बैंकिग इन्क्वायरी कमेटी (1930) कमेटी मे इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजपूतो द्वारा जो भूमि बेची जा रही थी वह अधिकतर ब्राह्मणो और कुर्मियो द्वारा खरीदी जा रही थी जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि पिछडी जाति के कुर्मी लोग आर्थिक रूप से अधिक सम्पन्न होते जा रहे थे और अपनी स्थिति को दिन–प्रतिदिन मजबूत करते जा रहे थे।

तालिका 3 3
1885 मे जातिवार भूमि–स्वामित्व

क्र	जाति का नाम	व्यक्तियो की सख्या कर्ज मुक्त	कर्जदार	कर्ज की मात्रा ००० छोड दिया गया है	कुल कर्ज का प्रतिशत	प्रति कर्जदार कर्ज	प्रति व्यक्ति कर्ज
1	उच्च जातिया	7420	9109	95887	66	624	356
2	अच्छी कृषक जातिया	5608	7287	1179	14	162	91
3	साग–सब्जी उत्पन्न करने वाली जातिया	1345	2010	260	3	129	77
4	निम्न कृषक जातिया	3443	4417	426	5	54	36
5	गैर कृषक जातिया	1210	724	279	3	386	144
6	अन्य जातिया	5938	6020	815	9	135	68

1 वही पृ0 268

1 **उच्च जातिया** – ब्राह्मण राजपूत मुसलमान सैयद शेख पठान।

2 **अच्छी कृषक जातिया** – अहर अहीर किसान कुरमी लोध।

3 **सागसब्जी उत्पन्न करने वाली जातिया** – बागवान काछी कोइरी माली मुराव सैनी।

4 **निम्न सामाजिक स्तर की जातिया** –भर चमार पासी।

5 **गैर कृषक जातिया** – कलवार कापाना खत्री वैश्य।

6 अन्य जातिया।

बलजीत सिह एव श्रीधर मिश्रा के आकडो के अनुसार जमीदारी उन्मूलन के पूर्व 50 प्रतिशत से कुछ अधिक जमीदार परिवार उच्च जातियो के थे परन्तु उनके पास कुल जमीदारी भूमि का 57 प्रतिशत था। 38 प्रतिशत मध्यम श्रेणियो के जमीदार थे। उनके अधिकार मे कुल जमीदारी भूमि का 32 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियो के केवल 2 प्रतिशत जमीदार थे जिनके पास कुल जमीदारी भूमि का केवल 0 09 प्रतिशत था। 10 प्रतिशत जमीदार परिवार मुसलमान थे जिनके पास केवल 11 प्रतिशत भूमि थी।[1] परन्तु इस सम्बन्ध मे भी पूर्वी पश्चिमी केन्द्रीय एव बुदेलखण्ड क्षेत्र मे अन्तर था। 25 से 100 एकड भूमि स्वामित्व वाले मध्यम श्रेणी के जमीदारो की सख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश मे 36 प्रतिशत बुन्देलखण्ड मे 22 प्रतिशत पश्चिमी जिलो मे 14 और केन्द्रीय भाग मे 10 प्रतिशत थी। पश्चिमी भाग और बुन्देलखण्ड मे पूर्वी भाग एव केन्द्रीय भाग की अपेक्षा कम असमानता थी।[2] क्योकि पश्चिमी भाग और बुदेलखण्ड में भाईचारा की भूमि व्यवस्था थी जबकि पूर्वी एव केन्द्रीय भाग मे तालुकादारी व्यवस्था थी। इसलिए पूर्वी उत्तर7प्रदेश और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश मे जमीदारी उन्मूलन विधेयक से प्रभावित भूमि क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश एव बुन्देलखण्ड की अपेक्षा अधिक था। जमीदारी उन्मूलन एव उसके बाद के भूमि सुधारो विशेषकर भूमि सीमा अधिनियम से सबसे अधिक लाभान्वित मध्यम एव

---

1 बलजीत सिह एण्ड श्रीधर मिश्रा–ए स्टडी आफ लैण्ड रिफार्म इन यूपी आक्सफोर्ड बुक क0 नई दिल्ली 1968 पृ0 3
2 वही पृ0 29 तालिका न0 5 पृ0 215,216

लघु श्रेणी के किसान हुए जो अधिकतर पिछडी जातियो के थे। राजेन्द्र सिह द्वारा प्रस्तुत बस्ती जिला के आकडो के अनुसार बस्ती जिला मे 1951–1960 के मध्य 15 एकड और उससे अधिक भू–स्वामियो की सख्या मे कमी आयी है पर साथ ही सीमान्त किसानो के भी (जो अधिकतर अनुसूचित जातियो के है) की सख्या मे कमी दिखाई दे रही है। उपर्युक्त दोनो ही प्रकार के किसान अपनी भूमि मध्यम श्रेणी के किसानो को जो अधिकतर कृषक जातिया अहीर कुरमी जाट है–बेच रहे है जो कि भारत के नये कृषक है।[1]

मिनती सिह द्वारा घाघरा–गगा दोआब (बलिया, गाजीपुर आजमगढ जिलो) के सर्वेक्षणो से भी यह प्रमाणित होता है कि 1909–11 की तुलना मे 1977 मे हिन्दुओ मे सबसे अधिक भूमि की हानि राजपूतो मे हुयी। उसके बाद इस श्रेणी मे कायस्थो का स्थान है। मुसलमानो मे भी पाकिस्तान चले जाने एव भूमि का ठीक प्रकार से प्रबन्धन न कर सकने के कारण भूमि की हानि हो रही थी। इसके विपरीत भूमिहार ब्राह्मण अहीर कोइरी भर, हरिजन और कुछ अश तक लोनिया दुसाध कहार इत्यादि के भूमि स्वामित्व एव कृषि उत्पादन मे वृद्धि हो रही है।[2] सामान्तया यह दिखाई देता है कि अहीर कुरमी लोध कोईरी आदि कृषक जातिया अपने मितव्ययी स्वभाव कठिन शारीरिक श्रम पारिवारिक श्रम का कृषि मे उपयोग करने आदि प्रवृत्तियो के कारण अपने भूमि स्वामित्व मे उपयोग करने आदि प्रवृत्तियो के कारण अपने भूमि स्वामित्व का क्षेत्र बढा रही है। ये वे जातिया हैं जिनका देश के कृषि योगदान मे अधिकतम योगदान है। ये उत्पादक जातिया है।

---

1 राजेन्द्र सिह–कास्ट लैण्ड एण्ड पावर इन उ0प्र0 1970–75 पृ0 82–83 डिर्पाटमेंट आफ पोलिटिकल साइस देहली यूनिवर्सिटी दिल्ली 1982 पृ0 82–83

2 फ्रासिस फ्रेंकल–प्राबलम आफ केरिलेटिग इलेक्टोरेल एण्ड इकोनामिक वैरियेबल एण्ड एनालिसिस आफ वोटिग विहैवियर एण्ड एग्रेरिया मार्डनाइजेशन इन उ0प्र0 इन माइनर विनर एण्ड जॉन ओसगोडफिल्ड (ऐडिटेट) इलेक्ट्रोरेल पोलिटिक्स इन इण्डियन पोलिटिक्स बाल्यूम 3 इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी मैसाच्यूट मनोहर बुक सर्विस 1977

व्यावसायिक जातिया

उत्तर प्रदेश के पिछडी जातियो की श्रेणी मे दूसरे प्रकार की वे जातिया है जिन्हे हम व्यवसायिक जातिया कह सकते है। हिन्दुओ मे बढई बारी भुजी दर्जी धीवर हलवाई कहार केवट या मल्लाह कुम्हार लोहार नोनिया माली मनिहार नाई सोनार तमोली और तेली जाति एव मुसलमानो मे बढई चिकवा दर्जी डफाली हज्जाम कसगर कुजरा, धुनिया नक्काल रगरेज एव स्वीपर इस श्रेणी मे आते है। ये जातिया दस्तकार या उच्च जातियो की सेवा वृत्ति करने वाले समूह थे जिन्होने वश परपरा से यही काम करते–करते जाति का रूप धारण कर लिया और जिन्हे उनकी सेवा अथवा व्यवसाय की प्रकृति के कारण सामाजिक स्तरीकरण मे निम्न श्रेणी प्रदान की गई।

1931 के जनगणना अधिकारियो ने इस प्रात की जातियो को तीन श्रेणियो मे विभाजित किया था–1 सवर्ण जातिया 2 अछूत और दलित वर्ग जो अत्यन्त पिछडे हुये थे 3 अन्य पिछडी हुई हिन्दू एव मुस्लिम जातिया जो दलित नही थी परन्तु पिछडेपन मे अछूत एव दलितो के समान थी।

(अ) अपराधी जनजातिया

(ब) अन्य मुस्लिम और हिन्दू जनजातिया एव जातिया।[1]

इस प्रकार प्रथम बार 1931 मे कुछ हिन्दू जातियो एव मुस्लिम समुदायो के लिए पिछडा' हुआ शब्द का प्रयोग किया गया था।

---

1 भारत की जनगणना रिपोर्ट संयुक्त प्रात 1931 मुख्य रिपोर्ट अध्याय 8 पृ0 619–620

तालिका न० 34

1931 की जनगणना के अनुसार अन्य पिछडी हुयी हिन्दु एव मुस्लिम जातियॉ/जनजातियॉ

क्र०	जाति/जनजाति	धर्म	पेशा/व्यवसय	निवास स्थान
1	आतिशबाज	मुसलमान	आतिशबाजी	प्रदेश मे सर्वत्र
2	अतित	हिन्दू	पहले सन्यासी अब किसान	पूर्वांचल
3	वैरागी	हिन्दू	वैष्णव सन्यासी	सर्वत्र
4	बैसावर	हिन्दू	जमीदार किसान	मिर्जापुर
5	वरगवी	हिन्दू	पत्तल बनाना	मिर्जापुर
6	बेलवार	हिन्दू	व्यापार+पशुपालन	अवध
7	भगत	हिन्दू		आगरा+फर्रूखाबाद
8	भाडया नग्काल	मुसलमान	मसखरापन	बनारस
9	भटियार	मुसलमान	सराय भोजनालय	सर्वत्र
10	भोटिया	हिन्दू	खेती+मजदूरी करना	सर्वत्र
11	मूर्तिया	हिन्दू	पशुपालन+खेती	कुमायूँ
12	बिन्द	हिन्दू	मजदूरी	इलाहाबाद+मिर्जापुर
13	विसाती	मुसलमान	घूम–घूम कर सामान बेचना	पूर्वांचल
14	विशनोई	हिन्दू	–	सर्वत्र
15	वियोग	हिन्दू	धान की खेती तालाब निर्माण	पूर्वांचल
16	चाई	हिन्दू	खेती+मछलीपालन+चोरी करना	अवध
17	हिप्पी	हिन्दु+मु0	छापना	सर्वत्र
18	चूडीहार	मुस्लिम	चूड़ी बनाना	आगरा+बुदेलखण्ड
19	डफाली	मुस्लिम	भीख मागना डफली बजाना	सर्वत्र

20	धीमर	हिन्दू	नाव चलाना मछली मारना	बुदेलखण्ड
21	गधर्व	हिन्दू	नाव चलाना मछली मारना	बुदेलखण्ड
22	गधी	हिन्दू+मु0	सुगध बनाना	बिखरे हुए
23	धामक	हिन्दू	मछली मारना+खेती करना	पूर्वांचल
24	गोडिया	हिन्दू+मु0	मछली मारना	पूर्वांचल
25	हरजाला	हिन्दू	भीख मागना	सीतापुर
26	छुरकिया	मुस्लिम	सगीता	पश्चिम
27	गोसाई	हिन्दू	–	सर्वत्र
28	जोलहा	मुस्लिम	खेती करना	पश्चिम
29	जोगी	हिन्दू	खेती करना	सर्वत्र
30	जोशी	हिन्दू	ज्योतिष	सर्वत्र
31	कसेरा	हिन्दू	नदी के किनारे कृषि	सर्वत्र
32	कमकर	हिन्दू	घर मे सेवा	पूर्वांचल
33	कचन	हिन्दू	सगीत, नृत्य वेश्यावृत्ति	बिजनौर
34	कसेरा	हिन्दू	कृषि पीतल के वर्तन बनाना	रोहिल खण्ड
35	खागी	हिन्दू	कृषि	बुदेलखण्ड
36	खानगार	हिन्दू	चौकायारी+चोरी	बुदेलखण्ड
37	कुनेरा	हिन्दू	हुक्का बनाना	पूर्वांचल
38	लखेरा	हिन्दू	लाख+शीशे की चूडी बनान	सर्वत्र
39	मिरासी	मुस्लिम	सगीत, नृत्य करना	सर्वत्र
40	नायक (पहाडी)	हिन्दू	वैश्यावृत्ति	कुमायू
41	नायक (मैदान)	हिन्दू	व्यवसाय	पूर्वांचल
42	नालबन्द	मुस्लिम	नदी पार उतारना	सर्वत्र
43	ओरह	हिन्दू	बुनाई, खेती, साहूकारी	पश्चिमी भाग

44	पतुरिया	हिन्दू	वैश्यावृत्ति	पूर्वांचल
45	पटवा	हिन्दू+मु0	सिल्क बनाना	सर्वत्र
46	फनैया	हिन्दू	खेती+फलका बाग लगाना	रोहिल खण्ड
47	कलईगर	मुस्लिम	कलई करना	सर्वत्र
48	कलन्दर	मुस्लिम	बन्दर+भालू नचाना	सर्वत्र
49,	राधा	हिन्दू	वैश्यावृत्ति	सर्वत्र
50	रैन	हिन्दू+मु0	खेती+बागवानी	मेरठ+रोहिल खण्ड
51	राज	हिनदू+मु0	ईंट बनान	सर्वत्र
52	रमैया	हिन्दू	भीख मागना	पश्चिमी भाग
53	रगरेज	हिन्दू+मु0	कपडा रगना	सर्वत्र
54	रगसाज	हिन्दू+मु0	कपडा छापना	सर्वत्र
55	साइकलगर	मुस्लिम	हथियारो पर पालिस करन	सर्वत्र
56	सजवारी	मुस्लिम	घर मे सेवा टहल करना	मुरादाबाद
57	सिधाडिया	मुस्लिम	सिघाडे की खेती करना	मुरादाबाद
58	सोहरी	हिन्दू	त्थर काटना+मजदूरी करन	ललितपुर+इलाहाबाद
59	सीरहिया	हिन्दू	नाव चलाना	पूर्वांचल
60	सुनकर	हिन्दू	कपडा रगना, मजदूरी	बुदेलखण्ड
61	तरकीदार	हिन्दू+मु0	गहने बनाना	पूर्वांचल+अवध
62	तवायफ	हिन्दू+मु0	वैश्यावृत्ति	सर्वत्र
63	तिपार	हिन्दू	नाव चलाना मछली मारना	पूर्वांचल[1]

31 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश सरकार के हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत छेदी लाल साथी की अध्यक्षता मे एक सर्वाधिक पिछडा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 17 मई 1977 को अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की। इस

1 वही पृ० 630 633

रिपोर्ट मे इस आयोग ने पिछडी जातियो को तीन श्रेणियो मे बाटा था।

श्रेणी अ ऐसी जातियो की है जो पूर्णरूपेण सामाजिक एव शैक्षणिक रूप से पिछडी होने के साथ ही पूर्णरूपेण भूमिहीन गैर दस्तकार अकुशल श्रमिक खेतिहर मजदूर तथा घरेलू सेवक के रूप मे काम करती है। श्रेणी ब मे वह जातिया है जो कृषक या दस्तकार है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पिछडी जातियो की सूची मे शामिल है। श्रेणी स मे वे पिछडी जातियॉ हैं जो मुस्लिम है इन तीनो श्रेणियो की सूची अध्याय के अन्त मे सलग्नक मे दी गई है।[1] साथी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1976 मे पिछडी हुयी 58 जातियो की अनुमानित जनसख्या प्रदेश की कुल जनसख्या की 41 53% थी।[2]

---

1 उत्तर प्रदेश सरकार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पृ0–80–83
2 वही पृ0 80

सर्वाधिक पिछडा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश मे पिछडी हुयी जातियो की सूची

श्रेणी अ की जातियो की सूची जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडी होने के साथ ही भूमिहीन गैर दस्तकार अकुशल श्रमिक खेतिहर मजदूर तथा घरेलू सेवक के रूप मे काम करती है। इस सूची का विस्तृत वर्णन इस अध्याय के अन्त मे एपीडीक्स–III मे दिया गया है।

प्रथम पिछडा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग–1953) ने जिन जातियो को पिछडी जातियो की श्रेणी मे रखा था उसका विस्तृत वर्णन अध्याय के अन्त मे सलग्नक मे किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शासनादेश सख्या 1314/XXII–781–1958 दिनाक 17 सितम्बर 1958 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की सूची दी गयी है। उसका वर्णन इस अध्याय के अन्त मे एपीन्डीक्स ए मे दिया गया है।

मण्डल आयोग (पिछडा वर्ग आयोग) 1980 द्वारा पिछडी जातियो की जो सूची दी गयी थी उसका वर्णन अध्याय के अन्त मे एपीन्डीक्स IV मे दिया गया है।

पिछडी जातियो की सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश मे ही नही वरन् सम्पूर्ण भारत की आबादी मे जातियो के प्रतिशत का अधिकाधिक आकड़ा मौजूद नही है। भारत मे आखिरीबार जातियो की गणना अग्रेजो ने 1931 मे करायी थी। इसके बाद करीब 9 बार जनगणना हो चुकी हे परन्तु इन जनगणनाओ मे जाति पूछने पर रोक रही। अगर पूछा भी गया तो उसे सार्वजनक नही किया गया। जातियो के समाजशास्त्र और राजनीति पर काम करने वाले सारे विशेषज्ञ

1931 की जनगणना को ही आधार बनाकर जातियो के प्रतिशत का अनुमान लागते है। ऐसा ही एक अनुमान अस्सी के दशक के आखिर मे **फ्रैकल और राव** नामक दो समाज विज्ञानियो ने लगाया था।[1] उत्तर प्रदेश की जनसख्या मे पिछडी जातियो की जनसख्या की दृष्टि से क्या स्थिति है। यह आकडा उसी अनुमान पर तैयार किया गया है।

तालिका स० 35

जाति का नाम	प्रदेश की कुल आबादी का प्रतिशत
सवर्ण जातियॉ	
ब्राह्मण	92
राजपूत	72
वैश्य	26
कायस्थ	10
भूमिहार	05
कुल आबादी मे सवर्ण	205
पिछडी जातियॉ	
यादव	87
कुर्मी	35
लोध	22
जाट	16
गुर्जर	07
कोइरी / काछी	41
कहार	23
गडरिया	20
तेली	20

1 राष्ट्रीय सहारा—शनिवार—11 अगस्त 2001

बरई	15
केवट	11
नाई	18
मौर्य	13
अन्य पिछडी जातिया	107
कुल आबादी में पिछडी जातिया	435
दलित जातियॉ	
चमार	
पासी	
धोबी	
बाल्मिकी	
अन्य दलित जातिया	
कुल दलित जातिया	
मुसलमान	
शेख	
पठान	
जुलाहा	
सैयद	
मुगल	
अन्य (फकीर, तेली नाई, दर्जी आदि)	
कुल मुसलमान	150

पिछडे वर्गों मे शामिल जातियो/समुदायो मे सख्या व्यवसाय जीवनशैली और सस्कृति की दृष्टि से बहुत अधिक विभिन्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछडी हुयी जातियो मे शामिल जातियो में जनसख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अहीर है, जो प्रदेश के सभी मैदानी जिलो में समान रूप से पाये जाते है। केवल मुज्जफरनगर मे

उनकी सख्या नगण्य है।[1] अहीरो की जनसख्या सबसे अधिक प्रान्त के पूर्वी भाग मे गोरखपुर आजमगढ जौनपुर और गाजीपुर जिलो मे केन्द्रीय भाग मे कानपुर इलाहाबाद और पश्चिमी भाग मे बदायू जिले मे थी। 1931 मे इस प्रात मे अहीरो की कुल जनसख्या 3897000 थी और वे इस प्रान्त की कुल जनसख्या के 7 85 थे। प्रात मे वह तृतीय स्थान पर थे। प्रथम दो स्थान क्रमश चमार (अनुसूचित जाति) एव ब्राह्मणो का था। साथी रिपोर्ट के अनुसार 1976 मे इस प्रदेश मे अहीरो की अनुमानित जनसख्या 8280674 थी।[2] अपनी सख्या एव प्रदेश के सभी भागो मे लगभग समान रूप से वितरित होने के कारण इस जाति के लोग राजनैतिक दृष्टि पिछडी जातियो मे शामिल अन्य जातियो की तुलना मे सर्वाधिक प्रभावशाली है। अन्य पिछडे वर्गों मे शामिल अहीर जाति की जनसख्या फैजाबाद जिले मे 1865 मे 36629 थी वही 1931 मे उसकी जनसख्या 527476 हो गयी।

अन्य पिछडी जातियो मे उल्लिखित **बजारा जाति** एक खाना बदोश जनजाति है। क्रुक महोदय के विवरण के अनुसार इस जाति के लोग समूहो मे बैलो एव बैलगाडियो पर समान लादकर इधर–उधर घूमा करते थे। वैलेजली के सैनिक अभियानो मे इस जनजाति के लोगो ने रसद एव पशुओ के चारो की पूर्ति करके अग्रेजी सरकार को बहुत सहायता पहुचाई थी।[3] 1865 मे ये केवल देहरादून (650) सहारनपुर (7689) मुज्जफरपुर (4320) अलीगढ (1257) बिजनौर (6594) मुरादाबाद (2010) बरेली (14189) और शाहजहापुर तराई एव मथुरा के जिलो मे नगण्य सख्या मे पाये जाते थे।[4] आवागमन मे साधनो की वृद्धि के कारण इनकी सख्या बहुत कम हो गयी।[5]

अन्य पिछडी जातियो की सूची मे शामिल बढई बारी भुर्जी, दर्जी धीवर

---

1 भारत की जनगणना रिपोर्ट उत्तरी पश्चिमी प्रान्त 1865 तालिका न0 4
2 देखें उ0प्र0 सरकार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पृ0 82
3 डब्लू क्रूक रेस आफ नार्दन इण्डिया कॉस्मो पब्लिकेशन दिल्ली 1973 पृ0 117
4 देखें उ0प0 सीमा प्रान्त 1865 तालिका न0 4
5 देखें डब्लू क्रूक पृ0 117

हलवाई कहार कुम्हार लोहार माली मनिहार नाई सोनार तमोली और तेली व्यवसायिक और केवल वह जातिया जिनका मुख्य काम कृषि करना हे मुख्य रूप से आगरा फर्रूखाबाद इलाहाबाद गोरखपुर वाराणसी एव फैजाबाद डिवीजन के जिलो मे पायी जाती है। कृषि करने वाली जातियो मे **कुनबी या कुरमी, लोध और किसान जातिया है।** क्रुक महोदय के अनुसार कुनबी या कुरमी बहुत अच्छे कृषक है और उत्तर भारत मे अफीम की खेती मुख्य रूप से इन्ही के द्वारा की जाती थी।[1] 1865 मे कुनबी या कुरमी सहारनपुर बुलन्दशहर अलीगढ कुमायू और गढवाल के अतिरिक्त इस प्रात के सभी जिलो मे पाये जाते थे और मुख्य रूप से फैजाबाद डिवीजन मे। माली या सैनी जो फूलो एव सब्जियो की खेती करते है मुख्य रूप से पिछडी जातिया हैं। क्रुक महोदय ने इनके परिश्रम एव कुशलता की बहुत प्रशसा की है।[2] सैनी सहारनपुर मेरठ मथुरा और आगरा के अतिरिक्त सभी जिलो मे पाये जाते थे। एक अन्य पिछडी हुयी जाति लोध है जो सहारनपुर कुमायूँ, गढवाल और पूर्वांचल के जिलो एव गाजीपुर बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर एव आजमगढ के अतिरिक्त इस प्रात के सभी जिलो मे पाये जाते है। साथी आयोग के अनुसार 1976 मे इस प्रदेश मे इनकी अनुमानित जनसख्या 2335883 थी। यह भी बहुत अच्छे कृषक है। किसान जाति के लोग पेशे से भी कृषक है और केवल शाहजहापुर फर्रूखाबाद बरेली, मैनपुरी एव कुछ एटा और तराई के जिलो मे पाये जाते है कोइरी भी एक निम्न श्रेणी की कृषक मुख्यत साग–सब्जी उत्पन्न करने वाली जाती है।

गूजर और गडेरिया मुख्यत पशु–पालन करने वाली जातिया है गुजर मुख्यतया इस प्रात के उत्तरी एव उत्तर पश्चिमी जिलो मुख्यत मेरठ जिले मे पाये जते है। गड़ेरिया अधिकतर भेड पालने एव उसके वालो का व्यापार करते हैं। 1865 मे इस जाति के लोग सहारनपुर, अलीगढ और कुमायू के अतिरिक्त इस प्रात के सभी जिलो मे पाये

---

1 देखें डब्लू क्रूक पृ0 116–117
2 वही पृ0 116-117

जाते थे। कोइरी भी निम्न श्रेणी की कृषक जाति है। 1865 मे बिन्द जाति के लोगो की कुल सख्या इस प्रात मे केवल 63501 थी। उस समय मे लोग केवल गाजीपुर बनारस मिर्जापुर गोरखपुर तथा इलाहाबाद के जिलो मे थे। जबकि 1931 की जनगणना मे इस जाति का कोई उल्लेख नही मिलता है।

लोनिया या **नोनिया जाति** के लोग अधिकतर इलाहाबाद गोरखपुर और बनारस डिवीजन के जिलो मे पाये जाते है। इस जाति के कुछ लोग बदायू, फर्रूखाबाद एव एटा के जिलो मे भी पाये जाते है 1865 मे इस प्रात मे इस जाति के लोगो की कुल जनसख्या 199936 थी और 1931 मे इनकी जनसख्या 471000 हो गयी थी। गोसाई जोगी वैरागी जातियो का कोई मुख्य पेशा नही हे। ये लोग इधर–उधर घूम–घूम कर ईश्वर भजन गाते हुए अधिकतर भीख मागते हैं। इधर इस जाति के लोग घर बनाकर कुछ व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगे है। गोसाई जाति के लोग अधिक सख्या मे मेरठ मथुरा एव बुलन्दशहर के जिलो मे एव जोगी लोग मुरादाबाद अलीगढ आगरा एव कानपुर के जिलो मे पाये जाते हैं। लोहार सोनार बढई कुम्हार बारी तमोली तेली दस्तकार, जातिया हैं। इनमे सोनार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अन्य दस्तकार जातियो की तुलना मे सबसे अच्छी है।[1]

पिछडी जातियो की शैक्षणिक स्थिति

1931 की जनगणना मे शिक्षा की दृष्टि से तीन श्रेणिया बनायी गयी थी। अग्रणी मध्य और पिछडा हुआ। जिन जातियो के पुरूष वर्ग 50% या उससे अधिक शिक्षित थे उन्हे अग्रणी जिन जातियो के पुरूष वर्ग मे शिक्षा 50 प्रतिशत से कम परन्तु कम से कम 10 प्रतिशत थी उन्हे पिछडा हुआ माना गया था।[2] इस दृष्टि से इस प्रात मे केवल कायस्थ जाति के लोग ही अग्रणी थे। उनमे पुरूष वर्ग मे शिक्षा का स्तर 70% से

---

1 देखें डब्लू क्रूक पृ0 131–132
2 भारत की जनगणना मुख्य रिपोर्ट अध्याय 9 पृ0 460

अधिक और स्त्रियो मे 19% से अधिक था। मध्य स्तर मे क्रमानुसार वेश्य सैयद भूमिहार ब्राह्मण मुगल सोनार कलवार शेख राजपूत और पठान का स्थान था। पिछडी हुई श्रेणी मे दस्तकार जातिया जैसे मोची जुलाहा भडभूजा दर्जी बढई तेली मे पुरूष वर्ग मे शिक्षा का स्तर 5 प्रतिशत के लगभग था। खेती और पशु पालन करने वाली जातियो मे जैसे लोध अहीर कादी किसान मुराव गडेरिया इत्यादि जातियो मे इस सम्बन्ध मे स्तर निम्न था। अछूत और दलित जातियो का स्थान निम्नतम था।[1]

अग्रेजी शिक्षा के मामले मे इस प्रात का स्थान भारत के औसत का लगभग आधा था। 5 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के 10 000 व्यक्तियो मे केवल 109 पुरूष और 13 स्त्रिया अग्रेजी पढ लिख सकती थे।[2]

अग्रेजी शिक्षा पर कायस्थो का लगभग एकाधिकार था। कायस्थो मे 7 वर्ष और उसके ऊपर के आयु वर्ग मे 10 000 पुरूषो मे 1964 पुरूष और उसी आयु की 10 000 स्त्रियो मे 215 स्त्रिया अग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी। कायस्थो के पश्चात अग्रेजी शिक्षा की दृष्टि से क्रमश सैयद (895 पुरूष 36 स्त्रिया) मुगल (560 पुरूष और 20 स्त्रिया) शेख (43 पुरूष 11 स्त्रिया) वैश्य (424 पुरूष और 25 स्त्रिया) भूमिहार (167 पुरूष 3 स्त्रिया) और राजपूत (118 पुरूष और 4 स्त्रिया) का स्थान था। अन्य जातियो मे अग्रेजी शिक्षा का प्रचलन लगभग नगण्य था।[3] अग्रेजी शिक्षा के प्रति उदासीनता ने इन निम्न श्रेणी की जातियो को और भी अधिक पिछडा बना दिया और उनके तथा उच्च जातियो के बीच की दूरी को और अधिक बढा दिया।

उपर्युक्त आकडो से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के कई राज्यो के विपरीत इस प्रात मे शिक्षा की दृष्टि से ब्राह्मणो का स्थान पाचवा और केवल हिन्दुओ मे चतुर्थ था। इसलिए स्वभावत सरकारी सेवाओ मे जिनमे अग्रेजी शिक्षा की योग्यता आवश्यक थी

---

1 वही पृ0 461
2 वही पृ0 463
3 वही पृ0 467

कायस्थ सर्वोपरि थे। परन्तु सामाजिक स्तरीकरण में ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमिहारों आदि की अपेक्षा निम्नतर स्थान पर होने तथाजनसंख्या की नगण्यता के कारण उनके प्रति अन्य जातियों में वह विरोध भाव नही पैदा हुआ जो मद्रास, मैसूर आदि में ब्राह्मणों के प्रति देखने में आया।[1] इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जातिगत विषमताएं उतनी कठोर नहीं रही जितनी भारत के अन्य कइ भागों में उस समय पायी जाती थी।[2]

इस प्रदेश में किसी भी जाति को इतना निम्न नहीं समझा जाता था कि छाया पड़ने से अथवा दूर से भी उनका सम्पर्क छूत पैदा करता हो। इस प्रदेश में अछूत समझी जाने वाली जाति के किसी व्यक्ति को वास्तव में छूने से ही छूत लगता था, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यहां के ब्राह्मण दलित वर्गों की जातियों के घर पर भी पूजा–पाठ, व्याह मृत्यु इत्यादि के सम्बन्ध में प्रचलित कर्मकाण्ड सम्पन्न कराते थे।[3] ऊपर दिये गये प्रमाणों से यह भी स्पष्ट है कि ब्राह्मण इस प्रदेश के प्रमुख भूस्वामी नहीं थे।[4] यह स्थान इस प्रदेश में राजपूतों और जाटों को प्राप्त था।[5] इसीलिए इस प्रांत में ब्राह्ममण विरोधी आंदोलन कभी भी लोकप्रिय नहीं बन सका। यहां का पिछड़ा वर्ग आंदोलन आज भी ब्राह्मण विरोधी नहीं है वरन वह सम्पूर्ण उच्च जातियों का विरोध करता है। पिछड़ी जातियों में शामिल कुछ जातियों जैसे अहीर, कुर्मी, सोनार, लोध ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है।[6] परन्तु अन्य पिदड़ी जातियों का शैक्षणिक स्तर आज भी निम्न है। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग, (1975) उत्तर प्रदेश के अनुसार इन सर्वाधिक पिछड़ी हुई जातियों में अधिकांश लोगों का प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में हाईस्कूल पास एक या दो प्रतिशत भी नहीं है और उच्च शिक्षा का प्रतिशत तो दशमलव के बाद शून्य के रूप में है। मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी शिक्षा में तो इन वर्गों का प्रतिशत शून्य

---

1. यूगेव एफ0 इरशिक पोलिटिक्स एण्ड सोशल कनफिलिक्ट इन साउथ इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969, पृ0 12–19 एण्ड एस0 सरस्वती माइनोरिटी इन पैक्टस इण्डिया,दिल्ली 1974, पृ0 57
2. देखें ई0ए0एच0 ब्लण्ट – दि कास्ट सिस्टम आफ नार्दन इण्डिया, 1977, पृ0 333–335.
3. देखें जनसंख्या रिपोर्ट संयुक्त प्रान्त मुख्य प्रतिवेदन चैप्टर 9, पृ0 461 वर्ष 1937..
4. देखें मीनाक्षी सिंह, पृ0 71.
5. वही, पृ0 72.
6. छोटे लाल एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू0पी, ए0आई0आर0 1979, इला0 135.

सा ही है। दस–बीस हजार मे एकआध लोग मिल सकेगे। ऐसी स्थिति मे सर्वाधिक पिछडी जाति मे सम्मिलित जातियो का पूर्ण समुदाय अशिक्षितो की श्रेणी मे आता है।[1] आयोग के इस कथन की पुष्टि सरकारी सेवाओ मे इन जातियो के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी निम्न आकडो से भी होती है।[2]

तालिका स० 3 6

क्रमाक	विवरण	विभिन्न श्रेणी के अधिकारियो एव कर्मचारियो की कुल स०	जिलो की सख्या	सर्वाधिक पिछडी जातियो के अधिकारियो की कुल सख्या एव प्रतिशत	
				सख्या	प्रतिशत
1	प्रथम श्रेणी	343	45	1	0 29
2	द्वितीय श्रेणी	719	45	11	1 54
3	तृतीय श्रेणी	13848	45	492	3 55
4	चतुर्थ श्रेणी	11931	45	1308	10 96

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0ई0आर0टी0) ने दो साल पहले अपनी छठी शैक्षणिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट से स्कूली अध्यापको की जाति का पता चलता है। प्रस्तुत है प्राथमिक से लेकर इण्टरमीडिएट तक के अध्यापको का राज्यवार जातिगत आकडा। अध्यापको की नौकरी कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस आकडे का विशेष महत्व है।[3]

---

1 देखें रिपोर्ट आफ दि मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1977 पृ0 39
2 वही 1977 पृ0 74
3 राष्ट्रीय सहारा शनिवार हस्तक्षेप 11 अगस्त 2001

तालिका स० 3 7

प्रमुख राज्य		प्रतिशत अध्यापक			
क्रमाक	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछडी जातिया	उच्च जातिया
1	आन्ध्र प्रदेश	9 29	2 41	29 89	58 41
2	बिहार	7 50	7 27	27 72	57 51
3	गुजरात	9 07	11 10	12 57	67 26
4	हरियाणा	4 09	0	6 94	88 97
5	कर्नाटक	10 85	3 02	35 18	50 95
6	केरल	3 91	0 23	33 96	61 90
7	मध्य प्रदेश	10 04	12 66	33 60	43 70
8	महाराष्ट्र	11 60	5 58	29 62	53 20
9	उडीसा	6 74	6 25	21 41	55 60
10	पजाब	10 60	0	9 85	79 55
11	राजस्थान	9 05	4 28	7 27	79 40
12	तमिलनाडु	12 67	0 96	73 48	14 79
13	उत्तर प्रदेश	9 33	0 38	24 33	65 96
14	प0 बगाल	10 28	1 73	1 39	86 60
15	दिल्ली	7 83	0 62	1 40	90 15
	कुल भारत	8 99	5 74	25 78	59 49

देश के 150 विश्वविद्यालयो मे पिछडी जातियो के शिक्षको का प्रतिशत कला सकाय

तालिका न० 38

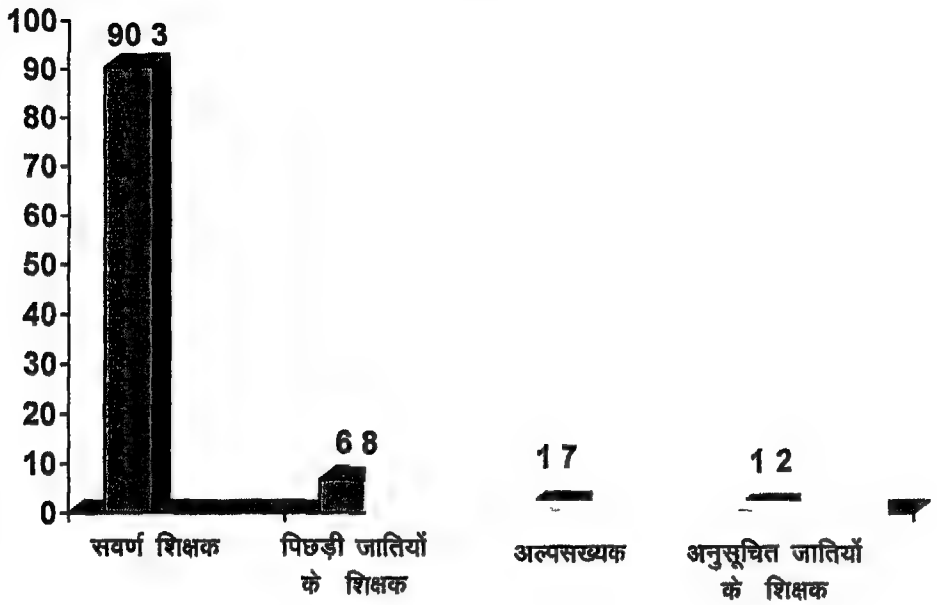

1 राष्ट्रीय सहारा 11 अगस्त 2001

तालिका न० 39

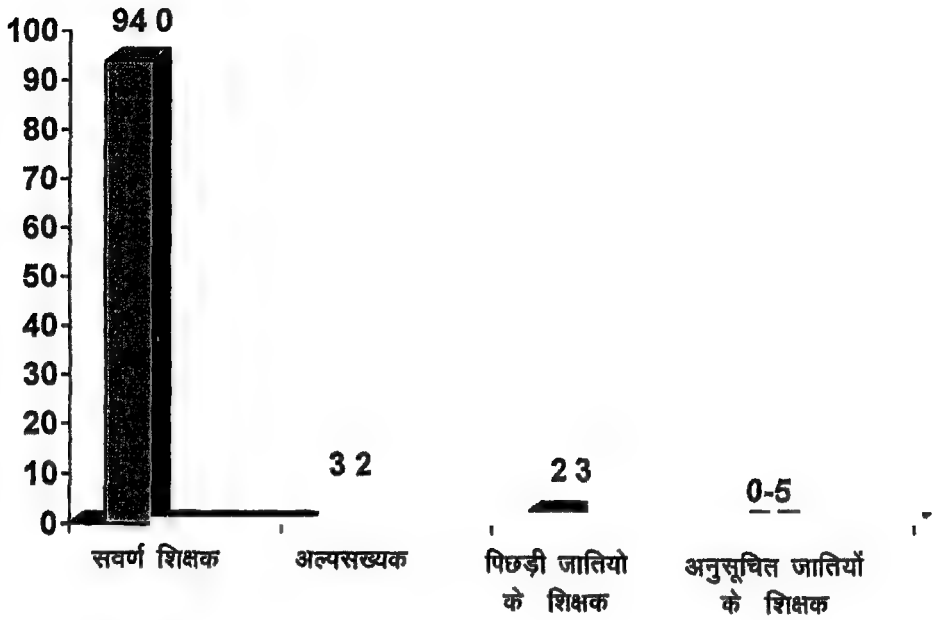

उत्तर प्रदेश मे पायी जाने वाली पिछडी हुई जातियो की सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक एव राजनैतिक स्थिति की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि आजीवन समुदायो और पिछडी जातियो को पिछडी जातियो की श्रेणी मे रखा जा रहा है वह हमेशा से पिछडी हुई नही रही हैं बल्कि उसमे से कुछ तो इतिहास के एक विशेष मोड पर आज की अग्रणी और उच्च समझी जाने वाली जातियो के पूर्वजो से अधिक सभ्य और शासक जातिया थी। इतिहास के घटनाक्रम ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उनको पिछडा हुआ बना दिया है।

दूसरे शब्दो मे कहाक जा सकता है कि आज की पिछडी जातियो का पिछडापन इतिहास की उत्पत्ति है। यदि इतिहास के इस क्रम को उलट कर इन जातियो/समूहो को शोषण--मुक्त व्यवस्था मे रहने एव कार्य करने का अवसर दिया जाए तो इन जातियो/समुदायो मे ऐसा कोई जैविक या दोष या बाधा नही है जो उन्हे प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने मे बाधा उपस्थित कर सके।

---

1 राष्ट्रीय सहारा 11 अगस्त 2001

सलग्नक 1
Appendix-I

प्रथम पिछडावर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग) 1953 ने उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित जातियो को पिछडी हुयी जातिया मानने की सस्तुति की थी।[1]

क्रमाक	समुदाय का नाम
1	अग्रहरी
2	आदिवासी
3	अहार
4	अहीर
5	अन्सार
6	अराकिन
7	अतिशबाज
8	अनित
9	बरवा गोस्वामी
10	वाजवान
11	बजारा
12	बढई
13	बैरागी
14	बरई
15	बारी
16	बवरिया
17	वरगई
18	बेरिया
19	भगत
20	भाड
21	भगी डोम

1 दि रिपोर्ट आफ बैकवर्ड क्लास कमीशन 1956 वाल्यूम 3, गवर्नमेंट आफ इण्डिया 1956 पृ0 14—15

22	भर, राजभर
23	भडभूजा भूजी काडू
24	भाट वागा भाट
25	भटियारा
26	भिश्ती
27	भुर्जी
28	मूर्तिया
29	बिन्द
30	विसाती
31	चाई केपवट मल्लाह
32	छाचोरी
33	छिप्पा
34	कसल
35	हिप्पी
36	चिकला कस्साव
37	डफाली
38	दलेर
39	दगी
40	धनवार
41	दर्जी
42	पवरिया
43	धीमर
44	धीवर
45	धोबी
46	धुनिया
47	डोम
48	फकीर
49	गड़ेरिया

50	गाडी घोसी
51	गधर
52	गधी
53	गधीला
54	गधीया
55	गौडिया
56	धामक कहार घोसी
57	मिरी
58	गोरखा
59	गोसाई
60	गूजर
61	हज्जाम
62	हलवाई
63	हरजाला
64	हाशिमी
65	हिजडा
66	भोजा
67	जोगी
68	जुलाहा
69	ज्योतिषी ब्राह्मण
70	कवाडिया
71	काछी
72	कन्धेर
73	कहार
74	कलवार
75	कमला, पुरवैश्य, तेली
76	कम्बोह, कमकर, काडू
77	कलष

78	कजवानी
79	कसौधन
80	कसेरा ठठेरा
81	कसगर
82	कीट किरार केवट
83	खागी खानगार किरार
84	किसान
85	कोइरी
86	कुम्हार
87	कुण्डी नगर
88	कुजडा
89	कुर्मी कुटा
90	लखेरा
91	लोवाणा
92	लोध
93	लोहार विश्वकर्मा
94	लोनिया नूनिया माली मल्लाह मनिहार
95	माझी
96	मुराव
97	भरासी
98	मयोती मेवाती, मोमी
99	नाई
100	नायक
101	नक्काल
102	नानवाई
103	नट
104	निवारिया नूनिया
105	पाण्डा

106	पठारा
107	पतुरिया
108	पटवा
109	पवरिया
110	राधा
111	खन्दानी
112	राई
113	राजभर
114	रमैया
115	रगरेज
116	रगसाज
117	रोर
118	रौनियार
119	सोनार
120	राव
121	साध
122	सिघाडिया
123	सोनार
124	तागा भाट
125	तमोली
126	ततुआज
127	तवर
128	तेली
129	ठठेर
130	तिपार
131	विश्वकर्मा
132	पमरिया
133	औघिया

सलग्नक II

उत्तर प्रदेश शासनादेश सख्या 1314/XXII/-781-1958, दिनाक 17 सितम्बर 1958 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे पिछडी हुयी जातियो की सूची[1]

क्रमाक	पिछडी जातिया (हिन्दू धर्म मे)
1	अहीर
2	अरख
3	बजारा
4	बढई
5	बैरागी
6	भर
7	मीरिया
8	भूर्जीया भडभूजा
9	बिन्द
10	द्वीपी
11	दर्जी
12	धीवर
13	गडेरिया
14	गोसाई
15	गूजर
16	हलवाई
17	जोगी
18	काछी
19	कहार
20	केवट या मल्लाह
21	किसान
22	कोइरी
23	कोरी (आगरा, मेरठ और रूलेहखण्ड डीविजन में)
24	कुम्हार
25	कुर्मी
26	लोध
27	लोहार

1 शासनादेश सख्या–1314/XXII/–781–1958 17 सितम्बर 1958 उत्तर प्रदेश।

28	लोनिया
29	माली
30	मनिहार
31	मुराव या मुराई
32	नाई
33	नायक
34	सोनार
35	चमोली
36	तेली
क्रमाक	**पिछडी जातिया (मुस्लिम धर्म में)**
1	भठियारा
2	बढई
3	चिकवा (कस्साल)
4	दर्जी
5	डफाली
6	फकीर
7	गद्दी
8	हज्जाम (नाई)
9	ओझा
10	कसगर
11	कुजडा
12	किसान
13	मनिहार
14	मिरासी
15	मोमिन (असार)
16	मुस्लिम कामस्य
17	नददाफ (धुनिया)
18	नक्काल
19	नट
20	रगरेज
21	स्वीपर

नोट—कुमायू डीविजन में मारआ नायक गिरी और पिछडे मुसलमान भी पिछड़ी जातियों मे ही माने जाएगे।

पी0एन0यू0पी0—ए0पी0 80सा0 (सा0प्रशासन) 24—329 (4116)—1979—3 000 (हि0)

उत्तर प्रदेश मे यही अन्य पिछड़े हुए वर्गों की अधिकारिक सूची है।

सलग्नक-III

सर्वाधिक पिछडा वर्ग आयोग 1975 उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश मे पिछडी हुई जातियो की सूची

तालिका

श्रेणी अ' की जातियो की सूची

जाति का नाम	जनसख्या			
	1931	1951	1971	1976
1	2	3	4	5
अरख	45907	—	91814	97553
बारी	58395	—	116790	121462
मल्लाह चाई	848126	—	1696252	1764102
केवट	550162	—	1160324	1169094
तबर सिधारिया	7599	—	15198	15806
गडेरिया	1019547	—	2039094	2179765
कहार धामक	1154961	—	2309922	2402319
कनेरा, खगर	24079	—	48158	55084
कबड़िया	513	—	126	1067
किराट	—	—	3808	4125
लोनिया नोनिया	471407	—	942814	980527
नाई	906457	—	1812914	1885431
माली सैनी	262018	—	524036	544997
भर राजभर	462942	—	925885	962919
भूर्जी भडभूजा	286410	—	572280	595711
गोडिया गुडिया	85172	—	170344	177158
धीवर धीमर	—	53388	8082	8756
वियार	78770	—	157540	163842
बजारा	—	112048	168072	182078
बिन्द	—	79780	119670	129642
रावा	—	18306	27459	29749

पटुवा पठार	—	35358	53037	57457
गधीला	—	—	—	—
आदिवासी	—	—	—	—
दलेरा	—	—	—	—
नायक	—	—	—	—
निपारिया	—	—	—	—
रमैया	—	—	—	—
सोपटी	—	—	—	—
तिपार	—	—	—	—
तुरहा	—	—	—	—
वैरागी	—	—	—	—
भोटिया	—	—	—	—
गोसाई	—	—	—	—
जोगी	—	—	—	—
योग 1 36 23 642 14 1%				

श्रेणी 'ब' की जातियो की सूची

1	2	3	4	5
तेली	1005588	—	2011116	2136811
कुम्हार	782639	—	1565278	1663108
हीपी	—	21473	32209	34893
योग 2 78 96 320 28 90%				

सलग्नक-IV

मण्डल आयोग (पिछडा वर्ग आयोग) 1980 द्वारा पिछडी जातियो की सूची[1]

क्रमाक	समुदाय का नाम
1	अग्री
2	अहेरिया
3	अहीर धोसी ग्वाला यदुवशी/यादव
4	असारी
5	अरख
6	औजी
7	बदक
8	बैरागी
9	बैरी
10	बाजीगर
11	बखरिया
12	बडी
13	बजारा, बजारे नायक, नाइक कत्री सिरकीवड लबाना धनकूद बजारा सिख बृजवासी
14	बढई बधई बरई चोवसिया जीगर ब्राह्मण खारी कोलाश, काटे पावल हरखान विश्वकर्मा
15	बारी
16	बौरा
17	बौरिया
18	बमार
19	बाजगर बाजीगर
20	बेहिया बेहाना
21	बेरिना
22	भर
23	भटियारा

1 रिपोर्ट आफ द वैकवर्ड क्लास कमीशन उत्तर प्रदेश 1980 पृ0-80 83

24	भील
25	भूल
26	भूर्जी भडभूजा भूजिया काडू, काशोधाम
27	बिन्द
28	चनल
29	चिक
30	चिकवा (कसव)
31	चूनल
32	चूरेरा
33	डफोली
34	डलेरा
35	दर्जी छिपे डाम्डो, सूर्जिया
36	धारी
37	धोबी रजक (अब अनुसूचित जाति मे सम्मिलित है)
38	डोली
39	धनिया काणेरिया, नडडाफ
40	फकीर
41	गदरिया गद्दी गडेरिया, गरेरिया पाल
42	गधिया
43	गधर्व भाटू
44	गधीला
45	गिधिया
46	गिरी
47	गौड
48	गोसाई
49	गूजर
50	हलखोर
51	हलवाई
52	हाकिया
53	हुरकिया

54	जमोरिया
55	ओझा
56	जोगी
57	कबाडिया
58	काछी कौरी कुशवाहा मौरिया मुरार नलडीह नारडीहा
59	कहार धोधान धीमर धीवर धामा गोडिया कश्यप मेहरा
60	कलन्दर
61	कालर
62	कस्साई
63	कासगर
64	केवट वशी चाई जलेहर माझी मल्लाह, निषाद
65	खैरवा
66	खानगार
67	खरोट
68	विधारिया
69	किसान
70	कोइरी
71	कोली
72	कोल्टा
73	कोस्टा
74	कोटवार
75	कुम्हार, चकलिया चकिरे, कोहार, कुम्हार प्रजापति
76	कुजडा रहन
77	कुर्मी
78	कूटा
79	लोधा लोध
80	लोहार अबगर लुहार, मिस्त्री, झरिया
81	लुनिया, लोनिया
82	माली, सैनी
83	मनिहार लखेरा

84	माझी
85	मरक्षा
86	मेवाती
87	मीरासी मेरासी
88	मोची (ये अनुसूचित जाति के अतिरिक्त है)
89	मोमिन असार
90	मुराव मुराई
91	मुस्लिम बजारा
92	मुस्लिम कायस्थ
93	नदकल
94	नाई, ठाकुर हज्जाम खावा नाजित नाक ओरे सारिवास सचिता
95	नवबुहिस्टस
96	नट (अनुसूचित जाति के अतिरिक्त हैं)
97	ओधीमा
98	आई ओद
99	पहरी
100	पौरी
101	पावरिया
102	राज
103	रगरेज
104	रोनियार
105	सपेरा, कलबेलिया
106	सौन
107	सोनार, सुनार, स्वर्णकार
108	तगा भटट
109	तमोली
110	ताता
111	ताती तत्वा, तत्रीपाल पत्वा
112	तेली, सानू, (हिन्दू और मुस्लिम दोनो)
113	ठठेरा, कसेरा
114	तिरवा
115	तूरी

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक स्थिति

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति

शोध प्रबन्ध का अध्याय चार अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योकि इसमे उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति का अवलोकन किया गया है। चूकि उत्तर प्रदेश भारत का राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बडा राष्ट्र है इस कारण इस राज्य का राष्ट्रीय राजनीति मे सदैव से महत्व रहा है और प्रत्येक राजनीतिक दल इस राज्य मे अपना आधार मजबूत करने के प्रयत्न मे लगा रहता है। इसमे आरभ से लेकर 2000 तक पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति और उनकी भूमिका का अध्ययन किया गया है। जिसके तहत विभिन्न विधान सभाओ मे पिछडी जातियो की स्थिति और मत्रिपरिषद मे पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति के साथ–साथ स्वतत्रतापूर्ण पिछडी जातियो के जातिय सगठन और जातीय सघो तथा पिछडी जातियो के विकास मे पिछडी जातियो के अभिजनो द्वारा निभायी गयी भूमिका का अध्ययन किया गया है।

उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय

उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। इसके उत्तर मे हिमालय पर्वत दक्षिण पश्चिम मे हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान तथा दिल्ली दक्षिण मे मध्य प्रदेश एव पूर्व मे बिहार स्थित है। प्रदेश का क्षेत्रफल 294413 वर्ग किमी0 है जो कि सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 9 58 प्रतिशत है। जनसख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बडा राज्य है।[1] 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसख्या 16 60 करोड है। जो देश की जनसख्या का 16 6 प्रतिशत है।[2] प्रदेश मे जनसख्या के धार्मिक विभाजन मे 83 76 प्रतिशत हिन्दू 15 50 प्रतिशत मुसलमान एव शेष अन्य धर्मावलम्बी है।[3] प्रदेश की सम्पर्क भाषा हिन्दी है तथा यहा 88 54 प्रतिशत हिन्दी भाषी तथा 10 5 उर्दू भाषी लोग रहते है।[4] नीचे तालिका न0 4 1 मे उ0प्र0 का सामान्य तथ्य दिया गया है।

---

1 आर्थिक समीक्षा–उत्तर प्रदेश 1977–78 राज्य नियोजन सस्थान लखनऊ वर्ष 1979 पृष्ठ–1
2 करेण्ट अफेयर्स–वार्षिकाक 2001, ज्ञान भारती प्रकाशन इलाहाबाद वर्ष 2001 पृ0–171
3 स्टेटीकल डायरी–उत्तर प्रदेश वर्ष 1980 पृ0–45,
4 सेंसर रिपोर्ट आफ इण्डिया 1931 उत्तर प्रदेश भाग–1, सूचक तालिका–1 पृ0–619.

तालिका न० 41

उत्तर प्रदेश एक नजर मे 1991 की जनगणना के अनुसार

कुल जनसख्या	13 21 करोड
जनसख्या का धनत्व	547 / वर्ग किमी0
महिलाये	6 2 करोड
पुरूष	7 0 करोड
पुरूष–स्त्री का अनुपात	100 – 876
ग्रामीण	10 – 61 करोड
नगरीय	2 60 करोड
अनुसूचित जातिया	3 80 करोड
प्रशासनिक इकाइया	
मण्डल	17
जनपद	70
तहसील	298
नगर निगम	11
नगर एव नगर समूह	631
सामुदायिक विकास खण्ड	809
न्याय पचायते	8 814
ग्राम सभाये	51 826
ग्राम	97 134
साक्षरता	
सकल	
पुरूष	41 60%
स्त्री	55 73%
ग्रामीण	25 31%
नगरीय	36 66%
जनप्रतिनिधि 2001	61 00%
उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य	80
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	33
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	404
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	100
प्रतिव्यक्ति आय 1991 के आधार पर	
1998–99	926 रूपये[1]

1 वार्षिकांक करेण्ट अफेयर्स ज्ञान भारती प्रकाशन इलाहाबाद–2001 पृ0 171

पिछडी जातियो की राजनीतिक भूमिका को मुख्य रूप से दो भागो मे बाटा जा सकता है–**प्रथम**–सगठन की राजनीति और **द्वितीय**–चुनावी राजनीति। सगठन की राजनीति भूमिका के अन्तर्गत पिछडी जातियो द्वारा अपने विकास के लिए स्थापित किये गये जाति सगठनो और जातीय सघो का उल्लेख किया गया है जबकि राजनीतिक भूमिका के अन्तर्गत विधान सभा मे उनकी स्थिति दलीय आधार पर उनकी स्थिति और मत्रिपरिषद मे उनको प्राप्त स्थानो का अध्ययन किया गया है।

सगठन की राजनीति

20वी शताब्दी का पूर्वार्द्ध पिछडी हुई जातियो के लिए अतयधिक सामाजिक गतिशीलता का काल था। इस गतिशीलता का ध्येय सामाजिक स्तरीकरण मे उच्च स्थान को प्राप्त करना था। इस कारण इन जातियो ने कई प्रयास किये जिसमे– (1) ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ग से तादात्म्य स्थापित करना (2) जाति मे प्रचलित कुरीतियो को दूर कर उच्च वर्गो मे प्रचलित रीति रिवाजो को ग्रहण करना (3) आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना और इस हेतु सुविधओ का निर्माण करना एव (4) जनगणना के प्रलेखो मे अपने को उच्चतर वर्ग के नाम से उल्लिखित किये जाने का प्रयत्न करना प्रमुख था। प्रारम्भ मे ये प्रयास व्यक्तिगत तौर पर किये गये।[1]

पर शीघ्र ही इन्हे सगठित रूप देने के लिए जातीय सगठनो का विकास हुआ। 1931 के उत्तर प्रदेश जनगणना अधिकारी ने ऐसे 63 जातिय सभाओ/महासभाओ का उल्लेख किया है जिन्होने जनगणना अधिकारी के समक्ष अपने सम्बन्धित जाति को ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ग के नाम से उल्लिखित किये जाने का दावा किया था।[2] इन 63 मे 61 जातिया पिछडी हुयी जातिया ही थी।[3]

भारत मे जाति पचायते बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं। इन प्राचीन जाति पचायतो व इस आधुनिक जाति सगठनो मे मूलभूत अन्तर था।[4] जाति पचायते एक गाव

---

1 भारत की जनगणना सयुक्त प्रात आगरा और अवध 1931 मुख्य रिपोर्ट पृ0 529–531
2 वही पृ0 529-531
3 वही पृ0 529-531
4 वही पृ0 544 - 551

या गाव समूह मे निवास करने वाली जाति विशेष की अनौपचारिक सस्थाये होती थी जिसका कार्य अधिकतर जाति सम्बन्धी नियमो रीति–रिवाजो का लागू करना नियम भग करने वालो को दण्ड देना एव विवाह उत्तराधिकार इत्यादि के विवादो को निपटाना था। आधुनिक जाति सगठन लिखित नियमो के अनुसार सगठित होते थे। इनकी समस्या जाति अथवा जाति समूह के सदस्यो के लिए खुली रहती थी किन्तु आधुनिक समुदायो के समान ऐच्छिक होती थी। इनका क्षेत्र भी विस्तृत अधिकतर जिला प्रान्त और देश व्यापी होता था। इनकी कार्य प्रणाली भी जति पचायतो के विपरीत लोकतत्रिक ढग की होती थी। जाति पचायते अधिकतर पिछडी जातियो मे ही पाई जाती थी। जाति सगठन उच्च एव निम्न सभी श्रेणियो की जाति मे विकसित हुई।[1]

इन जाति सगठनो ने सम्बन्धित जातियो अथवा जाति समूहो को उच्चतर सामाजिक स्थान एव प्रतिष्ठा दिलाने, उनमे प्रचलित कुरीतियो को दूर करने शिक्षा का प्रचार करने मिलती जुलती जातियो का समस्तर पर एव उर्ध्व स्तर पर सगठित करके उनमे सामाजिक एव राजनैतिक चेतना जागृत करने मे बहुत अधिक योगदान दिया है।

उदाहरण के तौर पर इस शोध प्रबध मे उत्तर प्रदेश की पिछडी हुयी जातियो मे सबसे बहुसख्यक और राजनीतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली परन्तु शिक्षा की दृष्टि से अभी पिछडी हुयी 'अहीर जाति जिन्हे यादव भी कहा जाता है सगठित होने एव सामाजिक एव राजनैतिक गतिशीलता प्राप्त करने के प्रयासो का अध्ययन किया गया है।

1931 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश (उस समय का सयुक्त प्रात) मे अहीरो की जनसख्या– 38 97,000 अर्थात प्रदेश क कुल जनसख्या की 7 85 प्रतिशत थी।[2] शिक्षा के क्षेत्र मे यह अत्यधिक पिछडी हुयी थी। 1931 मे प्रति एक हजार पुरूष मे केवल 20 को ही शिक्षित कहा जा सकता था।[3] और स्त्रियो मे तो शिक्षा का स्तर

---

1 वही पृ0 544-551
2 वही पृ0 619 620
3 वही पृ0 462

और भी गिरा हुआ था। इसके बावजूद वह परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओ से अप्रभावित नही रहे। 20वी शताब्दी के प्रथम दशक मे इस जाति के लोगो ने कई स्थानीय एव क्षेत्रीय सगठन बनाये जिन्होने स्थानीय स्तर पर इस जाति के सदस्यो मे सामाजिक जागृत लाने का कार्य किया। 1911 मे इन सगठनो मे समन्वय लाने के उद्देश्य से प्रान्तीय यादव महासभा का जन्म हुआ।[1] 1924 मे जब इलाहाबाद मे अखिल भारतीय यादव महासभा की स्थापना हुयी तो यह महासभा उससे सम्बन्धित हो गयी।[2]

यादव महासभा के कुछ उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित है।

1 यादवो को हीन भावना को दूर करने एव उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से यादवो की उत्पत्ति प्राचीन चन्द्रवशी एव यदुवशी क्षत्रियो से जोडा गया है। इस सम्बन्ध मे लेख एव पुस्तके प्रकाशित करके इनको जनमानस मे बैठाने के साथ–साथ विरोधियो के तर्को का भी उत्तर दिया गया है।[3]

2 इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय यादव महासभा ने यज्ञोपवीत धारण करने का प्रचार किया था जिसके कारण बिहार मे लाखूचक (जिला मुगेर) मे भूमिहार एव यादवो के मध्य भयकर सघर्ष हुआ। इस सघर्ष की प्रतिक्रिया इस प्रात मे भी हुयी।[4]

3 सभा द्वारा बाल विवाह का निषेद शाखान्तर विवाह का प्रचार तिलक दहेज पर रोक विवाह मृत्यु इत्यादि के अवसरो पर किये जाने वाले फिजूलखर्ची पर रोक समारोहो के अवसरो पर वैश्या नित्य पर रोक इत्यादि सुधार के कार्य भी किये जाते थे।

4 जिस समय महासभा की स्थापना हुयी उस समय यादवो मे शिक्षा का स्तर बहुत कम था। महासभा ने शिक्षा के प्रसार को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 1936

---

1 उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष राम वचन यादव के साक्षात्कार पर आधारित
2 यादव ज्योति वाराणसी
3 बिन्देश्वरी प्रसाद के साक्षात्कार पर आधारित
4 यादव महासभा में पारित प्रस्ताव पर आधारित, उ0प्र0 एण्ड आल इण्डिया यादव महासभा

मे 'अलख राम यादव छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की गई। इस कोष के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यो के यादव विद्यालियो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है एव उनके लिए छात्रावास बनाने तथा स्कूल खोलने के लिए भी प्रयास किया जाता था।[1]

यादव महासभा प्रादेशिक एव अखिल भारतीय दोनो सामाजिक सस्थाये है जिसमे हर राजनीतिक दल तथा विभिन्न विचारो के व्यक्ति शामिल हो सकते है परन्तु धीरे–धीरे विशेषकर 1950 के बाद से सभा का निश्चित राजनीतिकरण हो गया जो यादवो मे बढती हुयी राजनैतिक चेतना का द्योतक है। यह राजनीतिकरण उत्तर प्रदेश यादव महासभा के प्रस्तावो मे भी झलकता है। उदाहरण के लिए 46वे प्रादेशिक सम्मेलन अयोध्या मे जो प्रस्ताव पारित किये गये थे उसमे सगठन सम्बन्धी प्रस्तावो मे सम्मेलन द्वारा देश मे हुए राजनैतिक परिवर्तनो (जनता पार्टी का सत्तागढ होना) का स्वागत किया गया था। प्रस्ताव मे कहा गया था कि यह सम्मेलन यह अनुभव करता है कि देश मे शोषण दोहन और उत्पीडन की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि शोषित पीडित उपेक्षित कमजोर तथा पिछडी जाति का प्रभाव राजनीति मे अधिक बढे। इस उद्देश्य से प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक यादव सभा के सगठन को मजबूत बनाये जाने के लिए अपील की गई ताकि इससे सजगता सक्रियता सतर्कता उत्पन्न हो सके।

सम्मलेन मे सरकारी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सेवाओ मे पिछडी जातियो के लोगो के लिये आबादी के अनुपात मे आरक्षण रखने की माग की गई। यह भी माग की गई कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र मे आरक्षण के सम्बन्ध मे जो वायदा किया था उसे तत्काल प्रभाव से लागू करे। इस सम्मेलन मे बहुत दिनो से चली आ रही अहीर रेजिमेन्ट बनाने की माग को भी दुहराया गया।

इस सम्मेलन के अतिम दिन, 25 दिसम्बर 1977 को आयोजित हुए पिछडा वर्ग

---

1 अलखनाथ यादव के साक्षात्कार पर आधारित

सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अब्दुल रूफ लारी उपमत्री हथकरघा उत्तर प्रदेश ने कहा कि अब पिछडी जातियो को दबाया नही जा सकता। इस अवसर पर राम वचन यादव ने भी कहा कि पिछडी जातियो का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढाकर 33 प्रतिशत किया जाय।[1]

यादवो के समान कुरमी भी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख और प्रभावी कुरमी जाति है। यद्यपि 1931 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश मे उनकी जनसख्या यादवो की जनसख्या की लगभग एक तिहाई थी परन्तु शिक्षा की दृष्टि से वे यादवो से आगे थे। 1894 मे ही लखनऊ के कुछ पढे–लिखे कुरमी लोगो ने सदर कुरमी क्षत्रिय सभा को जन्म दिया था। इस सभा की स्थापना का मुख्य श्रेय रामदीन सिह को था जो प्रादेशिक सेवा मे फारेस्टर थे और जिन्होने सयुक्त प्रात की प्रान्तीय सरकार की कुछ जातियो को पुलिस सेवा मे न लेने की नीति के विरोध मे त्याग पत्र दे दिया था।[2] दिसम्बर 1894 मे इस जाति के लोगो ने लखनऊ मे सभा करके इस नीति का विरोध प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरूप प्रातीय सरकार ने अपने आदेश मे सशोधन कर दिया। इस सभा के माध्यम से कुरमी जाति के लोगो ने हिन्दू धर्म ग्रन्थो के आधार कुरमी जाति के इतिहास का निर्माण करने और उन्हे क्षत्रिय वर्ण की प्रतिष्ठा दिलाने समाज सुधार करने जाति के विद्यार्थियो को वजीफा दिलाने स्कूल एव छात्रावासो का निर्माण करने और कोइरी कुनबी आदि समस्तरीय जातियो को मिलाकर एक वृहत कुरमी क्षत्रिय जाति बनाने का प्रयास किया।[3]

यादव महासभा के समान कुरमी सभा भी अपने वार्षिक सम्मेलनो के अत मे एक अधिवेशन पिछडी हुयी जातियो के लिए करती है जिसमें गैर कुरमी पिछडी हुयी जातियो के लोग भी भाग लेते है। कुरमी लोगो मे भी इस बात की भावना बढ रही है कि उन्हे अन्य पिछडी हुयी जातियो के साथ सघ बनाना चाहिए तभी वह राजनीतिक

---

1 यादव ज्योति वाराणसी पृ0 जनवरी 1978 पृ0 25–26
2 महादेव प्रसाद वर्मा के साक्षात्कार पर आधारित
3 वही

रूप से प्रभावी हो सकेगे।[1]

उत्तर प्रदेश मे पायी जाने वाली अन्य पिछडी हुयी जातियो जैसे स्वर्णकार निषाद नाई लोहार गडेरिया कुम्हार इत्यादि के भी अपने–अपने जाति सगठन स्थापित हो चुके है। परन्तु इन जातियो मे राजनीतिकरण का स्तर लगभग निम्न है। इनके जाति सगठन राजनीतिक प्रक्रियाओ को प्रभावित करने की दिशा मे तभी सक्रिय होते है जब उस जाति के विशेष के हित को प्रभावी करने वाला कोई मामला उठता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के **स्वर्णकार सघ** को लिया जा सकता है जो अखिल भारतीय स्वर्णकार सघ की उत्तर प्रदेशीय शाखा है। इस सघ मे सक्रियता 1963 से आयी है जबसे सोना नियत्रक विधि लागू की गयी। इधर यह सघ अपने सदस्यो की व्यवसाय सम्बन्धी शिकायतो को दूर करने और पिछड़ी जातियो को मिलने वाली सुविधाओ को अपने सदस्यो को उपलब्ध कराने की दिशा मे काफी सक्रिय है।[2]

इस प्रकार जातीय सगठनो ने पिछडी जातियो की सामाजिक एव राजनैतिक गतिशीलता तथा उन्हे अरूढिवादिता से आधुनिकता की ओर लाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सम्बन्ध मे मडोल्फ एव मडोल्फ का निम्न कथन उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध मे अत्यन्त सत्य प्रतीत होता है–

इन जातीय सगठनो के द्वारा मध्यम एव निम्न श्रेणी की जातियो को हीन भावना से युक्त होने और आत्म सम्मान प्राप्त करने मे बडी सहायता मिली है। सामाजिक चेतना के माध्यम के रूप से इन सगठनो ने निम्न श्रेणी की जातियो को द्विज जातियो के रीति–रिवाजो एव मूल्यो का अनुसरण करने उनके समकक्ष लाने मे बडी अहम भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त गावो के बिखरी हुयी एव अलग–जातियो का समस्तर पर सगठित करके उनमे सामान्य तादात्मय की भावना विकसित करके इन सगठनो ने राजनैतिक लोकतत्र की सफलता मे भी बहुत अधिक योगदान दिया है।

---

1 वही

2 सविच उ0प्र0 स्वर्णकार सघ आर्य नानक सिंह के साक्षात्कार पर आधारित।

उनके माध्यम से निम्न श्रेणी की जातिया जिनके अधिकाश सदस्य अशिक्षित थे परन्तु जिनकी सख्या का लाभ प्राप्त था राज्य एव समाज मे प्रभाव एव शक्ति प्राप्त करने मे समर्थ हुयी है। जाति सगठनो ने आम निर्वाचन को लोकतात्रिक और राजनैतिक प्रक्रियाओ से जोडा है और इन प्रक्रियाओ को अधिकाश अशिक्षित लोगो के लिए परिचित रूप दिया है। [1]

इस प्रकार पिछडी हुयी जातियो के सगठित होने की प्रक्रिया मे जाति सगठनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान काल मे वे एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप मे कार्य रही है।

पिछडी हुयी जातियो को सगठित करने मे जाति–सभाओ की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी सीमित होती है। उनके माध्यम से सम्बन्धित जाति एव उसकी उप जातियो को ही सगठित किया जा सकता है। सभी पिछडी हुयी जातियो को एक मच पर लाकर उनको एक सूत्र मे बाधने का कार्य जो कि लोकतत्र की आवश्यकता है किसी एक जाति विशेष की सभा द्वारा नही किया जा सकता है। इसके लिए जाति–सभा से अधिक व्यापक एव असाम्प्रदायिक सगठन की आवश्यकता होती है जैसे राजनीतिक दल जातीय सघ इत्यादि। उत्तर प्रदेश मे इस प्रकार के सगठनो मे पिछडा वर्ग सघ एव अर्जक सघ प्रमुख हैं।

उत्तर प्रदेश मे पिछडा वर्ग सघ की उत्पत्ति

1916 का वर्ष भारत मे एक नये प्रकार की बेचैनी का वर्ष था। अप्रैल 1916 मे लार्ड हेटिग्ज के स्थान पर लार्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल होकर आये। आने के तुरन्त बाद ही सरकारी क्षेत्रो मे यह सोचा जाने लगा कि भारत के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत मे ब्रिटिश सरकार की नीति के उद्देश्यो को घोषित किया जाना चाहिए। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मान्टेग्यू ने ब्रिटिश ससद मे इस आशय की

---

1 जे0आर0 रूडोल्फ एण्ड एस0एच0 रूडोल्फ–दि मार्डनेटी आफ ट्रेडीशन ओरिण्ट लाग्स मैन नई दिल्ली 1969 पृ0 63–64

घोषणा की कि भारत मे ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारतीय जनता को उत्तरोत्तर उत्तरदायी शासन की ओर ले जाना है।

इस घोषणा के परिणाम भारत के सार्वजनिक जीवन के विभिन्न तत्त्वो मे प्रशासन के लाभो के वितरण मे अपने लाभाश के लिए प्रतिद्वदिता प्रारभ हो गयी। जब माटेग्यू भारत के दौरे पर आये तो विभिन्न धार्मिक आर्थिक एव सामाजिक समूहो ने अपने–अपने दावो के सम्बन्ध मे उनसे मुलाकात की एव अपने पक्ष को प्रस्तुत किया।[1]

इस प्रकार 1916–17 मे भारत के विभिन्न धार्मिक आर्थिक एव सामाजिक समूहो मे एक आकस्मिक जागरण उत्पन्न हो गया और प्रत्येक समूह अपने हितो की रक्षा के प्रति सजग हो गया।

इस पृष्ठभूमि मे 1916 मे लखनऊ के कुछ निम्न श्रेणी की जातियो के नागरिको ने आदि हिन्दू सभा की स्थापना की।[2] लखनऊ के एडवोकेट राम चरण मल्लाह इसके सभापति और शिव दयाल चौरसिया (जो बाद मे काका कालेकर आयोग के सदस्य भी हुए) इसके मत्री हुए।[3] स्वामी बोधानन्द महास्थविर इसके सरक्षक थे। इस समय उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो मे स्पर्श योग्य और आश्चर्य योग्य का झगडा नही प्रारम्भ हुआ था। इस सभा मे आजकल की अनुसूचित जातिया, जनजातिया और सभी पिछडी जातिया सम्मिलित थी। इस सभा के लोग प्रत्येक रविवार को किसी न किसी अछूत समझी जाने वाली जाति के व्यक्ति के यहा कच्चा भोजन का प्रबध करते थे। यदि कोई मेजबान पूडी का प्रबन्ध कर भी देता तो भी खिचड़ी बनवाना अनिवार्य था क्योकि खिचडी कच्चा भोजन माना जाता है और अछूतो के हाथ से इसको ग्रहण करना जाति के सिद्धान्तो के अनुसार प्रतिबाधित है। इस कार्य का उद्देश्य जाति–पाति को तोड़ना

---

1 ज्यूडिथ एम0 ब्राउन–गाधी ज राइस टू पावर इन इण्डियन पालिटिक्स 1915–1922, यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज पृ0 125–130

2 शिवदयाल चौरसिया के साक्षात्कार पर आधारित।

3 वही

और अछूतो ऊपर लगे हुए छूत–छात के अभिशाप को मिटाना था।[1]

1920 मे आदि हिन्दू सभा का नाम बदल कर डिप्रेस्ड क्लासेज लीग रख दिया गया क्योकि इस समय ब्रिटिश सरकार ने अछूत समझी जाने वाली जातियो के लिए यही नाम प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया।[2]

1927 मे नियुक्त इण्डियन इस्टीच्यूटरी कमीशन या साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसने प्रत्येक प्रात के लिए अलग–अगल समितिया नियुक्त की। सयुक्त प्रात के लिए नियुक्त प्रान्तीय समिति के चेयरमैन श्री जे0 पी0 श्रीवास्तव थे। इस समिति ने दलित वर्गों और पिछडे हुए वर्गों के सम्बन्ध मे डिपेस्ड क्लास लीग के अध्यक्ष बाबुराम चरण (मल्लाह) के अतिरिक्त शिवदयाल चौरसिया और बहुत से लोगो से मुलाकात की और उनका ज्ञापन स्वीकार किया।[3]

समिति ने अपनी रिर्पोट मे लिखा है कि बाबूराम चरण ने दलित और पिछडे वर्गों के लिए निम्नलिखित सरक्षण मागा था।

(1) व्यवस्थापिका मे दलित और पिछडी जातियो के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी वर्तमान काल मे बाबूराम रामचरण इस बात के लिए सहमत हो गये है कि प्रात के निम्न सदन के 182 सीटो मे से 15 और उच्च सदन के 60 सीटो मे से 5 सीटे दलित एव पिछडो के लिए आरक्षित कर दी जाए। वह इस बात के लिए भी सहमत हो गये हैं कि इन सीटो पर सदस्यो को नाम जद किया जाए। यह प्रथा इस वर्ष तक लागू रहे। इस बीच आशा की जाती है कि दलित और पिछडी जाति के लोग उन्नति कर जाएगे और गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रो से अपनी सत्ता के बल पर पर्याप्त सख्या मे अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने मे सफल होगे। यह भी आशा की जाती हैं कि उनको आगामी दस सालो मे

---

1 वही
2 वही
3 इण्डियन स्टेटरी कमीशन रिपोर्ट पार्ट 3 रिपोर्ट आफ प्राविन्सियल कमेटी गार्वनमेंट आफ इण्डिया सेन्ट्रल पब्लिकेशन दिल्ली 1930, पृ0241–242.

मताधिकार दे दिया जाएगा। ऐसी अवस्था मे दलित और पिछडी हुयी जातियो का निर्वाचन मण्डल मे बहुमत हो जाएगा। यदि इन दस सालो के पश्चात यह पाया जाता है कि दलित और पिछडी हुयी जाति के लोग गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रो स व्यवस्थापिका मे पर्याप्त सख्या मे प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने मे असमर्थ रहते है तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन वर्गों की भलाई के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाये या पृथक निर्वाचन अथवा सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर निर्वाचन द्वारा इन सीटो के भरे जाने की व्यवस्था करे।

(2) मत्रिमडल मे दलित और पिछडी जातियो का समुचित प्रतिनिधित्व गवर्नर और मुख्यमत्री मत्रियो का चयन करते समय इन जातियो के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का ध्यान रखे।

(3) स्थानीय सस्थाओ मे दलित और पिछडी जातियो के प्रतिनिधित्व के लिए गवर्नर को यह अधिकार होगा कि वह इन सस्थाओ मे इस वर्ग के प्रतिनिधित्व का नामाकन करे।

(4) इसी प्रकार व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित अन्य स्वायत्तशासी सस्थाओ मे इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए गवर्नर विशेष ध्यान देगे और उनकी कठिनाइयो को दूर करेगे।

(5) सार्वजनिक सेवाओ मे दलित और पिछडी जातियो के लिए लोकसेवा आयोग को इस बात का निर्देश दिया जाए कि वह नियुक्तिया करते समय इन जातियो के दावो का भी ध्यान रखेगे।

(6) शिक्षा के सम्बन्ध मे इन वर्गों को विशेष सुविधा प्रदान की जाए और इसके लिए समुचित अनुदान दिया जाएगा। एक बार जब ये वर्ग शिक्षित हो जाएगे तब इन्हे किसी सहायता की आवश्यकता नही होगी।

प्रान्तीय समिति ने अपनी रिर्पोट मे लिखा है कि सबसे बडी कठिनाई दलित और पिछडी जातियो के ऐसे वर्गीकरण की है जो सबको स्वीकार्य हो। यदि कोई जाति अपने को उचा उठाना चाहती है और उच्चतर जाति होने का दावा करती है तो उसे ऐसा करने से रोका नही जा सकता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति कुरमी कहार इत्यादि पिछडी जातियो मे अधिक दिखाई देती है जिन्होने उच्चत्तर होने का दावा किया है। इस समस्या का यही समाधान है कि पिछडी हुयी जातियो को आगे बढाने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे हिन्दू समाज मे जिसके वे अविछिन्न अग हैं। उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सके। समानता के आधार पर सहयोग न कि अलगाव इसका उपचार है।

यह भी तय किया गया था कि पिछडे हुए वर्गों की कुछ जातिया इस बहकावे मे आ गयी थी कि उनको मेहतरो और भगियो के साथ शामिल किया जा रहा है। इसलिए कई पिछडी जातियो को दलित वर्गों के साथ शामिल किये जाने का विरोध किया था।[1] साइमन कमीशन के सदस्य दलित जातियो के ऊपर जो अस्पृश्यता का अभिशाप है उसके कारण उनसे सहानुभूति रखते थे। जबकि पिछडी जातियो के साथ इस तरह की कोई अयोग्यता न होने के कारण उनको दलित जातियो के अतिरिक्त इन पिछडी जातियो को विशेष सुविधाए देने का कोई कारण नही प्रतीत होता था।

वैसे जो कुछ भी कारण रहा हो आयोग ने अपनी रिर्पोट मे दलित जातियो के लिए सीटो का आरक्षण किये जाने की सस्तुति की परन्तु अन्य पिछडी जातियो का कोई उल्लेख नही किया।[2]

उसके पश्चात पिछड़ी जातियो आदि दलित जातियो के आन्दोलन ने भिन्न–भिन्न मार्ग अपना लिया। गोलमेज परिषद मे डा0 अम्बेडकर ने मुसलमानो भारतीय इसाइयो एग्लो एण्डियन, आदि अग्रेजो के प्रतिनिधियो के साथ मिलकर अपनी मागो का एक सम्मिलित ज्ञापन तैयार किया जिसमे इन वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन

---

1 शिवदयाल चौरसिया के साक्षात्कार पर आधारित
2 इण्डियन स्टेटरी कमीशन रिपोर्ट, पृ0 243

की माग की गई।[1] गोलमेज परिषद के पश्चात विधान सभा मे दलित वर्गो के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की गयी। परन्तु बाद मे पूना पैम्ट द्वारा इसे सशोधित कर दिया गया। इस बीच अन्य पिछडी जातियो को कोई सुविधा देने का प्रश्न ही नही उठाया गया।

स्वतत्रता के पूर्व के दिनो मे जब एक ब्रिटिश ससदीय मण्डल भारत आया तो उसके सामने भी पिछडी जाति के कुछ नेताओ ने इन जातियो को सुविधा देने का प्रश्न उठाया। परन्तु उसे भी अस्वीकार कर दिया गया।[2]

इन परिस्थतियो मे गैर अछूत पर पिछडी हुयी जातियो के हितो की रक्षा के लिए 27 जनवरी 1950 को कानपुर मे बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना हुयी। चौरसिया जी ने बताया कि 'पिछडी हुयी जातियो के लोगो को यह समझाया जाता था कि भाषा ब्राहमण आदि क्षत्रिय बनते है तो बने रहिए फिर भी आप पिछडे हुए ब्राहमण और पिछडे हुए क्षत्रिय ही है। तो पिछडे हुए रूप मे सगठित होने मे क्या हर्ज है तब कही लोग जाकर इसका सदस्य बनने के लिए तैयार होते थे।[3]

इसी मध्य 1936 मे आवागढ कोतला के नरेश खुशपाल सिह ने प्रात की चार जातियो अहीर, जाट गूजर और राजपूत का एक सगठन बनाया था जो इन जातियो के नाम के प्रथम अक्षर के कारण अजगर आन्दोलन कहलाया। इसके सम्बन्ध मे प्रचालित कथन था–

अहीर जाट, गूजर प्रवट रणबाकुरा राजपूत

चारो मिलकर अजगर बने, बने जात मजबूत।।

परन्तु अजगर आदोलन अधिक दिन तक नही चल सका क्यो कि राजपूतो के प्रभाव के भय से धीरे–धीरे इस सघ से उदासीन हो गये। इसी समय बिहार मे भी यादव, कुरमी और कोइरी को मिलाकर त्रिवेणी सघ का निर्माण किया गया था। 1937 के निर्वाचन मे

---

1 दि इण्डियन प्राब्लम 1833–1945 आक्सफोर्ड प्रेस 1959 पृ0 126
2 शिव दयाल चौरसिया के साक्षात्कार पर आधारित।
3 वही

त्रिवेणी सघ ने कुछ प्रत्याशी भी खडा किया था परन्तु राष्ट्रीयता के प्रबल प्रवाह के सामने त्रिवेणी सघ के सभी प्रत्याशी हार गये। इसी प्रकार खुशपाल सिह ने भी कृषि दल बनाया था। परन्तु उनको भी कोई सफलता नही मिली। इसके बाद यह अजगर आदोलन पुन समाप्त हो गया।[1]

इन सब प्रयत्नो के परिणाम स्वरूप पिछडी हुयी जातियो मे राजनीतिक रूप से सगठित होने की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे पिछडी हुयी जातियो द्वारा सगठित होने का प्रयास प्रारम्भ मे स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओ की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारम्भ हुआ। बर्नाड कोहन ने जौनपुर जिले मे केराकत तहसील मे स्थित माधोपुर गाव मे एक नोनिया के नेतृत्व मे स्थानीय चमारो के सगठित होने और ठाकुरो की अधीनता से मुक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। 1937 के प्रान्तीय असेम्बली के निर्वाचन मे प्रथम बार यहा के चमारो मे एकता के चिन्ह दिखाई दिये थे। उसके पश्चात् 1948 मे ग्राम पचायत के निर्वाचन मे निम्न जातियो ने एक अहीर एक ब्राहमण एक कुण्डू और एक तेली के नेतृत्व मे अपने को प्रजा पार्टी के रूप मे सगठित किया। उनकी एकता और बहुमत को देखकर ठाकुरो ने इस निर्वाचन से असहयोग कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप प्रजा पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। परन्तु ठाकुरो ने पचायत का कार्य करना असम्भव कर दिया। यही नही उन्होने चमारो के विरुद्ध तरह–तरह की भूमि बेदखली का मुकदमा दर्ज किया। ठाकुरो ने प्रजा पार्टी के नेताओ मे से कुछ को अपनी ओर मिला लिया और इसके एक नेता की हत्या भी करवायी। चमारो के सगठित होने का यह प्रथम प्रयास बहुत निराशाजनक सिद्ध हुआ। कोहन ने लिखा है कि माधोपुर के निम्न जातियो मे राजनैतिक एकता समाप्त हो गयी और उनमे घोर निराशा व्याप्त हो गयी।[2]

---

1 वही

2 बर्नाड कोहन द चेजिंग स्टेटस आफ डिप्रेस्ड कास्ट इन मेकिग मैरियेटेड विलेज इन इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे इण्डियन ऐडिशन 1961 पृ0 73–74

स्वतत्रता पश्चात पिछले वर्ग सघ की भूमिका

सवतत्रता के पश्चात् 1950–60 के दशक मे उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन पर काग्रेस दल का ही वर्चस्व रहा यद्यपि फेडरेशन अपने को राजनैतिक लगाव से ऊपर रखकर चलने की कोशिश करता था। इसके सदस्यो की किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य होने की स्वतत्रता थी। 1967 मे प्रदेश काग्रेस मे जो टूट हुयी उसमे पिछडी हुयी जातियो के नेताओ ने काग्रेस छोड दी। इसमे चरण सिह के अतिरिक्त जयराम वर्मा और रामवचन यादव प्रमुख थे। (जयराम वर्मा फैजाबाद जिले के पिछडी जाति के एक प्रमुख नेता थे जो 1980 मे वहा से सासद भी निर्वाचित हो चुके है) 1973 से 1980 तक रामवचन यादव उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। उनके प्रभाव के कारण इस काल मे फेडरेशन के ऊपर भारतीय क्रातिदल/भारतीय लोकदल का प्रभाव स्थापित हो गया। रामवचन यादव की अस्वस्थता के कारण उनकी अध्यक्षता के काल मे फेडरेशन अधिकतर अप्रभावी रहा। रामवचन की मृत्यु के पश्चात् मार्च 1981 मे लखनऊ मे हुए वार्षिक अधिवेशन मे लखनऊ के भूतपूर्व मेयर और एक बुद्धिजीवी दाऊ जी गुप्ता इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

दाऊ जी गुप्ता की अध्यक्षता मे बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन या पिछडा वर्ग सघ उत्तर प्रदेश पुन सक्रिय हो गया है। स्वय दाऊ जी के अनुसार 'उत्तर प्रदेश मे पिछडे वर्ग के आन्दोलन ने अब लडाकू नीति'' अपनायी है। इस समय पिछड़ा वर्ग सघ का निम्नलिखित कार्यक्रम है।[1]

1 पिछड़ी जातियो मे रचनात्मक कार्यक्रम करके उन्हे पूरे राष्ट्र के समग्र विकास के कार्यक्रमो से जोडना है। इसके अन्तर्गत इनके आर्थिक विकास की कई योजनाए चलायी जा रही हैं।

---

1 उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष दाऊजी गुप्ता के साक्षात्कार पर आधारित।

2 गावो मे उच्च वर्गों और कभी–कभी पिछडे वर्गों द्वारा भी एक दूसरे का जो शोषण किया जाता है उसे बन्द करना और हर पिछडी जाति को सक्रिय बनाना।

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के गावो मे सबसे शोषित नाई हे। वह बाल बनाने मालिश करने सन्देश पहुचाने चिटठी पत्री ले जाने शादी–ब्याह मुण्डन छेदन मरण हर अवसर के लिए एक बहुदेशीय सेवक है और उसी अनुपात मे शोषण का शिकार थी। नाइयो को शोषण मुक्त करने के लिए इस सघ ने नाइयो का सगठन बनाया जिसने एक लाख नाइयो का हस्ताक्षर युक्त एक माग पत्र सरकार को दिया। 25 अक्टूबर 1983 को नाई समाज सघ ने लखनऊ मे एक प्रदर्शन भी किया जिसमे 10 हजार से अधिक लोग शामिल हुए। ज्ञापन मे नाइयो द्वारा सरकार से यह माग की गई कि वह नाइयो को सर्वाधिक पिछडी वर्ग घोषित करे और उन्हे अनुसूचित जाति और जनजातियो को प्राप्त होने वाली सुविधाए प्रदान करे। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करे। उनके बच्चो के लिए आई0टी0आई0 योजना मे प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। उनके मेधावी छात्रो को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजने जैसी अनेक मागे रखी गयी।[1]

इसी प्रकार पिछडा वर्ग सघ के पहल पर पासी लोगो ने भी अपना एक सगठन बनाया। वारी (पत्तल बनाने वाली और नाइयो के समान ही सेवा करने वाली जाति) जाति के लोगो ने भी अपने लिए एक सगठन का निर्माण किया। मुसलमानो की भी पिछडी जातियो को सगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा था। उनका भी मानना था कि अल्पसख्यको को मिलने वाली सुविधाए अधिकाशत शेख सैय्यद पठान अर्थात उच्च मुस्लिम जातिया ही उठा पा रही है अत मुसलमानो मे जो वास्तव मे पिछडे हुए है वह सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ से वचित रह जाते है। अत उनके हित सर्वधन की आरे ध्यान दिया जाना चाहिए।[2]

---

1 वही
2 वही

पिछडा वर्ग सघ पिछडे लोगो को केवल जाति के आधार पर ही नही वरन् व्यवसाय के आधार पर भी सगठित करने का प्रयत्न करता है। इसके अन्तर्गत पिछडा वर्ग सघ ने लखनऊ मे दुग्ध खोआ क्रीम उत्पादको का सगठन बनाया है। सरकारी कर्मचारियो मे भी जो पिछडी जातियो के है उनका भी एक सगठन बनाया गया है। इस प्रकार यह सघ पिछडी जातियो को प्रत्येक स्तर पर सगठित करने का प्रयत्न कर रहा है और स्थानीय क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तर पर उनकी समस्याओ को लेकर आन्दोलन भी किया जा रहा है।

22–23 फरवरी 1982 को पिछडा वर्ग सघ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ मे एक विशाल प्रदर्शन किया। सभी समाचार पत्रो ने इस प्रदर्शन का प्रमुखता से प्रकाशन किया था।[1] प्रदर्शन मे लगभग सभी दलित वर्ग– जल श्रमिक सघ किसान सघ खटिक सभा, प्रजापति सभा लोध कहार तेली इत्यादि जातियो के सगठन के कार्यकर्ता सभी अपना–अपना बैनर लेकर शामिल हुए थे। मुख्य नेताओ मे ब्रह्म प्रकाश (भूतपूर्व केन्द्रीय मत्री) शिवदयाल चौरसिया, (सदस्य काका कालेकर आयोग) कर्पूरी ठाकूर, (भूतपूर्व मुख्यमत्री बिहार) रामनरेश यादव (भूतपूर्व मुख्यमत्री उत्तर प्रदेश) बाबूलाल निषाद (नेता उत्तर प्रदेश जल श्रमिक सघ) और अनेके पिछडी और दलित जातियो के विधायक और सासद शामिल थे।[2]

यद्यपि पिछडा वर्ग सघ और कई सस्थाओ अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो एव पिछडी जातियो का एक सम्मिलित कैम्प बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं तथापि अभी तक इसमे पर्याप्त सफलता नही मिल पायी है। अनुसूचित जाति के नेताओ मे पिछडी जाति के नेताओ के प्रति यह भाव है कि पिछड़ी जाति के नेता अपनी स्वार्थ

---

1 अमृत प्रभात 23-2-82
एन0आई0पी0 22-2-82
सण्डे पायनियर 22-2-82
आज 22-2-82
दैनिक जागरण 22-2-82

2 वही

साधना के लिए उनका प्रयोग करते हैं। फिर उनको छोड़ देते हैं।[1] जैसे कि जगजीवन राम का प्रधान मंत्री न बनना और चरण सिंह द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाये जाने का विरोध इन भावनाओं की पुष्टि करता है।

वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष–न्यायमूर्ति श्रीराम सूरत सिंह हैं।[2]

अर्जक संघ एवं उसकी राजनैतिक शाखा, शोषित समाज दल, दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण आन्दोलन का उत्तर प्रदेशीय संस्करण हैं।

अर्जक संघ की स्थापना 1 जून 1968 को स्व0 श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा की गई। अर्जक का अर्थ है जो अर्जित करे अर्थात जो श्रम करे। श्रम का अर्थ शारीरिक श्रम से है। इसलिए सदस्यता उनके लिए ही रखी गयी जो शारीरिक श्रमशील कौम में पैदा हुआ है। जाति के शब्दों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ को छोड़कर अन्य जाति के लोग ही इसके सदस्य हो सकते हैं।[3]

अर्जक संघ के संविधान व परियोजनाओं नामक प्रपत्र में कहा गया है कि[4] "मानव निर्मित या उत्पादित जो भी है वह सब शारीरिक श्रम के द्वारा ही हो सका है, इसमें सन्देह की गुजाइंश नहीं है। मन से हम चाहें जिस रचना की कल्पना करते रहें लेकिन वह हो तभी सकेगी जब उसमें शारीरिक श्रम लगाया जाए।"

"पर बिडम्बना यह है कि भीख मांगने में भी स्वाभिमान का अनुभव करने वाला वर्ग आज भारत में समाज का अग्रणी होने का दावा करता है और जो कठिन शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें हेय समझता है, नहीं तो भंगी कैसे न छूने योग्य और द्विज कैसे पूज्य बन गया। भंगी के अभाव में तो सडांध और गन्दगी की घुटन से व्यापक विनाश हो सकता है किन्तु द्विजों के अभाव में समाज का कुछ भी नहीं बिगड़ता है।"

अर्जकों ने इस भय से कि उनकी अर्जकों के शोषण करने की पोल न खुल

---

1. छेदी लाल साथी के साक्षात्कार पर आधारित।
2. करेण्ट अफेयर्स, ज्ञान भारती पब्लिकेशन, इलाहाबाद, पृ0 130.
3. राम स्वरूप शर्मा के साक्षात्कार पर आधारित।
4. दि प्रिन्सिपल कांस्टीट्यूशन प्रोग्राम आफ अर्जक संघ, लखनऊ 1968, पृ0 916.

जाये देश मे जाति प्रथा को जन्म दिया है और इसकी सार्थकता का इतना अधिक पुनर्जन्म एव भाग्यवाद के सिद्धान्तो के जरिए किया कि अर्जक मे एक बुद्धि विभ्रम छा गया और वह परस्पर विभाजित हो गये अर्थात इस शारीरिक श्रम शोषण की दीवार मे जाति भेद की सीढिया लगाकर इसे गिरने से रोक दिया और यह अन्याय सदियो से निरतर चलता रहा। अर्जक सघ इस बुद्धि विभ्रम को समाप्त कर अर्जको मे भ्रम की महत्ता की प्रतिष्ठित करना चाहता है जिससे शारीरिक श्रम के शोषण का अत और अन्याय की सीढियो के रूप मे विद्यमान इस निरर्थक जाति प्रथा की समाप्ति हो।

यह सामाजिक असमानता/खाने–पीने के अन्तर के साथ उठने–बैठने व बोलने का भी अशिष्ट एव असध्य अन्तर करने मे नही चुकती है जिसे अर्जक सघ को पूरी शक्ति के साथ समाप्त करना है ताकि अर्जको मे परस्पर एकता के साथ–साथ सच्ची मानवीय सभ्यता का विकास हो सके और वे अनर्जको के अमानुषिक अत्याचारो का अन्त हो सके।"

अर्जको मे सामाजिक गैर बराबरी का बीज बोने वाले अनर्जको के द्वारा किये जाने वाले ऐसी सभी कामो व बातो का बहिष्कार करना होगा जिनसे सामाजिक कुण्ठा असमानता और आर्थिक शोषण को प्रोत्साहन मिलता है।

अनर्जको के द्वारा उद्योग–धन्धो और व्यापार पर अधिपत्य होने के कारण अर्जको का चिन्तन ही इस क्षेत्र मे समाप्त हो गया है और उनका उपयोग शक्कर कपडा लोहा कोयला कागज इत्यादि के उत्पादक श्रम के रूप मे होता रहा लेकिन उत्पादन विनिमय और वितरण पर पूर्ण नियत्रण अनर्जको का ही रहा।

अर्जक सघ उत्तर प्रदेश शाखा का पहला अधिवेशन 6 व 7 जून 1971 को लखनऊ मे और दूसरा सम्मेलन 24 व 25 जून 1972 को कानपुर मे हुआ। इसमे अर्जक सघ के कार्यक्रम के रूप मे 8 प्रस्ताव स्वीकार किये गये जो तदर्थ राष्ट्रीय समिति ने स्वीकार किया। ये प्रस्ताव निम्नलिखित थे।[1]

---

1 वही पृ0 23&32

1 सम्मलेन की राय मे देश मे फैली–गैर बराबरी का मूल कारण ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद की नीव की इटे पूनर्जन्म और भाग्यवाद हैं।

2 सम्मेलन दृढ निश्चय के साथ पुनर्जन्म के मिथ्या सिद्धान्त को अस्वीकार करते हुए उसके फलस्वरूप ऐसी सारी मान्यताओ को ठुकराता है जिनसे सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक शोषण को बल मिलता है।

सम्मेलन सारे तथ्यो तथा तर्कों पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जनेऊ उच्चता की नही वरन पराश्रयता की निशानी है। अत सम्मेलन अर्जको के लिए जनेऊ अपमानजनक समझता है।

3 यह सम्मेलन उठने बैठने, बोलने–चालने मे असमानता को ब्राह्मणवाद की देन मानता है और इस प्रकार के असभ्यता पूर्ण–गैर बराबरी के व्यवहार को समाप्त करने का सकल्प करता है।

4 यह सम्मेलन जिससे मानव समाज कायम रहे और तरक्की करे उसे ही धर्म मानता है। अत यह सम्मेलन यह आवश्यक समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने की आजादी रहे जिससे वह सोच समझकर चुने। यह सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से यह माग करता है कि वह अविलम्ब धर्म ग्रहण का विधेयक लाकर उसे कानून का रूप दे जिससे 18 वर्ष से पूर्व किसी व्यक्ति का कोई धर्म न माना जाए और इसके बाद वह जिस धर्म के ग्रहण करने की घोषणा करे उसका वह धर्म माना जाये।

5 अर्जक सघ सम्मेलन इस प्रदेश मे लागू वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम को भारत के सविधान के विपरीत और ब्राह्मणवादी समझता है। सम्मेलन आठवी श्रेणी तक की शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा नि शुल्क करने पर बल देता है। सम्मेलन की राय मे भारत के वर्तमान सविधान मे सशोधन करके शिक्षा और शिक्षा पद्धति लागू की जा सके और राज्यो के अलगाव की भावना समाप्त हो सके।

6 सम्मलेन वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्राह्मणवादी शिक्षा पाठ्यक्रम न बदलने की दुनीति की घोर निन्दा करता है। यह सम्मेलन सारे प्रदेश के अर्जको

का आह्वान करता है कि वे वर्तमान ब्राह्मणवादी पाठयक्रम के खिलाफ प्रदर्शन और आन्दोलन के जरिए वाह्य करे कि वह इस पाठयक्रम को समाप्त कर सम्मेलन द्वारा भी गई 8 भागो को स्वीकार करे।

7 सम्मेलन विवाह मे सादगी और अर्जक विवाह पद्धति पर बल देता है। अर्जक विवाह पद्धति वर–वधू के लिखित प्रतिज्ञा पत्र द्वारा की जायेगी जिसकी एक प्रति अर्जक कार्यालय मे जमाकर कर दी जाएगी।

8 सम्मेलन मरणोपरान्त सस्कारो के नाम पर शोषण का अन्त करने का सकल्प लेता है।

अर्जक सघ ने रामचरित मानस चतुर्थ शताब्दी समारोह मनाये जाने और उसके लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमत्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा एक लाख रूपये और प्रधानमत्री इदिरा गाधी द्वारा 1 करोड रूपये दिये जाने का विरोध किया। अर्जक सघ के सस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने तत्कालीन राष्ट्रपति गिरी एव प्रधानमत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध किया। 1974 के पावस सत्र मे विधानसभा मे एक सदस्य ने रामचरित मानस का एक पन्ना तक फाड दिया जिससे सदन मे काफी हगामा मच गया। अर्जक सघ के सस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने रामचरित मानस मे वर्णित ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए कई लेख लिखे जिसे बाद मे "ब्राह्मण महिमा के रक्षक गिरी व इदिरा गाधी के नाम से जून 1975 मे प्रकाशित किया गया। इस विषय पर उनके द्वारा लिखे गये अन्य कई लेख इस सघ के मुख्य पत्र अर्जक मे प्रकाशित हुए है।[1]

शोषित समाजदल अर्जक सघ की राजनैतिक शाखा है। 1974 के उत्तर प्रदेश के विधान सभा के निर्वाचन मे शोषित समाज दल ने विभिन्न जिलो से 69 उम्मीदवार खड़े किये थे जो सभी पिछडी जातियो और अनुसूचित जातियो के थे। जिनमे से केवल एक उम्मीदवार निर्वाचित हुआ।

---

1 राम स्वरूप वर्मा ब्राह्मण महिमा के रक्षक, गिरि एण्ड इन्दिरा गाधी, प्रादेशिक अर्जक सघ, लखनऊ 1975 पृ0 3–14

अखिल भारतीय शोषित समाज दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन अम्बेडकर नगर पुखपारा कानपुर मे 13 जून 1975 को मनाया गया। उसके अध्यक्षीय पद से भाषण करते हुए रामस्वरूप वर्मा ने प्रतिनिधियो को हरिजनो गिरिजनो एव प्रजाजनो के लिए इन्सानी बस्ती बसाने सप्तवर्षीय सिचाई योजना चलाने शिक्षा मे गौर ब्राह्मणवादी पाठयक्रम चलाने आदि कार्यक्रमो पर जोर दिया गया।[1]

निर्वाचन परिणामो से स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश मे गैर ब्राह्मणवाद आन्दोलन तब सफल नही हुआ था। क्योकि उत्तर प्रदेश विधान सभा मे इसके एक मात्र विधायक इसके अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा ही थे।

इन विभिन्न सगठनो के माध्यम से इस प्रदेश के पिछडी हुयी जातियो मे राजनैतिक गतिशीलता एव चेतना का जन्म हो रहा हैं।

चुनावो की राजनीति

उत्तर प्रदेश मे पिछडी जातियो की राजनीतिक भूमिका को दो भागो मे विभाजित किया गया है। सगठन की राजनीति और चुनावी राजनीति। यदि 1952 के प्रथम विधान सभा चुनाव से 1996 तक के विधान सभा तक के चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि इनकी सख्या प्रत्येक विधान सभा मे सिवाय 1962 को छोडकर बढती जा रही है। भारत जब स्वतत्र हुआ उस समय केन्द्र और राज्यो दोनो जगहो पर काग्रेस का शासन था और चूकि काग्रेस मे उच्च जातियो का बहुमत था इसलिए पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इसका प्रमुख कारण था कि आधुनिक शिक्षा का लाभ प्रारम्भ मे उच्च जातियो ने ही उठाया था और यही लोग स्वतत्रता आन्दोलन मे अग्रणी रहे थे। इसलिए राजनीति मे भी उच्च जातियो का प्रतिनिधित्व अधिक था।[2] यद्यपि कि 1967 मे चरण सिह के नेतृत्व मे पिछडी जातिया लामबन्द हुयी परन्तु इनकी सख्या मे प्रभावी विस्तार 1991 के चुनाव के

---

1 रिपोर्ट आफ दि आल इण्डिया शोसित समाज दल फर्स्ट नेशनल कन्वेशन अम्बेदकर नगर, पुखरपा कानपुर 13 जुलाई 1973

2 सरस्वती श्रीवास्तव (स0इकबाल नरायन)–भारत में राज्यों की राजनीति मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 1976, पृ0–354

बाद ही देखने को मिलता है जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के मण्डल कार्ड को ध्वस्त करने के लिए पिछडी जाति के नेता कल्याण सिह के नेतृत्व मे चुनाव लडा जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा मे पहली बार पिछडी जातियो के विधायको की सख्या 100 को पार कर 109 तक पहुच गयी। 1993 मे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबन्धन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति मे पिछडी जातयो की राजनीति और बढ गयी। यहा तक कि 1996 मे इन दोनो दलो द्वारा अलग होकर चुनाव लडने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश विधान सभा मे पिछडी जातियो की सख्या 116 पहुच गयी जो अब तक के उत्तर प्रदेश के विधान सभा के इतिहास मे सर्वाधिक थी। प्रस्तुत तालिका न0 42 मे उत्तर प्रदेश कुछ विधान सभा मे पिछडी जातियो के विधायको की सख्या उदाहरण के रूप मे दी गयी है।[1]

तालिका स० 42

उ०प्र० विधान सभा मे पिछडी जातियो के विधायको की सख्या और इनका प्रतिशत[2]

क्रमाक	चुनाव	पिछडी जातियो के विधायको की सख्या	विधान सभा मे पिछडी जातियो के विधायको का प्रतिशत
1	1952	29	6 74
2	1957	52	12 10
3	1962	47	10 93
4	1967	57	13 41
5	1969	64	15 00
6	1974	95	22 35
7	1977	84	19 76
8	1991	109	25 64
9	1996	116	27 29

1 यू0पी0 जर्नल आफ पोलिटिकल साइंस--पोलिटिकल साइस एशोसिएशन 1998--जनवरी और दिसम्बर 18 1998, पृ0 67

2 सरस्वती श्रीवास्तव स0 (इकबाल नरायन)--भारत में राज्यो की राजनीति मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 1978 पृ0 354

दिये गये तालिका न0 4 2 से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि पिछडी जातियो के विधायको की सख्या 1952 से लेकर 1996 तक निरतर बढ रही है सिवाय 1962 के चुनाव को छोडकर अर्थात उनकी सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक वृद्धि और सम्पन्नता का असर राजनीति मे भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

उत्तर प्रदेश मे मत्रिपरिषद मे पिछडी जातियो की सख्या

प्रदेश के मत्रिपरिषद मे तो पिछडी जातियो की स्थिति 1967 तक और भी अधिक दयनीय थी। 1957 तक पिछडी जातियो का कोई भी व्यक्ति प्रदेश के मत्रिपरिषद का सदस्य नही था। 1957 मे पहलीबार मुख्यमत्री सम्पूर्णानन्द ने लक्ष्मीशकर यादव को ससदीय सचिव नियुक्त किया उसके उपरान्त चन्द्रभानु गुप्त के मुख्यमत्रित्व काल मे पहले एक बाद मे दो पिछडी जातियो के सदस्यो को मत्रिपरिषद मे कैबिनेट स्तर का दर्जा सर्वप्रथम चरणसिह के मुख्यमत्रित्व के काल मे मिला। 1967 के अपने प्रथम सविद मत्रिपरिषद मे उन्होने पिछडी जातियो के तीन कैबिनेट स्तर के और तीन उपमत्री स्तर के मत्री नियुक्त किये। तब से प्रदेश के मत्रिपरिषद मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व लगातार बढता ही गया। राम नरेश यादव के मुख्यमत्रित्व काल मे यह प्रतिशत बढकर 30 हो गया। उसके पश्चात जब कागेस पुन सत्ता मे आयी तो यह प्रतिशत यह प्रतिशत पुन घट गया। प्रदेश के इतिहास मे अत तक सिर्फ तीन नेता ही पिछडी जातियो के श्री राम नरेश यादव, श्री मुलायम सिह और कल्याण सिह मुख्यमत्री बन सके है। यदि चरण सिह को भी इसमे जोड दिया जाए तो इनकी सख्या चार हो जाती है। परन्तु चरण सिह जाट जाति के थे और जाटो को 2001 मे केन्द्र सरकार द्वारा पिछडी जातियो मे सम्मिलित किया गया था। एक मुख्यमत्री अनुसूचित जाति सुश्री मायावती और शेष सभी मुख्यमत्री उच्च जातियो के हुए हैं। तालिका न0 4 2 मे उत्तर प्रदेश के मत्रिपरिषद मे पिछड़ी जातियो के मत्रियो की सख्या और उसका प्रतिशत दिया गया है।[1]

---

1 उत्तर प्रदेश अति पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन 1977, पृ0 91—102, राष्ट्रीय सहारा 27.6.95, जर्नल आफ पोलिटिकल साइस एसोसिएशन Vol VIII N 122 जर्नल दिसम्बर—जनवरी 18, 1998.

तालिका-4 3

उत्तर प्रदेश के मन्त्री परिषद मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व

क्र०स०	मत्री परिषद	अवधि	कुल सख्या	सवर्ण हिन्दू सदस्यो की सख्या	पिछडी जातियो के सदस्यो की सख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की सख्या	मुस्लिम सदस्यों की सख्या	अन्य धर्मो के सदस्यों की सख्या	मत्री परिषद में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत एवं अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुख्यमत्री गोविद बल्लभपत	1936—1938							
1	मत्री		6 } 15	4	—	—	2	—	पिछडी जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
2	ससदीय सचिव		9	6	—	2	1	—	
2	मुख्यमत्री गोविद बल्लभपत	1 अप्रैल 1947 से 1952 तक							
1	मत्री		6 } 19	4	—	—	2	—	पिछडी जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
2	ससदीय सचिव		13	8	—	1	3	1	
3	मुख्यमत्री	1952 से							
1	गोविदबल्लभ पत	1954 तक							
1	मत्री		12 } 25	9	—	1	2	—	मत्रिपरिषद में कोई भी सदस्य पिछडी जाति का नहीं था।
2	उपमत्री		7	6	—	—	1	—	
3	ससदीय सचिव		6	2	1	2	1	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	मुख्यमत्री	28 12 54 से							
	डा0 सम्पूर्णानन्द	1957 तक							मत्री स्तर पर कोई भी नहीं ससदीय सचिवों में पहली बार लक्ष्मी शकर यादव को शामिल किया गया।
1	कैबिनेट मत्री		9	5	—	1	2	—	
2	उपमत्री		7 } 22	5	—	1	1	—	
3	ससदीय सचिव		6	2	1	2	1	—	
5	मुख्यमत्री								
	डा0 सम्पूर्णानन्द	11957—1960							पिछड़ी जातियों के सदस्य उपमंत्री नियुक्त किये गये। मत्रीपरिषद में पिछड़ी जातियो का प्रतिशत 6 6% था।
1	कैबिनेट मत्री		10	7	—	1	2	—	
2	राज्यमत्री		6 } 30	4	—	1	1	—	
3	उपमत्री		14	10	2	1	1	—	
6	मुख्यमत्री	7 12 60 से							
	चन्द्रभानु गुप्त	24 7 61 तक							पिछडी जाति का केवल एक व्यक्ति उपमत्री/मत्रिपरिषद मे इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 3 7
1	कैबिनेट मत्री		7	6	—	1	—	—	
2	राज्यमत्री		11 } 27	8	—	1	2	—	
3	उपमत्री		9	6	1	1	1	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	मुख्यमत्री	14 3 62 से							पिछडी जाति के दो सदस्यों को उपमंत्री बनाया गया। मंत्रि परिषद में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 6.4
	चन्द्रभानु गुप्त	अक्टू0 1963 तक							
1	कैबिनेट मत्री		17	13	—	2	2	—	
2	राज्यमत्री		4 } 31	3	—	1	—	—	
3	उपमत्री		10	6	2	2	—	—	
8	मुख्यमत्री	2 10 63 से							एक सदस्य को उपमत्री बनाया गया मत्री परिषद में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 4 7 था।
	सुचेता कृपलानी	14 3 67 तक							
1	कैबिनेट मत्री		16 } 21	12	—	2	2	—	
2	उपमत्री		5	3	1	1	—	1	
9	मुख्यमत्री	मार्च 67 से							पिछडी जाति का कोई सदस्य मत्रिपरिषद में नहीं था।
	चन्द्रभानु गुप्त	2 अप्रैल 67तक							
1	कैबिनेट मत्री		11	9	—	1	1	1	
2	उपमत्री		2 } 13	2	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	मुख्यमत्री	अप्रैल 67 से							इस मत्री परिषद में सदस्यों को कैबिनेट मत्री एव 3 सदस्यों को उपमत्री बनाया गया। मत्री परिषद में इनका प्रतिनिधित्व 21 4 था।
	चरण सिह	अप्रैल 68 तक							
1	कैबिनेट मत्री		15 } 28	9	3	1	1	1	
2	उपमत्री		13	4	3	3	2	1	
11	मुख्यमत्री	26 2 69 से							एक सदस्य को कैबिनेट मत्री एव 3 सदस्यों को उपमत्री मत्रिमण्डल में इसका प्रतिनिधित्व 6.6 प्रतिशत था।
	चन्द्रभानु गुप्त	10 2 70 तक							
1	कैबिनेट मत्री		22 } 45	16	1	3	2	—	
2	राज्यमत्री		11	9	—	1	1	—	
3	उपमत्री		12	7	2	1	1	1	
12	मुख्यमत्री	17 2 70 से							5 कैबिनेट मत्री 1 राज्य मत्री और 2 उपमत्री पिछडी जातियो का 22 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इसके अतिरिक्त 2 मुस्लिम उपमत्री पिछडी जातियोंके थे।
	चरणसिह	1 10 70 तक							
1	कैबिनेट मत्री		23 } 45	11	5	5	2	—	
2	राज्यमत्री		9	7	1	—	1	—	
3	उपमत्री		13	5	2	4	2	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	मुख्यमत्री	18 10 70 से							तीन कैबिनेट मत्री 1 राज्यमत्री तथा 5 उपमत्री पिछड़ी जात के थे मत्री परिषद में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 18.0%
	टी0एन0 सिह	4 4 71 तक							
1	कैबिनेट मत्री		21	12	4	2	2	—	
2	राज्यमत्री		14 } 53	9	3	1	1	—	
3	उपमत्री		18	7	2	4	2	—	
14	मुख्यमत्री	4 4 71 से							3 मत्री कैबिनेट में, 2 उपमत्री तथा एक मुस्लिम पिछड़ी जाति असारी से उपमत्री—कुल 15.4
	कमलापति त्रिपाठी	12 6 73 तक							
1	कैबिनेट मत्री		15	7	3	5	2	—	
2	राज्यमत्री		16 } 39	13	—	—	1	—	
3	उपमत्री		18	3	2	4	2	—	
15	मुख्यमत्री	18 11 73 से							3 मत्री कैबिनेट में तथा 2 राज्यमत्री, मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व 18 1 प्रतिशत
	हेमवती नदन बहुगुणा	5 3 74 तक							
1	कैबिनेट मत्री		15	7	3	3	2	—	
2	राज्यमत्री		11 } 33	6	2	—	3	—	
3	उपमत्री		7	3	—	2	1	1	

	मुख्यमत्री	5 3 74 से							पिछड़ी जातियों के चार मत्री और प्रतिशत—19 0
	हमवती नदन बहुगुणा	30 11 75 तक							
1	मत्री		21	11	3	2	4	1	
	मुख्यमत्री	21 1 76 से							3 मत्री केबिनेट में तथा 2 राज्यमत्री, मत्रि परिषद में प्रति निधित्व 18 1 प्रतिशत
	नारायन दत्त तिवारी	30 3 77 तक							
1	कबिनट मत्री		15 } 31	8	2	2	2	1	
2	राज्यमत्री		10	8	3	1	3	1	
	मुख्यमत्री	23 6 77 से							3 मत्री केबिनेट में तथा 2 राज्यमत्री मत्रि परिषद मे प्रति निधित्व 18 1 प्रतिशत
	हमवती नदन बहुगुणा	8 6 80 तक							
1	कबिनेट मत्री		15 } 33	7	3	3	2	—	
2	राज्यमत्री		11	6	2	—	3	—	
3	उपमत्री		7	3	—	2	1	1	
	मुख्यमत्री	9 8 80 से							1 केबिनेट मत्री तथा एक उपमत्री कुल प्रतिशत 4 7
	वी0 पी0 सिह	11 3 81 तक							
1	केबिनेट मत्री		17 } 42	11	1	3	2	—	
2	राज्यमत्री		17	17	—	3	1	1	
3	उपमत्री		8	4	1	1	2	—	

20	मुख्यमत्री श्रीपति मिश्र	26 जून 82 से 2 अगस्त 84 तक	40	30	6	2	2	—	पिछडी जातियों के 6 सदस्य मत्रिपरिषद में लिये गये। कुल 6 प्रतिशत था। पिछड़ी जातियों को लिया।
21	मुख्यमत्री बीरबहादुर सिह	24 सित 85 से 24 जून 1988 तक	45	36	5	2	2	—	5 सदस्य पिछड़ी जातियों से लिये गये। इनका प्रतिशत था 11
22	मुख्यमत्री मुलायम सिह यादव	5 दिस 89 से 24 जून 1991 तक	48	19	10	4	3	—	मुलायम सिह के इस मत्रिपरिषद को 10 स्थान प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत 20 80 था।
23	मुख्यमत्री कल्याण सिह	24 जून 91 से 6 दिसम्बर 92 तक	40	26	9	1	3	1	कल्याण सिह के इस मत्रिपरिषद मे कुल 9 स्थान प्राप्त हुए कल्याण सिह के इस मत्रिपरिषद मे पिछड़ी जातियो का प्रतिशत 22 5 प्रतिशत था।

24	मुख्यमत्री मुलायम सिह यादव	4 दिसम्बर 93 स 2 जून 95तक	31	3	16	6	6	–	यह वह मत्रिपरिषद था जिसमें पिछड़ी जातियों को 90 प्रतिशत स्थान मिला और सवर्णों के मात्र 10 प्रतिशत पिछडी जातियों का प्रतिशत 51 था।
25	मुख्यमत्री सुश्री मायावती	3 जून 95 स 27 अक्टूबर 95 तक	33	7	16	10	2	–	इसमे पिछडी जातियों को 16 स्थान मिले। 48 48 प्रतिशत
26	मुख्यमत्री सुश्री मायावती	20 मार्च 97 से 20 सितम्बर 97 तक	54	20	18	14	2	–	इस मत्रिपरिषद में कुल 18 स्थान प्राप्त हुआ। कुल मत्रिपरिषद का 33 प्रतिशत
27	मुख्यमत्री कल्याण सिह	21 सितम्बर 97 से 11 नवम्बर 99 तक	89	54	35	7	1	–	कल्याण सिह के इस अब तक सबसे बडे मत्रिमण्डल मे 89 सदस्य समिति किये गये जिसमे 32 स्थान पिछडी जाति को मिला। मत्रिपरिषद मे पिछडी जातियो का

पिछडी जातियो और अति पिछडी जातियो की राजनीति

उत्तर प्रदेश की राजनीति मे यदि पिछडी जातियो की राजनीति यदि दयनीय मानी जा सकती है तो अति पिछडी जातियो की राजनीति उससे भी अधिक दयनीय दिखती है। प्रदेश की राजनीति मे पिछडी जातियो मे आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्पन्न जातिया ही राजनीति मे अपना एकाधिकार बनाये हुये है। इन जातियो मे अहीर कुर्मी और लोध प्रमुख है। केन्द्र सरकार जाटो को भी पिछडी जातियो के शामिल कर दिये जाने से जाट भी अब यादवो कुर्मियो और लोधो की श्रेणी मे आ गये है। शेष पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नही कही जा सकती है। उदाहरण के तौर पर 1974–77 और 1980–85 के विधानसभा मे पिछडी जातियो की स्थिति जातिगत आधार पर स्पष्ट की जा सकती है।

तालिका न० 44

जाति का नाम	विधान सभा मे विधायको की सख्या	
	1974–77	1980–85
अहीर	41	14
कुर्मी	28	15
लोध	10	15
गूर्जर	5	4
निषाद	1	2
भर	–	1
अन्य हिन्दू पिछडी जातिया	6	13
हिन्दू पिछडी जातियो का योग	91	52
मुस्लिम पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व	10	6
कुल योग	101	58

इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछडी जातियो मे राजनैतिक दृष्टि से केवल अहीर कुर्मी लोधी तथा कुछ अश तक गूजर ही प्रभावी कहे जा सकते है। शेष पिछडी हुयी जातिया राजनैतिक प्रभाव की दृष्टि से शून्य है।[1]

विधान सभा की ही भाति मत्रिपरिषद मेम अति पिछडी जातियो की स्थिति अत्यत चिताजनक रही है। यदि चरण सिह को शामिल कर लिया जाए तो प्रदेश के राजनीतिक इतिहास मे चरण सिह (जाट) राम नरेश यादव (अहीर) मुलायम सिह (अहीर) और कल्याण सिह अर्थात 1946 से लेकर 2000 तक के 54 वर्षों मे केवल चार सदस्य ही पिछडी जातियो के मत्री बन पाये है जबकि अति पिछडी जातियो की स्थिति तो मुख्यमत्री के मामले मे शून्य है अर्थात इन जातियो से अब तक एक भी मुख्यमत्री नही पाया है और निकट भविष्य मे भी ऐसा नही लगता कि अति पिछडी जातियो का कोई व्यक्ति मुख्यमत्री की कुर्सी तक पहुच पायेगा।

दलीय आधार पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति

काग्रेस मे पिछडी जातियो की स्थिति

विधानसभाई और मत्रिपरिषदीय आधार पर पिछडी जातियो का अध्ययन करने के बाद दलीय आधार पर भी पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया गया है क्योकि इसके बिना यह शोध पूरा नही हो सकता। चूकि काग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और देश तथा प्रदेश मे इसका सर्वाधिक प्रभाव था इसलिए काग्रेस पार्टी से ही यह अध्ययन प्रारम्भ किया गया है। काग्रेस मे उच्च जातियो का वर्चस्व था इसलिए इसके विधायको मत्रियो और पार्टी पदाधिकारियो मे इनकी वर्चस्वता देखी जाती है।

सरस्वती श्रीवास्तव द्वारा सग्रहीत आकडो के अनुसार उत्तर प्रदेश के काग्रेस दल मे पिछडी जातियो के विधायको का प्रतिशत 1952–57 मे 6 67, 1957–62 मे 8 74, 1962–67 मे 6 02, 1967–69 मे 5 88 था। इसके विपरीत ब्राह्मण भूमिहार क्षत्रिय

1 अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री सीताराम निषाद द्वारा 1974–77 और 1980–88 के विधान सभा में जातिगत आधार पर तैयार किये गये आंकड़ों के आधार पर।

वैश्य कायस्थ एव अन्य उच्च समझी जाने वाली जातियो का प्रतिनिधित्व 1952–57 मे 49 7 प्रतिशत 1957–62 मे 52 41 प्रतिशत था।[1] उन्ही आकडो के अनुसार उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति ममे 1964 मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व 62 25 प्रतिशत था।[2] उत्तर प्रदेश काग्रेस कार्यकारिणी समिति मे 1964 मे केवल एक सदस्य पिछडी जाति का था जबकि 85 0 सदस्य उच्च जातियो के और शेष मे दलित और मुस्लिम सदस्य थे।[3] इन्ही वर्षो मे जिला काग्रेस अध्यक्षो मे पिछडी जातियो का प्रतिशत केवल 10 14 था और 76 5 सदस्य उच्च जातियो के और लगभग 13 प्रतिशत दलित और मुस्लिम जातियो के थे।[4] पाल आर0 दास के अनुसार थी काग्रेस मे उच्च जातियो का बहुमत था।[5]

1980 मे निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान सभा के 324 काग्रेस (आई) के विधायको मे 53 7 प्रतिशत उच्च जातियो के 21 6 प्रतिशत अनुसूचित जातियो के और केवल 7 7 प्रतिशत हिन्दू पिछडी जातियो के थे। इसके अतिरिक्म 5 9 प्रतिशत हिन्दू पिछडी जातियो के थे। इसके अतिरिक्त 10 1 प्रतिशत मुस्लिम और 0 08 प्रतिशत सिख थ। 5 9 प्रतिशत हिन्दू विधायको के जाति का पता नही था। अक्टूबर 1982 मे सगठित उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार का था।[6]

उपाध्यक्ष	– 10 सदस्यो मे से 3 अर्थात 30 प्रतिशत
महामत्री	– 7 महामत्रियो मे से 1 अर्थात 14 3 प्रतिशत
सयुक्त मत्री	– 3 मे से इस जाति मे कोई नही था अर्थात 0 प्रतिशत

---

1 देखे–सरस्वती श्रीवास्तव–भारत में राज्यो की राजनीति 1976 पृष्ठ–354

2 सरस्वती श्रीवास्तव द पैटर्न आफ पोलीटिकल लीडरशिप इन इमरजिग एरिया–ए केस स्टडी आफ उत्तर प्रदेश–अप्रकाशित पी0एच0डी0 थिसिस बी0 एच0यू0–पृ0 190

3 देखें–सरस्वती श्रीवास्तव–भारत में राज्यों की राजनीति–1976

4 वही–पृष्ठ 352

5 पाल0 आर0 दास–फैक्शनल पालीटिक्स इन इण्डियन स्टेट द काग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बाम्बे–1966 पृ0–57

6 शोध छात्र द्वारा उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के लखनऊ कार्यालय से संकलित आंकड़ों के अनुसार।

कार्यकारिणी सदस्य	– 69 मे से 12 सदस्य पिछडी जातियो के थे। अर्थात 17 4 प्रतिशत
निर्वाचन समिति	– 15 सदस्यो मे 1 अर्थात 7 0 प्रतिशत – 15 सदस्या मे 1 अर्थात 7 0 प्रतिशत
जिला एव नगर	– 69 मे 8 अर्थात 11 64 प्रतिशत काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष

इस प्रकार वर्तमान काल मे भी उत्तर प्रदेश काग्रेस मे पिछडी जातियो को उनकी सख्या के अनुपात मे बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यद्यपि कि पहले की अपेक्षा इसमे थोडी वृद्धि अवश्य हुयी है। पिछडी जातियो की सख्या का लाभ उठाने के लिए है।

1985 के लोकसभा निर्वाचन के चुनाव घोषणा पत्र मे काग्रेस ने पुन वायदा किया था कि वह पिछडी जातियो की रचनात्मक सहायता की इस नीति को जारी रखेगी ताकि वह राष्ट्र निर्माण मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके।[1]

समाजवादी दल मे पिछडी जातियो की स्थिति

काग्रेस की अपेक्षा गैर काग्रेसी दलो मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व अधिक रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही काग्रेस समाजवादी पार्टी ने दिसम्बर 1936 मे फैजपुर सम्मेलन मे यह तय किया था कि भारत मे राष्ट्रीय आन्दोलन एक बहुवर्गीय आन्दोलन है। जिसकी अगुवाई सर्वहारा वर्ग के द्वारा होगी।[2] इस नीति के अनुसार और किसान सभा तथा किसान आन्दोलनो के माध्यम से काग्रेस समाजवादी दल और बाद मे समाजवादी दल सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियो मे लोकप्रिय हुआ थ। एन्जेला वर्गर ने भी उत्तर प्रदेश मे समाजवादी दलो मे पिछडी जातियो की बहुलता की ओर सकेत किया है।[3]

---

1 चुनावी घोषण पत्र भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 1985 पृ0 18 आइटम नं0 45
2 एल0पी0 सिन्हा–द लेफ्ट विंग इन इण्डिया फैजपुर–थीसिस–1936 न्यू पब्लिशर, मुज्जफर नगर, पृ0–350
3 एनजेला वर्गर– अपोजीशन इन डामिनेंट पालिसी सिस्टम आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1969 पृ0 54–56

बाद मे 1965 मे समाजवादियो के दो दलो – प्रजा समाजवादी दल और सयुक्त समाजवादी दल मे विभक्त हो जाने के पश्चात डा0 राम मनोहर लोहिया के पिछडी जातियो को 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के सिद्धान्त के अर्न्तगत सयुक्त समाजवादी दल मे पिछडी जातियो को समुचित प्रतिनिधित्व देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। डा0 लोहिया का विचार था कि किसी भी देश मे या किसी भी काल मे शासक वर्ग इतना अपरिवर्तित और इतनी दृढता से सत्तारूढ नही रहा है जितना कि भारत मे। यहा करीब 40 लाख लोग 40 करोड लोगो पर शासन कर रहे हैं। इन लोगो ने अपनी विशिष्ट भाषा वेश–भूषा तथ रहन सहन की पद्यति द्वारा अपने को आम जनता से अलग कर लिया है जिसे आम जनता अपने को हीन समझकर इनके शासन करने के अधिकार को न्यायपूर्ण एव उचित मानती है।[1]

इस स्थिति को सुधारने एव पिछडी जातियो को आगे लाने के उद्देश्य से डा0 लोहिया ने विशेष अवसर का सिद्धान्त स्थापित किया। क्योकि वह मानते थे कि जिस प्रकार किसी भी परिवार मे बच्चो एव बीमारो को खान–पान पढाई लिखाई और बीमारी इलाज कराने मे विशेष अवसर दिया जाता है अर्थात उनके हिस्से से अधिक पैसा उन पर खर्च किया जाता है। ताकि बच्चे पढ–लिखकर और रोगी स्वस्थ होकर परिवार की उन्नति मे अपना पूरा योगदान दे सके और फिर परिवार को उन्हे विशेष अवसर देने की आवश्यकता न रहे, उसी प्रकार देश मे दरिद्रता का शिकार पिछड़ी जातियो को विशेष अवसर देने की आवश्यकता है जिससे यह भारी बहुमत निरादर और दरिद्रता से छुटकारा पाकर बराबर की हैसियत से भारत के विकास मे सहायता दे सके।[2]

इस उद्देश्य हेतु अपने तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन मे सोशलिस्ट पार्टी ने घोषित किया कि यद्यपि स्त्रियो हरिजनो शूद्रो मुसलमानो इसाइयो एव आदिवासियो की जनसख्या देश की कुल जनसख्या का 85 0 प्रतिशत है तथापि देश के प्रमुख चार

---

1 वही पृ0 54..
2 वही पृ0 54–55

क्षेत्रो–राजनीति सेना व्यापार एव उच्च सरकारी नौकरियो मे उनका प्रतिशत 10 से भी कम है। अत जब तक यह असतुलन ठीक नही हो जाता है तब तक के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने यह निश्चित किया है कि इन पिछडी जातियो को वह नेतृत्व का अवसर प्रदान करेगी। उन्हे सार्वजनिक जीवन के मुख्य पदो का कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए।

इस सम्मेलन मे यह भी घोषित किया गया कि सोशलिस्ट पार्टी पिछडी हुयी जातियो को कानूनी सरक्षण के रूप मे सरकारी सेवाओ मे 60–70 प्रतिशत देने के पक्ष मे है। यह देश के लिए कल्याणकारी होगा। परनतु शिक्षा के क्षेत्रा मे किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे के विरूद्ध सुरक्षा नही प्राप्त होनी चाहिए। हर एक को शिक्षा के लिए अवसर की सामानता प्राप्त होनी चाहिए।[1]

इस घोषणा के क्रियान्वयन हेतु वाराणसी मे हुए अपने प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मे सोशलिस्ट पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि आने वाले चुनावो मे इस दल के 60 0 प्रतिशत उम्मीदवार स्त्रियो शूद्रो हरिजनो आदिवासियो एव अल्पसख्यक वर्ग की पिछडी हुयी जातियो मे से लिये जायेगे।

इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात सोशलिसट पार्टी का यह नारा हो गया कि सोशलिस्ट ने बाधी गाठ पिछडे ले लो सौ मे साठ'। इस साठ प्रतिशत मे अन्य पिछडी जातियो के साथ स्त्रिया हरिजन आदिवासी, मुसलमानो एव इसाईयो की पिछडी जातिया भी शामिल थी। इसमे अगल–अलग हर एक का प्रतिशत कितना होगा यह स्पष्ट नही किया गया था।[2] इसके पश्चात जनवरी 29 30 31 और 1 फरवरी 1965 को हुए स्थापना सम्मेलन मे सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नीति समिति के सयोजक मधुलिमये ने जो नीति और कार्यक्रम का प्रमाण रखा और जो स्वीकार हुआ उसमे भी

---

1 देखे–एजेला वर्ग पृ0–55
2 वही–पृ0–55 56
3 देखे–एजेला वर्ग–पृ0–56

हरिजन आदिवासी हिन्दुओ की पिछडी जातिया औरत और अल्पसख्यको को 60 प्रतिशत सरक्षण देने की बात दुहरायी गयी थी। इसके अतिरिक्त सात क्रातियो का भी नारा दिया गया था। उसमे से तीसरी क्राति जतिगत असमानता को दूर करने और पिछडी हुए को विशेष अवसर देने से सम्बधित था।[1]

एन्जेला वर्गर और पाल0आर0ब्रास द्वारा किये गये पूर्वाचल के निर्वायन क्षेत्रो के अध्ययन से स्पष्ट है कि सोशलिस्ट पार्टी ने इन क्षेत्रो की पिछडी जातियो कुरमी पासी और यादवो को राजनैतिक यप से गतिशील और सगठित किया और इन जातियो ने भी अपने राजनैतिक उत्थान के लिए सोशलिस्ट पार्टी को माध्यम बनाया क्याकि काग्रेस मे उच्च जातियो और बडे जमीदारो का प्रधान्य था।

1962 के निर्वाचन मे उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारो मे 31 0 प्रतिशत पिछडे हुए अस्तित्व प्रतिशत अनुसूचित जाति (सामान्य सीट से) के थे।[1] सयुक्त समाजवादी दल की प्रदेश कार्यकारिणी मे 1967–68 मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व 28 57 प्रतिशत था। सरस्वती श्रीवास्तव के आकडो के अनुसार दल के विधायको मे पिछडी हुयी जातियो का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार का था।[2]

1952–1957	प्रजा समाजवादी दल	–	15 79 प्रतिशत
1957–1962	प्रजा समाजवादी	–	25 00 प्रतिशत
	समाजवादी	–	32 00 प्रतिशत
1962–1967	प्रजा समाजवादी	–	23 68 प्रतिशत
	समाजवादी	–	16 67 प्रतिशत
1967–1969	प्रजा समाजवादी	–	9 09 प्रतिशत
	सयुक्त समाजवादी	–	36 36 प्रतिशत

1 वही पृ0–56
2 देखें सरस्वती श्रीवास्तव–द पैटर्न आफ पोलिटिकल लीडरशिप इन इमरजिग इण्डिया पृ0–313–314

1974–77 के निर्वाचन मे सयुक्त समाजवादी दल के टिकट पर निर्वाचित 5 विधयाको मे से 3 अर्थात 60 प्रतिशत पिछडी जातियो के थे।[1]

जनसघ और भाजपा मे पिछडी जातियो की स्थिति

भारतीय जनसघ यद्यपि बनिया और उच्च वर्गों का दल माना जाता था तथापि सरस्वती श्रीवास्तव के आकडो के अनुसार 1964 मे इस दल की राजकार्यकारिणी मे पिछडी जातियो के सदस्यो का प्रतिनिधित्व 9 68 प्रतिशत और जिला समितियो के अध्यक्षो मे 18 92 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश मे जनसघ के टिकट पर निर्वाचित विद्यायको मे पिछडी जातियो का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार का था।[2]

1952–1957 – कुछ नही

1957–1962 – 11 77 प्रतिशत

1962–1067 – 14 29 प्रतिशत

1067–1969 – 11 19 प्रतिशत

1969 के चुनाव घोषणा पत्र मे जनसघ ने पहली बार पिछडी जातियो को अपने कार्यक्रम मे स्थान दिया। इस घोषणा पत्रा मे कहा गया था कि जनसघ समाजिक दृष्टि से उपेक्षित तथा आर्थिक दृष्टि से उत्पीडित इन अभावग्रस्त वर्गों को समाज मे पूर्ण समता और सम्मान का हाथ मिलाने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा।[3] 1974 के उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषणापत्र मे यह भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियो तथा जनजातियो के लिए विशेष व्यवस्थाओ के साथ–साथ आर्थिक दृष्टि से पिछडी जातियो के लिए विशेष सुविधाए उपलब्ध करायी जाएगी।[4]

---

1 देखें–एजेला वर्गर पृ0–56–57
2 देखें–सरस्वती श्रीवास्तव–स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया पृष्ठ–357
3 जनसघ का चुनावी घोषणा पत्र–मध्यावधि चुनाव–1969 पृष्ठ–16
4 जनसघ का चुनावी घोषणा पत्र–यू0पी0 चुनाव 1974 पृष्ठ–22

1977 के लोकसभा निर्वाचन के पूर्व जनसघ का जनता पार्टी मे विलय हो गया और इस दल ने भी जनता पार्टी के चुनाव धोषणा पत्र मे किये गये पिछडी जातियो के सरकारी सेवाओ मे 25 0 आरक्षण देने की नीति को स्वीकार किया। बाद मे ये लोग अन्तर्विरोधो के कारण जनता पार्टी से अलग हो गये। और उन्होने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक अलग दल बनया। 1984 मे सगठित भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के 37 सदस्यो मे 19 0 प्रतिशत सदस्य पिछडी जातियो के थे।[1]

भारतीय क्रातिदल मे पिछडी जातियो की स्थिति

भारतीय क्राति दल पिछडी हुयी जातियो का राजनीतिक मच माना जाता था। उत्तर प्रेदश मे सर्वप्रथम 1967–68 मे सयुक्त विधायक दल के मत्रिमण्डल मे पिछडी हुयी जातियो मे मत्रियो का प्रतिशत लगभग 22 07 था। 1971 मे प्रकाशित उत्तर प्रदेश भारतीय क्रातिदल के उद्देश्य और सिद्धान्त मे चौधरी चरण सिह ने लिखा था कि[2]–

जबकि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियो के अतिरिक्त पिछडी जातिया हमारे देश की जनता के लगभग आधी सख्या होते है। उनका देश के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे मे या तो कोई स्थान नही है या अत्यन्त नगण्य है। देश की उक्त परिस्थितिया सामाजिक एव राजनैतिक तनाव पैदा कर देती है और आज के सत्ताधारियो की कृपा से इसके निराकरण की भी सम्भावना कम ही दिखाई देती है। वास्तविकता तो यह है। यद्यपि भारतीय क्रातिदल किसी भी प्रकार का सरक्षण एक दोषपूर्ण सिद्धान्त मानती है तथापि वह अनिच्छापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुची है कि फिलहाल इससे मुक्ति नही है। अत 35 0 प्रतिशत राजपत्रित पद इन वर्गों के नवयुवकों के लिए सुरक्षित होने चाहिए।" 1974 मे उत्तर प्रदेश विधान सभा मे भारतीय क्रातिदल के टिकट पर 106 विधायक निर्वाचित हुए। उनमे उच्च जातियो के 31 (29 2 प्रतिशत)

---

1 शोध छात्र द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ 1998 द्वारा सग्रहित आकड़ों के आधार पर।
2 चरण सिह–भारतीय क्रांतिदल – उद्देश्य और सिद्धात जनवरी 1971 पृष्ठ 26

अनुसूचित जातियो के 18 (16 9 प्रतिशत) मुसलमान 11 (10 3 प्रतिशत) तथा हिन्दू पिछडी जातियो के 46 (43 3 प्रतिशत) विधायक थे।[1]

जनता पार्टी मे इस दल के विलय होने पर 1977 के लोक सभा निर्वाचन के चुनाव धोषणा पत्र मे पिछडी जातियो को 25 0 प्रतिशत आरक्षण देने के भारतीय क्रातिदल के वादे को शामिल कर लिया गया।

फरवरी 1984 मे भारतीय लोकदल की राज्य कार्यकारिणी के 36 सदस्यो मे से 14 अर्थात 40 0 प्रतिशत पिछडी जातियो के थे। और इस दल के अध्यक्ष मुलायम सिह भी पिछडी जाति – यादव से सम्बन्ध रखते थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा 1980–85 मे इस दल के 56 विधायको मे से 17 विधायक अर्थात 30 3 प्रतिशत पिछडी जातियो के थे।[2]

साम्यवादी दलो मे पिछडी जातियो की स्थिति

साम्यवादी सैद्धान्तिक रूप से जाति व्यवस्थ मे विश्वास नही करते है। परन्तु श्रमिक वर्ग का पक्षधर होने और श्रमिको एव छोटे किसानो का आन्दोलन चलाने के कारण साम्यवादी दलो मे भी पिछडी जातियो की बहुलता है। यद्यपि यह जिला स्तर पर प्रदेश स्तर की अपेक्षा अधिक हैं। सरस्वती श्रीवास्तव के आकडो के अनुसार 1968 मे भारतीय साम्यवादी दल की स्टेट कौंसिल स्टेट कार्यकारिणी और राज्य सचिवालय मे पिछडी हुई जातियो के सदस्यो का प्रतिशत क्रमश 18 52 4 0 और शून्य प्रतिशत था।[3] उत्तर प्रदेश विधान सभा मे इस दल के विधायको मे पिछडी हुयी जातियो के विधायको का प्रतिशत निम्नलिखित था।[4]

1957–1962 – 33 33 प्रतिशत

---

1 शोध छात्र द्वारा सग्रहित आकड़ो के अनुसार 1974–77 के विधान सभा में कौन कितना है–1998
2 वही
3 देखे सरस्वती श्रीवास्तव–स्टेट पालीटिक्स इन इण्डिया पृष्ठ–359
4 वही–पृष्ठ–360

1962—1967	—	14 29 प्रतिशत
1967—1969	—	14 29 प्रतिशत

1983 मे इस दल के राज्य सचिवालय स्टेट कार्यकारिणी और स्टेट कौसिल मे पिछडी हुयी जातियो के सदस्यो का प्रतिशत निम्नलिखित था।

स्टेट सेक्रेटरियट	—	36 60 प्रतिशत
स्टेट कार्यकारिणी	—	30 00 प्रतिशत
स्टेट कौसिल	—	22 00 प्रतिशत

राज्य के स्टेट कमीशन मे ब्राह्मणो का बहुमत था और पिछडी जातियो का एक भी सदस्य नही था। उत्तर–प्रदेश की विधान सभा (1984) मे इस दल के 6 विधायको मे से दो पिछडी जातियो के थे।[1] उत्तर प्रदेश साम्यवादी दल के राज्य कार्यालय द्वारा दिये गये आकडो के अनुसार 1982–83 मे इस दल की कुल सदस्य सख्या 34 हजार से कुछ ऊपर थी जिसमे 45 59 प्रतिशत किसान 32 24 प्रतिशत कृषि मजदूर 11 36 प्रतिशत औद्योगिक मजदूर थे। इनमे से अधिकाश अनुसूचित जाति और पिछडी जातियो के थे।[2]

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) का इस प्रदेश मे कोई विशेष प्रभाव नही था। इस दल ने 1977 मे विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर प्रकाशित उत्तर प्रदेश के मतदाताओ से अपील मे कहा था कि अनुसूचित और पिछडी हुयी जातिया तथा जनजातियो के सास्कृतिक व सामाजिक उत्थान के लिए विशेष योजनाये बनायी जाये।[3]

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी–लेनिवादी) भी पिछडी जातियो के आरक्षण के पक्ष मे है। और इसकी बिहार शाखा ने पिछडी जातियो के आरक्षण मे कोई

---

1 शोध छात्र द्वारा–कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया–(सी0पी0आई0) के लखनऊ कार्यालय द्वारा सग्रहित आकड़ों के अनुसार।
2 वही
3 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1977 के चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपील क्रमाक न0–13

कटौती न करने एव आरक्षण व्यवस्था का उल्लघन करने वाले दोषी व्यक्तियो को दडित किये जाने की माग की।[1]

फरवरी 1984 मे जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा की कार्यकारिणी के 42 सदस्यो मे से 7 अर्थात 16 0 प्रतिशत पिछडी हुयी जातियो के थे। राजस्थान गुट और बनारसी दास गुप्त गुट के 42 अतिरिक्त सदस्यो के शामिल होने के पश्चात पिछडी हुयी जातियो के 4 सदस्य और बढ गये। इस प्रकार फरवरी 1985 मे 84 सदस्यो मे 11 सदस्य अर्थात 13 0 प्रतिशत पिछडी जाति के हो गये।[2]

1977 के विधानसभा चुनावो मे उत्तर प्रदेश मे जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जनता पार्टी मे पुराने सोशलिस्ट व भारतीय लोकदल के लोग भी शामिल थे। इसके पूर्व केन्द्र मे जनता पार्टी की सरकार का गठन हो चुका था। केन्द्र व प्रात मे जनता पार्टी का शासन कायम होने से पिछडी जातियो का शासन मे प्रभाव बढ गया। प्रदेश के इतिहास मे पहलीबार पिछडी जाति के रामनरेश यादव मुख्यमत्री बने। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश मे गोविद बल्लभ पत कमलापति त्रिपाठी हेमवती नदन बहुगुणा नारायणदत्त तिवारी (सभी ब्राह्मण) चन्द्रभानु गुप्त (बनिया) चौधरी चरण सिह (जाट) (जो 2001 तक उच्च जातियो मे आते थे) श्रीमती सुचिता कृपलानी (सिधी) सभी सवर्ण मुख्यमत्री बने थे। इस प्रकार प्रदेश मे पहलीबार सत्ता का केन्द्र बिन्दु पिछडी जातिया बनी। उदयन शर्मा के शब्दो मे उत्तर प्रदेश मे जो जनता पार्टी का गढ माना जाता है ब्राह्मण ठाकुर को इस सरकार से तकलीफ है। साथ ही पहली बार सत्ता उच्च जातियो से छीनकर अहीर केवट जुलाहा और कुरमी के हाथो मे आ गयी। पडित व ठाकुर साहब के दर्प को यही स्थिति तोडती है। राम नरेश यादव इस राजनीति को सदा–सदा के लिए ब्राह्मणो और ठाकुरो से छीन सकते है जो तिलमिलाए है उनके अलावा किसी और जाति को राज करने कैसे आया।[3]

---

1 मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में बिहार में जारी किया गया पम्पलेट–1990
2 शोध छात्र जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सग्रहित आकड़ों के अनुसार।
3 उदयन शर्मा सण्डे 15 जुलाई 1978

राम नरेश यादव की सरकार ने अन्य पिछडी जातियो को सरकारी नौकरियो मे 15 प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया जिससे उच्च जातियो के मन मे क्षोभ पेदा हुआ कुछ क्षेत्रो मे सरकारी कर्मचारी भी आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियो मे शामिल हुए। आन्दोलनकारियो की माग थी कि सामाजिक तथा आर्थिक पिछडेपन का मापदण्ड वर्ग होना चाहिए न कि जाति। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ पिछड़ा वर्ग नेताओ ने काका कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन के सदर्भ मे पिछडी जातियो के आरक्षण की जोर–शोर से उठाया। 2 अक्टूबर 1977 को दिल्ली मे पिछडा वर्ग सम्मेलन हुआ जिसमे प्रधानमत्री मोरारजी देसाई व जगजीवन राम भी शामिल हुए। प्रधानमत्री ने आश्वासन दिया कि काका कालेलकर के प्रतिवदन को लागू करने के लिए तत्काल ध्यान दिया जाएगा। परन्तु प्रतिवेदन लागू करने के स्थान पर उन्होने वी0पी0 मण्डल आयोग की स्थापना कर दी।[1]

1979 के अन्त तक केन्द्र व उत्तर प्रदेश दोनो जगह जनता पार्टी की सरकारो का पतन हो गया और दोनो जगह काग्रेस पार्टी की सरकारे बनी। 1980 तथा 1985 के प्रदेश विधान सभा चुनावो मे काग्रेस की जीत हुयी तथा सवर्णों का वर्चस्व पुन कायम हुआ। वी0पी0 सिह श्रीपति मिश्रा, बीर बहादुर सिह और नारायन दत्त तिवारी मुख्यमत्री बने। पिछडी जातिया मुख्यत चौधरी चरण सिह के मजदूर दलित किसान पार्टी (दमकिपा) व लोकदल के साथ रही। परन्तु भारतीय लोकदल से दमकिपा व पुन लोकदल मे सफर तय करने वाले चौधरी चरण सिह ने पिछडे वर्गों के कमजोर तत्त्वो की उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप चरण सिह की पार्टी पिछडी जातियो और दलितो की आशाओ और आकाक्षाओ का प्रतीक नही बन सकी। यही कारण है कि 14 अप्रैल 1984 मे जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो पिछडी जातियो का एक वर्ग उसकी तरफ भी आकर्षित हुआ।[2]

---

1 द यू0पी0 जर्नल आफ पोलिटिकल साइस एशोसिएशन वाल्यूम 2, न0 122 जनवरी–दिसम्बर 1998
2 वही पृ0 65

1980 के बाद पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति

मण्डल आयोग की सिफारिशो को लागू करने के लिए दबाव डालने हेतु 6एव 7 दिसम्बर 1981 को दिल्ली मे नेशनल यूनियन आफ बैकवर्ड क्लासो का गठन पिछडे वर्गों के एक सम्मेलन मे किया गया। चौधरी ब्रह्मम प्रकाश इसके अध्यक्ष बने। इस नवगठित नेशनल यूनियन ने मण्डल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करवाने के लिए अनेक कार्यवाहिया की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 1985 तक दिल्ली मे किया गया सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह मे चौथे दिन उत्तर प्रदेश की भागीदारी रही उत्तर प्रदेश विधान सभा मे तत्कालीन विपक्षी नेता मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे 25 हजार सत्याग्रहियो ने भाग लिया जिनमे तीन सासद व 40 विधायक भी शामिल थे।[1]

जनता दल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश पिछडी जातियो का नेतृत्व उसमे शामिल हो गया। पुराने समाजवादी मुलायम सिह यादव उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष बने। मण्डल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने के लिए नेशनल यूनियन आफ बैकवर्ड क्लासेज व उत्तर प्रदेश पिछडा वर्ग सघ ने 1980–89 के बीच सभाओ, सेमिनारो सम्मेलनो आन्दोलनो के द्वारा पिछडी जातियो मे जो राजनीतिक चेतना पैदा की उससे पिछडी जाति के चेतन लोग जनता दल की तरफ लामबन्द हुए। पिछडी जातियो का एक भाग बसपा की तरफ झुकता जा रहा था। परिणामस्वरूप 1989 के विधानसभा चुनाव मे उत्तर प्रदेश मे जनता दल की शानदार जीत हुयी और पिछडी जाति के मुलायम सिह यादव इस प्रदेश के मुख्यमत्री बने।

1990 मे मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो आरक्षण विरोधी आन्दोलन चला उसने पिछडी जातियो के राजनीतिक चेतना मे गुणात्मक परिवर्तन किया अपने अधिकारो की रक्षा के लिए पिछड़ी जातिया सघर्ष के मैदान मे उतर पडी। प्रदेश मे जगह–जगह आरक्षण के समर्थन मे रैलिया हुयी जिसमे

---

1 वही 1998

बहुत बडी सख्या मे लोगो ने भाग लिया। मडल पर चर्चा बहस के कारण ही पिछडी एव दलित जातियो मे राजनीतिक एकता की शुरूआत हुयी। मण्डल के प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा ने मदिर कार्ड चला और इस प्रकार मडल और कमडल का ध्रुवीकरण हुआ। मदिर (कमण्डल) समर्थक आरक्षण विरोधी भाजपा की ओर झुके। जबकि दूसरी तरफ मडल समर्थक जनता दल समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवाद पार्टी मे विभाजित रहे। मण्डल के प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछडो मे अपना घुसपैठ बढाने के लिए पिछडी जाति के नेता कल्याण सिह को आगे किया और 1991 के विधान सभा चुनावो मे पिछडी जाति के लोगो को पहले की अपेक्षा अधिक सख्या मे टिकट दिया। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास मे पहलीबार विधायको की सख्या 100 को पार कर गयी और 1996 के विधान सभा चुनाव मे उसमे और अधिक वृद्धि हुयी।

सही अर्थों मे उत्तर प्रदेश की राजनीति मे पिछडी जातियो एव दलितो का वर्चस्व 1993 के विधानसभा चुनाव के बाद कायम हुआ। यह सपा और बसपा के गठबन्धन के कारण सम्भव हो सका। 1990 मे जब लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा को नाकाम करने के तैयारी के लिए लखनऊ मे हुयी साम्प्रदायिक सद्भाव रैली मे मुलायम सिह यादव काशीराम को अपने साथ लाने मे सफल रहे मुलायम सिह यादव ने जनता दल मे फूट के बाद जब काग्रेस की मदद से सरकार बनायी तो काशीराम ने उन्हे दो शर्तों पर समर्थन देने की घोषणा की। मुलायम सिह यादव जब तक पिछडी जातियो के लिए लडते रहेगे बसपा उनके पीछे चलेगी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकडे समाज को मुक्त कराने मे वह मुलायम सिह यादव का साथ देगे।[1]

4 नवम्बर 1992 को मुलायम सिह यादव ने समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी जनता पार्टी मे रहते हुए जब मुलायम सिह यादव ने काशीराम से समझौता करना चाहा तो काशीराम ने कहा कि

---

1 देखें–द यू0पी0 जर्नल आफ पोलिटिकल साइस–जनवरी–दिसम्बर 1998 पृष्ठ सख्या–66

मुलायम ब्राह्मणवादी ताकतो की चमचागिरी कर रहा है और मै पिछडो को आगे बढाने मे लगा हूँ। सजपा को मै ब्राह्मणवादी पार्टी मानता हूँ और किसी भी ब्राह्मणवादी पार्टी से समझौता नही कर सकता।[1] काशीराम की इस टिप्पणी से मुलायम सिह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की।

सपा–बसपा गठबन्धन उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड था। इस गठबन्धन का आधार पिछडी जातिया दलित जातिया तथा अल्पसख्यक थे। चुनाव मे काशीराम की रणनीति दलितो पिछडो तथा अल्पसख्यको को जिताने की थी। चुनाव के प्रचार के दौरान ही काशीराम ने कहा था कि प्रदेश विधानसभा मे सपा ने जिन स्थानो पर ब्राह्मण व क्षत्रिय उम्मीदवार खडा किया है वहा पर न तो बसपा पार्टी का समर्थन होगा और न सपा के मतदाताओ का।[2]

विधान सभा चुनाव मे सपा–बसपा गठबन्धन को 176 स्थान (सपा 109 स्थान और बसपा 67) प्राप्त हुए। सपा–बसपा गठबन्धन ने मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे काग्रेस व जनता दल के समर्थन से सरकार बनायी। इसके पूर्व 1994 मे ग्राम पचायतो तथा शहरी निकायो के चुनावो मे पिछडी जातियो तथा अनुसूचित जातियो के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होने से 213 स्थान इन्ही जातियो को मिला। जून 1995 मे जिला पचायत के अध्यक्षो के जो चुनाव हुए उनमे से 35 स्थानो पर पिछडी जाति तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर अल्पसख्यक तीन पर जाट, 5 पर ठाकुर 2 पर बनिया तथा शेष स्थान पर आम जातियो का निर्वाचन हुआ।

इस प्रकार हम देख सकते है कि आजादी के बाद पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और अब वह अपनी जनसख्या की बहुलता को एक राजनीतिक शक्ति के रूप मे स्थापित करने मे लगे हुए है।[3]

---

1 वही–पृष्ठ–66
2 देखे–द यू0पी0 जर्नल आफ पोलिटिक्स साइस–पृष्ठ–66 67
3 राष्ट्रीय सहारा 30 10 93 राष्ट्रीय सहारा 27 6 95

पिछडी जातियो के उत्थान मे अभिजनो की भूमिका

अभिजन एव नेतृत्व

विकासावस्था, कार्यक्षेत्र एव कार्यप्रणाली की दृष्टि से पिछडी हुई जातियो के अभिजनो एव नेतृत्व को दो वर्गों मे वर्गीकृत किया जा सकता है। ये दो श्रेणिया है–

(1) परपरागत नेतृत्व एव

(2) आधुनिक नेतृत्व

मेण्डेलवाम ने लिखा है बिल्ली के अगो के समान कोई जाति स्वमेव ही सगठित नही होती है इसे सक्रिय रूप से बनाए रखना पडा है। ऐसा करने के लिए कुछ लोगो को विशेष भूमिकाए करनी पडती है और कुछ विशेष अभिकरणो का समर्थन करना पडता है। जाति को बनाए रखने ये उसके नेताओ एव पचायतो की केन्द्रीय भूमिका होती है जो परिवार एव पैत्रिक समूहो से लेकर क्षेत्रिय परिवारो तक प्रत्येक स्तर पायी जाती है। [1]

भारत मे जाति पचायतो एव जाति नेताओ की परम्परा बहुत पहले से चली आ रही है जिस प्रकार परिवार के बडे सदस्यो से यह आशा की जाती है कि वे परिवार के सदस्यो मे एकता रखे और यह देखे कि उनके आपसी झगडे नियत्रण के बाहर न हो उसी प्रकार पैत्रिक समूह एव जाति मे भी उसके वयोवृद्ध एव श्रेष्ठ जनों का यह उत्तर दायित्व होता है कि वे पैत्रिक–समूह एव जाति को सगठित रख सके विवादो को शान्त करे और आने वाली विपत्तियो के प्रति सावधान रहे। वे भटके हुए युवको को चेतावनी देता है, लापरवाह पिता को डाटते–फटकारते हैं नाराज पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयास करते है और आलसी सम्बन्धी का मजाक उड़ाकर उसे सुधारने का प्रयत्न करते है। वे पैत्रिक–समूह/जाति के सदस्यो को असहाय सम्बन्धी की सहायता करने उत्सवो पर जमा होकर खुशी मनाने और पीडित सम्बन्धी की शिकायतो को पैत्रिक समूह/जाति के पचायत मे विचार हेतु प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार और

---

1 डेविड जी0 मेण्डलेम–सोसायटी इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन–बाम्बे रिप्रिन्ट–1984 पृष्ठ–269

अन्य बहुत से तरीको से जाति नेता अपनी जाति के एकता को बनाए रखन एव उसकी समस्याओ को दूर करने का प्रयत्न करते है।[1]

ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ मे इस तरह के जाति नेता एव जाति पचायते लगभग प्रत्येक जाति मे पायी जाती थी। परन्तु आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ अग्रणी जातियो मे जाति–पचायतो एव जाति नेताओ का प्रभाव धीरे–धीरे लुप्त होने लगा है– मेण्डेलवाम के अनुसार–

निम्न एव पिछडी हुयी जातियो मे शिक्षा के प्रसार के साथ परम्परागत नेताओ के मध्य कार्य का विभाजन प्रकट होने लगा। वयोवृद्ध अशिक्षित नेता विवादो का निपटारा करने एव जाति की एकता को बनाए रखने सम्बन्धी कार्य करते रहे क्योकि अनुभवहीनता एव रूचि के अभाव के कारण शिक्षित परन्तु नये नेता इस कार्य मे दक्ष नही थे। शिक्षित नेताओ को जाति मे शिक्षा के प्रसार एव सामाजिक सुधार एव सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व दिया। [2]

पिछडी जातियो के उत्थान मे अभिजनो की भूमिका

इस शोध कार्य मे पिछडी जातियो के केवल उन अभिजनो एव नेताओ को शामिल किया गय है जो राजनैतिक कार्यों मे सलग्न हैं। परम्परागत नेताओ को उनके कार्यक्षेत्र की भिन्नता के कारण इसमे शामिल नही किया गया है।[3]

उत्तर प्रदेश मे स्वतत्रतापूर्व के पिछडी जातियो की नेताओ मे राय साहब राम, चरण सिह एव शिवदयाल चौरसिया प्रमुख थे। पिछडी जातियो को सगठित करने एव ब्रिटिश शासन से उनको अधिकार दिलाने के उनके प्रयासो का अच्छा परिणाम भी मिला था। स्वतत्रता पश्चात पिछडी जातियो के जिन नेताओ का उदय हुआ उनमे चौधरी चरण सिह का नाम सर्वोपरि हैं। उत्तर प्रदेश के पिछडी जातियो को एक

---

1 डेविड जी0 मेण्डलेम–सोसायटी इन इण्डिया पापुलर प्रकाशन–बाम्बे रिप्रिन्ट–1984 पृष्ठ–69
2 वही पृ0508
3 देखे चौधरी चरण सिह, पृ0 127

राजनैतिक वग का रूप देने एव उन्हे राजनैतिक मान्यता प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय चौधरी चरण सिह को है। जहा एक ओर उनकी पृष्ठभूमि उनका आर्थिक राजनीतिक चिन्तन एव उनके राजनैतिक जीवन के उतार चढावने उन्हे इन जातियो मे मसीहा की छवी प्रदान की है वही दूसरी ओर पिछडे हुयी जातिया विशेषकर उत्तर प्रदेश के जाट यादव कुर्मी कोइरी इत्यादि अन्य पिछडी हुई जातिया ही उनकी राजनीतिक शक्ति के समर्थन आधार है।

चरण सिह की पृष्ठभूमि चिन्तन एव राजनैतिक जीवन की निम्न विशेषताओ ने उन्हे अन्य पिछडी हुई जातियो के सर्वोच्च नेता की छवी प्रदान की है।

(1) चौधरी साहब का जन्म मेरठ के नूरपुर गाव के एक साधारण किसान परिवार मे हुआ था। उन्होने स्वतत्रता आन्दोलन मे सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। 1940 से 1946 तक वह मेरठ जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एव मत्री रहे।

(2) जाति की दृष्टि से चरण सिह जाट थे। उत्तर प्रदेश मे जाट न तो उच्च वर्ग के अन्तर्गत आते थे और न ही पिछड़े हुए वर्गों के अन्तर्गत परन्तु इनकी गणना सामान्यता पिछडी हुई जातियो मे ही की जाती थी परन्तु बाजपेयी सरकार द्वारा इन्हे भी पिछडे हुए वर्गों की श्रेणी मे सम्मिलित कर लिया गया है। वैसे भी जाट गूजर, एव अहीर एक ही प्रजाति के कहे जाते हैं। जो भी हो ये सभी पिछडी जातिया उन्हे अपना नेता मानती थी।

(3) चरण सिह 1946 से ही लगातार ऐसे मत्री पदो पर रहे है जहॉ से वे न केवल लोगो को लाभान्वित कर सकते थे वरन् लाभ न मिलने से रोकर दण्डित भी कर सकते थे। उनके बारे मे यह प्रसिद्ध था कि वह अपनी मित्रो की वास्तविक आवश्यकताओ मे सहायता करते है वहा विरोधियो को क्षमा भी नही करते थे।[1]

---

1 देखें पॉल आर0 ब्रास – फ्रैक्शनल पालिटिक्स इन इण्डिया पृ0 142

(4) अपने राजनैतिक जीवन के प्रारम्भिक काल से ही चरण सिह की राजनेतिक प्रतिद्वन्दिता कैलाश प्रकाश एव चन्द्रभान गुप्त से थी जिनको कि बनिया वर्ग का जबर्दस्त समर्थन प्राप्त था। इनके विरूद्ध अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए चरण सिह ने मेरठ जिले मे जाट और त्यागी जातियो का अपने पक्ष म सयुक्त (कोयलिशन) बनाया था। प्रदेश मत्रिमण्डल मे इस जाति का एकमात्र मत्री होने के कारण वह इस जाति के मुख्य वकता माने जाने लगे थे।[1]

(5) 1957 मे जब पिछडे वर्गों का चौथा सम्मेलन फैजाबाद मे हुआ तब उत्तर प्रदेश काग्रेस के निर्देशन के विरूद्ध चरण सिह इस सम्मेलन मे शामिल हुए। इस प्रकार उन्होने जाटो के साथ अन्य पिछडी हुयी जातियो का समर्थन भी प्राप्त कर लिया।[2]

(6) चरण सिह का उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन विधेयक बनाने मे प्रमुख हाथ था। उनकी समझबूझ के कारण ही विधेयक इस प्रदेश से जमीदारी प्रथा का उन्मूलन करने एव मध्यम श्रेणी के किसानो को (जिस श्रेणी मे पिछडी हुई जातियो के अधिकाश लोग आते है) अपनी भूमि पर वास्तविक अधिकार दिलाने मे सफल हुआ।

(7) नागपुर अधिवेशन जो जनवरी 1959 मे सम्पन्न हुआ था जब काग्रेस ने सहकारी खेती की नीति लागू करने का प्रस्ताव किया गया, तब पण्डित जवाहर लाल नेहरू की इच्छा के विपरीत, चरण सिह ने इसका जबरदस्त विरोध किया और अपने मत की पुष्टि मे एक पुस्तक भी लिखी।

(8) 1940–60 तक के दो दशको मे काग्रेस के नेतृत्व मे नगरीय क्षेत्रो के अभिजनो जैसे गोविन्द बल्लभपत, सम्पूर्णानन्द चन्द्र भानु गुप्त आदि नेताओ का प्राधान्य

---

1 वही पृ0139 153

2 फैजाबाद के पूर्व एम0पी0 जयराम वर्मा के साक्षात्कार पर आधारित।

था इसके विपरीत चरण सिह ग्रामीण क्षेत्रो के प्रतिनिधि समझे जाते थे।

(9) एक नेता और मत्री के रूप मे वह ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कुशल ओर भ्रष्टाचार विरोधी माने जाते थे।[1]

(10) काग्रेस से निकलने के बाद उन्होने पूरे देश की पिछडी जातियो के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया। उनके भारतीय क्रातिदल मे और उनके मुख्यमत्री बनने पर उनके मत्रीमण्डल मे अन्य पिछडे हुए वर्गों को कुछ कर जाने योग्य प्रतिनिधित्व मिला। चरण सिह के अनुसार 1969 मे उत्तर प्रदेश के विधान सभा के निर्वाचन मे भारतीय क्रान्तिदल के 402 उम्मीदवारो मे 200 पिछडी हुई जातियो के थे।[2] भारत सरकार मे गृहमत्री होने के बाद उन्होने उत्तर प्रदेश बिहार एव हरियाणा मे पिछडे वर्गों के व्यक्तियो को मुख्यमत्री पद पर आसीन कराया जिन्होने अपने –अपने राज्य मे पिछडे वर्गों को आरक्षण एव अन्य सुविधाए प्रदान की।

(11) जाति के साथ–साथ चरण सिह ने अपने समर्थन आधार को आर्थिक स्वरूप देने का भी प्रयास किया है। वह सदैव किसान के हित की बात करते थे। उन्होने किसान रैली के माध्यम से किसानो को सगठित करने का भी प्रयत्न किया। उनका जन्मदिन किसान–दिवस के रूप मे मनाया जाता हैं। पिछडी जातियो के अधिकतर लोग किसान है।

(12) जनता पार्टी के शासन काल मे गृहमत्री के रूप मे चरण सिह ने कई ऐसे कार्य किए जिन्होने जनता पार्टी की असफलता के बावजूद पिछडी जातियो मे उनके नेतृत्व के आधार को मजबूत किया। यह उनके ही पहल का परिणाम था कि वी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता मे केन्द्र सरकार द्वारा रासायनिक खाद पर सरकारी शुल्क मे 50 प्रतिशत की कटौती एव गन्ने की क्रय मूल्य मे वृद्धि ने न

---

1 द स्टेटमेंट दिल्ली अप्रैल 13 1959

2 द टाइम्स आफ इण्डिया जनवरी 30 1969

केवल पिछडे वर्गों वरन् सभी किसानो मे उनकी लोकप्रियतो मे वृद्धि की। बजट मे कमी एव कृषि अनुसधान पर होने वाले बजट राशि की अल्पता पर चरण सिह द्वारा व्यक्त असतोष ने और इस प्रकार की अन्य कई बातो ने न केवल पिछडे वर्गों मे शामिल कृषक जातियो वरन् अग्रणी जातियो के कृषक वर्ग म भी उनकी छवि को उज्जवल बनाया।[1] परिणामत जनता पार्टी की असफलता के बावजूद चरण सिह की छवि धूमिल नही हुई।[2]

राजनीतिक दल के स्तर पर भी चरण सिह की राजनीति ने उनके समर्थन के आधार को व्यापक बनाया है। 1974 मे उन्होने सयुक्त समाजवादी दल के नेता राजनरायण का समर्थन प्राप्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप 1974 मे सयुक्त समाजवादी दल का भारतीय क्रातिदल मे विलय हो गया। सयुक्त समाजवादी दल मे पहले से ही पिछडी हुई जातियो की काफी सख्या थी। सयुक्त समाजवादी दल के भारतीय लोकदल मे विलीनीकरण के फलस्वरूप भारतीय क्रातिदल की प्रदेश के पूर्वी जिलो मे भी लोकप्रियता प्राप्त हो गई।

उपर्युक्त कारणो एव राजनैतिक सयुक्तो के परिणामस्वरूप चरण सिह न केवल उत्तर प्रदेश मे बल्कि पूरे उत्तर भारत मे पिछडे हुए वर्गों एव जातियो के सर्वमान्य नेता माने जाने लगे।[3]

चौधरी चरण सिह के अतिरिक्त पिछडी जातियो के नेता के रूप मे जयराम वर्मा रामवचन यादव एव चन्द्रजीत यादव का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है।

जयराम पिछडी जातियो के एक प्रभावशाली नेता थे जिन्होने इन जातियो के विकास और राजनीतिक गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये। इनकी महत्ता इसलिए और भी बढ जाती है कि यह फैजाबाद जिला के ही निवासी थे। जयराम वर्मा

---

1 द स्टेटमेंट दिसम्बर 14 1979

2 देखें पाल आर0 ब्रास–फ्रैक्शनल पालिटिक्स इन इण्डियन पॉलिटिक्स वाल्यूम 2, चाणक्य पब्लिकेशन दिल्ली 1985 पृ0 172–173 198

3 यादव ज्योति यादव महासभा यू0पी0 जनवरी 1978 पृ0 118

जाति की दृष्टि से कुरमी थे और व्यवसाय की दृष्टि से अध्यापक। 1936 म वह होवर्ट हाई स्कूल टाण्डा जिला फैजाबाद मे अध्यापन कार्य करते थे। इसी समय से उन्हाने राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था और कई बार जेल भी गये। इसके अतिरिक्त अपने जिले मे उन्होने कुरमी लोगो एव अन्य पिछडी जातियो को सगठित करने एव उनमे राजनीतिक जागरूकता लाने का भी बहुत अधिक प्रयत्न किया। 1957 मे उन्ही के प्रयास से फैजाबाद जिले मे पिछडा वर्ग सम्मेलन हुआ। उस समय काग्रेस जनो के लिए जाति–पाति के आधार पर सगठित सभाओ मे भाग लेना वाछनीय नही समझा जाता था। इसी सम्मेलन मे चौधरी चरण सिह के साथ उनकी मित्रता प्रारम्भ हुयी। 1959 मे वह स्वायत्त शासन के उपमत्री बने। तब से 1967 तक वह विभिन्न काग्रेस मत्रीमण्डलो मे वह उपमत्री रहे। 1967 मे जब चरण सिह काग्रेस से अलग हुए तक जिन 16 काग्रेस जनो ने उनका साथ छोडा था उसमे जयराम वर्मा भी एक थे। सयुक्त विधायक दल की सरकार मे वह कृषि मत्री बनाये गये।

फैजाबाद जिले के कुरमी लोगो को सगठित करने एव उन्हे एक राजनैतिक शक्ति का रूप देने मे जयराम वर्मा की भूमिका के बारे मे एम0 ए0 गोल्ड ने लिखा है

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले मे जयराम वर्मा द्वारा कुरमी लोगो की गतिशीलता इस बात का द्योतक है कि एक चतुर सगठनकर्ता द्वारा किस प्रकार अपनी जाति को एक अच्छे राजनैतिक शक्ति के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्य कई दशको मे कुरमी जातीयता की भावना को उभाडकर उनमे शिक्षा का प्रचार करके कुरमी समुदाय का एक राजनैतिक सगठन विकसित करके एव उसे राज्य स्तर पर त्रिपाठी गुट के साथ जोडकर सम्पन्न किया गया है। जयराम वर्मा ने फैजाबाद जिले मे एक राजनैतिक जाति का निर्माण किया जिसने कि उसको 30 वर्षों से अधिक समय तक के लिए स्थायी राजनैतिक आधार प्रदान किया।[1]

---

1 एम0ए0 गोल्ड–टूवर्डस ए ज्योति मॉडल फार इण्डियन पालिटिक्स इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली 1969 पृ0 291–297

"मास्टर साहब अर्थात जयराम वर्मा का एक शब्द कुरमी लोगों के लिए आदेश है। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति विवाद नहीं करता है, कोई कारण नहीं जानना चाहता है। जयराम वर्मा ने ऐसा कहा है कि इतना ही उस क्षेत्र के सभी कुरमी लोगों के लिए उस आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त है।"[1]

जो कार्य जयराम वर्मा ने फैजाबाद के कुरमी जाति के लोगों के लिए किया गया था, वही कार्य आजमगढ़ के यादवों के लिए रामवचन यादव ने किया था। उन्होंने यादवों में शिक्षा का प्रचार, सामाजिक कुरीतियों, को दूर करने, यादवों में शाखान्तर एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रचलित करवाने और न केवल यादवों बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी पिछड़ी जातियों की संगठित करने का अथव प्रयास किया था। पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। यादवों में उनका इतना अधिक सम्मान था कि उत्तर प्रदेश यादव महासभा के अयोध्या सम्मेलन में इन्हें यादव गांधी का सम्मान दिया गया था।[2]

पिछड़ी जातियों के इन लोगों के बाद के नेताओं में श्यामलाल यादव, चन्द्रमणि यादव, रामनरेश यादव, स्वामी प्रसाद सिंह, सीताराम निषाद (फैजाबाद) छेदी लाल साथी, दाऊजी गुप्ता, अब्दुल रऊफ लारी, थे। वर्तमान दौर में मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, सोने लाल, पटेल, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, रामशरण दास, आर0 के0 चौधरी, बरखूराम वर्मा, धनीराम वर्मा, रामलखन वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा, संतोष गंगवार, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर इत्यादि प्रमुख है। शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्तर, और जीवन शैली की दृष्टि से यह सभी नेता अग्रणी जातियों के समकक्ष हैं। इनमें से चरण सिंह, रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब इन नेताओं को पिछड़ी जातियों का नेता केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि यह लोग किसी ऐसी जातियां समुदाय में पैदा हुए जो

---

1. वही,
2. यादव, ज्योति यू0पी0 जनवरी 1978, पृ0 11.

पिछडी जातियो के अन्तर्गत गिनी जाती है। अन्यथा यह नेता किसी भी दृष्टिकाण से पिछडे हुए नही माने जा सकते। आर्थिक दृष्टि से ये नेता उच्च मध्यम अथवा उच्च वर्गों के है। कुछ तो अधिक सम्पन्न है। इनकी राजनीतिक शैली भी वही है जो उच्च जातियो के नेताओ का सम्बन्ध उभयपक्षीय शोषण का है अर्थात पिछडी जातिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन नेताओ का सहारा लेत है और ये नेता राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने अथवा उसका सर्म्बद्धन करने के लिए पिछडी जातियो/समुदायो का उपयोग करते है।

अध्याय-पाँच

फैजाबाद में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक स्थिति

फैजाबाद जनपद मे पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति

पिछडी जातियो एव राजनीति की अन्तक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए फैजाबाद जिले का चयन किया गया है। यह जिला सितम्बर 95 मे अपने विभाजन के पूर्व पिछडी जाति बाहुल्य जिला था। शोध के लिए इस जिले का ही क्यो चयन किया गया इसके निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण करण थे। इस जिले मे पिछडी जाति के नेताओ की भूमिका स्वतत्रता पूर्व ही आरभ हो गयी थे। इन नेताओ ने अपनी जातियो को सगठित करने एव उन्हे राजनीतिक रूप से जागृत करने के अतिरिक्त स्वतत्रता मे भी अग्रसर रूप से भाग लिया था। दूसरे महान समाज वादी विचारक और राष्ट्रीय नेता डा0 राम मनोहर लोहिया इसी जिले के रहने वाले थे जिन्होने न केवल फैजाबाद मे पिछडी जातियो को जागृत करने का कार्य किया वरन इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक व्यापक अभियान चलाया। तीसरे– पिछडी जातियो मे जितनी राजनीतिक जागरूकता इस जिले मे देखने को मिलती है वह और किसी जिले मे कम ही देखने को मिलती है। चौथे इस जिले मे ब्रिटिश काल से ही राजनैतिक चेतना का स्तर ऊँचा आ रहा है। इसके अतिरिक्त यहा स्वतत्रता पश्चात से ही विभिन्न राजनैतिक दल सक्रिय एव प्रतियोगी रहे है। इसलिए इस जिले को पिछडी जातियो के अध्ययन के लिए उपर्युक्त समझा गया।

फैजाबाद एक परिचय

इस नगर के कण–कण मे अराध्य देव मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम तथा मनीषियो की अमृतमयी वाणी व्याप्त है जो सर्वथा "सबके कल्याण मे सबका कल्याण तथा व्यक्तियो" के कल्याण मे अतीत की इस धरोहर के उतरोत्तर विकास के लिए जनाकाक्षाओ के अनुरूप क्षेत्रीय विषमताओं की खाई पाटती हुयी यहा की जनसस्कृति

सामाजिक विकास मे सतत प्रयत्नशील है। जिले के मुख्यालय के निकट स्थित अयोध्या नगरी देश–विदेश के श्रद्धालुओ के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है।[1] बुद्ध के जन्म क पूर्व लगभग 6वी0ई0पू0 भारत वर्ष 16 महाजनपदो मे विभाजित था उसमे कोशल भी एक महाजनपद था। जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रथ के अगुतरनिकाय मे मिलता हे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैजाबाद जिले मे स्थित यह महाजनपद उत्तर मे नेपाल दक्षिण मे सई नदी पश्चिम मे पान्चाल एव पूर्व मे गण्डक नदी तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय यह महाजनपद दो भागो मे विभाजित हो गया उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी अर्थात इस नगर का नाम साकेत पडा। मूलत प्राचीनकालीन कौशलस अवध मे तदोपरान्त अयोध्या का साकेत मे परिवर्तन हुआ।[2] परिवर्ततनशीलता का ही प्रतीक तदत्तर साकेत के स्थान पर मध्य काल मे फैजी की स्मृति म फैजाबाद के रूप मे हुआ जो अकबर के नवरत्नो मे एक अबुल फजल के बडे भाई थे।[3]

फैजाबाद जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2075 5 वर्ग किमी0 है। यह जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल मे 26 7 अश से 26 3 उत्तरी अक्षाश और 81 4 अश से 82 3 अश पूर्वी देशान्तर रेखाओ के मध्य स्थित है। जिले की उत्तरी सीमा जिला गोण्डा तथा वस्ती से घाघरा नदी अलग करती है। जिले के पूर्व मे जिला अम्बेडकर नगर दक्षिण मे सुल्तानपुर और पश्चिम मे जिला बाराबकी स्थित है।[4]

जनपद मे वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसख्या 1374393 है जो 1981 की जनगणना से 23 0 प्रतिशत अधिक है। नगरीय क्षेत्र की जनसख्या जनपद की कुल जनसख्या का लगभग 15 0 प्रतिशत है। जनपद की औसत जनसख्या का घनत्व वर्ष 1981 मे 551 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रही जो वर्ष 1991 मे 518

---

1 सामाजार्थिक समीक्षा– जनपद फैजाबाद वर्ष 1996–1997 एव सख्या प्रभाग– राज्य नियोजन सस्थान– उ0प्र01996 पृष्ठ– 1

2 शकर घोष– यूनिक सामान्य अध्ययन यूनिक पब्लिकेशन दिल्ली– पृष्ठ सी–25

3 वही पृष्ठ सी–151

4 सामाजार्थिक समीक्षा– जिला फैजाबाद 1996–97 अर्थ एव सख्या विभाग राज्य नियोजन सस्थान– उत्तर प्रदेश पृष्ठ–2

हो गयी है। जनपद मे प्रतिहजार पुरूषो पर स्त्रियो की सख्या वर्ष 1981 म 916 थी जो 1991 मे 902 रह गयी है यह अनुपात उत्तर प्रदेश के औसत (888) स्त्रियो स अधिक है। 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यहा की जनसख्या लगभग 33 प्रतिशत है। जनपद के सक्षिप्त परिचय को तालिका न0 5 1 मे दिया जा रहा है।[1]

फैजाबाद का सक्षिप्त परिचय

तालिका न 5 1[2]

भौगोलिक क्षेत्रफल	2075 50 वर्ग किमी0
जनसख्या– 1991	1374393 हजार
नगरीय जनसख्या	206237 हजार व्यक्ति
ग्रामीण जनसख्या	1168156 हजार व्यक्ति
जनसख्या घनत्व	518
लिग अनुपात	902/1000
जनपद मे कर्मकर	34 2 प्रतिशत
जनपद मे कृषक	53 4 प्रतिशत
जनपद मे मजदूर	17 6 प्रतिशत
अनुसूचित जाति जनसख्या	22 1 प्रतिशत
पुरूष जनसख्या	722588
महिला जनसख्या	651805
साक्षरता	33 00 प्रतिशत
तहसील	4
तलाक	11
ससदीय क्षेत्र	1
विधानसभा क्षेत्र	5

---

1 वही पृष्ठ–1

2 साख्यकीय पत्रिका– फैजाबाद– फैजाबाद– 1995 पृष्ठ–1

जिले की आर्थिक स्थिति

फैजाबाद एक कृषि प्रधान देश है जिसके लिए जनशक्ति एक प्रमुख तथा अपरिहार्य विकास का कारक है। यहा की लगभग 57 प्रतिशत जनता गरीबी रखा के नीचे रह रही है तथा उद्योगो का पूर्णत विकास नही हो पाया है जिसके परिणाम स्वरूप जिले की अधिकाश जनसख्या को कृषि पर ही निर्भर रहना पडता हे। 1991 की जनगणना के अनुसार जिले के कार्य कलापो मे लगे हुए कर्मकारो की सख्या 470 73 थी जो कुल जनसख्या का लगभग 34 4 प्रतिशत है। इनमे 5 42 प्रतिशत सीमान्त कर्मकर सम्मिलित है। जिले के कार्यकलापो मे सलग्न कर्मकरो का वर्गीकरण तालिका न0 5 2 मे दिया गया है।[1] यद्यपि जिले की अधिकाश जनसख्या कृषि पर निर्भर थी परन्तु भूमि का वितरण इतना असमान था कि कुल कृषि भूमि का तिहाई भाग क्षत्रियो के स्वामित्व मे दसवा ब्राह्मणो के तथा शेष 2/5 भूमि अन्य जातियो के प्रभुत्व मे था।[2]

तालिका 5 2[3]

जनपद की जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण 1991 के आधार पर

क्रम स0	आर्थिक वर्गीकरण के वर्ग	कर्मकर सख्या	कर्मकरो से वर्गवार प्रतिशत मुख्यकर्मकर से	कुल कर्मकर से
1	2	3	4	5
1	कृषक	252324	56 67	53 60
2	कृषक मजदूर	83017	18 65	7 64
3	खान–खोदान	33	0 00	0 00
4	पशुपालन जगल वृक्ष लगाना	1612	0 36	0 34
5	उद्योग पारिवारिक तथा गैर पारिवारिक	14604	3 28	3 10
6	निर्माण कार्य	2519	0 56	4 60
7	व्यापार एव वाणिज्य	21654	4 86	0 57
8	यातायात सग्रहण क्षमता एव सचार	64296	14 44	13 66
9	अन्य	455194	100 0	94 58
10	मुख्य कर्मकर	25527	5 73	5 42
11	सीमात कर्मकर	470721	–	100 00

1 सामाजार्थिक समीक्षा जनपद फैजाबाद वर्ष– 1996–97 अर्थ एव सत्य विभाग राज्य नियोजन ससथान उत्तर प्रदेश वर्ष– 1996–97 पृष्ठ–5

2 वही पृष्ठ–32

3 सामाजार्थिक समीक्षा– जिला फैजाबाद–वर्ष– 1996–97 अर्थ एव सत्या प्रभाग राज्य नियोजन ससथान– उत्तर प्रदेश 1996–97 पृष्ठ–5

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनपद मे कृषक तथा कृषक मजदूरो का मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत लगभग 79 18 तथा कुल कर्मकारो से लगभग 71 24 रहा है। कृषि उद्यम के अतिरिक्त जनपद मे खान खोदने वाले तथा वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियो की सख्या एक प्रतिशत भी नही है। सम्पूर्ण जनपद मे लगभग हिन्दुओ का बाहुल्य है जो कुल जनसख्या का लगभग 86 47 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार जिले मे धर्मानुसार जनसख्या तालिका न0 5 3 मे दिया गया है।[1]

तालिका 5 3

फैजाबाद जनपद मे धर्मानुसार जनसख्या 1991

क्रमाक	प्रमुख धार्मिक समुदाय	जनसख्या			कुल जनसख्या प्रतिशत मे
		कुल	ग्रामीण	नगरीय	
1	2	3	4	5	6
1	हिन्दू	2275517	2360655	214862	87 47
2	मुस्लिम	395956	268556	130373	13 39
3	इसाई	871	674	197	0 03
4	सिक्ख	2326	816	1510	0 08
5	बौद्ध	530	392	138	0 02
6	जैन	62	—	62	—
7	अन्य	100	99	1	—
8	धर्म नही बताया	149	69	80	0 01
	कुल	2978484	2631261	347223	100 00

सितम्बर 1995 मे अपने विभाजन के पूर्व यह जिला पिछडी जाति बाहुल्य था परन्तु विभाजन के पश्चात इस जिले मे पिछडी जातिया कुल जनसख्या तथा लगभग

---

1 साख्यकीय पत्रिका— जनपद फैजाबाद— 1995 अर्थ एव सख्या विभाग राज्य नियोजन सस्थान उत्तर प्रदेश— 1995— पृष्ठ—32

एक तिहाई ही रह गयी है। जिनमे सर्वाधिक अहिर या यादव थे जिनकी जनसख्या कुल जनसख्या का लगभग 150 प्रतिशत थी। जबकि दूसरे स्थान पर पिछडी जातियो मे कुर्मी थे जिनकी जनसख्या कुल जनसख्या 75 प्रतिशत थी। जिले मे अनुसूचित जातिया की जनसख्या लगभग– 19 प्रतिशत थी।[1]

फैजाबाद मे पिछडी जातियो की राजनीति की अर्न्तक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए 1998 के ससदीय चुनाव को आधार बनाया गया है जिसमे शोधछात्र द्वारा पार्टी प्रत्याशियो पार्टी पदाधिकारियो और अतदाताओ का साक्षात्कार लिया गया। जैसे फैजाबाद ससदीय क्षेत्र मे आने–वाले 5 विधान सभा क्षेत्रो के कुल 30 गावो ओर मुहल्लो मे निवास करने वाले 55 मतदाताओ का साक्षात्कार लिया गया है। फैजाबाद ससदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अयोध्या विधानसभा क्षेत्र जिसका लगभग 50 प्रतिशत भाग शहर और नगर मे आता है के 10 मुहल्लो मे साक्षात्कार किया गया जिसमे घोसियाना फतेह गज खोजनीपुर पहाडगज जनौरा नियोवा लाल कोठी शाहब गज शहायत गज और हस्नू का कटरा शामिल थे। सोहावल विधान सभा क्षेत्र मे रामपुर सरदहा कर्मा शोतिपुर, रामपुर भगन और कायापुर विकापुर विधासनसभ क्षेत्र के गयासपुर ननसा धर्मगज धूरी टीकरी और जय सिह मऊ थे। यद्यपि कि जिले के पिछडी जातियो की स्थिति और उनके व्यवहार को समझने के लिए 1998 के और 1999 के चुनाव के आधार बनाया गया हैं परन्तु यहा की राजनीतिक स्थिति को अच्छी प्रकार से समझने के लिए 1952 से 1996 तक के ससदीय चुनाव विधान सभा चुनावो जिला परिषद चुनाव ब्लाक प्रमुख चुनाव और ग्राम पचायत चुनावो के इतिहास का सक्षिप्त अवलोकन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय को दो भागो मे विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में ससदीय विधान सभाई और स्थानीय स्तर की राजनीति का अध्ययन किया गया है। तथा दूसरे भाग मे 1998 और 1999 के ससदीय चुनाव को आधार बनाकर पिछड़ी जातियो की राजनीतिक स्थितियो को समझने का प्रयत्न किया गया है।

---

1 जनमोर्चा– 14 फरवरी 1998

फैजाबाद संसदीय क्षेत्र

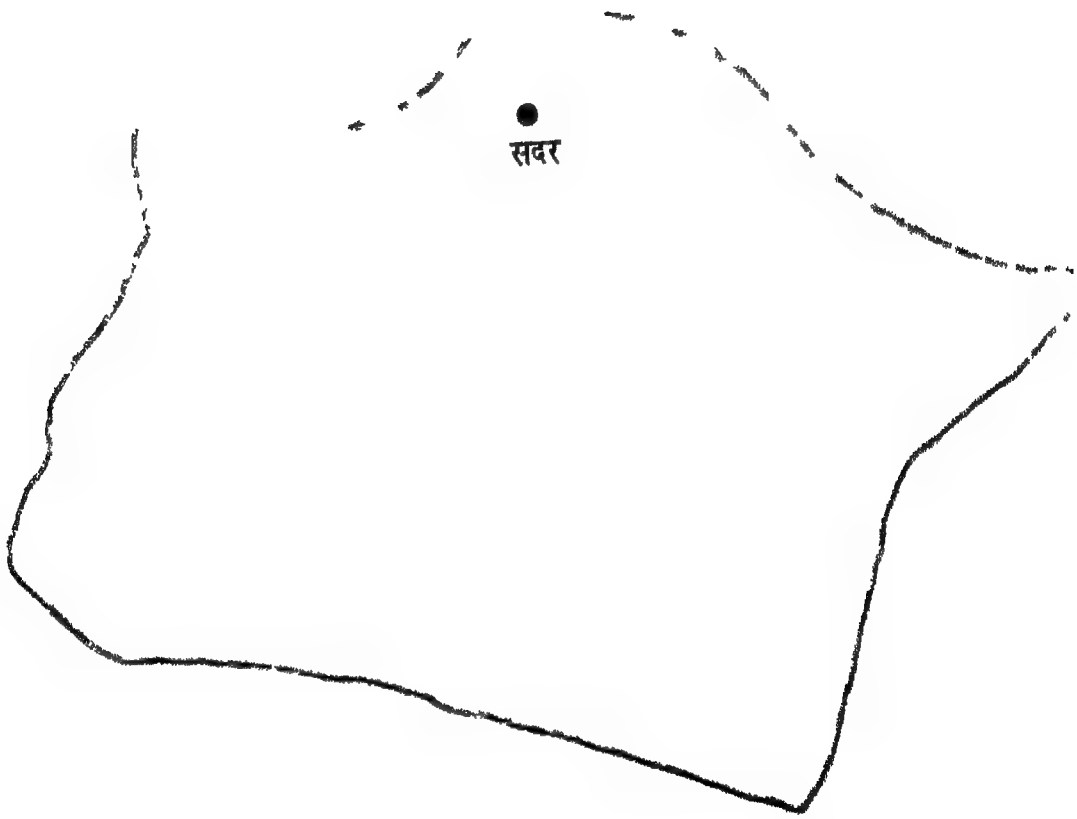

भाग 1

देश के प्रथम आम चुनाव जो कि 1952 मे सम्पन्न हुए उसमे सम्पूर्ण राष्ट्र की भाति फैजाबाद मे भी काग्रेस का प्रभुत्व था और उसके प्रत्याशी श्री पन्नालाल काग्रेस के ही प्रत्याशी लालजी के 21 20 प्रतिशत के मुकाबले 24 70 प्रतिशत मत पाकर निर्वाचित हुए।[1] 1952 और 1957 के प्रथम दो आम चुनाव दोहरी ससदीय सीट के रूप मे हुए थे। 1957 के द्वितीय आम चुनाव मे काग्रेस के री राजाराम ने काग्रेस के ही श्री पन्नालाल को 19 10 प्रतिशत के मुकाबले 22 10 प्रतिशत मत पाकर हराया। 1957 के इस द्वितीय आम चुनाव मे इस ससदीय सीट के इतिहास का न्यूनतम वोट डाला गया था।[2] 1962 के तृतीय आम चुनाव मे काग्रेस के वृजवासी लाल ने 40 10 प्रतिशत मत हासील कर जनसघ के राजेन्द्र सिह को पराजित किया था। जो कि डाले गये वैध मतो का 24 4 मत पाये थे।[3] 1967 के चतुर्थ आम चुनाव मे रामकृष्ण सिह जो कि काग्रेस के प्रत्याशी थे ने 37 40 प्रतिशत मत पाकर 24 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले जनसघ के चन्द्रभान अग्रवाल के मुकाबले निर्वाचित हुए।[4] 1971 के पाचवे ससदीय चुनाव मे पुन रामकृष्ण सिह ने 58 40 मत पाकर काग्रेस प्रत्याशी के रूप मे निर्वाचित हुए परन्तु इस बार उनका मुख्य प्रतिद्वन्दि काग्रेस एस की सुचिता कृपालनी थी जो कि 20 10 प्रतिशत मत पायी थी। इस समय तक इस सीट पर जनसघ का जो थोड़ा बहुत प्रभाव था वह लगभग क्षीण हो चुका था। वर्ष 1971 के आम चुनाव मे उसने अपना कोई प्रत्याशी ही नही उतारा और वर्ष 1977 मे काग्रेस के खिलाफ लामवद होकर सयुक्त विपक्ष के रूप मे गठित जनता पार्टी मे यह विलिन हो गयी फिर भी यहा से जनसघ समर्पित उम्मीदवार को टिकट नही दिया गया।[5]

1977 मे सम्पन्न छठवे ससदीय चुनाव सम्पूर्ण भारत की तरह फैजाबाद के लिए भी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सिद्ध हुए। देश मे बही परिवर्तन की आधी से 28 फैजाबाद

---

1 जिला निर्वाचन कार्यालय– फैजाबाद से प्राप्त आकड़ो के।
2 वहीं।
3 वहीं।
4 वहीं।
5 फैजाबाद जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आकड़े।

लोकसभा सीट पहली बार काग्रेस के आकडे से उडकर जनता पार्टी की झोली म जा गिरी। इसके पूर्व जब राजनीति की विसात पर 1967 मे गेर काग्रेरावाद का पारा फेका गया तथा कामराज योजना के तहत काग्रेस के खिलाफ दक्षिण भारत से जा बवडर उठा था उसका असर भी उत्तर भारत की इस सीट पर कत्तई नही पडा जबकि डा0 राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे प्रख्यात समाजवादी चितक इस जनपद के रहने वाले थे। 1977 के इस ससदीय चुनाव मे जनता पार्टी के अनन्त राम जायसवाल के पक्ष मे अब तक का सर्वाधिक मतदान हुआ। उन्हे डाले गये कुल वध मता मे से 2 13719 मत प्राप्त हुए और उनके निकटतम प्रतिद्वन्दी काग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण सिह को 1 47 803 मत ही प्राप्त हो सके। इस प्रकार 69 40 प्रतिशत मत पाकर जायसवाल ने 21 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले काग्रेसी प्रत्याशी को भारी अन्तर स पराजित किया। काग्रेस की फैजाबाद ससदीय सीट पर ही इतनी कडी पराजय नही हुयी वरन सम्पूर्ण देश मे उसकी स्थिति दयनीय हो गयी। बिहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश पजाब उ0प्र0 और दिल्ली से काग्रेस को लोकसभा की एक सीट भी नही मिली। आर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से उसे केवल एक–एक सीट ही मिल सकी।[1]

1977 का ससदीय चुनाव सिर्फ इसलिए ही महत्वपूर्ण नही रहा कि इस चुनाव मे काग्रेस की पराजय हुयी और विपक्षी पार्टीया जो कि जनता पार्टी के रूप मे एक मच पर आयी सत्तागढ हुई बल्कि इसलिए कि भी यह चुनाव जातिगत चेतना लाने मे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। पिछडी जातियॉ भी अब सवर्ण जातियो की तरह एक राजनीतिक पार्टी की तलाश करने लगी जो उन्हे 1977 मे जनता पार्टी के रूप मे मिल गया। दूसरे पिछडी जातियो को यह विश्वास था कि समाज का उच्च वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय कायस्थ और मुस्लिम तथा दलित मतदाता काग्रेस के आधार रहे है। अत पिछडी जातियो ने भी अपने लिए एक मच तैयार करना आरभ कर दिया। सयोग से 1977 के चुनाव मे पिछडी जातियो के प्रमुख नेता विपक्षी पार्टियो मे ही थे। रामनरेश यादव मुलायम सिह यादव कलयाण सिह इत्यादि नेता इसी समय प्रदेश की राजनीति मे उभरकर सामने आये। यद्यपि कि चौधरी चरण सिह जाट समुदाय से थे और यह समुदाय 2000 तक उच्च वर्ग

---

[1] वही।

मे ही आता था परन्तु चोधरी साहब की सहानुभूति उच्च वर्गों की अपेक्षा पिछडी जातिया के प्रति ही अधिक थी।[1]

1977 के आम चुनाव मे जनता पाटी के रूप मे विपक्षी पार्टिया को जा शानदार सफलता मिली थी वह इन नेताओ के आपसी अविश्वास और अतिमहत्वाकाक्षी क कारण सन् 1980 के ससदीय चुनाव तक समाप्त हो चुकी थी। जनसघ का जनता पार्टी मे जो विलय हुआ था वह भारतीय जनता पार्टी के रूप मे अलग अस्तित्व मे आ गयी। जिसक परिणाम स्वरूप न सिर्फ फैजाबाद मे वरन सम्पूर्ण भारत मे काग्रेस की शानदार वापसी हुयी।[2] 1980 मे काग्रेस के जयराम वर्मा डाले गये वैध मतो मे से 137004 मत पाकर निर्वाचित हुए थे जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी जनता पार्टी के अनन्त राम जायसवाल जयराम वर्मा के 45 70 प्रतिशत मत के मुकाबले 27 50 प्रतिशत मत ही प्राप्त कर सके। यह वही अनन्त राम जायसवाल थे जिन्होने 1977 के लोकसभाई चुनाव मे रिकार्ड 69 40 मत पाकर निर्वाचित हुए थे जो फैजाबाद ससदीय सीट का अब तक का एक रिकार्ड है।[3] 1984 के 8वे ससदीय चुनाव मे काग्रेस के निर्मलल खत्री ने 1 73 152 मत पाकर पुन फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की उनको कुल 44 6 प्रतिशत मिले जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव को 17 7 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।[4]

1989 का 9वा ससदीय चुनाव भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे 1977 के तरह ही निर्णायक माना जाता है। इस चुना को काग्रेस से निकले नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिह के नेतृत्व मे लडा गया था जिसमे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियॉ सम्मिलित हो गयी थी। प्रारम्भ मे श्री सिह ने जनमोर्चा नामक एक दल का गठन किया था परन्तु 1989 मे देश की प्रमुख गैर काग्रेसी पार्टियो को मिलाकर एक नये दल जनतादल का गठन किया गया जिसके नेतृत्व मे 1989 का चुनाव लडा गया। भारतीय जनता पार्टी और देश की

---

1 जिला निर्वाचन कार्यालय फैजाबाद से प्राप्त आकडो के।
2 वहीं।
3 जिला निर्वाचन कार्यालय फैजाबाद के प्राप्त सूचनार्थ।
4 वहीं।

सभी साम्यवादी पार्टिया जनता दल के साथ गठनबन्धन कर चुनाव मे उतरी जिसके परिणामस्वरूप दूसरी बार केन्द्र मे गैर काग्रेसी सरकार का गठन हुआ। परन्तु भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिय जाने के कारण यह सरकार भी गिर गयी। इस चुनाव की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी वह यह कि इस 8वे आम चुनाव के बाद केन्द्र मे काग्रेस को कभी भी स्पष्ट बहुमत नही प्राप्त हो सका। 1989 को फेजाबाद ससदीय चुनाव मे जो कि गठबधन के तहत भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी को दी गयी थी के उम्मीदवार मित्रसेन यादव ने 1 91 027 मत पाकर जो कि कुल डाले गये मतो का 41 50 प्रतिशत था अपने मुख्य प्रतिद्वन्दी काग्रेस के निर्मल खत्री को हराया जो कि 40 20 प्रतिशत मत पाये थे। इस प्रकार मित्रसेन यादव के जीत का प्रतिशत अत्यत मामूली ही रहा।[1]

1991 का ससदीय चुनाव फैजाबाद के चुनावी इतिहास मे एक निर्णायक मोड माना जा सकता है। 1990 मे भाजपा द्वारा वी0पी0 सिह सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण सरकार का पतन हो गया और काग्रेस के विरूद्ध भाजपा साम्यवादी दल और देश की विपक्षी पार्टियो का जो गठबन्धन हुआ था वह टूट गया और 1991 के चुनाव मे भाजपा ने फैजाबाद ससदीय सीट पर कुर्मी जाति के विनय कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया। श्री कटियार ने न केवल इस चुनाव मे जीत हासिल की वरन उन्होने इसे अपना मजबूत गढ भी बना लिया। 1991 के 'राम लहर चुनाव मे 1 67 571 मत पाकर वह निर्वाचित हुए जो कि कुल डाले गये मतो का 37 70 प्रतिशत था। जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी के मित्रसेन यादव को 24 90 प्रतिशत मत ही हासिल हो सका।[2]

1996 का ससदीय चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार और समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव के बीच ही लड़ा गया। फर्क बस इतना था कि 1989 और 1991 का चुनाव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले श्री

---

1 वहीं।

2 फैजाबाद जिला निर्वाचन कार्यालय के प्राप्त सूचना के अनुसार।

मित्रसेन यादव इस बार पार्टी छोडकर समाजवादी पार्टी मे शामिल हो गये। 1996 के इस ससदीय चुनाव मे भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार को कुल डाले गये वैध मतो का 38 58 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ जबकि उनके प्रतिद्वन्दी समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव को पराजित किया। 1998 और 199 के ससदीय चुनावो का परिणाम अन्त मे दिया गया है। क्योकि इसी चुनावो इस शोध के लिए सर्वे किया गया।

यदि फैजाबाद ससदीय क्षेत्र का दलगत आधार पर विश्लेषण किया जाए तो यह पता चलता है कि 1952 से 1999 तक जो 13 लोकसभा के चुनाव यहा सम्पन्न हुए हैं उनमे सर्वाधिक 7 बार काग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1952 के पहले आम चुनाव से 1971 के चुनाव तक और पुन 1980 से 1984 तक के चुनाव मे काग्रेस ने अपना परमच लहराया हैं 1952 से 1999 तक के फैजाबाद के इतिहास मे अकेले काग्रेस ने ही 34 सालो तक ससद मे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और शेष 14 वर्षो मे शेष दलो ने 77 से जनवरी 80 तक जनता पार्टी के अनन्तराम जायसवाल 89 से जून 91 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव मई 91 से मार्च 98 तक भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है जिसमे 1977 मे अनन्त राम जायसवाल और 1989 मे मित्रसेन ने गठबन्ध के उम्मीदवार के रूप मे इस क्षेत्र से चुनाव जीता था। 1998 के चुनाव मे समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव पुन कडे मुकाबले मे विनय कटियार को हराकर इस क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किये गये है। अर्थात इस क्षेत्र से अब तक सम्पन्न 13 लोकसभा के चुनावो मे 7 बार काग्रेस 1 बार जनता पार्टी 1 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 98 के चुनाव मे एक बार समाजवादी पार्टी ने इस पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक इस सीट से कोई जी दर्ज नही की है।

तालिकाओ मे न0 54 मे इस क्षेत्र से निर्वाचित सासदो सम्बन्धित दलो उनके मुख्य प्रतिद्वन्दियो तथा उनसे सम्बन्धित दल तथा उनके द्वारा प्राप्त मतो का विवरण दिया गया है।

तालिका- 5 4

ससदीय क्षेत्र फैजाबाद (28) का अब तक परिणाम

क्र०स०	वर्ष	निर्वाचित	पार्टी	प्रतिशत	निकटतम प्रतिद्वन्दी	दल	तिशत
1	1952	पन्नालाल	काग्रेस	24 70	लालनजी	काग्रेस	21 20
2	1957	राजाराम मिश्रा	काग्रेस	22 10	पन्नालाल	काग्रेस	19 10
3	1962	वृजवासीलाल	काग्रेस	40 10	राजेन्द्र सिह	जनसघ	24 40
4	1967	रामकृष्ण सिह	काग्रेस	37 40	चन्द्रभान अग्रवाल	जनसघ	29 80
5	1971	रामकृष्ण सिह	काग्रेस	58 40	सुचेता कृपालनी	काग्रेसएस	20 10
6	1977	अनन्त राम	जनता पार्टी	69 40	रामकृष्ण सिह	काग्रेस	21 40
7	1980	जयराम वर्मा	काग्रेस	45 70	ए आर जायसवाल	जनता पार्टी	27 50
8	1984	निर्मल खत्री	काग्रेस	44 60	मित्रसेन यादव	सी पी आई	17 70
9	1989	मित्रसेन यादव	सी0पी0आई0	41 50	निर्मलखत्री	काग्रेस	40 20
10	1991	विनय कटियार	भाजपा	37 70	मित्रसेन यादव	सी पी आई	24 90
11	1996	विनय कटियार	भाजपा	38 58	मित्रसेन यादव	सी पी आई	24 90
12	1998	मित्रसेन यादव	सपा	38 43	विनय कटियार	भाजपा	37 26
13	1999	विनय कटियार	भाजपा	29 39	सियाराम निषाद		20 65

परन्तु 13 चुनावो मे से काग्रेस की 7 बार जीत और 46 वर्षों मे से 34 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना काग्रेसी उम्मीदवारो की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नही मानी जाएगी क्योकि 1952 से 1977 तक काग्रेस का हिन्दुस्तान की राजनीत पर लगभग एकाधिकार था और उसका प्रभाव सम्पूर्ण राष्ट्र पर एक समान था। दूसरे तत्कालीन विपक्षी पार्टियो का इतना व्यापक जनाधार नही था और वह आपसी मतभेदो मे बिखरे हुए थे इसलिए काग्रेस 52 से 71 तक के चुनाव मे लगातार इस क्षेत्र से निर्वाचित होती आयी। 77 के चुनाव मे पहलीबार विपक्षी दलो ने काग्रेस के विरूद्ध एक सशक्त दल जनता पार्टी का गठन किया और काग्रेस को पहली बार कडी टक्कर दी। परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट्र की तरह फैजाबाद मे भी काग्रेस की भारी पराजय हुई और यहा से जनता पार्टी के उम्मीदवार अनन्तराम जायसवाल ने रिकार्ड 69 40 मत पाकर 21 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले काग्रेसी उम्मीदवार रामकृष्ण सिन्हा को बुरी तरह पराजित किया 1980 के चुनाव मे विपक्षी दल पुन विभाजित होकर चुनाव लड़े और परिणाम भी

वही निकला जो 71 तक के चुनावो तक निकलता था अर्थात एक बार काग्रेस पुन वहा से 45 70 प्रतिशत मत पाकर अच्छी अतरी से विजयी हुयी। 1984 के चुनाव म काग्रेस को फैजाबाद मे भी सम्पूर्ण देश की तरह श्रीमती इदिरा गाधी की हत्या का सहानुभूति मिली और काग्रेसी उम्मीदवार निर्मल खत्री 44 60 प्रतिशत मत पाकर सी पी आई के मित्रसेन यादव को पराजित किया। लेकिन उसके बाद के सम्पन्न चुनावो 1989 1991 और 1999 मे काग्रेस बुरी तरह पराजित हुयी। काग्रेस की स्थिति इन चुनावो मे इतनी दयनीय होती गयी कि उसने 1998 के चुनाव मे अपना प्रत्याशी भी नही उतारा और फैजाबाद के मतदाताओ का जो सर्वे किया गया उससे ऐसा लगता है कि आने वाले निकट भविष्य मे काग्रेस इस क्षेत्र से जीत भी नही सकती। क्योकि काग्रेस का परपरागत मतदाता वर्ग उसे छोड विभिन्न दलो को स्वीकार कर चुका है। जैसे माना जाता हे कि ब्राह्मण कुछ हद तक क्षत्रिय दलित और मुस्लिम वर्ग ही काग्रेस का ठोस मतदाता वर्ग था और यह सभी वर्ग अब उससे अलग हो चुके है। जैसे ब्राह्मण भाजपा की तरफ क्षत्रिय भाजपा और सपा मे दलित पूर्णत बसपा मे और मुसलमान भी सपा और बसपा मे विभाजित हो चुके हैं। इन आकडो से पूर्णत स्पष्ट हो जाता है कि काग्रेस का ग्राफ दिनो–दिन किस प्रकार नीचे गिरता गया है। 91 के चुनाव मे काग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री 81480 मत प्राप्त करते है और पहली बार काग्रेस इस क्षेत्र मे पहला और दूसरा स्थान छोडकर तीसरे स्थान पर पहुच गयी और 96 के चुनाव मे तो स्थिति इतनी दयनीय हो गयी कि काग्रेस प्रत्याशी यदुवशराम त्रिपाठी मात्र 9877 मत हासिल कर अपनी जमानत तक गवा बैठे। इससे यह उचित ही लगता है कि इस क्षेत्र मे जब तक जाति की राजनीति चलती रहेगी तब तक काग्रेस का कोई भविष्य नही है।

काग्रेस के अतिरिक्त भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस क्षेत्र से तीन बार चुनाव जीता है और एक बार वह मात्र 7391 मत से ही पराजित हुयी। परन्तु भाजपा की इस जीत मे उसकी नीतियो सिद्धान्तो और कार्यक्रमो की अपेक्षा जातिगत समीकरण का होना अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। क्योकि भाजपा यहा से कुर्मी जाति के विनय

कटियार को अपना उम्मीदवार घोषित करती है जो कि इस सीट के जातिगत समीकरणा से उपयुक्त बैठती है। प्रस्तुत है तालिका न0 55मे क्षेत्र का जातिगत समीकरण[1]–

वर्तमान समय मे जिले की जातिगत सरचना अधिकारिक रूप से ज्ञात नही है परन्तु 1998 के ससदीय चुनाव मे जिले के जनमोर्चा कार्यालय ने गैर सरकारी तोर पर फैजाबाद ससदीय सीट की जातिगत सरचना की सूचना एकत्र कराई थी जो तालिका न 55 मे दी गयी है।

तालिका न0 55

क्रमाक	जाति का नाम	मतादाताओ की सख्या
1	दलित	300 लाख
2	ब्राह्मण	200 लाख
3	ठाकुर	175 लाख
4	मुस्लिम	175 लाख
5	यादव	150 लाख
6	कुर्मी	75 हजार
7	बनिया	75 हजार
8	पजाबी	25 हजार
9	मौर्या	15 हजार
10	कुम्हार	20 हजार
11	सिन्धी	10 हजार
12	कायस्थ	75 हजार

इस तालिका को देखन से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र के कुल मतदाताओ की सख्या 12 लाख 33 हजार 8 सौ 35 है। जिसमे दलित लगभग 3 लाख ब्राह्मण 2 लाख ठाकुर 175 लाख मुस्लिम 15 लाख यादव 150 लाख कुर्मी 75 हजार बनिया 75 हजार पजाबी 75 हजार मौर्या 15 हजार कुम्हार 20 हजार सिन्धी 10 हजार और कायस्थ 75 हजार है। इनमे से ब्राह्मण का 75 प्रतिशत कुर्मी 75 प्रतिशत ठाकुरों का 75 प्रतिशत, वैश्य वर्ग का 80 प्रतिशत मत भाजपा का माना जा सकता है? यह सभी मत मिलकर समस्त मतो का लगभग 40 प्रतिशत होता है इसके अतिरिक्त शहर का लगभग 75 प्रतिशत मत भाजपा पा ही जाती है। अत यह सभी समीकरण मिलकर भारतीय

---

[1] 18 फरवरी 1998– जनमोर्चा में प्रकाशित सूचना के आधार पर

जनता पार्टी के जीत का कारण बन जाती है। इस जातिगत समीकरण मे सपा और बसपा उससे थोडा पीछे छुट जाते है परन्तु सपा इसकी भरपाई क लिए भरपूर प्रयत्नशील रहती है और इसने इस सीट पर एक बार जीत दर्ज की है जो 98 के चुनाव मे मिला। इसके अतिरिक्त एक बार जनता पार्टी एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इस सीट से चुनाव जीत चुकी है। परन्तु बसपा का अभी इस सीट से खाता नही खुल सका है।[1]

प्रस्तुत है तालिका 56 मे अब तक फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दलो द्वारा प्राप्त मत।[2]

---

1 18 फरवरी 1998– जनमोर्चा मे प्रकाशित सूचना के आधार पर

2 20 मई 1996– जनमोर्चा में प्रकाशित सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त चुनावी आकड़े।

तालिका 5 6

विभिन्न राजनीतिक दलो को 28 फैजाबाद मे अब तक के चुनावो मे 1999 से प्राप्त मत

राजनीतिक दल	द्वि सदस्यी	द्वि सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी	एक सदस्यी
	1952	1957	1962	1967	1971	1977	1980	1984	1989	1991	1996	1998	1999
काग्रेस	2 51 549	253096	75993	83532	118422	65916	137004	173652	185097	81480	9877	—	106237
जनसघ		138018	65087	66623									
भाजपा								27735		169571	216016	245994	193119
भा क पार्टी		69072		60333		6656		68530	191027	112008		7406	
बसपा								19133	38283	52548	82094	127950	135629
जनता पार्टी						213719	49385	56594		18310	631		
जनता एस							82580						
काग्रेस यू							3687						
भा क्रा परि	105203				40732								
कि मज सभा	146043				10174								
प्र शो पार्टी		79771											
समाजवादी पार्टी											1907034	253331	
काग्रेस तिवारी											2654		
ने डे पार्टी												841	
अपना दल												16098	16252
अजेय भा पार्टी												736	932
भा कि का पार्टी												1717	
भा लोकदल													2896

फैजाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र

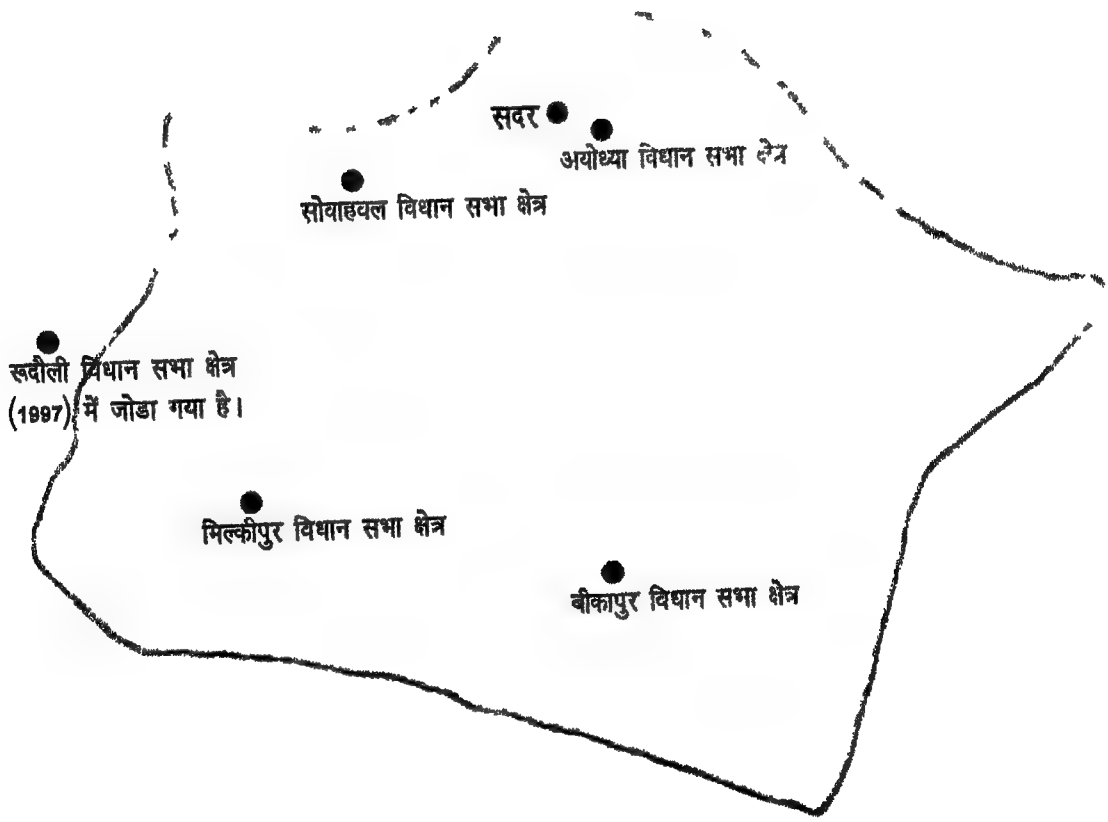

फैजाबाद मे विधान सभाई सीटो पर जातिगत प्रभाव

ससदीय चुनाव की तरह विधानसभा चुनावो मे भी जनपद मे पिछडी जातिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है और साथ ही प्रभावशाली भी। जनपद से अम्बेडकर नगर के अलग होने के पूर्व इस जिले मे कुल 9 विधान सभा क्षेत्र थे– फैजाबाद ससदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले–अयोध्या सोहावल मिल्कीपुर और विकापुर विधानसभा क्षेत्र तथा अम्बेडकर नगर ससदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अकबरपुर टाण्डा जलालपुर कटेहरी और जहागीरगज विधानसभा क्षेत्र। परन्तु अम्बेडकर नगर के 1995 मे अलग हो जाने के बाद जिले की 5 विधानसभा सीटे अकबरपुर टाण्डा जलालपुर कटेहरी और जहागीरगज इसे अलग हो गयी। जिसके परिणामस्वरूप इस जिले मे कुल चार विधानसभा क्षेत्र ही रह गये। परन्तु 1997 मे बाराबकी जिले से रूदौली विधानसभा क्षेत्र को इस जिले मे मिला देने के कारण कुल 5 विधानसभा सीट हो गयी है। जो अयोध्या सोहावल मिल्कीपुर विकापुर और रूदौली है।[1] यहा सिर्फ 1993 और 1996 विधान सभा चुनावो का ही विश्लेषण किया गया है। क्योकि, उसके पूर्व इन चुनावो मे जाति फैक्टर का कोई विशेष योगदान नही था।

1993 के विधानसभा चुनाव का परिणाम

1993 के विधान सभाई चुनाव मे उत्तर प्रदेश की तरह ही फैजाबाद मे भी सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लडा था। जिसका फायदा उसे मिला क्योकि पिछडी जातिया और अनुसूचित जातिया यदि दोनो का मत जोड दिया जाए तो वह किसी भी सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। 93 के विधान सभाई चुनाव मे 134 अयोध्या विधान सभा सीट से भाजपा ने अपने निवर्तमान विधायक लल्लू सिह को टिकट दिया था जबकि सपा ने अपने पूर्व विधायक जयशकर पाण्डेय को। सपा–बसपा गठबन्धन में यह सीट सपा को मिली थी। काग्रेस ने सुरेन्द्र प्रताप सिह को भाकपा ने राजबहादुर यादव को, जनता दल ने डा0पी0सी0 यादव को टिकट दिया इसके अतिरिक्त शिवसेना के सुनील कुमार सिह, दूरदर्शी पार्टी के मथुरा प्रसाद सोनकर, और राष्ट्रीय दलित पार्टी के

1 जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर।

तौफीक भी चुनाव मैदान मे थे। इसके अतिरिक्त कुल 23 निर्दल प्रत्याशी भी इस चुनाव मे अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड रहे थे।[1]

इस चुनाव मे कुल 220431 मतदाता अयोध्या विधानसभा सीट से थे। इनमे से 127064 मत पोल हुआ। जिसमे 124013 मत वैध और 3057 मत अवैध थे। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक लल्लू सिह ने 58587 मत प्राप्त कर इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। उनकी जीत का मुख्य कारण इस सीट का अधिकाश भाग शहरी होना और अयोध्या के लगभग 25 हजार साधु–सतो का ठोस वोट के रूप मे भाजपा समर्थक होना माना गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयशकर पाण्डेय 40349 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे जबकि काग्रेसी उम्मीदवार सुरेन्द्र प्रताप सिह 8389 मतो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। शेष दलो को यहा कोई विशेष मत नही प्राप्त हुआ।[2]

135 बीकापुर विधानसभा क्षेत्र सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र रहा है तथा यहा का सवर्ण मतदाता काग्रेस का ही समर्थक रहा है। साथ ही हरिजन तथा दलित मतदाताओ पर भी काग्रेस की पकड रही है। परन्तु सवर्ण मतदाताओ का भाजपा की तरफ हरिजनो का बसपा की तरफ और मुस्लिम मतो के बिखराव के कारण काग्रेस की स्थिति यहा दयनीय हो गयी।[3] 1993 के चुनाव मे यहा कुल 216484 मतदाता थे। जिनमे 129860 मतदाताओ ने मतदान मे भाग लिया। 126775 मत वैध और 3085 मत अवैध थे। यहा से भाजपा ने सतश्री राम द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया जो 34771 मत प्राप्त कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परशुराम यादव से 7100 मतो से पराजित हो गये। यह सीट गठबन्धन मे सपा को मिली थी। काग्रेस ने भी अपने पुराने मतदाताओ के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त किये। उसके प्रत्याशी सीताराम निषाद 30678 मत प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त जनतादल के मायाराम वर्मा ने कुर्मी मतदाताओ के बल पर 11228 मत प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त जनता पार्टी के कालिन्दी 300 दूरदर्शी पार्टी के रामसुन्दर प्रजापति 253 शिवसेना के राजेन्द्र 222, मत पाये। इस क्षेत्र से 17 निर्दल उम्मीदवारो ने भी

---

1 जनमोर्चा– 1 सितम्बर 1996 फैदाबाद
2 जनमोर्चा– 1 सितम्बर 1996।
3 जनमोर्चा– 19 अप्रैल 1996।

चुनाव लडा था जिसमे सभी की जमानत जब्त हो गयी थी।[1] 136 मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी सवदेनशील क्षेत्र माना जाता है। उल्लेखनीय हे कि इस क्षेत्र मे चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा यहा सघर्षो का सिलासिला प्रारम्भ हो जाता है। इस क्षेत्र मे तमाम ऐसे काड हो चुके है जिसे राजनीतिक प्रतिद्वद्विता के चलते ही होना बताया जाता है जिनमे हत्या आगजनी मारमीट आदि शामिल है। यह क्षेत्र यादव बाहुल्य है पहले भाकपा मे और अब सपा मे रहने वाले मित्रसेन यादव का गढ रहा है। श्री यादव इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक निर्वाचित हो चुके है।[2] वैसे यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी गढ मानी जाती है। 1993 के चुनाव मे यहा से कुल 14 उम्मीदवारो ने चुनाव लडा था। जिसमे भाकपा के मित्रसेना यादव भाजपा के मथुरा प्रसाद तिवारी बसपा के अवधेश यादव और काग्रेस के हनुमान प्रसाद त्रिपाठी प्रमुख थे। इस चुनाव मे यह सीट गठबन्धन के तहत बसपा को दी गयी थी। भाकपा प्रत्याशी मित्रसेन यादव 40896 मत पाकर यहा से जीत दर्ज की। भाजपा के मथुरा प्रसाद तिवारी 40121 मत प्राप्त कर मात्र 776 वोट से चुनाव हार गये। बसपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 16872 मत प्राप्त कर तीसरा स्थान और काग्रेस के हनुमान प्रसाद त्रिपाठी 13828 मत प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किये।[3]

137 सोहावल विधानसभा क्षेत्र मे कुल 201585 मतदाता थे। 1974 के बाद जब काग्रेस का इस सीट पर से प्रभाव कम हो गया किसी भी दल के लिए यह सीट स्थायी गढ नही बन सकी।[4] सपा–बसपा गठबन्धन के तहत यह सीट सपा को मिली। जिसने यहा से अवधेश प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने रामू प्रियदर्शी जनता दल ने राम प्रसाद काग्रेस ने माधव प्रसाद, शिवसेना ने राम लहरी और दूरदर्शी पार्टी ने राम गनेश को अपना प्रत्याशी बनाया। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 59115 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वि भाजपा के राम प्रियदर्शी को 16496 मतो से पराजित किया। इस चुनाव मे प्रियदर्शी को कुल 42619 मत प्राप्त हुए थे जनता दल प्रत्याशी राम प्रसाद

---

1 जनमोर्चा– 1 सितम्बर 1996।
2 जनमोर्चा– 1 सितम्बर 1996।
3 जनमोर्चा– 19 अप्रैल 1996।
4 जनमोर्चा– 1 सितम्बर 1996।

5021 मत पाकर तीसरे और काग्रेस प्रत्याशी माधव प्रसाद 3752 मत प्राप्त कर चौथे स्थान पर रहे। शिवसेना के रामलहरी को 536 मत और दूरदर्शी पार्टी के राम नगश को 364 मत प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त निर्दल उम्मीदवार भी यहा से चुनाव लडे थे।[1] इस प्रकार फैजाबाद चार सीटो मे 3 पर पिछडी जातियो ने अपना कब्जा किया।

1996 का विधानसभा चुनाव परिणाम

1996 का विधानसभा चुनाव परिणाम भी लगभग 1993 जैसा ही था। इस चुनाव मे यहा से भाजपा को 1 सीट और सपा को तीन सीट मिले। जबकि 1993 के चुनाव मे भी यहा से भाजपा को 1 सीट और सपा को तीन सीट मिले। जबकि 1993 के चुनाव मे सपा को 2 भाजपा को 1 और 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिला परन्तु मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मित्रसेन यादव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता छोडकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिसके परिणामस्वरूप मिल्कीपुर जैसा सपा को एक गढ मिल गया। दूसरे बीकापुर क्षेत्र से पिछली बार काग्रेस के टिकट पर चुनाव लडे सीताराम निषाद भी काग्रेस छोडकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिस कारण भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यहा की सीटे आपस मे बाट ली सपा को 3 और भाजपा को 1 स्थान मिला। भाजपा अयोध्या विधानसभा सीट को अपने पास बनाये रखने मे सफल रही जहा उसके उम्मीदवार लल्लू सिह लगातार तीसरा चुनाव जीते। जबकि सोहावल से सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से मित्रसेन यादव और विकापुर से सीताराम निषाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहा से चुनाव जीते। इस प्रकार 1993 की भाति 1996 के विधान सभाई चुनाव मे भी फैजाबाद से चार मे तीन सीटे पिछडी जाति के उम्मीदवारो को प्राप्त हुयी।[2] जो जिले मे उनके राजनीतिक प्रभुत्व को परिलक्षित करता है।

---

1 जनमोर्चा– 19 अप्रैल 1996।
2 जनमोर्चा– 7 सितम्बर 1996 12 अक्तूबर 1996–जनमोर्चा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।

फैजाबाद जनपद की राजनीतिक स्थिति

यदि फैजाबाद जिले मे पिछडी जातियो की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययनन किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र आजादी के पूर्व से ही पिछड़ी जातियो के उत्थान का क्षेत्र था। डा0 राम मनोहर लोहिया ओर डा0 नरेन्द्र देव राष्ट्रीय ही नही वरन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात समाजवादी विचारक थे जिन्होने भारतीय स्वतत्रता आदोलन मे बढ–चढ कर हिस्सा लिया और भारत की आजादी मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डा0 लोहिया के मन मे समाजवादी नीतियो के प्रति गहरी आस्था का एक कारण यह भी था कि वह इस जिले मे व्याप्त सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था की कुरीतियो को बहुत नजदीक से देखा था और आजीवन इसके प्रति सघर्ष करते रहे। डा0 लोहिया और डा0 आचार्य नरेन्द्र देव से फैजाबाद मे पिछडी जातियो का जो राजनीतिक जागरण आरम्भ हुआ उसे द्वारिका प्रसाद मौर्य जयराम वर्मा महादेव प्रसाद वर्मा गोपीनाथ वर्मा अकबर हुसैन बाबर मित्रसेन यादव विनय कटियार रामलखन वर्मा रामअचल राजभर हरिशकर सफरीवाला और अवधेश प्रसाद जैसे पिछडी जाति जाति के नेताओ ने और आगे बढाया।[1] यदि अवधि या वर्ष की दृष्टि से देखा जाय तो 1967 से 77 तक की राजनीति इस जिले मे कुर्मी प्रमुख की मानी जाती है। जिसमे जयराम वर्मा महादेव प्रसाद वर्मा गोपीनाथ वर्मा और सीताराम निषाद इस अवधि के प्रमुख नेता थे। द्वारिका प्रसाद मौर्या ने भी इस दौरान पिछडी जाति की राजनीति मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। महादेव प्रसाद वर्मा अत्यत ही कुशल राजनीतिक दृष्टिकोण रखते थे। वह पिछडी जातियो को राजनीतिक रूप से जाग्रत करने के लिए 'लोकराज नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जो गोसाईगज से निकलती थी। श्री महादेव प्रसाद वर्मा स्वय इसके प्रधान सम्पादक थे। और इसके सहायक सम्पादक श्री राजबहादुर द्विवेदी थे।[2]

---

1 मित्रसेन यादव 1993 के ससदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार से बातचीत पर आधारित।
2 हरिशकर मौया उर्फ सफरीवाला से लिये साक्षात्कार पर आधारित।

महादेव प्रसाद वर्मा की तरह ही जयराम वर्मा इस जिले के महत्वपूर्ण पिछडी जाति के नेता थे। जयराम वर्मा आजादी के समय से ही पिछडी जाति के उत्थान के लिए सघर्षशील थे और अपने उद्देश्य मे काफी हद तक सफल भी रहे। यह 1980 के ससदी चुनाव मे फैजाबाद से 45 70 प्रतिशत मत पाकर काग्रेस के टिकट पर सासद भी निर्वाचित हो चुके है। द्वारिका प्रसाद मौर्या पिछडी जाति के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। 1984 मे ही इन्होने शापित सघ की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश पिछडा वर्ग सघ जो कि डा0 राम मनोहर लोहिया द्वारा स्थापित किया गया था के सस्थापक सदस्य थे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जिले की राजनीति मे 1950–1977 तक पिछडी जातियो मे कुर्मियो का ही प्रमुख देखा जा सकता है।[1] अकबर हुसैन बाबर एक महत्वपूर्ण मुस्लिम समुदाय के पिछडी जाति के नेता थे जिन्होने अपना एक मात्र उद्देश्य जिले की पिछडी जातियो को राजनीतिक सास्कृतिक और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से जागरूक करने मे समर्पित कर दिया परन्तु इनका कार्य क्षेत्र फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील तक ही सीमित थी।[2]

1977 से 1998 तक का काल यादव और कुर्मी दोनो समृद्धि ? पिछडी जातियो का माना जा सकता है क्योकि इनमे यादव और कुर्मी दोनो जातियो काराजनीतिक प्रभुत्व समान रूप से चल रहा था। मित्रसेन यादव विनय कटियार रामलखन वर्मा हरिशकर सफरीवाला इस समय के इन दोनो जातियो के महत्वपूर्ण नेता थे। इसके अतिरिक्त निषाद जाति के सीताराम निषाद और भर जाति के राम अचल राजभर भी पिछडी जाति के नेता थे जो अलग–अलग जातियो से सम्बन्ध रखते थे लेकिन इन सभी नेताओ का वर्ग एक ही था और वह था पिछडी जातियो का वर्ग।[3]

---

1 कृष्ण कुमार मौर्या जिला समन्वयक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साक्षात्कार पर आधारित।
2 अतुल कुमार सिह सदस्य प्रातीय कालकारिणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुन्नालाल जिला महामत्री बहुजन समाज पार्टी के साक्षात्कार के आधारित।
3 राम सुमेर विधानासभा अध्यक्ष–सोहावल बहुजन समाज पार्टी
ओम प्रकाश यादव जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी
अशोक सिह जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी
श्यामा यादव नगर सचिव समाजवादी पार्टी

फैजाबाद मे जिला स्तर, ब्लाक स्तर, और ग्राम पचायत स्तर पर पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति

जिला और उसके नीचे ब्लाक एव ग्राम स्तर पर पिछडी जातियो की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए फैजाबाद जिले की 1995 एव 2000 मे समपन्न जिला परिषद चुनाव ब्लाक प्रमुख चुनाव और ग्राम पचायत चुनावो को आधार बनाया गया है।

1995 के जिला पचायत चुनावो मे कुल 34 पचायत सदस्य निर्वाचित किये गये। इन 34 जिला पचायत सदस्यो मे से पिछड़ी जाति के 15 अनुसूचित जाति के 9 और सामान्य 6 तथा मुस्लिम वर्ग के 4 प्रतिनिधियो का निर्वाचन हुआ। अब अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाय तो पिछडी जाति के 44 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति के 24 47 प्रतिशत सदस्य सामान्य वर्ग के 17 64 प्रतिशत तथा मुस्लिम वर्ग के 11 76 प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। इस प्रकार समस्त प्रतिनिधियो के लगभग आधे प्रतिनिधि अकेले पिछडी जातियो से ही निर्वाचित हुए और जिला पचायत अध्यक्ष भी पिछडी जाति के ही हीरालाल यादव को निर्वाचित किया गया।[1] इस प्रकार जिला पचायत चुनाव 2000 के निर्वाचन मे भी पिछडी जातियो को 47 प्रतिशत अनुसूचित जातियो को 23 प्रतिशत सामान्य को 20 प्रतिशत और मुस्लिम प्रतिनिधि को 8 प्रतिशत सीन मिले। परन्तु यह स्थिति पहले नही थी। 90 के पूर्व चुनावो मे यहा के जिला पचायत चुनावो मे उच्च जातियो का ही वर्चस्व बना रहता था।[2]

इसी प्रकार 1995 के ब्लाक प्रमुख चुनाव म भी पिछडी जातियो ने अपनी स्थिति को सुहिण बनाये रखा। 1995 के सम्पन्न इस चुनाव मे कुल 11 ब्लाक प्रमुखो मे से 5 पिछडी जाति के तीन अनुसूचित जाति के 2 मुस्लिम वर्ग से और 1 सामान्य जाति से निर्वाचित हुए। इस प्रकार यदि देखा जाय तो पिछडी जाति का प्रतिशत

राम दुलार पटेल प्रभारी विकापुर विधानसभा क्षेत्र अपना दल के साक्षात्कार पर आधारित।

1 जिला पचायत कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर।

2 जिला पचायत सदस्य सभापति यादव से व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

44 45 अनुसूचित जाति का 27 27 प्रतिशत सामान्य का 9 09 प्रतिशत और मुस्लिम वर्ग का 18 18 प्रतिशत है।[1] प्रस्तुत है तालिका न 5 7 1995 का ब्लाक प्रमुख परिणाम–

तालिका न0 5 7

ब्लाक प्रमुख 1995 के परिणाम

क्र0	प्रत्याशी का नाम	प्रत्याशी की जाति या वर्ग
1	राम गरीब वर्मा	पिछडी जाति
2	शिव बचन सिह	सामान्य
3	राम अचल यादव	पिछडी जाति
4	राधेश्याम	अनुसूचित जाति
5	मुन्नौवर अली	मुस्लिम
6	विसात खा	मुस्लिम
7	श्रीमती पुनम रावत	अनुसूचित जाति
8	माया देवी	अनुसूचित जाति
9	इन्दू सेन	पिछडी जाति
10	मातादीन निषाद	पिछडी जाति
11	श्रीमती मधुबालास निषाद	पिछडी जाति

1995 के ब्लाक प्रमुख चुनावो की तरह ही 2000 मे भी ब्लाक प्रमुख चुनाव मे पिछडी जातियो ने दबदबा बनाये रखा। इस बार भी कुल 11 स्थानो मे से 5 स्थान प्राप्त

1 जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर।

किया और शेष 3 स्थान सामान्य जाति को और 3 स्थान अनुसूचित जाति को प्राप्त हुए है। नीचे तालिका न0 58 2000 मे सम्पन्न ब्लाक प्रमुख चुनाव परिणामा का विवरण दिया गया है।[1]

तालिका न0 58

ब्लाक प्रमुख 2000 के परिणाम

क्र0	प्रत्याशी का नाम	प्रत्याशी की जाति या वर्ग
1	अशोक कुमार सिह	सामान्य
2	हृदय राम	अनुसूचित जाति
3	राजेन्द्र प्रसाद	पिछडी जाति
4	मनोज वर्मा	पिछडी जाति
5	श्री रामअवध	अनुसूचित जाति
6	आनन्द सेन	पिछडी जाति
7	कमलेश कुमार	सामान्य
8	श्रीमती शोभा सिह	सामान्य
9	राजरानी	अनुसूचित जाति
10	चन्द्रावती	पिछडी जाति
11	मिथिलेश	पिछडी जाति

1 जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर।

इस प्रकार देखा जाए तो पिछडी जातियो ने इस चुनाव मे भी कुल पड मता का 45 प्रतिशत अनुसूचित जातिया 27 प्रतिशत और सामान्य को 27 प्रतिशत मत प्राप्त किये।

जिला और उसके नीचे ब्लाक प्रमुख चुनावो का अध्ययन करने के बाद लोकतत्र की सबसे निम्न सीढी–ग्रामो–का अध्ययन किया गया है। इस जिले के 11 ब्लाको म 730 ग्रामो मे ग्राम प्रधानो का निर्वाचन हुआ जिसमे 345 ग्राम प्रधान पिछडी जाति क 193 अनुसूचित जाति के 39 ब्राह्मण समुदाय से 65 क्षत्रिय जाति से 43 मुसलमानो से औरर 45 अन्य जातियो से निर्वाचित हुए। अब यदि प्रतिशत के रूप मे देखा जाए तो सर्वाधिक ग्राम पिछडी जाति से निर्वाचित हुए इन जातियो का प्रतिशत 47 26 हे। दूसरे नम्बर अनुसूचित जातिया है जो 26 43 प्रतिशत है। 8 90 प्रशित के साथ राजपूत तीसरे स्थान पर और 6 61 प्रतिशत के साथ ब्राह्मण चौथे स्थान पर रहे। यह आकडा सम्पूर्ण जिले का है। ब्लाक स्तर भी पिछडी जातियो का प्रतिशत मे जनपद के सभी 11 विकास खण्डो के ग्रामो का जातिगत आधार पर वर्गीकरण दिया गया है।[1]

---

1 ग्रामों प्रधानों की विवरणीका पचायत निर्वाचन, जनपद फैजाबाद केन्द्रीय पचायत उद्योग प्रिन्टिग प्रेस फैजाबाद पृष्ठ सख्या–1 से 44 तक–2000

तालिका न0 59

फैजाबाद जनपद मे ग्राम प्रधानो का जातिवार वर्गीकरण

नाम विकास खण्ड	विकास खण्ड मे गावो की सख्या	निर्वाचित प्रधानो की सख्या	निर्वाचित पुरूष प्रधानो की सख्या	निर्वाचित महिला प्रधानो की सख्या	योग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	पिछडी जाति	अनु0जाति	मुसलमान	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
माया बाजार	61	61	40	24	71	03	07	31	19	03	08	71
पूरा बाजार	61	61	40	21	61	03	08	24	18	04	04	61
मसौधा	71	71	53	18	71	05	06	35	15	06	04	71
सोहावल	53	53	31	22	53	04	04	31	18	05	01	53
अमानीगजज	69	69	42	27	69	03	09	31	17	04	05	69
मिल्कीपुर	69	69	46	23	69	03	05	30	20	05	06	69
हस्टिनगज	55	55	33	22	55	04	05	24	17	02	03	55
बीकापुर	59	59	39	20	59	02	04	30	15	02	04	59
तारून	84	84	59	25	84	04	04	51	22	02	03	84
पवई	47	47	35	12	47	05	06	18	10	06	02	47
अदौली	91	91	63	28	91	03	07	40	22	14	05	91
	730	730	488	242	730	39	65	345	193	43	45	730

तालिका न0 5 10

फैजाबाद जनपद मे ग्राम प्रधानो का जातिवार वर्गीकरण

नाम विकास खण्ड	कुल प्रधानो की सख्या	निर्वाचित ब्राह्मणो का प्रतिशत	निर्वाचित क्षत्रियो का प्रतिशत	निर्वाचित पिछडी जातियो का प्रतिशत	निर्वाचित अनु0जातियो का प्रतिशत	निर्वाचित मुसलमानो का प्रतिशत	निर्वाचित अन्य जातियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
माया बाजार	71	4 22	9 85	43 66	26 76	4.22	11.26
पूरा बाजार	61	4 91	13 11	39 34	29 50	6 55	6.55
मसौधा	71	7 04	8 45	49.29	21 12	8 45	5 63
सोहावल	53	7 54	7 54	58 49	33 96	9 43	1 88
अमानीगजज	69	4 34	13 04	44 92	24 63	5 79	7.24
मिल्कीपुर	69	4 34	7.24	43 47	23 98	7 26	8 69
हस्टिनगज	55	7 27	9 09	43 63	30 90	3 63	5 45
बीकापुर	59	3 38	6 77	50 84	25 42	3 38	6 77
तारून	84	4 76	4 76	60 71	26 19	00 00	3 57
पवई	47	10 63	12 76	38.29	21.27	12 76	4.25
अदौली	91	3 29	7 69	43 95	24 17	15 38	5 49

QStkckn tuın esa dqy xzke ız/kkuksa dh la[k&730

निर्वाचित पुरूष ग्राम प्रधानो की सख्या–488 / 730–66 84

निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानो की सख्या– 242 / 730–33 15

निर्वाचित ब्राह्मणो की सख्या–39 / 730–5 34

निर्वाचित क्षत्रियो की सख्या–65 / 730–8 90

निर्वाचित पिछडी जातियो की सख्या–345 / 730–47 26

निर्वाचित अनुसूचित जातियो की सख्या–193 / 730–26 43

निर्वाचित मुसलमानो का प्रतिशत–43 / 700–5 39

निर्वाचित अन्य जातियो की सख्या–45 / 730–6 61

जिले के विभाजन के पूर्व यदि देखा जाये तो फैजाबाद मे पिछडी जातिया पूर्ण बहुमत मे थी परन्तु विभाजन के बाद अम्बेडकर नगर के अलग होने की स्थिति म परिवर्तन आ गया है। फैजाबाद मे अब पिछडी जातिया सवर्णों से थोड़ा ही आग है। जबकि अम्बेडकर नगर मे उनका बहुमत बना हुआ है। यदि पिछडी जातियो के दृष्टिकोण से देखा जाय तो यहा यादव पिछडी जातियो मे सर्वाधिक है और दूसरे नम्बर पर कुर्मी है।[1]

यद्यपि जातिवार शिक्षित व्यक्तियो के आकडे उपलब्ध नही है तथापि सामान्य घारणा यही है कि इस जिले की पिछडी हुयी जातियो मे विशेषकर यादवो और कुर्मियो मे बहुत तेजी के साथ शिक्षा का प्रसार हो रहा है। इसी प्रकार इन जातियो के शिक्षको की सख्या मे भारी वृद्धि हो रही है। इसके मुख्य रूप से दो कारण रहे है–प्रथम तो यह कि इन जातियो मे शिक्षा का सर्वाधिक प्रतिशत है और दूसरे मण्डल कमीशन रिर्पोट लगू हो जाने के बाद प्रत्येक स्कूल और कालेज मे इनकी सख्या दिन–प्रतिदिन बढती ही जा रही है। पिछडी जातियो मे शिक्षा के प्रसार का असर सिर्फ शिक्षण सस्थाओ मे ही दिखाई नही दे रहा है वरन जिले के सभी क्षेत्रो मे देखा जा सकता है इसका सबसे अच्छा प्रमाण फैजाबाद जिला न्यायालय मे पिछडी जातियो के वकीलो की सख्या को माना जा सकता है। फैजाबाद जिला अधिवक्ता सघ के अनुसार 1998 मे 48 प्रतिशत अधिवक्ता पिछडी जातियो के है और पिछले दशक मे तो इसमे अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है। सध के कई पदाधिकारी भी इन्ही जातियो मे से है। यहा तक की यहा पर एक अलग पिछडा हुआ अधिवक्ता सघ भी हैं।[2]

यह भी अनुभव किया जा रहा है कि पिछले दो दशको मे पिछडी जातियो की आर्थिक स्थिति मे गुणात्मक परिवर्तन आया है। पिछडी जाति के विशेषकर यादव जाति मे अधिकतर पढ़े–लिखे युवक जो घर से थोडा सम्पन्न है ठेकेदारी की तरफ झुक रहे हैं

---

1 जनमोर्चा 14 फरवरी–फैजाबाद सस्करण 1998।
2 फैजाबाद जिला अधिवक्ता संघ से सकलित DATA के अनुसार।

जो पहले बहुत कम ही देखने को मिलता था। जैसे कि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य 34 वर्षीय ओम प्रकाश यादव के अनुसार यहा के अधिकाश परिवारो मे जहॉ एक लडका ठेकेदारी करता है तो दूसरा किसी न किसी प्रकार से राजनैतिक कार्य मे सलग्न है।[1] सामाजिक दृष्टि से इस जिले मे यादवो को शारीरिक शक्ति प्रधान जाति माना जाता है। अधिकाश यादव बलशाली एव लाठी भाजने एव कुश्ती करने की कला मे प्रवीण होते है। पूर्वाचल के अन्य जिलो की भाति फैजाबाद मे भी यादवो और ठाकुरो मे वैमनस्य और सघर्ष होता आया है। जो कि बहुधा खेत काटने चोरी करने अथवा करवाने और कभी–कभी मार पीट मे प्रकट होती है। ठाकुर पुराने समय के जमीदार होने के कारण आज भी चाहते है कि लोग उनकी प्रतिष्ठा करे जबकि सम्पन्न यादव जाति के सदस्य जो अब दिन–प्रतिदिन और सम्पन्न होते जा रहे है इनको वह सम्मान देना नही चाहते। इस कारण इन दोनो जातियो मे काफी तनाव रहता है।[2] कुछ यादव नेताओ और बुद्धिजीवियो के अनुसार फैजाबाद जिले मे ब्राह्मण और वैश्यो ने पिछडी जातियो का उतना शोषण नही किया जितना कि ठाकुरो ने किया था।[3] अब कुम्हार, कोइरी नोनिया और राजभर भी आगे बढ रहे है लेकिन कुर्मी विशेष रूप से। इस जिले मे इन जातियो के अलग–अलग सगठन है। सभी एक साथ मिलकर कार्य नही करते है।[4] यहा की पिछडी जातियो मे समान रूप से यह भावना है कि काग्रेस मे सवर्ण लोगो की बहुलता रही है और सरकारी तौर पर काग्रेस मुसलमानो और दलितो को सुविधाए प्रदान करती आयी है। सरकार और प्रशासन मे भी पिछड़ी जातियो को प्रतिनिधित्व नही दिया जाता है। जैसे कि एक यादव नेत्री जो कि समाजवादी पार्टी की जिला सचिव है ने कहा कि काग्रेस ने हमेशा से यादवो के साथ भेदभाव किया है

---

1 जिला कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश यादव के साक्षात्कार पर आधारित।

2 राजपति वर्मा अधिवक्ता फैजाबाद ओम प्रकाश यादव जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी श्रीमती श्यामा यादव नगर सचिव समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद प्रवक्ता इण्टर कालेज ए0के0 वर्मा सेवा निवृत्त क्लर्क सभापति वर्मा सेवा निवृत्त स्टोनो डी0एम0 के साक्षात्कार पर आधारित।

3 वही

4 वही.

जिसका प्रबल प्रमाण हैं कि फैजाबाद क्षेत्र से 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर आज तक अर्थात 1999 के चुनाव तक काग्रेस ने किसी यादव को अपना उम्मीदवार नही बनाया।[1] उत्तर प्रदेश के इतिहास मे पहलीबार (1984 मे) बनवारी लाल यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे। चौधरी चरण सिह ने पहलीबार अपन मुख्यमत्रीत्व काल मे प्रदेश लोक सेवा आयोग मे कुछ पिछडी जातियो को स्थान दिया था।[2]

फैजाबाद जिले मे 1967 के पूर्व तक पिछडी जातियो मे से लगभग 25 प्रतिशत की सहानुभूति काग्रेस के साथ थी शेष 75 प्रतिशत जातिया समाजवादियो और साम्यवादियो के साथ थी। जिसका मुख्य कारण था कि अपनी समस्त प्रगतिशील नीतियो के बावजूद फैजाबाद जिले मे काग्रेस का नेतृत्व जिन लोगो के हाथो मे था उनमे 95 प्रतिशत उच्च जातियो से थे और सामतवादी नीतियो मे विश्वास करते थे और पिछडी जातियो का शोषण करते थे। इसके विपरीत समाजवादी और साम्यवादी नेता सवर्ण होते हुए भी पिछडी जातियो और दलितो का सामतवादियो पुलिस और अन्य शोषको से लडने मे सहायता करते थे। उनका सामान्य व्यवहार भी अधिक सहानूभूतिपूर्ण एव विनम्र होता था। तीसरे महान समाजवादी विचारक और नेता डा0 राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव इसी जिले से सम्बन्ध रखते थे।[3] यद्यपि कि 1967 के पूर्व से ही पिछडी जातियो पर चरण सिह का प्रभाव पडना आरम्भ हो गया था तथापि उनके काग्रेस मे रहने के कारण पिछडी जाति के लोग उनको अपना नेता स्वीकार करने मे हिचकते थे। लेकिन 1967 मे काग्रेस छोड देने के बाद चौधरी चरण सिह पिछडी जाति के सर्वमान्य नेता हो गये। इस जिले के पिछडी जातियो का समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के कारण अब इस

---

1 अवधेश प्रसाद सोहावल विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के 1996 में निर्वाचित विधायक ओम प्रकाश यादव जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी और श्रीमती श्यामा यादव नगर सचिव समाजवादी पार्टी के साक्षात्कार पर आधारित।

2 वही।

3 वही।

जिले मे समाजवादियो का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। यादवा का लगभग 90 प्रतिशत मत समाजवादी पार्टी को चला जाता है। विनय कटियार के कारण लगभग 80 प्रतिशत कुर्मियो का मत विनय कटियार को और शेष मत अपना दल के हरिशकर मौर्य को मौर्यों का लगभग 90 प्रतिशत मत अपना दल के हरिशकर मौर्य को चला जाता हे। शेष पिछडी जातिया भी जो लगभग बहुत कम मात्रा मे है काग्रेस को अपना समर्थन नही देती है।[1] पिछडी जातिया जो 1967 के बाद लोकदल चरण सिह तथा समाजवादियो के पीछे लामबन्द थी उनमे 1989 के ससदीय चुनाव मे व्यापक परिवर्तन आया। वह सभी सयुक्त रूप से जनता दल को अपना समर्थन दे दी। परन्तु 1990 मे ही जनता दल मे विखराव के बाद यह जातिया भी नेतृत्व के आधार पर बट गई। यादव जाति लगभग शत–प्रतिशत मुलायम सिह यादव के पीछे चली गयी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यहा पर मित्रसेन यादव का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता को छोडकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करना भी था। कुर्मी मतदाता विनय कटियार के कारण भाजपा से जुडे हैं लेकिन अपना दल ने हरिशकर मौर्या को यहा से अपना उम्मीदवार बनाकर इसमे कुछ प्रतिशत मत हासिल अवश्य कर लिया है परन्तु अभी भी कुर्मियो का बहुमत विनय कटियार के साथ ही है। वैसे तो इस जिले मे मौर्यों की जनसख्याबहुत कम है लेकिन जो है वह हरिषकर मौर्या के कारण अपना दल मे है बसपा द्वारा रामनिहाल निषाद को 1998 के चुनाव मे टिकट दिये जाने के कारण केवट जाति का वोट बसपा को बहुमत के रूप मे मिला जिसके कारण ही इस चुनाव मे निहाल 1 लाख 27 हजार मत प्राप्त कर सके। परन्तु सीताराम निषाद के समाजवादी पार्टी ग्रहण करने और बसपा से निहाल के निकल जाने के कारण इस जाति का भी अधिकाश मत समाजवादी पार्टी को चला गया।[2]

---

1 देव नरायन यादव–प्रधानाचार्य आजाद हायर सेकण्डरी स्कूल–जमनपुर, फैजाबाद के साक्षात्कार पर आधारित।
2 हरिशकर मौर्या सफरीवाला 98 के ससदीय चुनाव में अपना दल के प्रत्याशी और अपना दल के प्रान्तीय प्रभारी के साक्षात्कार पर आधारित।

पिछडी जातियो मे एक जाति भर है जिसका राजनीति प्रभाव इस जिले मे अत्यत कम है। जिसका कारण है कि इनकी सख्या जिले मे बहुत ही कम है और इनकी कोई एक निश्चित पार्टी भी नही है यह चुनाव के समय मुद्दो के आधार पर राजनीतिक पार्टियो का चुनाव करते है परन्तु यह सामान्यतया यादवो के साथ नही रहते क्योक यह उनके प्राधान्य के कारण चिन्तित रहते है। फैजाबाद की पिछडी जातिया विशेषकर यादव और कुर्मी राजनीतिक रूप से अपनी ताकत बढाने मे प्रयत्नशील हैं और यही उनके राजनीति के निर्वाचन व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। परन्तु पिछडी हुयी जातिया जैसे गडेरिया नोनिया राजभर, निषाद कुम्हार इत्यादि जो यादवो और कुर्मियो से भी अधिक पिछडी है और यादवो और कुर्मियो के प्रभाव से चिन्तित हे और उनका साथ देने से कतराते रहते है। अर्थात् कहा जा सकता है कि फैजाबाद मे पिछडी हुयी जातियो का तात्पर्य यादवो और कुर्मियो से ही रह गया है और शेष पिछडी जातिया जो उनसे भी अधिक पिछडी हुयी है वह आगे नही आ पा रही हैं।

फैजाबाद ससदीय क्षेत्र मे मुसलमानो की भूमिका

फैजाबाद के मुसलमान भी देश के अन्य हिस्सो की तरह काग्रेस के समर्पित मतदाता थे और काग्रेस के कटटर वोट बैंक की जब गिनती होती थी तो उसमे ब्राह्मण दलितो के साथ–साथ मुसलमानो की भी गणना की जाती थी और फैजाबाद मे 1952 के पहले चुनाव से 1971 के चुनाव तक और 1980 तथा 1984 के चुनाव मे काग्रेस जो यहा से 7 बार चुनाव जीत चुकी है उसमे मुसलमानो की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। परन्तु 1989 के चुनाव से मुसलमान मतदाता काग्रेस से अलग होने लगे और 1999 के चुनाव तक काग्रेस मुसलमानों के 5 प्रतिशत मत भी नहीं प्राप्त कर रही है। काग्रेस के ये प्रतिबद्ध मतदाता अब उससे अलग होकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मे विभाजित हो चुके हैं।[1] ऐसा क्यो हुआ इसके लिए मुसलमानों का कहना है कि

---

1 जनमोर्चा 6 सितम्बर, 1996

"कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ा उनके साथा धोखा किया। नारायन दत्त तिवारी ने अयोध्या में शिलान्यास करवा दिया और प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने बाबरी मस्जिद गिरवा दी। अगर वह चाहते तो मस्जिद नहीं गिर सकती थी। फैजाबाद के जामा मस्जिद दारशाह के इमाम मौलाना कुतुबुद्दीन कादरी ने कहा कि 'फैजाबाद के मुसलमानों का चुनाव के सिलसिले में जो नजरिया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही कांग्रेस के हक में है अलबत्ता यह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बंटा हुआ है। इसी प्रकार के विचार मस्जिद हसनरजा खां के प्रबंधक नासिर अहमद, नगरपालिका परिषद फैजाबाद के सभासद जाकिर हुसैन पाशा, नगर पंचायत अध्यक्ष मदरसा मोहम्मद अहमद मौलवी शराफत उल्ला कासमी (मदरसा) ने भी रखे। अतः स्पष्ट है कि पहले कांग्रेस और अब सपा–बसपा फैजाबाद में मुसलमान मतों का बंटवारा कर रहे हैं।[1]

भाग-2

1998 का 12वां संसदीय चुनाव इस शोध के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तथा इस निर्वाचन क्षेत्र के बुद्धिजीवियों से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार लिया गया।

फैजाबाद का 1998 का संसदीय चुनाव

विश्व चर्चित नगरी और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को अपनी सीमाओं से समेटने वाला फैजाबाद संसदीय क्षेत्र देश की मौजूदा राजनीतिक हलचल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र का परिणाम राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनते रहे हैं। आजाद भारत में यह पहला अवसर था जबकि कांग्रेस ने यहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान

---

1. शोध छात्र द्वारा मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मतदाताओं द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

सासद विनय कटियार बजरग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे तथा वह मदिर आदोलन के अग्रणी लोगो मे गिने जाते थे। जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वन्द्वी समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक थे। श्री यादव इसके पूर्व 1989 मे फैजाबाद से सासद भी रह चुके है। इसलिए यह क्षेत्र कई मामलो मे वी0आई0पी0 क्षेत्र माना जाता रहा है। अयोध्या के कारण भाजपा का राष्ट्रीय व प्रातीय नेतृत्व फैजाबाद क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी और मुख्यमत्री कल्याण सिह ने प्रदेश मे अपना प्रचार अभियान इसी क्षेत्र से प्रारम्भ किया था। कल्याण सिह ने तो बाद मे इसी क्षेत्र मे दो और सभाए भी की। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी की फैजाबाद शहर मेम ही सभा असफल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओ के हौसले परस्त हो गये थे। और चुनाव के अन्तिम चरण मे भाजपा कार्यकर्ताओ ने इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव का फैसला भगवान राम पर छोड दिया था। भाजपाइयो को विश्वास था कि कटियार की चुनावी नैया 'राम लला किनारे लगा देगे'। वह दो लाख ब्राह्मण पौने दो लाख ठाकुर 75 हजार कायस्थ 75 हजार कुर्मी व 75 हजार वैश्य मतदाताओ के आधार पर भी अपने आपको सुखद स्थिति मे पा रहे थे। परन्तु विनय कटियार व उनके समर्थको को इस बात का अवश्य दुख था कि हरिद्वार मे इसी समय महाकुम्भ होने के कारण अयोध्या के आश्रम व अखाड़े सूने पडे हुए है। कटियार के अनुसार करीब 27 हजार साधु–सन्त और महात्मा अयोध्या से इस समय हरिद्वार गये हुए है और वास्तव मे कटियार का यह अनुमान सत्य भी सिद्ध हो गया क्योकि कटियार के हार का अन्तर मात्र 7 हजार 8 सौ 63 मत ही था। विनय कटियार बजरग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ–साथ रामजन्म भूमि आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे है। इस कारण अयोध्या के सन्तो ने पिछले दो चुनावो मे कटियार की बहुत मदद भी की थी।

सपा प्रत्याशी मित्रसेन यादव 1989 मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर सासद निर्वाचित हो चुके थे। किन्तु कुछ पुरानी घटनाओ के कारण उन्हे भाजपा द्वारा सवर्ण विरोधी प्रचारित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त पार्टी मे चल रहा भीतरघात भी उनके लिए समस्या बना हुआ था। सपा के जिलाध्यक्ष अशोक सिह स्वय फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार थे किन्तु पूर्व मत्री अवधेश प्रसाद ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर मित्रसेन यादव को टिकट दिला दिया जिससे अशोक सिह के समर्थका मे भारी असतोष व्याप्त था। इसके अतिरिक्त बहुजन समाजवादी पार्टी ने निषाद जाति के रामनिहाल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाकर सपा के वोट बैक को काफी नुकसान पहुचाया। ऐसे मे सपा उम्मीदवार को मुख्य रूप से डेढ लाख यादव ओर डेढ लाख मुस्लिम मतो पर ही निर्भर रहना पडा सपा के लिए राहत की बात बस यही थी कि 1996 के गत विधानसभा चुनावो मे इस लोकसभा के क्षेत्र के पाच विधानसभा क्षेत्रो मे से तीन पर कब्जा कर अच्छा वोट बैंक बढाया था। 96 के चुनाव सम्पन्न हो जाने पर समाजवादी पार्टी की इस लोक सभा क्षेत्र मे पूजी 2 29 228 मत की थी जबकि भाजपा की पूजी 2 29,162 ही थी।[1]

एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि यह स्थिति तब रही जब इस लोकसभा क्षेत्र मे आने वाले रूदौली विधानसभा क्षेत्र मे बहुजन समाजपार्टी ने पूर्व विधायक अशर्फीलाल को प्रत्याशी बना दिया था और उन्हे रूदौली मे 30370 वोट मिल गये थे। सपा के परम्परागत मत बसपा मे चले जाने के कारण ही इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामदेव आचार्य 39662 मत पाकर समाजवादी पार्टी के इश्तियाक अहमद को मिले 37462 मत के मुकाबले 2200 मतो से चुनाव जीते थे। इस क्षेत्र मे भी लोकसभा चुनावो के मुकाबले विधानसभा चुनावो मे वोटो की घट–बढ प्रत्याशीगत कारणो से रही जिसे पार्टी का आधार भूत पूजी नही माना जा सकता। अयोध्या क्षेत्र मे भाजपा की

---

1 14 फरवरी, 1998–दैनिक जागरण।

खासी बढत वहा के प्रत्याशी लल्लू सिह के कारण ही रही जबकि रूदौली मे बसपा प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी की जीत का कारण बना। अर्थात कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन रही थी कि सपा और भाजपा मे से जीत किसी की भी हो सकती थी ओर दोना ही पार्टियो का मुख्य दारोमदार अतत जातिगत समीकरणो पर ही टिका था।[1] प्रस्तुत है तालिका न0 5 11 मे 1998 के चुनाव का परिणाम।[2]

तालिका न० 5 11

28 फैजाबाद ससदीय क्षेत्र–1998 का चुनाव परिणाम

क्र०	प्रत्याशी का नाम	उम्र	दलीय सबध	प्राप्त मत
1	मित्रसेन	65	समाजवादी पार्टी	2 53 331
2	विनय कटियार	41	भारतीय जनता पार्टी	2 45 594
3	राम निहाल निषाद	31	बहुजन समाज पार्टी	1 27 940
4	हरिशकर मौर्य सफरीवाला	50	अपना	16 098
5	जमुना सिह	58	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	7 406
6	दीनबन्धु दीनानाथ	50	भारतीय किसान कामगार पार्टी	1 717
7	कृपाशकर	38	अजेय भारत पार्टी	736
8	अमरनाथ जायसवालु	45	राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी	841
9	अनिल कुमार	42	निर्दल	1 593
10	अजय कुमार भारती	54	निर्दल	1 454
11	पन्नालाल पासवान	62	निर्दल	1,235
12	मोतीलाल	48	निर्दल	1,154

मतदाताओ की सख्या – 12,33 855

1 वही।
2 जनमोर्चा 3 मार्च 1998।

डाले गये वैधमतो की सख्या – 6 59 099

प्रतिक्षेपित मतो की कुल सख्या – 10 555

निविदत मतो की सख्या – 5

इस प्रकार समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव ने कडे मुकाबले मे भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार लगभग 7 500 मतो से पराजित किया। बसपा के राम निहाल निषाद ने 1 लाख 27 हजार 5 सौ 94 मत पाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इस प्रकार 1998 मे फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से कुल 12 उम्मीदवारो ने चुनाव लड़ा था। उम्मीदवारो की उक्त जाति तथा उनके राजनीतिक विचारो को जानने के लिए सभी का साक्षात्कार लिया गया। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अश।

फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मित्रसेन यादव की उम्र 65 वर्ष है। इस क्षेत्र से जितने भी 12 प्रत्याशी चुनाव लडे थे उसमे श्री यादव की सर्वाधिक उम्र थी। आप जाति के अहिर हैं और पिछडी जाति से सम्बन्ध रखते है। इन्होने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है। इनका निवास स्थान ग्राम भिटारी–ब्लाक–मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राजनीति के अतिरिक्त यह व्यवसाय के रूप मे कृषि को प्राथमिकता देते है। इन्होने 1994 मे समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके पूर्व यह भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य थे और इसी पार्टी के टिकट पर 1989 के ससदीय चुनाव मे इस क्षेत्र से सासद भी रह चुके हैं। इनसे यह पूछने पर कि इन्होने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्यो छोडी इनका मानना था कि वर्तमान मे समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की समस्याओ का निदान अच्छी प्रकार और उचित ढग से कर सकती है और शेष पार्टिया इस क्षेत्र मे अपना दायित्व निभाने मे पूर्णत असफल रही है इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। इनका मुख्य उद्देश्य पार्टी की दिशा निर्देश अनुसार उच्च सम्पत्तिशाली और सामतवादी मानसिकता वाले लोगों से गरीब और मेहनतकश जनता

को शोषण और उत्पीडन से मुक्त कराना इस क्षेत्र मे व्याप्त सामाजिक असमानता को समाप्त करना तथा इस क्षेत्र का सर्वागीण और चतुर्मुखी विकास करना है। श्री यादव 1989 मे इस क्षेत्र से सासद रहने के अतिरिक्त फैजाबाद ससदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा से निवर्तमान विधायक है और वह 1977 से लगातार 6 बार इस क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं।[1] जो राजनीतिक रूप से इनकी बहुत बडी उपलब्धी मानी जा सकती है। यह अपनी पार्टी की तरह ही मानते हैं कि केन्द्र मे सयुक्त मोर्चा की सरकार गठित होनी चाहिए और समान नागरिक सहिता का समर्थन भी नही करते परन्तु यह वर्तमान भारतीय लोकतात्रिक प्रणाली से सतुष्ट हैं।[2]

फैजाबाद से दूसरे प्रमुख प्रत्याशी विनय कटियार थे। यह मात्र अभी 37 वर्ष के ही है और जाति के कुर्मी है जो पिछडी जाति से सम्बद्ध है। इनकी शिक्षा भी स्नातक है और व्यवसाय भी परपरागत रूप से कृषि ही था। कटियार मूलत कानपुर के रहने वाले है परन्तु इन्होने अपना कार्यक्षेत्र फैजाबाद को बनाया। इनसे पूछने पर इन्होने ऐसा क्यो किया तो इनका उत्तर था कि उनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य अयोध्या मे एक भव्य मदिर का निर्माण है और जब तक वहा एक मदिर नही बन जाता तब तक उनका उद्देश्य अधूरा है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है और दो बार बजरग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता को उन्होने 1990 मे ग्रहण किया। पहली बार 1991 के ससदीय चुनाव मे फैजाबाद से चुनाव ससदीय चुनाव मे फैजाबाद से चुनाव लडा और उन गिने–चुने लोगो मे शामिल हो गये जो अपना पहला चुनाव ही जीत गये। इन्होने राजनीति को अपना पेशा क्यो चुना इस सम्बन्ध मे उनका उत्तर था कि ऐसा उन्होने राष्ट्रहित से प्रेरित होकर किया और इसके लिए उनको सर्वाधिक उपर्युक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही लगी क्योकि यही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध मे स्पष्ट सोच और विचार रखती है तथा उसके प्रति

---

1 1998 संसदीय चुनाव के समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार मित्रसेन से लिये गये साक्षात्कार पर आधारित।
2 मित्रसेन यादव से बातचीत पर आधारित।

प्रयत्नशील भी है। श्री कटियार मित्रसेन यादव के विपरीत समान–नागरिक सहिता तथा एकता और अखण्डता को आवश्यक मानते है। इनके अनुसार हिन्दुस्तान की राजनीति मे सबसे बडी समस्या तुष्टीकरण की राजनीति है जो कि राष्ट्र के लिए अत्यत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इनसे यह पूछने पर कि क्या आप वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से सहमत है तो इनका उत्तर था कि सौ प्रतिशत। श्री कटियार इसके पूर्व 91 और 96 के ससदीय चुनावो मे सासद निर्वाचित हो चुके है ओर इस बार हेट्रिक की राह पर थे।[1]

1898 के ससदीय चुनाव मे बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी 31 वर्षी राम निहाल निषाद को बनाया। जिनका राजनीतिक अनुभव अधिक नही था परन्तु इनकी साथ–सुथरी छवि से पार्टी को लाभ मिलने की उम्मीद थी। यह जाति के केवट है जो पिछडी जाति मे आती है। सपा और भाजपा के अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी पिछडी जाति के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाना फैजाबाद ससदीय क्षेत्र मे पिछडी जातियो के व्यापक प्रभाव को स्वत परिलक्षित करता है। श्री निहाल ने बी0काम0 और एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। यह आकारीपुर–गोसाईगज के रहने वाले है। यह विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति मे रूचि रखते थे जिसके कारण यह 1983 मे ही छात्र सघ का अध्यक्ष रह चुके थे। इन्होने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व डी0एस0 फोर की सदस्यता ग्रहण की थी। आपका मानना है कि यह समाज मे व्याप्त सामतवादी व्यवस्था से तुष्ट होकर राजनीति मे आये है जिससे कि उन कुरीतियो को दूर किया जा सके। श्री निहाल के अनुसार उनके गाव ठाकुर परिवारो ने उनके परिवार और गाव के अन्य केवट परिवारो के ऊपर अत्यन्त ही अमानवीय व्यवहार करते थे। स्वय निहाल के शब्दो मे "मैं सुबह 6 बजे से 9 30 तक ठाकुरो के खेतो मे बेगारी करके घर वापस आता था और उसके बाद कालेज जाता था साय को कालेज से लौटने के बाद पुन रात 8, 9

---

1 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनय कटियार के साक्षात्कार पर आधारित।

बजे या कभी 10–10 बजे तक बेगारी करनी पडती थी। रही मजदूरी की बात ता वह पूर्णत ठाकुरो के ऊपर रहती जब कभी इच्छा करती कुछ दे देत वरना अधिकतर ऐस ही कार्य करना पडता था।[1] उनका मानना है कि भारत की सवसे बडी समस्या समाज मे व्याप्त असमानता है तथा लोगो मे राष्ट्रीयता की भावना मे कमी। आप डा0 भीमराव अम्बेडकर के विचारो से पूर्णत सहमत थे और मानते थे कि बाबा साहब का विचार ही समाज मे समरसत्ता और समानता स्थापित कर सकता है। आप पिछडी जातिया अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो की तरह ही पिछडी जातियो अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो की तरह ही पिछडी जाति अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओ के लिए अलग से आरक्षण के पक्षधर थे। पिछले सात–आठ वर्षो मे जो देश मे परिवर्तन हो रहा है आप उससे असहमत थे क्योकि इससे बेरोजगारी बढ रही है। कटियार की तरह आप भी समान नागरिक सहिता का समर्थन करते है और वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली से पूर्णत सतुष्ट हैं।[2]

हरिशकर मौर्या उर्फ सफरीवाला अपना दल के फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से उम्मीदवार है। आपकी उम्र 50 वर्ष है और आप पिछडी जाति के है। यह राजनीति के अतिरिक्त इन्होने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि ली है। इनका निवास स्थान फैजाबाद शहर मे ही गुलाबवाडी मुहल्ले मे है। श्री मौर्या अपना दल के प्रातीय प्रभारी हैं और इस पार्टी के सस्थापक सदस्यो मे थे। इसके पूर्व यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। इस प्रश्न के उत्तर मे कि इन्होने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्यो छोड़ा तो इनका उत्तर था कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था और व्यवस्था से प्रतिजनित आकडो का जब स्वविच्छेदन किया गया तो आकडे स्वत ही सजीव होकर बोलने लगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय परिवेश मे मार्क्सवाद को कार्य रूप देने मे अक्षम है। इसके लिए वह एक उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण जाति जो कि समाज मे मात्र 6 प्रतिशत

---

1 1998 के संसदीय चुनाव में फैजाबाद से बसपा के उम्मीदवार राम निहाल निषाद के साक्षात्कार पर आधारित।
2 अपना दल के उम्मीदवार हरिशकर मौर्य उर्फ सफरीवाला से लिये गये व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

ही है मे क्रमश राजनीति शिक्षा नौकरी और भूमि मे 41 प्रतिशत 50 प्रतिशत 62 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है जबकि समाज की एक ओर उच्चजाति क्षत्रिय जा 7 प्रतिशत है 15 प्रतिशत 16 प्रतिशत 12 प्रतिशत और 80 प्रतिशत है। इसके विपरीत पिछडी जातिया जो कि समाज का 52 प्रतिशत है समाज मे क्रमश 8 प्रतिशत 12 प्रतिशत 15 और 4 प्रतिशत ही है। जबकि अल्पसख्यक 105 प्रतिशत के लिए क्रमश 3 प्रतिशत 21 प्रतिशत 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत ही है। अत भयावह स्थिति से उबरने क लिए 664वी पार्टी के रूप मे अपना दल का गठन किया गया जबकि शेष 663 पार्टिया सब एक ही थैले के चटटे–बटटे हैं। शिक्षा कृषि नौकरी इत्यादि नीतियो मे आमूल परिवर्तन के लिए ही अपना दल सघर्ष कर रहा है। सोनेलाल जी इस पार्टी के सस्थापक अध्यक्ष है। श्री सफरीवाला मानते हैं कि देश की सबसे बडी समस्या वर्तमान मे किसानो के जिसो (उत्पादन) का उचित दाम न मिलना एव उन्हे सम्मान न मिलना। श्री मौर्या समान नागरिक सहिता के प्रश्न मे कहते है कि मैं उसके उस स्वरूप का समर्थन नही करता जिस रूप मे भाजपा उसका समर्थन करती है वरन् उसके सुधरे हुए स्वरूप का समर्थन कर सकता हूँ। यह केन्द्र मे एक पार्टी के शासन का समर्थन करते है और वर्तमान मे जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसे सवर्था उचित मानते है।[1]

58 वर्षीय श्री जमुना सिह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस क्षेत्र से उम्मीदवार है। यह जाति के क्षत्रिय है जो समाज के उच्च वर्ग मे आते हैं। इन्होने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। राजनीति के अतिरिक्त यह कृषि को अपना व्यवसाय भी बनाये हुए है। श्री सिह ग्राम भदौली बुजर्ग–फैजाबाद के रहने वाले हैं। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और फैजाबाद के जिला सचिव भी। यह पिछले 35 वर्षों से इस पार्टी से जुडे हुए हैं अर्थात इन्होने अपना राजनीतिक जीवन ही इसी पार्टी से आरम्भ किया था। लेकिन इन्होने अपना पहला चुनाव फरवरी 85 मे

---

1 1998 के ससदीय चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जमुना सिह के व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव मे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से लडा था जिसमे वह काग्रेस उम्मीदावार से पराजित हो गये थे। आपका मानना हे कि साम्यवादी विचारो सिद्धान्तो नीतियो और कार्यक्रमो से प्रभावित होकर राजनीति को अपने कार्यक्षेत्र के रूप मे स्वीकार किया। आपके अनुसार वर्तमान मे देश की सबसे बडी समस्या बेरोजगारी भुखमरी और दोहरी शिक्षा व्यवस्था है।

इस प्रश्न के उत्तर मे कि क्या पचायती राज और शहरी निकायो की तरह विधान सभाओ और ससद मे भी महिलाओ को एक तिहाई प्रतिशत आरक्षण दिया जाय तो आप उसे आशिक रूप से अस्वीकार कर देते है तथा वर्तमान मे हो रहे आर्थिक परिवर्तनो से असहमत है और एक मोर्चा सरकार कर समर्थन करते हे।[1]

श्री दीनानाथ उर्फ दीनबन्धुदास पाठक भारतीय किसान कामगार पार्टी के फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से उम्मीदवाद हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष है। यह जाति के ब्राह्मण है और उच्च वर्ग से सम्बन्ध रखते हे। इन्होने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। राजनीति के अतिरिक्त यह व्यापार का व्यवसाय भी अपनाये हुए हैं। इनका निवास स्थान विकापुर विधानसभा क्षेत्र मे मुहम्मदपुर ग्राम मे है और यह भारतीय किसान कामगार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं साथ ही साथ यह पार्टी के सस्थापक सदस्य भी है। इसके पूर्व यह काग्रेस मे थे। आपका मानना है कि ईश्वरीय इच्छा और नीतियो के कारण काग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर भारतीय किसान कामगार पार्टी का गठन किया है। देश सेवा मे कमी की भावना इनके अनुसार वर्तमान मे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओ को यह विधानसभाओ और ससद मे भी आरक्षण दिये जाने के समर्थक हैं। समान नागरिक सहिता का समर्थन करते हैं परन्तु वर्तमान आर्थिक नीतियो और परिवर्तनो से सहमत नही है क्योकि इन नीतियो के कारण देश को गिरवी रख

---

1 1998 के ससदीय चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जमुना सिह के व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

दिया गया है। यह वर्तमान मे केन्द्र मे राष्ट्रीय सरकार का समर्थन करते है ओर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से सहमत है।[1]

नेशनल लोकतान्त्रिक पार्टी ने 1998 के ससदीय चुनाव मे इस क्षेत्र मे अमरनाथ जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। श्री अमरनाथ 62 वर्ष के ह ओर वेश्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति के अतिरिक्त व्यापार आपका प्रमुख व्यवसाय है और आप रिकाबगज फैजाबाद शहर के मूल निवासी है। 1996 मे इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व आप काग्रेस मे थे। काग्रेस की नीतियो से त्रस्त होकर आपने 'राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी' की सदस्यता ग्रहण की। देशहित और राष्ट्र सेवा से प्रेरित होकर आपने राजनीति मे आने का निर्णय लिया। जातिवाद और सम्प्रदायवाद को यह राष्ट्र की सर्वाधिक गम्भीर समस्या मानते हे। महिलाओ के आरक्षण के समर्थक है लेकिन हो रहे आर्थिक परिवर्तनो का समर्थन नही करते है। समान नागरिक सहिता का समर्थन करते है। आपके अनुसार गठबन्धन सरकार ही केन्द्र मे चल सकती है और यह वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से सहमत है।[2]

इन आठ निर्दलीय उम्मीदवारो के अतिरिक्त चार निर्दलीय प्रत्याशियो ने भी इस चुनाव मे फैजाबाद से चुनाव लडा था जिनकी जमानत जब्त हो गयी। इनमे सबसे पहले प्रत्याशी 40 वर्षीय अनिल कुमार थे। यह जाति के क्षत्रिय थे और उच्च वर्ग से सम्बन्ध रखते थे। स्नातक तक शिक्षा ग्रहण कर आपने शिक्षण कार्य को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। जनौरा–फैजाबाद के मूल निवासी अनिल कुमार वर्तमान मे एक इण्टरमीडिएट विद्यालय मे अध्यापक है। इसके पूर्व यह काग्रेस मे थे लेकिन नीतिगत मतभेदो के कारण आपने काग्रेस का परित्याग कर दिया। राष्ट्र सेवा से प्रेरित होकर राजनीति को इन्होने अपना कार्य क्षेत्र चुना और भ्रष्टाचार इनके अनुसार सबसे बडी समस्या है। महिलाओ के आरक्षण के सम्बन्ध मे इनका कोई स्पष्ट विचार नही है तथा पिछले 7–8 वर्षों से देश मे हो रहे आर्थिक परिवर्तनो की कुछ हद तक ही सही मानते हैं। समान नागरिक सहिता

---

1 1998 के ससदीय चुनाव में भारतीय किसान कामगार पार्टी के उम्मीदवार दीनानाथ उर्फ दीनबन्धू दास के व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

2 1988 के संसदीय चुनाव मे फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से निर्दल उम्मीदवार अनिल कुमार के साक्षात्कार पर आधारित।

का विरोध करते है। केन्द्र मे राष्ट्रीय सरकार का समर्थन करते है और वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से कुछ हद तक ही सतुष्ट है।[1]

दूसरे निर्दल प्रत्याशी अजय कुमार भारतीय है। 35 वर्षीय भारतीय गोसाई जाति के है जो पिछडी जाति के अन्तर्गत आते है। स्नातक की शिक्षा ग्रहण किये हुए भारतीय व्यापार को अपने पेशे के रूप अपनाये है। तारून–फैजाबाद के रहने वाले है। समाजसेवा के कारण आप राजनीति मे आये और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सबसे गम्भीर समस्या मानते है। महिलाओ के आरक्षण के सम्बन्ध मे इनका उत्तर सकारात्मक था। लेकिन आप आर्थिक परिवर्तनो से असहमत है और समान नागरिक सहिता का भी विरोध करते हैं। केन्द्र मे राष्ट्रीय सरकार के गठन का समर्थन करते हे ओर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से सतुष्ट है।[2]

37 वर्षीय मोतीलाल इस निर्वाचन क्षेत्र के चौथे निर्दल प्रत्याशी थे। कोईरी जाति के मोतीलाल पिछडी जाति मे आते है। इन्होने भी एम0ए0 किया हुआ है और इनका मुख्य पेशा कृषि–कार्य है। रूदौली फैजाबाद के रहने वाले मोतीलाल नीतिगत कारणो से समाजवादी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर इस चुनाव मे अपना भाग्य अपनाया और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए ही राजनीति मे आये। भ्रष्टाचार को यह राष्ट्र का सर्वाधिक ज्वलत और महत्वपूर्ण मुद्दा मानते है। यह महिलाओ के आरक्षण आर्थिक परिवर्तनो और समान नागरिक सहिता का विरोध करते हैं। केन्द्र मे एक मोर्चे की सरकार का समर्थन करते हैं और वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से सतुष्ट है।[3]

1998 के ससदीय चुनाव मे फैजाबाद क्षेत्र से जितने भी 12 उम्मीदवार चुनाव लडे थे उन 12 उम्मीदवारो मे से 5 उम्मीदवार पिछड़ी जाति के चार उम्मीदवार अनुसूचित जाति के थे। अर्थात सर्वाधिक 5 उम्मीदवार पिछडी जातियो के ही थे और सभी बडी पार्टियो ने अपना उम्मीदवार पिछड़ी जाति से खडा किया था। समाजवादी

---

1 1988 के ससदीय चुनाव में फैजाबाद ससदीय क्षेत्र से निर्दल उम्मीदवार अनिल कुमार के साक्षात्कार पर आधारित।
2 1998 के ससदीय चुनाव में फैजाबाद से निर्दल उम्मीदवार अजय कुमार भारती के साक्षात्कार पर आधारित।
3 1998 के ससदीय चुनाव मे फैजाबाद से निर्दल प्रत्याशी पन्नालाल के साक्षात्कार पर आधारित।

पार्टी ने मित्रसेन यादव भाजपा ने विनय कटियार बसपा ने राम निहाल निषाद और अपना दल ने हरिशकर मौर्य सफरीवाला और अजेय भारत पार्टी ने कृपा शकर को अपना प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर पिछडी जातियो का कितना व्यापक असर है वह इसी से देखा जा सकता है कि डाले गये कुल वैध मता मे से पिछडी जाति के उम्मीदवारो ने 97 67 प्रतिशत हासिल कर लिया। अर्थात इस वर्ग ने डाले गये कुल वैध मतो 6 59 099 मे से 6 43 699 मत प्राप्त किया जबकि उच्चवर्ग को 11 557 मत और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारो को तो मात्र 3843 मत ही प्राप्त हो सका जो कि डाले गये वैध मतो का मात्र 58 प्रतिशत ही था। प्रस्तुत तालिका न0 5 12 मे 98 के ससदीय चुनाव मे डाले गये मतो मे विभिन्न वर्गो द्वारा प्राप्त मतो के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है।[1]

तालिका 5 12

फैजाबाद ससदीय चुनाव (98) मे प्रत्याशियो का जातिगत आधार तथा प्राप्त मतो का प्रतिशत

वर्ग	प्रत्याशी	दल	प्राप्त मत	डाले गये कुल वैधमतो का प्रतिशत
पिछडी जाति	मित्रसेन यादव	सपा	253331	38 43
	विनय कटियार	भाजपा	245594	37 26
	रामनिहाल निषाद	बसपा	127940	19 41
	हरिशकर मौर्या	अपनादल	16098	2 44
	कृपाशकर	अजेय भारत पार्टी	736	0 11
			643699	97 67
उच्च वर्ग	जमुना सिह	भाकपा	7406	1 12
	दीनानाथ पाठक	भारतीय किसान कामगार पार्टी	1717	0 26
	अनिल कुमार	निर्दल	1593	0 24
	अमरनाथ	राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी	841	0 12
			11557	1 75
अनु जाति	अजयकुमार भारती		1454	0 22
	पन्नालाल पासवान		1235	0 18
	मोतीलाल		3843	58

1 फैजाबाद जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आकड़ो के अनुसार और शोधछात्र द्वारा चुनाव मे किये गये सर्वे पर आधारित।

1998 के ससदीय चुनाव मे कुल 12 उम्मीदवारो ने चुनाव लडा जिनम से 5 उम्मीदवार पिछडी जातियो के थे और वह कुल डाले गये वैध मतो का 97 67 प्रतिशत मत प्राप्त किये जबकि उच्च जातियो के 4 उम्मीदवारो ने मात्र 175 प्रतिशत मत और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारो ने 58 प्रतिशत मत ही प्राप्त किया। अब प्रश्न उठता है कि यद्यपि कि फैजाबाद ससदीय क्षेत्र मे पिछडी जातियो के मतदाताओ की सख्या केवल एक तिहाई ही है परन्तु वह 97 67 प्रतिशत मत कैसे प्राप्त कर गये। इसका कारण यह है कि भाजपा कुर्मी जाति के विनय कटियार को चुनाव लडाती है जिन्हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ जैसे उच्च जातियो का मत भी मिल जाता है। इसी प्रकार सपा यादव जाति के किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाती है जिसे यादवो के अतिरिक्त अन्य पिछडी जातियो मुसलमानो तथा कुछ हद तक क्षत्रियो का मत मिल जाता है जबकि बसपा पिछडी जाति के निषाद को अपना प्रत्याशी बनाती है जिसे निषादो के अतिरिक्त दलितो और कुछ मुसलमानो का मत मिल जाता है। इस प्रकार सभी बडी पार्टिया यह जीत के लिए पिछडी जातियो पर आश्रित हो गयी है जिसके कारण इस जिले मे पिछड़ी जाति के मतदाताओ का महत्व बढ जाता है।

1999 का ससदीय चुनाव

1998 के चुनाव की तरह ही 1999 का ससदीय चुनाव भी महत्वपूर्ण था। क्योकि 1998 के चुनाव के पश्चात केन्द्र मे भाजपा के नेतृत्व मे जिस राष्ट्रीय लोकतात्रिक सरकार का गठन हुआ था वह अन्ना द्रमुक द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण 13 महीने मे ही गिर गया। परिणाम स्वरूप 1999 मे एक बार फिर से ससद का चुनाव हुआ। इस चुनाव में फैजाबाद का चुनावी समीकरण कुद बदल गया था। क्योकि सपा प्रमुख मुलायम सिह यादव द्वारा वहा के निवर्तमान सासद मित्रसेन यादव का टिकट काटकर जिला पचायत अध्यक्ष हीरालाल यादव को दे दिया। हीरालाल यादव का

व्यक्तिगत रूप से उतना जनाधार नही था जितना कि मित्रसेन यादव का। यादव ने र्दिल प्रत्याशी के रूप मे इस चुनाव मे अपना पर्चा दाखिल किया। जिसक परिणाम स्वरूप यादवो का वोट दो भागो मे विभक्त हो गया। इस चुनाव मे कुल 20 उम्मीदवारो ने नामाकन किया था। भाजपा ने दो बार के सासद और एक बार 1998 के चुनाव मे मात्र 7 5 हजार वोट से हारने वाले विनय कटियार को पुन अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस चुनाव मे विनय कटियार ने 1 93 191 वोट पाकर जीत दर्ज की। परन्तु 1991 से चले आ रहे मित्र सेन यादव इस बार उनके मुख्य प्रतिद्वदी नही थे। आश्चर्यजनक रूप से प्रगति करते हुए बसपा के इस बार 136629 वोटो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1998 के चुनाव मे यहा से काग्रेस ने कोई प्रत्याशी न खडा करने के बाद 1999 मे पुन निर्मल खत्री को इस चुनाव मे अपना उम्मीदवार बनाया। श्री खत्री 106237 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव 885221 मत के साथ चौथे स्थान पर चले गये और निर्दल उम्मीदवार मित्रसेन यादव 79343 मत पाकर पाचवे स्थान पर रहे। इससे स्पष्ट है कि सपा का वोट स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। अपना दल ने इस बार धर्मराज पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया परन्तु इसका उसे कोई लाभ नही मिल सका। क्योकि 1998 के चुनाव मे इस सीट से इस पार्टी के प्रत्याशी हरिशकर मौर्य 16089 मत पाये थे जबकि 1999 के चुनाव मे अपना दल के प्रत्याशी को मात्र 16252 मत ही प्राप्त हो सका। अर्थात् कुल 154 मत ही इस पार्टी का बढ सका। समाजवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकिशोर द्विवेदी 1333 मत प्राप्त किये। जबकि राष्ट्रीय लोकतात्रिक के शकील अहमद 3537 अजेय भारत पार्टी के विनय प्रकाश 932 और भारतीय लोकदल के सत्यनरायन 2896 मत प्राप्त किये। शेष मत 10 निर्दल उम्मीदवारो मे विभाजित हो गया। इस प्रकार 1999 मे भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल कर अपनी पुरानी हार का बदला चुका लिया। प्रस्तुत है तालिका न0 5 13 में 1999 के चुनाव का फैजाबाद ससदीय क्षेत्र का परिणाम।

तालिका न० 5 13

28 फैजाबाद ससदीय क्षेत्र 1999 का चुनाव परिणाम।

क्रमाक	प्रत्याशी का नाम		सम्बधित दल	स्थान	प्राप्त मत
1	विनय कटियार	1	भाजपा	1	193191
2	सीताराम निषाद	2	बसपा	2	136629
3	निर्मल खत्री	3	काग्रेस	3	106237
4	हीरालाल यादव	4	सपा	4	85221
5	धर्मराज पटेल	5	अपना दल	5	16252
6	राजकिशोर द्विवेदी	6	समाजवादी जनतापार्टी	6	1333
7	शकील अहमद	7	राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी	7	3537
8	विनय प्रकाश	8	अजेय भारत पार्टी	8	932
9	सत्य नारायण	9	भारतीय लोकदल	9	2896
10	मित्रसेन यादव	10	निर्दल	10	79343
11	अब्दुल मन्नान	11	निर्दल	11	6535
12	अजय कुमार पाण्डेय	12	निर्दल	12	3690
13	रामचन्दर	13	निर्दल	13	860
14	मनोज कुमार	14	निर्दल	14	2434
15	रामनाथ	15	निर्दल	15	461
16	श्याम बली	16	निर्दल	16	6523
17	सुधीर	17	निर्दल	17	2050
18	सुरेश कुमार	18	निर्दल	18	464
19	चन्द्र कान्त राजवशी	19	निर्दल	19	530
20	जहुरी	20	निर्दल	20	1346

कुल मत– 1228752

वैधमत–657165

अवैधमत–633

शोध छात्र ने 1998 के फैजाबाद ससदीय चुनाव को अपने शोध का मुख्य आधार बनाया। इस चुनाव मे फैजाबाद ससदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पाचो विधानसभा क्षेत्र अयोध्या सोहावल विकापुर मिल्कीपुर और मदौली के कुल 10 मुहल्लो ओर 20 गावो मे मतदाताओ का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार मे दो प्रकार के प्रश्न थे। पहला प्रश्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित था जिसमे नाम उम्र जाति शिक्षा निवास तथा व्यवसाय इत्यादि के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे गये थे जबकि दूसरा प्रश्न राजनीतिक और बौद्धिक था जिसमे उनसे राजनीतिक रूझान तथा देश की समस्याआ क बारे मे पूछा गया। प्रस्तुत है मतदाताओ से पूछे गये दोनो प्रकार के प्रश्नो का प्रारूप।

फैजाबाद जनपद मे मतदाताओ की सामाजिक आर्थिक स्थिति

तालिका न0 5 14

दलीय समर्थन पर उम्र का प्रभाव

दल	18–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60 से ऊपर
भाजपा	00	06	10	12	10	05
सपा	00	03	08	08	02	02
बसपा	00	04	04	02	00	05
अन्य	00	00	06	01	00	01
		13	24	23	12	13

अन्य मे अपना दल, राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी, भारतीय किसान कामगार पार्टी अजेय भारत पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चार निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।

शोध छात्र द्वारा जिन 85 मतदाताओ का साक्षात्कार लिया गया था उसमे भाजपा को सर्वाधिक 43, समाजवादी पार्टी, को 23 बहुजन समाज पार्टी को 15 और अन्य को

कुल 4 स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार साक्षात्कार मे 50 57 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए समाजवादी पार्टी को 27 05 प्रतिशत बसपा को 17 64 प्रतिशत तथा अन्य को 4 87 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। शोध छात्र ने इन मतदाताओ मे किस आयु के लोग किस पार्टी को कितना पसन्द करते है इसके लिए उम्र के आधार पर उनका अलग–अलग वर्गीकरण किया।

18–20 आयु वर्ग के बीच कोई मतदाता नही था। जबकि 20 से 30 आयु वर्ग के बीच कुल 13 मतदाताओ मे से 6 भाजपा को 3 सपा को व 4 स्थान सपा को प्राप्त हुए। तीसरे आयु वर्ग मे भी भाजपा अपनी बढत बनाये हुए है उसे 10 सपा को 8 बसपा को 4 तथा 2 स्थान अन्य को प्राप्त हुए। तीसरे आयु वर्ग मे भी भाजपा अपनी बढत बनाये हुए है उसे 10 सपा को 8 बसपा को 4 तथा 2 स्थान अन्य को प्राप्त हुए। चौथे आयु वर्ग मे भाजपा 12 सपा बसपा 2 और अन्य को 1 स्थान प्राप्त हुए। पाचवे वर्ग मे क्रमश 10 2 0 और 0 स्थान तथा 6वे और अतिम आयु वर्ग मे 5 2 5 और 1 स्थान इन दलो को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते है कि भाजपा सभी आयु वर्ग मे बढत बनाये हुए है और सपा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जबकि बसपा तीसरे पर रही।

तालिका न0 5 15

दलीय समर्थन पर शिक्षा का प्रभाव

दल	अशिक्षित	8 तक	10 तक	12 तक	बी0ए0	एम0ए0
भाजपा	10	14	01	08	05	05
सपा	08	05	01	03	04	02
बसपा	05	01	00	04	04	01
अन्य	02	00	00	00	01	01
	25	20	02	15	14	09

अन्य –इसके अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना दल अजेय भारत पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी ओर चार निर्दलीय उम्मीदावार शामिल है।

इसके अन्तर्गेत कुल 85 मतदाताओ मे 25 मतदाता अशिक्षित और 60 मतदाता शिक्षित थे। इन दोनो वर्गों मे भाजपा को बढत प्राप्त है। अर्थात् भाजपा के समर्थन मे शिक्षित और अशिक्षित दोनो ही वर्गों काबहुमत है। कुल 25 अशिक्षित मतदाताआ मे से 10 ने भाजपा को 8 सपा को 5 बसपा को और 2 मतदाता अन्य दालो और उम्मीदवारो का समर्थन करते है। जबकि भाजपा शिक्षित वर्ग के कुल 60 मतदाताओ मे से भी 33 मत लेकर अपना स्थान नम्बर एक बनाये हुए है। जबकि सपा 15 स्थान लेकर दूसरे और बसपा 10 स्थान लेकर तीसरे स्थान पर है। शिक्षित मतदाताओ मे कुल पाच प्रकार के वर्ग बनाये गये है। 8 तक 10 12 तक बी0ए0 तक और एम0ए0। भाजपा 20 मतदाताओ वाले 8 तक शिक्षित व्यक्तियो मे 14 सपा 5 बसपा अन्य को कोई स्थान नही। 10 तक के वर्ग के कुल 2 मतदाताओ मे 1 भाजपा और 1 सपा इस वर्ग म बसपा और अन्य को कोई स्थान नही प्राप्त हुआ। 12 तक के मतदाताओ के वर्ग मे 8 भाजपा 3 सपा 4 बसपा और अन्य को कोई स्थान नही। इस वर्ग मे बसपा ने सपा को पीछे कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। बी0ए0 तक वाले वर्ग मे 5 भाजपा 4 सपा 4 बसपा और 1 स्थान बसपा को प्राप्त हुआ। इस वर्ग मे सपा और बसपा बराबर मत प्राप्त किये। आखिरी वर्ग अर्थात् एम0ए0 तक वाले वर्ग मे कुल 9 स्थानो मे 5 भाजपा 2 सपा 1 बसपा को और 1 अन्य को प्राप्त होता है अर्थात् भाजपा शिक्षित और अशिक्षित दोनो ही वर्गों मे अपनी बढत बनाये हुए है।

तालिका न0 5 16

लिग के आधार पर दलीय समर्थन

राजनीतिक दल	लिग	
	पुरूष	महिला
भाजपा	23	20
सपा	13	10
बसपा	08	07
अन्य	03	01
	47	38

अन्य–भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना दल राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी और अजेय भारत पार्टी तथा चार निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है।

शोधकर्ता द्वारा जब इन 85 मतदाताओ मे यह पता किया कि लिग के आधार पर किस दल को कितने मत प्राप्त हुए है तो ज्ञात होता है कि भाजपा इसमे भी दोनो वर्गों मे आगे है। अर्थात् भाजपा को पुरूष और महिला दोनो ही वर्गों मे बढत प्राप्त है। कुल 47 पुरूष मतदाताओ मे से 23 भाजपा को 13 सपा को 8 बसपा को ओर 3 स्थान अन्य दलो और उम्मीदवारो को प्राप्त हुए। इस प्रकार देखा जाए तो भाजपा को कुल पुरूष मतदाताओ का 48 93 प्रतिशत सपा को 27 65 प्रतिशत स्थान बसपा को 17 02 प्रतिशत तथा अन्य को 6 38 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार कुल 38 महिला मतदाताओ मे 20 भाजपा को 10, सपा को 7 बसपा को और 1 महिला मतदाता अन्य दल को अपना मत देने की बात कहती है। अब यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा इसमे 52 63 प्रतिशत सपा 26 31 प्रतिशत बसपा 18 42 प्रतिशत और

अन्य 2 63 प्रतिशत स्थान प्राप्त करती है। अर्थात् पुरूष और महिला दोनो वर्गों मे भाजपा पहले सपा दूसरे और बसपा तीसरे स्थान पर है।

तालिका न0 5 17

दलीय समर्थन पर निवास स्थान का प्रभाव

राजनीतिक दल	शहरी	ग्रामीण
भाजपा	22	21
सपा	14	09
बसपा	08	07
अन्य	01	03
	45	40

अन्य–भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना दल राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी और अजेय भारत पार्टी तथा चार निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है।

इस आधार पर कि शहर और ग्रामीण मतदाताओ मे किस दल को अधिक सर्मथन मिलता है। शोधकर्ता ने 45 शहरी और 40 ग्रामीण मतदाताओ मे से 22 मतदाता भाजपा को अर्थात् कुल शहरी मतदाताओ का 48 88 प्रतिशत भाजपा को पसन्द करते है जबकि सपा 14 स्थान अर्थात् मतदाताओ का 31 11 प्रतिशत पाकर दूसरी पसन्द बनी हुयी है। बसपा 8 स्थान और 17 77 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही जबकि अन्य को 1 स्थान और 2 22 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कुल 40 ग्रामीण मतदाताओ मे भाजपा को 21 सपा को 9 बसपा को 7 और अन्य को 3 मतदाता अपना समर्थन देने की बात कहते है। इस प्रकार ग्रामीण मतदाताओ का भाजपा को 52 5 प्रतिशत, सपा को 22 5 प्रतिशत, बसपा को 17 05 प्रतिशत और अन्य को 7 5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भाजपा शहरी और ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रो मे स्पष्ट बहुमत प्राप्त

करती है। अर्थात् भाजपा के समर्थन पर शहर नगर और ग्रामीण क्षेत्र होने का असर दिखाई नही देता है।

तालिका न0 5 18

दलीय समर्थन पर व्यवसाय का प्रभाव

दल	कृषि	मजदूरी	सरकारी	स्वय का	ग्रहणी	आश्रित	अन्य
भाजपा	06	02	09	04	18	01	03
सपा	04	02	04	03	08	01	01
बसपा	02	01	03	03	05	00	01
अन्य	02	00	01	00	00	00	01
	14	05	17	10	31	02	06

अन्य –इसके अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना दल अजेय भारत पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी और चार निर्दलीय उम्मीदावार शामिल है।

इस आधार पर कि किस–किस व्यवसाय वाले मतदाता किस दल को पसन्द करते है कुल 85 मतदाताओ मे से 14 कृषि 5 मजदूरी 17 सरकारी सेवा 10 स्वय का व्यवसाय 31 गृहणी 2 आश्रित और 6 अन्य कार्यों मे सलग्न थे। 14 कृषि कार्य मे लगे मतदाताओ मे 6 मतदाता भाजपा को 4 सपाको 2 बसपा को तथा 2 अन्य दलो और उम्मीदवारो को पसन्द करते हैं। अर्थात् कृषि कार्य मे सलग्न मतदाताओ मे भाजपा को 42 85 प्रतिशत सपा को 28 57 प्रतिश, बसपा को 14 28 प्रतिशत और अन्य को भी 14 28 प्रतिशत मत प्राप्त होते है। मजदूरी करने वाले कुल 5 मतदाताओ मे 2 भाजपा को 2 सपा को और 1 भाजपा को अपना मत देने की बात करते है। अर्थात मजदूरो का 40

प्रतिशत मत भाजपा को 40 प्रतिशत सपा को और 20 प्रतिशत मत बसपा को प्राप्त होते है। अर्थात मजदूर वर्ग मे भाजपा और सपा को समान मत प्राप्त होता है।

सरकारी सेवा करने वाले कुल 17 मतदाताओ मे 9 भाजपा को 4 सपा को 3 बसपा को और 1 मतदाता अन्य दल या उम्मीदवार का समर्थन करता हे। इस प्रकार देखा जाए तो नौकरी वाले वर्ग मे भाजपा 52 94 प्रतिशत पाकर सर्वोच्च स्थान बनाये हुए है। जबकि सपा 23 52 प्रतिशत मत प्राप्त कर दूसरा ओर बसपा 17 64 प्रतिशत मत लेकर तीसरे स्थान पर है तथा अन्य को 5 88 प्रतिशत स्थान प्राप्त होता हे। निजी व्यवसाय करने वाले कुल 10 मतदाताओ मे 4 भाजपा को 3 सपा को 3 बसपा को प्राप्त होते है जबकि अन्य को इस वर्ग मे कोई स्थान प्राप्त नही होता है। अर्थात् स्वय का व्यवसाय करने वाले मतदाताओ का 40 प्रतिशत भाजपा को 30 प्रतिशत सपा को और 30 प्रतिशत ही मत बसपा को मिलता है। जबकि अन्य को इस वर्ग मे एक प्रतिशत भी मत नही प्राप्त होता है। 85 मतदाताओ मे 31 गृहणी थीश। अर्थात घर के अन्दर काम करने वाली महिलाए इन 31 गृहणियो मे 18 भाजपा को 8 सपा को 5 बसपा को अपना समर्थन देने की बात कहती है। अन्य को कोई मलि उम्मीदवार अपना समर्थन नही देती है। अर्थात् भाजपा को 58 06 प्रतिशत महिलाओ का सपा को 25 88 प्रतिशत महिलाओ ने और बसपा को 16 12 प्रतिशत गृहणिया अपना समर्थन देती है। कुल 2 आश्रित मतदाताओ मे 1 भाजपा को और 1 सपा को अपना समर्थन देता है अर्थात् भाजपा और सपा 50–50 प्रतिशत मत आपस मे विभाजित कर लेते हैं जबकि बसपा को कोई मत नही प्राप्त होता है। अन्य मतदाताओ मे जैसे कि छात्र रिटायर्ड कर्मचारी इत्यादि शामिल है, मे 3 भाजपा को 1 सपा को 1 बसपा को और 1 मत अन्य को प्राप्त होते हैं। अर्थात भाजपा इस वर्ग मे भी 50 प्रतिशत मत पाकर सर्वोच्च स्थान पर रही जबकि सपा बसपा और अन्य तीनो को 16 6, 16 6, 16 6 प्रतिशत मत प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समस्त मतदाताओ मे भाजपा आगे है और वह सभी वर्गों मे भी अपना महत्व बनाये हुए थी।

तालिका न0 5 19

दलीय समर्थन पर जातिगत प्रभाव

राजनीतिक दल	सवर्ण	पिछडी जातिया	अनुसूचित जातिया
भाजपा	06	36	01
सपा	01	21	01
बसपा	01	11	03
अन्य	01	03	00
	09	71	05

अन्य–भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना दल राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी और अजेय भारत पार्टी तथा चार निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।

ऊपर तालिका मे दलीय समर्थन पर जाति और वर्ग का प्रभाव दिखलाया गया है। जो शोध विषय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तालिका है। इसके अन्तर्गत कुल 85 मतदाताओ मे 9 सवर्ण 71 पिछड़ी जाति और 5 मतदाता अनुसूचित जाति के थे। 9 सवर्ण मतदाताओ मे 6 भाजपा को 1 सपा को 1 बसपा को और 1 मतदाता अन्य को अपना मत देने की बात करता है। इस प्रकार कुल सवर्ण मतदाताओ का भाजपा को 66 60 प्रतिशत मत प्राप्त होता है जबकि सपा बसपा तथा अन्य तीनो को 11 11 प्रतिशत मत प्राप्त होता है। अर्थात सवर्ण मतदाताओ मे भाजपा अपना अधिकार बनाये हुए है। पिछडी जाति के कुल 71 मतदाताओ मे 36 भाजपा को 21 सपा को और 11 बसपा तथा 3 अन्य दलो और उम्मीदावार को प्राप्त होता है। अर्थात् भाजपा पिछडी जातियो के मतदाताओ का 50 70 प्रतिशत मत पाकर नम्बर एक की स्थिति बनाये हुए है जबकि सपा 29 57 प्रतिशत बसपा 15 49 प्रतिशत तथा अन्य को 12 67 प्रतिशत मत प्राप्त होता है। पिछडी जातियो मे भाजपा द्वारा अकेले लगभग 50 प्रतिशत करने का मुख्य कारण

भाजपा प्रत्याशी का पिछडी जाति का होना है 1 सपा को और 3 मत भाजपा को मिलता है। अर्थात् यहा बसपा 60 प्रतिशत मत लेकर प्रथम स्थान तथा भाजपा ओर सपा 20 20 प्रतिशत मत लेकर सयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर है।

तालिका न0 5 20

दलीय समर्थन पर राष्ट्रीय मुद्दो का प्रभाव

राजनीतिक दल	धर्म	जाति	पार्टी की नीतिया	राष्ट्रीयता	अन्य
भाजपा	05	10	16	12	00
सपा	03	06	06	08	00
बसपा	02	03	06	04	00
अन्य	00	01	02	00	01
	10	20	30	24	01

अन्य इसमे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनादल भारतीय किसान कामगार पार्टी राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी अजेय भारत पार्टी और चार निर्दल उम्मीदवार शामिल है।

शोध छात्रा द्वारा इस विषय पर कि वह मत देते समय किन–किन मुद्दो से अधिक प्रभावित होते है कुछ रोचक तथा सामने आते हैं। कुल 85 मतदाताओ मे से 10 यह कहते है कि मत देते समय उनका आधार धर्म होता है। इन 10 मतदाताओ मे 5 भाजपा को, 4 सपा को 2 बसपा को और अन्य को कोई स्थान नही मिलता है। अर्थात भाजपा 50 प्रतिशत मत प्राप्त करती है। लेकिन सपा और बसपा को भी धार्मिक आधार पर क्रमश 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जातिगत आधार पर देखा जाए तो 20 मतदाताओ ने यह स्वीकार किया कि वह जाति को मुख्य मुद्दा

मानते हैं। इन 20 मतदाताओ मे से 10 भाजपा को 6 सपा को 3 बसपा को अर्थात यहा भी भाजपा 50 प्रतिशत स्थान लकर प्रथम स्थान है और सपा बसपा तथा अन्य को क्रमश 30 प्रतिशत 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत मत मिलता है।

मतदाताओ से यह पूछे जाने पर कि वह वोट देते समय किस मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता देते है। 85 मतदाताओ मे 30 ने पार्टी की नीतियो को अपना मुख्य आधार बताया। इन 30 मतदाताओ मे 16 भाजपा को 6 सपा को 6 बसपा को और 2 मत अन्य दलो और उम्मीदवारो को प्राप्त होते है। भाजपा यहा भी 30 मे 16 मत लेकर 53 33 प्रतिशत वोट पाती है। जबकि सपा बसपा और अन्य को क्रमश 20 20 और 6 66 प्रतिशत मत प्राप्त होता है। कुल 24 मतदाताओ ने राष्ट्रीयता को अपना मुख्य मुद्दा माना। अर्थात जो दल जितना अधिक राष्ट्रीयता का समर्थन करता है यह मतातदा उसी दल का समर्थन करने की बात कहते है। इन 24 मतदाताओ मे से 12 भाजपा को 8 सपा को 4 बसपा को अपना मत प्रदान करते है यद्यपि कि भाजपा 50 प्रतिशत मत लेकर प्रथम स्थान पर है परन्तु सपा और बसपा भी राष्ट्रीय के मुद्दे पर क्रमश 33 प्रतिशत और 16 66 प्रतिशत मत प्राप्त करते हैं। अर्थात राष्ट्रीयता के मुद्दे पर और नीतियो मे भाजपा के साथ ही साथ मतदाता सपा और बसपा को भी समर्थन प्रदान करता है। अन्य मे केवल एकमतता है और उसका मुद्दा है रोजगार। वह कहता है कि जो पार्टी रोजगार को अपना मुख्य मुद्दा बनाती है उसे ही वह अपना मत देगा। भाजपा सपा और बसपा को वह अपना मत नही देता है। अर्थात् यह 100 प्रतिशत मत अन्य दलो को प्राप्त होता है।

1998 के फैजाबाद ससदीय क्षेत्र का जो सर्वेक्षण किया गया था वह मतदान के एक हफ्ते पूर्व का है। इस सर्वेक्षण मे जितने भी दृष्टिकोण से मतदाताओ का रूझान जानने का प्रयत्न किया गया है उन सभी दृष्टिकोणो से यह स्पष्ट है कि भाजपा अपने सभी प्रतिद्वन्द्वी दलो से काफी आगे हैं चाहे वह उम्र हो या शिक्षा, जाति निवास, लिग,

व्यवसाय या नीतियो और कार्यक्रमो का। परन्तु जब चुनाव परिणाम आया ता इसम भाजपा प्रत्याशी विनय कटियार सपा प्रत्याशी मित्रसेन यादव से कडे मुकाबले मे लगभग 75 हजार मतो से पराजित हो गये। इस बात के लिए ऐसा क्यो हुआ कारणा जानने का प्रयत्न किया गया तो इसके कुछ रोचक तथ्य सामने आये। **पहला** और मुख्य कारण जो वहा के निवासियो और मतदाताओ से पूछने पर पता चला था वह था उसी समय हरिद्वार मे महाकुम्भ लगा था और अयोध्या के लगभग 25–30 हजार साधू–सन्यासी हरिद्वार चले गये। अयोध्या ही वह विधानसभा क्षेत्र है जहा से भाजपा प्रत्याशी अपने प्रतिद्वन्दि से काफी बढत लेता है परन्तु इस बार वह उसे नही मिल पाया। जिससे कि इस चुनाव परिणाम पर गहरा प्रभाव पडा। दूसरे काग्रेस वहा से चुनाव नही लड रही थी तो उसने अपना समर्थन सपा प्रत्याशी को दे दिया। इससे काग्रेस का सवर्ण मतदाता भी दिग्भ्रमित हो गया और काग्रेसी मतदाताओ का कुछ भाग सपा और कुछ भाजपा के कारण विनय कटियार को मिल पाया। तीसरे–राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर प्रचारित किया जा रहा था कि इस बार चुनाव के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर सयुक्त मोर्चा और काग्रेस मे गठबन्धन होगा और यदि मित्रसेन यादव चुनाव जीतते हैं तो वह केन्द्र मे मत्री बनाये जायेगे। इस समाचार का मतदाताओ के ऊपर गहरा प्रभाव पडा और जो मतदाता अतिम समय पर अपने वोट का निर्धारण करते हैं उनका मत सपा प्रत्याशी को चला गया कि यदि वह जीतते हैं तो केन्द्र मे मत्री बनाये जाएगे। **चौथे**–मतदाताओ का जो साक्षात्कार लिया गया था उसमे कुल 10 शहरी मुहल्ले और 20 गाव थे। इन 20 गावो मे भी 5 नगर पचायत के थे और शहर तथा नगरो मे भाजपा का जनाधार सामान्यतया अन्य दलों की अपेक्षा अधिक रहता है। परन्तु शहर मे मतदान बहुत कम हो पाया। पाचवे स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा बहुत कारगर रहा कि विनय कटियार एक बाहरी उम्मीदवार हैं और वह 91 तथा 96 मे दो सासद रहने के बावजूद क्षेत्र के विकास के लिए उन्होने कोई कार्य नही किया। अत यदि क्षेत्र का विकास करना हो तो सपा प्रत्याशी मित्रसेन यादव

को विजयी बनाये। और 6वा अतिम तथा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि आम मतदाताओ के साथ–साथ भाजपा कार्यकर्ता भी यह स्वीकार करते ह कि विनय कटियार स्वभाव से बहुत अहमवादी है तथा क्षेत्र की जनता के साथ उचित व्यवहार नही करते। यही कारण प्रतीत होता है कि सर्वेक्षण मे अपने सभी प्रत्याशियो से बहुत आग रहन वाले कटियार इस चुनाव मे लगभग 75 हजार मतो से पराजित हो गये। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रामनिहाल निषाद सर्वेक्षण मे भी तीसरे नम्बर थे और चुनाव परिणाम म भी वह तीसरे नम्बर पर थे।

दूसरे इन तमाम कारणो और तथ्यो के बाविजूद मतदाताओ ने भी लगता है कि सही स्थिति का अनुमान नही दिया। क्योकि कुल 85 मतदाताओ मे से 30 ने कहा कि वह पार्टी की नीतियो और मुद्दो के आधार पर अपना समर्थन निर्धारित करता है अर्थात् जिस पार्टी की नीति और कार्यक्रम विकासवादी और प्रगतिशील होगे उसी दल को वह अपना समर्थन देगे परन्तु जब उनसे यह पूछा गया कि आप जिस दल का समर्थन करते है उस दल की कुछ नीतियो और कार्यक्रमो के सम्बन्ध मे बताये तथा उस पार्टी के घोषणा पत्र के सम्बन्ध मे कुछ बताये तो कोई भी मतदाताओ ने किसी भी पार्टी की नीति कार्यक्रम तथा घोषणा–पत्र के सम्बन्ध मे नही बता पाया। इससे प्रतीत होता है कि उन्होने साक्षात्कार के समय झूठ बोला था अर्थात उनके समर्थन का कारण कुछ और रहा होगा परन्तु उन्होने दल के समर्थन का मुख्य कारण पार्टी की नीतियो को कहा। इसी प्रकार कुल 24 मतदाताओ ने राष्ट्रीयता को अपने समर्थन का मुख्य कारण बताया। परन्तु उनसे यह पूछने पर कि राष्ट्रीयता क्या होती है, या क्या है? इस सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट उत्तर नही दे सके। जैसे सपा के समर्थक मतदाता से यह पूछा कि आप राष्ट्रीयता के आधार पर समाजवादी पार्टी और उसके प्रत्याशी मित्रसेन यादव का समर्थन करते है तो आप बताइए कि राष्ट्रीयता क्या है? तो वह बोलता है कि हमारे पार्टी अध्यक्ष नेताजी अर्थात मुलायम सिह जो राष्ट्र के सम्बन्ध मे कहते हैं वही राष्ट्रीयता है। इससे यही प्रतीत है कि फैजाबाद मे चुनाव परिणामो का मुख्य आधार जातीयता ही है।

इस प्रकार शोध प्रबन्ध के अतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि जिन उद्देश्यो को ध्यान मे रखकर यह शोधकार्य प्रारम्भ किया गया था उसमे काफी सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि कि जिले मे पिछडी जातियो की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए 1998 के ससदीय चुनाव को आधार बनाया गया है परन्तु वहा की वास्तविक राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए ससदीय चुनावो विधान सभाई जिला परिषदीय ब्लाक प्रमुख और ग्राम पचायतो के चुनावो का सक्षिप्त अवलोकन भी अनिवार्य था जिससे यह पता चलता है कि जिले मे पिछडी जातियो की जो राजनीतिक स्थिति 1990 के बाद देखने को मिलती हे वह उसके पूर्व नही थी। जिसके कई कारण उभर कर सामने आते है। जैसे प्रथम स्वतत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के अन्य जिलो के समान फैजाबाद मे भी काग्रेस का एकाधिकार था और काग्रेस मे उच्च जातियो का वर्चस्व था जिसके कारण पिछडी जातिया राजनीतिक रूप से उभरकर सामने नही आ पा रही थी। दूसरे इन जातियो की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति भी दयनीय थी और इस शोध प्रबन्ध से यह निष्कर्ष उभर कर सामने आता है कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होने के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी प्रभावशाली होना चाहिए। जिले मे पिछडी जातियो को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया ने कड़ा परिश्रम किया क्योकि उन्होने यहा व्याप्त सामाजिक असमानता और कटटर जातिवादी व्यवस्था की कुरीतियो की बहुत नजदीक से देखा था। डा0 लोहिया द्वारा पिछडी जातियो का जो राजनीतिक जागरण इस जिले मे आरम्भ हुआ उसे द्वारिका प्रसाद मौर्य, जयराम वर्मा महादेव प्रसाद वर्मा गोपीनाथ वर्मा अकबर हुसैन बाबर मित्रसेन यादव विनय कटियार सीताराम निषाद राम लखन वर्मा राम अचल राजभर हरिशकर सफरीवाला और अवधेश प्रसाद जैसे पिछडी जाति के नेता उसे और आगे बढा रहे है। यही कारण है कि ससदीय सीट से लेकर ग्राम पचायत स्तर तक जिले की राजनीति मे इनका लगभग एकाधिकार हो गया है। जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि 1989 से 1999 के 5 ससदीय चुनावो मे लगातार इनकी जीत हो रही है। जबकि 1952 से 1984 के 8 चुनावो मे सिर्फ

एक बार 1984 मे जयराम वर्मा ने इदिरागाधी की मृत्यु से उत्पन्न सहानुभूति लहर मे जीत दर्ज की थी। यही स्थिति विधान सभा चुनावो मे भी देखने को मिलती हे। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रो मे 1996 के चुनाव मे सिर्फ अयोध्या सीट पर उच्च जाति के भाजपा प्रत्याशी लल्लन सिह निर्वाचित हुए शेष चार पिछडी जाति के ही हैं।

इस अध्याय का दूसरा भाग सर्वेक्षण पर आधारित है जो 1998 के फेजाबाद ससदीय चुनाव पर आधारित है। इसके अन्तर्गत इस निर्वाचन मे जिल क प्रत्याशियो पार्टी पदाधिकारियो और 85 मतदाताओ का साक्षात्कार लिया गया। इस साक्षात्कार म दो प्रकार के प्रश्न थे पहले भाग मे उत्तरदाता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न था जबकि दूसरे भाग मे उनके राजनीति जागरूकता से प्रत्याशियो के साक्षात्कार से यह बात उभरकर सामने आयी कि किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर उनका विचार वही होता था जो उनकी पार्टी की नीति होती थी। इसी प्रकार पार्टी पदाधिकारियो और कार्यकताओ के विचार भी दलीय निष्ठा और नीतियो से जुडे हुए थे। जिले के 30 महत्वपूर्ण पार्टी पदाधिकारियो और कार्यकर्ताओ मे से केवल 5 प्रतिशत लोगो ने ही अपनी पार्टी के घोषणापत्र के बारे मे कुछ हद तक बता पाया। मतदाताओ की स्थिति तो और भी दयनीय थी परन्तु वह अपने आपको इस तरह प्रस्तुत कर रहे थे जैसे राजनीति और राजनीतिक मुद्दो की उन्हे पूरी जानकारी हो। यपि कि उनकी राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ है। परन्तु वह जागरूकता यही तक सीमित है कि जिले और प्रदेश मे अपनी ही जाति के लोगो को राजनीतिक पदो पर देखना चाहते है। दूसरे सर्वेक्षण से यह बात भी देखने को मिली कि जिले की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिछडी जातियो अहिर और कुर्मी के सम्बन्ध मे राजनीतिक वर्चस्व के लिए काफी तनाव भी रहता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह सामने आयी कि जिले मे पिछडी जातियो मे राजनीतिक वर्चस्व 1990 के बाद स्थापित हुआ परन्तु यह वर्चस्व केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्पन्न पिछडी जातियो जैसे–यादव और कुर्मी का ही है। जैसे कि 1989 से 1999 के 5 ससदीय चुनावो मे तीन बार कुर्मी और दो बार यादव जाति के ही व्यक्ति सासद निर्वाचित हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत

1 आर0एल0 शुक्ला – आधुनिक भारत का इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–1990

2 आर0आर0 मौर्य – उत्तर प्रदेश की भूमि विधिया सेन्ट्रल ला एजेन्सी

3 आर्थिक समीक्षा – उत्तर प्रदेश फैजाबाद–1977–78

4 ओकार नाथ द्विवेदी – भारतीय सस्कृति एव सभ्यता प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद–1991

5 उत्तर प्रदेश – उत्तर प्रदेश पोर्टेन्ट आफ पापुलेशन नयी दिल्ली–1973

6 के0के0 सिह – पैटर्न आफ कास्टटेशन ए स्टडी इन इण्टर कास्टेसस एशिया पब्लिकेशन बाम्बे–1967

7 कपिल कुमार (अनुवादक असद जैदी) – किसान विद्रोह काग्रेस और अग्रेजी राज अवध मनोहर प्रकाशन नयी दिल्ली–1991

8 गोविन्द सदाशिव धुर्ये – जातिवर्ग और व्यवसाय पापुलर प्रकाशन बाम्बे–1956

9 डा0 जयशकर मिश्रा – प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास हिन्दी कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–1992

10 जे0एच0 हटन – भारत मे जाति प्रथा मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली–1998

11	डी0डी0 बसु	–	भारत का सविधान एक परिचय प्रैटिग्स हाल आफ इण्डिया प्रा0 लि0 नयी दिल्ली–1996
12	बी0एल0 ग्रोवर	–	आधुनिक भारत का इतिहास एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 नयी दिल्ली–1995
13	बी0 एल0 ग्रोवर और यशपाल	–	आधुनिक भारत का इतिहास एस0 चन्द्र एण्ड क0 लि0 नयी दिल्ली–1995
14	विपिन चन्द्रा	–	भारत का स्वतत्रता सघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–1990
15	वी0 शिवारा	–	भारतीय सविधान के निर्माण के कुछ चयनित कागजात–VII
16	वी0के0 अग्निहोत्री	–	भारतीय इतिहास एलाइड पब्लिशर्स नयी दिल्ली–1999
17	डा0 वी0पी0 वर्मा	–	आधुनिक भारतीय राजनीति का चिन्तन लक्ष्मी नरायन अग्रवाल आगरा–1989
18	चन्द्रशेखर मिश्रा	–	भारत का सवैधानिक इतिहास विधि साहित्य प्रकाशन विधि और न्याय मत्रालय भारत सरकार नयी दिल्ली–1983
19	भारत का सविधान	–	सेन्ट्रल ला एजेन्सी इलाहाबाद–1990
20	मधुलिमये	–	स्वतत्रता आन्दोलन की विचारधारा पलवन प्रकाशन दिल्ली–1983
21	एम0एन0 श्रीनिवास	–	आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली–1987
22	लक्ष्मीकात वर्मा	–	समाजवादी दर्शन और डा0 लोहिया सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ–1991

23	रजनी कोठारी	–	भारत मे जाति प्रथा ओरियटल लागमेन लि0 नयी दिल्ली–1990
24	रजनी कोठारी (अनुवादक अशोक जी)	–	भारत मे राजनीति ओरियटल लागमेन लि0 नयी दिल्ली–1990
25	एस0 सरस्वती	–	मद्रास राज्य मे अलपसख्यक इम्पेक्स इण्डिया लि0 दिल्ली–1974
26	सत्या राय	–	भारत मे उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–1990
27	सुमित सरकार	–	आधुनिक भारत राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0 नयी दिल्ली–1992–93
28	एस0एम0 सइद	–	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सुलभ प्रकाशन लखनऊ–1992
29	डा0 एस0सी0 सिघल	–	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एव भारतीय गणतत्र का सविधान लक्ष्मी नरायन अग्रवाल आगरा–2002
30	स्टेटीकल डायरी	–	उत्तर प्रदेश लखनऊ–1980
31	हिरेन्द्र प्रताप सिह	–	भारतीय सामाजिक सस्थाये मिश्रा ट्रेडिग कारपोरेशन वाराणसी–1999

1	Angela Burger		"Oppsition in a dominant Party A study of the Jana Sangh the Praja Socialiopfarity & The Socialist Party in UP" Oxford University Press, Bombay-1969
2	Baden Powell	-	India Village Community Studies in Indian History Vol 3 Cosmo Publication Delhi-1977
3	Baljeet Singh & Shree Dhar mishra	-	A study of Land Reform in U P
4	C Crooke	-	Races of Northern India Cosmo Publication Delhi-1973
5	David G Mandelbaum	-	Society in India Popular Prakashan, Bombay-1984
6	E A H Bhint	-	The Cste System of Northern India, S Chand & Company, Delhi 1961
7	Eugene F Irschick	-	Politices and Social Conflict in South India, Oxford University Press Bombay-1969
8	Francine Frankel	-	Problems of escalating Electoral and Economic Variables and analysis of voting behaviour and Agrarian Modernization in Uttar Pradesh in Mynor Weiner and John, Osgoodified (Ed) Electroal Politics in India States Volume-II, Institute of Technology Massachusitts-1977
9	Gail Omvedt H R Pigle	-	Tribes and caste of Bengal an ethnographic Glossary
10	Iqbal Narain Judith M Brown	-	Gandhi's rise to Power in Indian Politics University Press Cambridge-1972
11	L P Sinha	-	The left wing in India Faizpur Theisi-1936, New Publisher Muzaffar Nagar-1936

12	Minati Singh	-	Lower Ganga Ghaghra Doab A study in rural settlements Tara Books Agency, New Delhi 1983
13	M A Sherring	-	The Bhar Tribe, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London-1871
14	Paul R Brers	-	Caste faction and Parly in Indian Politics Volume II Chanaisya Publication, Delhi-1985
15	Paul R Brers	-	Factionl Politics in Indian States The congress Party in Uttar Pradesh Oxford University press, Bombay-1966
16	R P Singh	-	Evolution of the clen Territorial Units in the middle Ganga Valley- in the National Geographical General of Indian Volume XX-part-I 1974
17	Rajendra Singh	-	Caste Land and Power in Uttar Pradesh-1970-75 in Gail Omvetd (Ed) Land Caste and Politics in Indian States- Department of Political Science University of Delhi 1982
18	Iqbal Narain (eb)	-	State Politics in Indian (Ed) by Iqbal Narain Meenakshi Prakashan Meerut-1976
19	Saraswati Srivasta	-	The pattern of political Leadership in Emmerging Areas A case study of Uttar Pradesh on Published Ph D Thesis B H U Varanasi
20	S Saraswati	-	Minorities in Madras State Impex India, Delhi-1974
21	Kapil Kumar	-	Peasent in Revolt, Manohar Prakashan, New Delhi-1991

समाचार पत्र और पत्रिकाए द्वितीयक स्रोत

1 आज

2 अमृत प्रभात

3 अमर उजाला

4 दिनमान

5 दैनिक जागरण

6 द हिन्दू

7 द टाइम्स आफ इण्डिया

8 नवभारत टाइम्स

9 एन0आई0पी0

10 नेशनल हेराल्ड

11 जनमोर्चा

12 जनसत्ता

13 राष्ट्रीय सहारा

14 हिन्दुस्तान

15 सडे

16 सडे पायनियर

17 स्टेट्स मैन

पत्रिकाए

1 करेण्ट अफेयर्स

2 ग्राम प्रधानो का विवरणिका

3 टुअर्डस ज्योति

4 द यू0पी0 जर्नल आफ पोलिटिकल साईस

5 यादव ज्योति

6 लोक प्रशासन जर्नल

7 साख्यिकी पत्रिका फैजाबाद

8 सामाजिक समीक्षा फैजाबाद

9 सामाजिक न्याय की नयी पहल

10 समाजवादी बुलेटिन

प्रमुख वाद

1 ए0आई0आर0–एस0सी0 1379–1968

2 ए0आई0आर0–एस0सी0 1375–1972

3 ए0आई0आर0–एस0सी0 1012–1968

4 ए0आई0आर0–एस0सी0 135–1979

5 ए0आई0आर0–एस0सी0 1322–1968

6 ए0आई0आर0–एस0सी0 563–1975

7 ए0आई0आर0–एस0सी0 1949–1963

दलीय प्रपत्रों एवं घोषणा पत्र :

1. अर्जक संघ के मुख्य उद्देश्य एवं सिद्धान्त
2. भारतीय क्रांतिदल का उद्देश्य और सिद्धान्त–1971
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र–1985
4. जनसंघ का घोषणा पत्र–1969
5. जनसंघ का घोषणा पत्र–1974
6. भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र–1980
7. भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र–1989
8. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र–1977
9. जनता पार्टी का घोषणा पत्र–1977
10. जनता दल का घोषणा पत्र–1989
11. सोशलिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र–1957
12. सोशलिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र–1962
13. समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र–1993
14. समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र–1996
15. बसपा का घोषणा पत्र–1993
16. बसपा का घोषणा पत्र–1996

प्रमुख प्रतिवेदन और रिपोर्ट

1 अखिल भारतीय शोषित दल का प्रतिवेदन–1975

2 उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश सख्या–1341/XXII/781/1958

3 उत्तर प्रदेश सरकार के अतिपिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1977

4 उत्तर प्रदेश सरकार के अतिपिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1980

5 उत्तर प्रदेश सरकार के अतिपिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1982

6 काका कालेलकर आयोग का प्रतिवेदन–

7 कर्नाटक पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1975

8 तमिलनाडु सरकार के पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1974

9 बिहार सरकार के पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1978

10 बाम्बे सरकार का वित्तीय प्रस्ताव–1925

11 मण्डल कमीशन रिपोर्ट–1980

12 भारत सरकार के पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1956

13 भारत सरकार के गृह मत्रालय का प्रतिवेदन–1960

14 भारत सरकार के पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन–1975

15 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1865

16 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1921

17 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1931

18 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–11951

19 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1961

20 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1971

21 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1981

22 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–1999

23 भारत की जनसख्या रिपोर्ट–2001

24 स्टार्टे समिति का प्रतिवेदन–1930

25 साइमन कमीशन की रिपोर्ट–1928

संलग्नक

सलग्नक 1

साक्षात्कार अनुसूची

शोध प्रबन्ध की दृष्टि से सामान्य मतदाताओ राजनीतिक दलो के कार्य कर्ताओ और पदाधिकारियो तथा 1998 ससदीय चुनाव मे फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लडने वाले प्रत्याशियो का साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार को दो भागो मे विभक्त किया गया था। परिचयात्मक विवरण और राजनीतिक जानकारी के सन्दर्भ मे। पहले खण्ड के अन्दर मतदाताओ पदाधिकारियो और प्रत्याशियो के सामाजिक स्तर और उनके रहन–सहन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये थे जबकि दूसरे भाग मे उनको बौद्धिक स्तर और राजनीतिक जानकारी के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे गये थे।

प्रत्याशी के साक्षात्कार

परिचयात्मक प्रश्न

1 नाम

2 उम्र

3 जाति

4 वर्ग

5 शिक्षा

6 व्यवसाय

7 मकान

8 आय का स्रोत और आय

9 निवास

राजनीतिक जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न

1 इस पार्टी के साथ आप कितनो दिनो से जुडे हुए है।

2 क्या इसके पूर्व आप किसी अन्य पार्टी मे थे? यदि हा तो किन कारणो से आपने अपनी पूर्ववर्ती पार्टी का परित्याग किया।

3 आपने सबसे पहले चुनाव कब लडा था।

4 किन कारणो और परिस्थितियो के कारण आपने राजनीति म प्रवेश किया था।

5 आपके अनुसार इस समय राष्ट्र की सबसे बडी समस्या क्या है?

6 क्या आप इस बात से सहमत है कि पचायतो की तरह ही लोक सभा और विधान सभाओ मे भी महिलाओ को आरक्षण दिया जाना चाहिए।

7 पिछले 7–8 वर्षों से देश मे जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे है क्या आप उससे सहमत हैं।

8 क्या आप देश मे समान नागरिक सहिता का समर्थन करते है।

9 आप देश मे किस प्रकार का शासन पसद करेगे। एक पार्टी की या मोर्चे और गठबन्धन की सरकार।

10 क्या आप वर्तमान भारतीय लोकतात्रिक शासन प्रणाली से सतुष्ट है।

पार्टी पदाधिकारियो के साक्षात्कार

परिचयात्मक प्रश्न

1 नाम

2 जाति

3 वर्ग

4 शिक्षा

5 व्यवसाय

6 निवास

7 पार्टी

राजनीतिक जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न

1 आप इन पार्टी के साथ कितने दिनो से जुडे हुए है?

2 इसके पूर्व आप किस पार्टी से सम्बद्ध थे–हा या नही।

3 यदि इसके पूर्व आप किसी पार्टी से सम्बद्ध थे तो किन कारणो स आपन उरा पार्टी को छोडकर इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

4 क्या आप अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के सम्बन्ध मे जानते ह।

5 आपके अनुसार देश की सबसे बडी समस्या क्या हे?

6 आप किन कारणो से इस उम्मीदवाद का समर्थन और प्रचार कर रहे है।

7 क्या आपकी पार्टी आपके हितो का ध्यान रखती है और यदि हा ता कैसे।

8 आपकी निष्ठा इस उम्मीदवार के प्रति है या पार्टी के प्रति।

9 आपके अनुसार फैजाबाद जिले की सबसे बडी समस्या क्या है?

10 क्या आप वर्तमान सयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यों से सतुष्ट है।

11 आपके अनुसार अयोध्या विवाद का सवोत्तम समाधान क्या हो सकता है।

मतदाताओ का साक्षात्कार

परिचयात्मक प्रश्न

1 नाम

2 उम्र

3 जाति

4 वर्ग

5 शिक्षा

6 खेत

7 सिचाई

8 मकान

9 आय का स्रोत

10 निवास

राजनीतिक जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न

1 लोकसभा का यह चुनाव जो 16 फरवरी को हो रहा है क्या आपने उसके सम्बन्ध मे सुना है।

2 क्या आप इस बार वोट देगे?

3 क्या पिछले लोकसभा चुनाव मे आपने वोट दिया था।

4 मतदान करते समय आप पार्टी को महत्व देते है या उम्मीदवार को।

5 पिछले 18 महीने से सयुक्त मोर्चा की सरकार जो दिल्ली मे शासन कर रही है उसके कार्यों से आप कितना सतुष्ट हैं।

6 सयुक्त मोर्चे की सरकार और काग्रेस की सरकार मे आप को कोन सरकार ज्यादा अच्छी लगी और क्यो?

7 वर्तमान उत्तर प्रदेश मे जो सरकार चल रही है उसके सम्बन्ध मे आपके क्या विचार है।

8 अयोध्या विवाद के सम्बन्ध मे आपकी क्या राय है?

9 आपके अनुसार देश की सबसे बडी समस्या क्या है?

10 मतदान करते समय आप किस मुद्दे को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

11 आपके अनुसार किस पार्टी या मोर्चे की सरकार प्रदेश या देश मे बननी चाहिए।

12 आपके अनुसार देश का अगला प्रधानमत्री किसे होना चाहिए।

13 आप किस पार्टी को मतदान करेगे?

सलग्नक 2

1998 के ससदीय चुनाव मे फैजाबाद क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उन प्रत्याशियो का नाम जिनका साक्षात्कार लिया गया है

	प्रत्याशी का नाम	सम्बन्धित पार्टी
1	मित्रसेन यादव	समाजवादी पार्टी
2	विनय कटियार	भारतीय जनता पार्टी
3	हरिशकर मौर्य (सफरी वाला)	अपना दल
4	राम निहाल निषाद	बहुजन समाज पार्टी
5	दीनानाथ पाठक (दीनबन्धू दास)	भारतीय किसान कामगार पार्टी
6	जमुना सिह	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
7	अमरनाथ जयसवाल	राष्ट्रीय लोकतात्रिक पार्टी
8	कृपा शकर	अजेय भारत पार्टी
9	अजय कुमार भारती	निर्दल
10	अनिल कुमार	निर्दल
11	पन्ना लाल पासवान	निर्दल
12	मोती लाल	निर्दल

राजनीतिक दलो के उन पदाधिकारियो की सूची जिनका साक्षात्कार लिया गया है–

पार्टी	**समाजवादी पार्टी**
नाम	**पद का नाम**
अशोक सिह	जिला अध्यक्ष
ओम प्रकाश यादव	जिला कार्यकारिणी सदस्य
श्याम कृष्ण श्रीवास्तव	जिला कार्यकारिणी सदस्य
श्रीमती श्यामा यादव	नगर सचिव
सैयद अमीनुलहक	फैजाबाद अल्प सख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष

पार्टी	**भारतीय जनता पार्टी**
नाम	**पद का नाम**
श्री कमलाशकर पाण्डेय	जिला अध्यक्ष
स्वामी नाथ सिह	जिला कार्यकारिणी सदस्य
श्री रविन्द्र सिह	जिला कार्यकारिणी सदस्य
श्री सूर्य बक्श सिह	प्रदेश कार्य समिति सदस्य
श्रीमती निर्मला सिह	नगर पालिका अध्यक्ष

पार्टी	**अपना दल**
नाम	**पद का नाम**
धर्म राज पटेल	जिला अध्यक्ष
राम दुलार पटेल	प्रभारी बीकापुर विधान सभा क्षेत्र
राम शब्द मौर्य	प्रभारी मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र
श्री राम नरायन चौहान	जिला प्रभारी
श्री बालक राम चौरसिया	प्रदेश प्रभारी चौरसिया समाज

पार्टी	बहुजन समाज पार्टी
नाम	**पद का नाम**
रामतेज वर्मा	मण्डल महासचिव
श्री राम सुमेर	विधान सभा अध्यक्ष बीकापुर
श्री नुसरत कुद्दुशी	जिला मिडिया प्रभारी
श्री देश वरण यादव	जिला सदस्य
श्री मुन्ना ला	जिला महामत्री

पार्टी	भारतीय किसान कामगार पार्टी
नाम	**पद का नाम**
श्री मुन्ना सिह	जिला महासचिव और ब्लाक प्रमुख सोहावल
निजाम अहमद	जिला अध्यक्ष
ध्रुव कुमार	ब्लाक अध्यक्ष तारूण
बाबा अमर दास	जिला सचिव
चन्द्रनाथ पाठक	जिला सदस्य

पार्टी	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
नाम	**पद का नाम**
श्री अतुल कुमार सिह	सचिव मत्रिपरिषद सदस्य प्रातीय कार्यकारिणी
श्री राम तीरथ पाठक	सह सचिव मत्रिपरिषद
श्री वेद प्रकाश वर्मा	सह सचिव मत्रिपरिषद
श्री विन्ध्याचल सिह	सदस्य मत्रिपरिषद
श्री कृष्ण कुमार मौर्या	जिला समन्वयक

मतदाता का नाम		निवास स्थान
1	राम भूवन सैनी	खोजनीपुर
2	विष्णु पाल	विष्णुपुरी
3	रामबली	बसपा कार्यालय
4	दया शकर निषाद	निराला नगर
5	श्याम लाल	जगदीशपुर
6	ओम प्रकाश सिह	निराला नगर
7	सोना देवी	खोजनीपुर
8	अम्बुज प्रसाद	महाजनी टोला
9	अक्षतेश्वर प्रसाद	खोजनीपुर
10	राम प्रकाश वर्मा	नाहरपुर
11	के0वी0 सिह	नाहरपुर
12	सुन्दरी देवी	फतेहगज
13	गायत्री देवी	निराला नगर
14	नीतेसरी	गयासुद्दीनपुर
15	हेमलता यादव	रिकाबगज
16	सुरेखा	गयासुद्दीनपुर
17	जगदीश सिह	करनपुर
18	सुशीला देवी	करनपुर
19	बासमती	करनपुर
20	राजनेत पासवान	करनपुर
21	राजपति वर्मा	करनपुर
22	सिगारी	करनपुर

23	गाजी प्रसाद मौर्य	निरालानगर
24	श्री प्रेमशकर	महोवा
25	विश्वनाथ यादव	बल्लीपुर
26	सुचित	बल्लीपुर
27	जवाहर	बल्लीपुर
28	हीरा	बल्लीपुर
29	परमहस	बल्लीपुर
30	नेमचन्द्र	बल्लीपुर
31	सुनद देवी	वकचुना
32	यशोधरा देवी	वकचुना
33	मजू देवी	परतापुर
34	झूरी बिन्द	परतापुर
35	भगजोगनी	गयासुद्दीनपुर
36	बलिराम वर्मा	जयसिह मऊ
37	राम अवतार यादव	जयसिह मऊ
38	पार्वती देवी	जयसिह मऊ
39	रामराज	जयसिह मऊ
40	कमला देवी	धूरी टीकर
41	मुख लाल	धूरी टीकर
42	सरोज देवी	धूरी टीकर
43	पन्ना	धूरी टीकर
44	ज्ञानदेवी	धूरी टीकर
45	माण्डवी	धूरी टीकर

46	ललिता देवी	धर्मगज
47	बेनी प्रसाद वर्मा	धर्मगज
48	लाल चन्द्र	धर्मगज
49	उषा देवी	ननसा
50	सुभद्रा देवी	ननसा
51	मोदी यादव	ननसा
52	बालचन्द्र	गयासपुर
53	हीरा देवी	गयासपुर
54	लेखराज यादव	कामापुर
55	भोला यादव	कामापुर
56	सूरती देवी	कामापुर
57	धनावती देवी	रामपुर भगन
58	खिचड़ू शर्मा	रामपुर भगन
59	आशा देवी	शातिपुर
60	राजकुमारी देवी	शातिपुर
61	अजुली देवी	कर्माकोइरी
62	राम स्वरूप	कर्माकोइरी
63	शर्मिला वर्मा	कर्माकोइरी
64	गोपी यादव	रामपुर सरदहा
65	ससारी	रामपुर सरदहा
66	विजय वर्मा	रामपुर सरदहा
67	सोहन	शहादतगज
68	रमादेवी	शहादतगज

69	रमाशकर	हस्नू का कटरा
70	मीरा सिह	साहाबगज
71	सुरेन्द्रपाल	श्हादतगज
72	सुदामा यादव	शहादतगज
73	मालती देवी	लाल कोठी
74	झालर	नियावा
75	सतीश चन्द्र वर्मा	नियावा
76	इन्दू देवी	नियावा
77	छविनाथ सिह	पहाडगज
78	विमला देवी	पहाडगज
79	महेन्द्र	पहाडगज
80	प्रकाश वर्मा	फतेहगज
81	शकरी प्रसाद	फतेहगज
82	गिरिजा देवी	रामनगर
83	प्रभा देवी	रामनगर
84	शारदा	रामनगर
85	विजय प्रकाश यादव	विष्णुपुरी।